Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9] चतुर्थ विधान सभा के नवम् सत्र का 16 वां दिवस [संख्या 8

मंगलवार,

दिनांक 17 नवम्बर, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल सहायता, वन, विद्युत्, वित्त, सिंचाई, शिक्षा, पंचायत, यातायात, समाज कल्याण, राजस्थान नहर परियोजना विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढ़ा।

जैसलमेर के ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

146. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आज जैसलमेर के कई गांवों में लगातार अकाल के कारण पेयजल का भारी संकट है? अकाल सहायता विभाग द्वारा पानी की व्यवस्था बन्द कर दी गई है व ट्यूब वल कृषि विभाग व जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाने बन्द कर दिये गये हैं? अगर हां, तो राज्य सरकार इसके लिये क्या योजना बना रही है? और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश ने जिमनीमाली, खुड़ी, रनाऊ, लाठी, इत्यादि ट्यूब वेल प्रारम्भ करने के लिए कृषि व जन-स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार को आदेश भेज दिये हैं? अगर हां, तो किस कारण से आज तक उपरोक्त गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है, इसका दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उप-मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी नहीं, यह सत्य नहीं है कि आज जैसलमेर के कई गांवों में लगातार अकाल के कारण पेयजल का भारी संकट है। इस वर्ष सन्तोषप्रद वर्षा हो जाने के कारण सहायता विभाग द्वारा पानी की व्यवस्था बन्द कर दी गई है। केवल कुछ गांवों में पेयजल व्यवस्था के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

Page No 2

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के पहले खंड में मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेन्ट को ही कान्ट्रेडिक्ट किया है। पहले कहा "जी नहीं कोई जल संकट नहीं है" और उसके बाद कहा है कि "कुछ गांवों में है" तो मैं जानना चाहता हूं कि माह अगस्त में कलेक्टर, जैसलमेर ने क्या राज्य सरकार को ऐसी सूचना दी है कि गांव जिमनीमाली, रनाऊ, लाटेद और रामगढ़ इनमें पेयजल का अभाव है और इसकी व्यवस्था की जाये ?

श्री गंगाराम चौधरी : माह अगस्त के, बाद सितम्बर में काफी अच्छी वर्षा हुई है और 30 सितम्बर तक तो कई जगह शिकायत थी कुछ गांवों में पेयजल सप्लाई करने की।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि माह सितम्बर में फिर कलेक्टर ने राज्य सरकार को लिखा है कि इन गांवों में पानी का अभाव है और इसलिये इसकी व्यवस्था की जाये ?

श्री गंगाराम चौधरी : सितम्बर में नहीं, मैंने निवेदन किया कि कुछ गांवों के प्रस्ताव जो कलेक्टर के द्वारा आये वह प्रस्ताव विचाराधीन हैं और वह अक्टूबर में आये थे उनके ऊपर अभी विचार किया जायेगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर तीन महीनों तक लगातार पानी का अभाव है और मंत्री महोदय ने कहा कि वहां पेयजल का संकट नहीं है क्या यह औचित्यपूर्ण स्टेटमेंट है मन्त्री महोदय का ? तीन तीन महीने तक पेयजल का संकट रहे और राज्य सरकार कहे कि अभी तक कोई विचार नहीं हुआ ? पेयजल जैसी व्यवस्था के लिए आपको निर्णय लेने के लिए तीन महीने लगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसी संकट की बात नहीं है। पूरे जिले के कुछ गांवों में कम वर्षा हुई थी उनके लिए इस बार विचार किया जा रहा है कि व्यवस्था की जावे या नहीं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैं, जिले की बात नहीं कर रहा हूं चाहे वह थोड़े गांवों में हो पर जिनके लिए संकट है उनके लिए तो पूर्ण जिले का संकट है।

श्री गंगाराम चौधरी : इस समय विचार कर रहे हैं। अगर शिकायत हुई और जिलाधीश से डिटेल्स मांगी जा रही हैं कि इन गांवों में किस स्थान से और किस मात्रा में पानी पहुंचाने की आवश्यकता होगी और जब यह डिटेल प्राप्त हो जायेगी तो उसके ऊपर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस गांव के अन्दर नाडी के अन्दर पानी खतम हो गया है और मन्त्री महोदय कहें कि बरसात हुई थी लेकिन 15 दिन के बाद ही पानी खतम हो गया और मन्त्री महोदय कहें कि कोई संकट नहीं है तो यह तो संकट है।

श्री गंगाराम चौधरी : एसी गम्भीर स्थिति नहीं है। कलेक्टर का प्रस्ताव आया है उस पर जल्दी ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के उत्तरों से यह स्पष्ट है कि जैसलमेर जिले में अमुक स्थानों पर पेयजल का संकट है। सरकार का क्या प्रथम कर्त्तव्य नहीं है कि ऐसे स्थानों में जो आपत्ति है, जो कमी है पेयजल की उसके निवारण करने हेतु तत्काल, तुरन्त और उचित कदम व पर्याप्त कदम उठायें ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि प्रस्ताव विचाराधीन है और उस पर जल्दी ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अकाल की अवधि समाप्त होने के बाद भी क्या अकाल राहत विभाग जल की व्यवस्था करता है या जन-स्वास्थ्य विभाग करता है ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम **मदेरणा)** : अकाल राहत विभाग अकाल समाप्त होने के बाद जल की व्यवस्था नहीं करता है लेकिन जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन गांवों में पानी की व्यवस्था करने हेतु बात कही है वहां पर इस साल ऐसी वर्षा हुई है हालांकि वहां की, जिलाधीश की गिरदावरी की रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कुछ गांव अकालग्रस्त रहेंगे और माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं वहां पर एसी स्थिति नजर आती है।

श्री मूलचन्द डागा : जब तक आपका डिक्लेरेशन नहीं होता तब तक आपका विभाग मानता है कि जल की व्यवस्था उसको करनी चाहिए ?

श्री परसराम मदेरणा : पानी की दरअसल व्यवस्था हो और मैं माननीय विरोधी दल के नेता महोदय की बात से सहमत हूं डिक्लेरेशन के पूर्व ही और आवश्यकता है तो हमने पहले भी व्यवस्था की है और मैं निवेदन कर दूं कि इस संबंध में राज्य सरकार कल ही निर्णय ले लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 147

श्री सूवालाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
श्री देवीदत्त गाड़िया।

तहसील केन्द्रों पर बिजली

148. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री महोदय ने जिला कोटा, बूंदी जनसंघ के आन्दोलन के समय उनकी मांगों को जो लिखित में मन्जूर की उसमें एक मांग यह भी स्वीकार की थी कि तहसील किशनगंज, शाहबाद एवं इटावा आदि तहसील केन्द्रों पर बिजली पहुंचा दी जावेगी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसील केन्द्रों पर बिजली पहुंचाई जाने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक हो जायेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) तहसील केन्द्रों को बिजली से जोड़ने के लिये पहले सर्वे आवश्यक है जिसके आदेश दे दिये गये हैं।

Page No 4

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(2) सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सर्वे रिपोर्ट कब मांगी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मई में भी ऑर्डर दिये हैं और नवम्बर में भी ऑर्डर दिये हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नवम्बर में देने की आवश्यकता क्या पड़ी जब कि मई में आदेश दिये थे तो क्या उस समय उनकी पालना नहीं हुई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिमाइन्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सर्वे रिपोर्ट कब तक और किस तारीख तक प्रस्तुत कर दी जाये इसके लिए आपने क्या कहा था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अवधि नहीं दी थी लेकिन उनको कहा गया है कि जल्दी से जल्दी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो यह सर्वे रिपोर्ट किस किस क्षेत्र की मांगी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शाहबाद, किशनगंज और इटावा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या दूसरे तहसील केन्द्रों पर बिजली नहीं है इसकी आपने जानकारी प्राप्त की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वैसे तो राजस्थान के अन्दर 39 तहसील हैडक्वार्टर्स ऐसे हैं कि जो बिजली से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन हर जगह हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक फेज प्रोग्राम बनायें और जहां से बिजली जाती है उस तहसील के कुछ गांवों को शुरू में बिजली दे दें और फिर तहसील हैडक्वार्टर्स पर पहुंचें ताकि लाईन का उपयोग भी होता रहे और तहसील हैडक्वार्टर भी बिजली से जुड़ जाये । उसकी हम योजना बना रहे हैं लेकिन इन तहसीलों की सर्वे के लिए हमने आदेश पहले से दे दिये हैं। सर्वे रिपोर्ट हम जल्दी ही प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या मंत्री महोदय को यह मालम है, मैं आपकी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं कि तहसील किशनगंज और शाहबाद जैसा आपने बताया है कि हमारे राजस्थान में अन्य तहसीलें भी ऐसी हैं कि जहां से बिजली जाती है उसके गांवों को बिजली देकर फिर तहसील केन्द्र तक उसको ले जाया जाय तो क्या आपको जानकारी है कि यहां किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र के एक भी गांव में बिजली नहीं गयी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक शाहबाद तहसील का प्रश्न है जिस जगह से वहां बिजली जा सकती है वह 40 मील का फासला है । जहां तक किशनगंज और इटावा का प्रश्न है 12 और 13 मील का फासला है । तो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि लाइनें जहां से जाने वाली हैं उन तहसीलों के कुछ गावों को पहले जोड़ दें और फिर आगे बढते बढते तहसील हैडक्वार्टर तक पहुंच जाय बजाय इसके कि हम सीधी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लाइन 40 मील की शाहबाद ले जायें । यह ज्यादा कच्चा पड़ता है और यह रिटर्न भी प्रापर नहीं देता है । इसलिए तहसील हैडक्वार्टर के गांव जो कि लाइन के नजदीक हैं उनको पहले बिजली पहुंचाना चाहते हैं जो कि गांव अभी जुड़े ही नहीं हैं और उसके बाद में तहसील हैडक्वार्टर को जोड़ा जायेगा । तो हमारी योजना यह है कि उन गांवों को जोड़ें और जोड़ते जोड़ते तहसील हैडक्वार्टर पर पहुंच जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या राजस्थान में जिन क्षत्रों में आन्दोलन होता है वहीं पर विद्युत् विभाग बिजली का काम करता है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह घोषित नीति है कि 5 हजार या इससे अधिक की आबादी वाले जितने भी कस्बे हैं उनको तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली दे दी जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कोई घोषित नीति नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : इसी सदन में, उपाध्यक्षजी, कई बार यह घोषित किया गया है कि 5000 वाले या इससे अधिक की आबादी वाले कस्बों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली दे दी जायगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बिजली लगाना प्रोडक्टिविटी आदि कई फैक्टर्स पर डिपेन्ड करता है इसलिए वे शर्तें पूरी होने पर ही बिजली की लाइन जाती है । 5 हजार के गांव का पीने के पानी का ख्याल रह गया है आपको ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि इटावा, शाहबाद और कोटा जिले की जो तहसीलों के हैडक्वार्टर्स हैं ये सब उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छे क्षेत्र हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उत्पादन की दृष्टि से अच्छे क्षेत्र ही हों यह बात नहीं है । मैं, उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस जिले में इस साल हमने सांगोद की क्लस्टर स्कीम सेंक्शन की है जिसमें 96 लाख के करीब रुपये लगेंगे और उससे 117 गांवों का विद्युतिकरण होगा । इसी तरह से लाडपुरा की क्लस्टर स्कीम का सर्वे कराया जा रहा है । इस साल जो 40 गांवों का टार्गेट रखा है कोटा डिस्ट्रिक्ट म वह इन दोनों क्लस्टर स्कीम के अलावा है। वह 40 गांव के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम अलग हैं । चार गांवों को मन्जूरी दे दी गई है । एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के सुझावों पर हम उन गांवों को प्रायोरिटी देते हैं । कोटा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कमेटी के सुझाव अभी नहीं आये हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मीटिंग ही नहीं बुलाई है कलेक्टर ने ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, हम फिर भी कोशिश कर रह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है। इस तरह से हमने चालीस गांवों का निर्णय लिया है कि इनमें हम बिजली ले जा सकते हैं और इनमें से चार गांवों का निर्णय ले लिया है। इस मामले में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिससे इन तहसीलों के हैडक्वार्टर्स को बिजली से जोड़ने में सुविधा हो सके।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या मंत्री महोदय....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा जो मूल प्रश्न है उसको मंत्री महोदय दबा रहे हैं। मेरा मूल प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिखित आश्वासन दिया था और मंत्रि मण्डल की बैठक के अन्दर निर्णय लिया है और उसकी लिखित में प्रोसीडिंग दी है। क्या आप उस चीज को क्रियान्वित नहीं करना चाहते हैं ? जिस चीज के लिए केबिनेट के अन्दर फैसला हुआ है और लिख कर दिया है तो उसके बारे में क्या आपने मुख्य मंत्रीजी से पूछा है ? जिस चीज का केबिनेट ने निर्णय लिया है उस चीज को कब तक क्रियान्वित कर देंगे ? किशनगंज शाहबाद में......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया......

श्री रामचन्द्र आर्य : इनकी कथनी और करनी में अन्तर है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जैसा कि निवेदन किया है कि हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद ही इस पर आगे की आवश्यक कार्यवाही करेंगे, लेकिन यदि आप यह चाहें कि मैं इस समय यह कह दूं कि सभी तहसील हैडक्वार्टर्स को इसी साल बिजली से जोड़ दिया जायेगा तो यह मेरे लिए कहना असम्भव है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सर्वे रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ? यह बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम और इसको एक्सपेडाइट करेंगे कि 1–2–3 महीने में सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल आ जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बड़ा खेद है कि माननीय मंत्री जी सर्वे रिपोर्ट के लिए आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि वह 1 या 2 महीने में आ जायेगी। इसको भी रबड़ की तरह बढ़ा रहे हैं। आप ठीक बता दें कि एक महीने में या दो महीने में।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या एक महीने के अन्दर सर्वे रिपोर्ट मंगा लेंगे ?

एक माननीय सदस्य : प्रोडक्टिविटी कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तहसील किशनगंज जो कि उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। इसी प्रकार से शाहबाद के अन्दर एक एक गांव के अन्दर 40–40 कुए हैं जो कि बिजली लेना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि 12 मील के फासले पर है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 5 मील के फासले

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पर उदयपुर में बिजली है। उससे पांच मील की दूरी पर किशनगंज है। उसके अन्दर आप बिजली नहीं देते है। उसके आस पास और भी गांव हैं। 5 मील का अन्तर है और आप कह रहे हैं कि 12 मील की दूरी पर बारां से जायेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, इनके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इस तरह से आप उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आसन जिसका नाम पुकारे वे ही माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उत्पादन की दृष्टि से जालोर में भी क्या कोई क्लस्टर स्कीम चालू करने की बात राज्य सरकार के विचाराधीन है?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा है कि बारां से किशनगंज कनेक्शन देंगे तो 12 मील की दूरी है और वहां से पांच मील की दूरी पर छप्पनपुरा तक बिजली गई है और वहां से चार मील की दूरी पर ही तहसील हैडक्वार्टर है और आसपास कई गांव हैं। आप कह रहे हैं कि 12 मील का अन्तर है यह जो सूचना आप दे रहे हैं वह गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तहसील हैडक्वार्टर किशनगंज है और उसके आसपास कई गांव हैं और छप्पनपुरा से उसका 5 मील का अन्तर है तो बिजली वहां पर कब तक दी जायगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गांवों का इससे ताल्लुक नहीं है। इसके लिए अलग लाइन बारां से ले जानी पड़ेगी और बारां से लाइन ले जाने के लिए इसका फासला जो कि मुझे सूचित किया गया है वह 9 मील का है। इसलिए हम इसका सर्वे करा रहे हैं और बारां से किशनगंज की तरफ हम बढ़ेंगे ताकि किशनगंज को भी जोड़ा जाय और बीच में आने वाले गांव भी जोड़े जायं।

प्रश्न संख्या 149

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री।

(अनुपस्थित: कृपया, आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

रिजर्वेयर में गंदा पानी

150. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा के खाद के कारखाने का गन्दा (विषैला) पानी चम्बल की दाहिनी मुख्य नहर के रिजर्वेयर (रायपुर टैंक) में जाता है?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

23-4-70 को उक्त रायपुर टैंक की सारी मछलियां मर गई थीं व तालाब का पानी सड़ रहा था ?

(3) अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) जी नहीं ।

एक माननीय सदस्य : बोलने लगे क्या ?

श्री जसराज : सुन रहे हैं ना आप ।

(2) जी हां, कुछ मछलियां अवश्य मरी थीं और उससे दुर्गन्ध पैदा हुई थी ।

(3) चूंकि यह प्राकृतिक प्रकोप था इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नम्बर (2) के अन्दर जो यह आपने स्वीकार किया है कि 23-4-70 को रायपुरा टैंक के अन्दर मछलियां मरी थीं तो क्या माननीय मंत्री जी के पास में यह जानकारी है कि इस तालाब के अन्दर मछलियां क्यों मरी थीं ?

श्री जसराज : उसकी जहां तक सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार नहर में पानी कम रह गया था और इसके अलावा वहां पर फैक्ट्री एरिया में वायुमण्डल में एमोनियम गैस होता है जो कि रात्रि में जब कि तापक्रम कम होता है तो वह एमोनियम गैस पानी पर फैल जाता है और उससे विषैलापन ज्यादा बढ़ जाता है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सुप्रिन्टेन्डिंग इंजीनियर ऑफ इरिगेशन ने स्वयं ने फर्टीलाइजर फैक्ट्री को एक नोटिस देकर यह आगाह किया था कि वह अपना पानी इस रिजर्वेयर में डालना बन्द करें ?

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस पानी के दो हिस्से हैं । एक तो फैक्ट्री का पानी और एक है फव्वारों का, स्वीमिंग पूल और स्नानगृहों का पानी । जो फैक्ट्री का पानी है वह तो एक पक्की नाली के जरिये तनसुआ के नाले में गिरता है और वह रायपुर टैंक में पानी नहीं गया । अब फव्वारों, स्वीमिंग पूल और बाथ रूम्स का पानी रायपुर टैंक में आता है जिसके लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह विषैली हवा पैदा करता है ।

अलबत्ता यह प्राब्लम कोटा में है जिसके लिये वाटर पाल्यूशन के लिए एक संकल्प भी विधान सभा के समक्ष विचाराधीन है । तो आवश्यक कार्यवाही सदन उस पर सोचकर करेगा तब जाकर इस समस्या का हल होगा । हम खुद चाहते हैं कि इस समस्या का हल तुरन्त किया जाय । मछलियां मरने के कारण चाहे कुछ भी रहे हों लेकिन यह वाटर पाल्यूशन की प्राब्लम है इसको कानूनी आधार पर हल करना चाहते हैं और उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जो उत्तर दिया है वह अलग है । तनसुआ के नाले में जो पानी जाता है उसके लिए पक्की नाली बनाकर इस प्रकार से किया जाय वह अलग से प्रश्न है । मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, इरिगेशन ने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

फर्टीलाइजर फैक्ट्री को नोटिस दिया था कि वह उसके गन्दे पानी को रिजर्वायर रायपुर टैंक है उसमें डालना बन्द करे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी इस समय मुझे नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं हो। मेरे पास यह जो सूचना है उसके अनुसार जितनी भी फेक्ट्रीज हैं उनका जो प्वाइजनस पानी है वह एक पक्की नाली के जरिये तनसुआ के नाले में डाला जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपके पास यह जो सूचना है कि वह पानी तनसुआ के नाले में डाला जाता है वह गलत है। फर्टीलाइजर फैक्ट्री का जो गन्दा पानी है वह डाइरेक्ट जाकर रायपुरा के रिजर्वायर में गिरता है। आप स्वयं इसको जाकर चैक कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रघुनाथ विश्नोई।

ग्राम सरनाऊ व चीतलवाना में क्रमोन्नत पाठशालाएं

151. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर ग्राम सरनाऊ व चीतलवाना म अभी-तक प्राथमिक पाठशालाएं ही हैं? क्या यह भी सत्य है कि उन पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करन के लिए प्रस्ताव पिछली साल राज्य सरकार को प्राप्त हुए थे? अगर हां, तो उनको माध्यमिक शाला में क्यों नहीं क्रमोन्नत किया गया?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उन पाठशालाओं के आसपास कई प्राथमिक पाठशालाएँ हैं और सरनाऊ व चीतलवाना ग्राम भी काफी बड़े हैं? अगर हां, तो सरकार वहां की प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत कब तक करने का विचार रखती है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने पर प्रावधान न होने के कारण विचार नहीं किया जा सका।

(2) बजट में प्रावधान होने पर गुणावगुण के आधार पर अन्य शालाओं के साथ विचार किया जाना सम्भव होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगले साल तो कम से कम इन पर प्राथमिकता के तौर पर विचार करेंगे?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अगले साल प्राथमिकता पर विचार करेंगे?

श्री धीरसिंह : अगले साल यदि प्राथमिक शाला खोलने का विचार किया गया तो विचार कर लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री दिग्विजयसिंह।

सरपंच, ग्राम पंचायत, नगर को ऋण

152. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि रतनलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत, नगर, पंचायत समिति, देवली, को पंचायत समिति, देवली द्वारा कोई ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो कितना और कब और किस कार्य हेतु ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऋण की एक भी किश्त उक्त सरपंच से वसूल नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि की गई हैं, तो कितनी ?

(3) क्या जो ऋण दिया गया था वह कृषि कार्य हेतु दिया था ? यदि हां, तो क्या सरपंच ने उसका उपयोग किया है या नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि यह राशि तहसील देवली द्वारा वसूल होती है ? यदि हां, तो तहसील देवली द्वारा वसूल क्यों नहीं की गई ?

(5) क्या यह सही है कि तहसील देवली से वसूली के आदेश, पटवारी हल्का को दिय गये हैं, पर पटवारी इसको वसूल नहीं कर रहा है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां 250.00 रु० दिनांक 20-3-63 को कूप मरम्मत हेतु व 2,000.00 रु० दिनांक 6-12-65 को पम्पिंग सैट के लिए दिये गये ।

(2) जी हां। तहसील से वसूली नहीं हुई है ।

(3) जी हां। उपयोग किया जा चुका है ।

(4) जी हां । वसूली नहीं किये जाने के कारण की जानकारी की जा रही है ।

(5) तहसील से डिमाण्ड पत्र पटवारी को भेजे गये हैं जिनके अनुसार वसूली नहीं हुई है ।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं, आपने कहा है 2,500 सौ रुपये एक, और 2,000 रु० एक, इस प्रकार से 4,500 रु० दिये हैं। आपने पिछली बार एक उत्तर में यह फरमाया था कि 9,300 रु० दिये गये हैं । यह बाकी पैसा कहां चला गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो कुये की मरम्मत और पम्पिंग सैट के लिए दिये गये हैं वह बताया है ।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सच है कि यह देवली पंचायत समिति द्वारा दिया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : हमारे पास यही सूचना है ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं सूचना के आधार पर निवेदन कर रहा हूं, 9,300 रु० की वसूली का नोटिस उसको दिया गया था। आप 4,500 रु० बता रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह कन्ट्राडिक्ट्री है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पहले उत्तर दिया गया था ?

श्री दिग्विजयसिंह : जी हां। 17-3-69 को उत्तर दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह पहले का है ?

श्री दिग्विजयसिंह : यह पहले का है । अब आप 4,500 रु० बता रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रश्न क्या था ? आप पढ़ दीजिये ।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि तहसीलदार, देवली, जिला टोंक द्वारा श्री रतनलाल पुत्र श्री दुर्गालाल, निवासी नगर, तहसील देवली को 10,000 रु० की वसूली का नोटिस दिया गया था ? यदि हां, तो यह वसूली किस मद की बकाया है ? और, कब से चली आ रही है ?

उत्तर

जी हां । 9,300 रु० की वसूली का नोटिस दिया गया था । रकम पंचायत समिति, देवली के निजी खाते से ऋण के रूप में दी गई थी जो कि 1963-64 से बकाया चली आ रही है ।

एक माननीय सदस्य : पहले वाले मन्त्री का होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : और जानकारी करा लीजिए ।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह 4,500 रु० नहीं हैं । 2,250 रु० ही दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो । श्री केशरीसिंह हाड़ा ।

अजमेर-जयपुर तथा अजमेर-अलवर मार्ग पर बसें

153. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डौली): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर से जयपुर और अजमेर से अलवर कितनी बसें सीधी आती-जाती हैं और कब-कब ?

(2) अजमेर से जयपुर तक कितनी डिलक्स और कितनी रात्रि बसें चलती हैं और कोटा से जयपुर तक कितनी डिलक्स बसें चलती हैं ?

(3) कोटा से जयपुर की डिलक्स बसें बन्द करने का क्या कारण है ? और अजमेर-जयपुर और अजमेर-अलवर बदस्तूर चालू रखने का क्या कारण है ?

(4) जयपुर-इन्दौर रूट पर चलने वाली बस का निगम द्वारा किराया बढ़ाने से 6 माह पूर्व के वे बिल की राशि क्या रही और किराया बढ़ाने के तुरन्त बाद के 6 माह के वे बिल की राशि में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उप-मन्त्री, यातायात (श्री समर्थलाल): (1) अजमेर से जयपुर और जयपुर से अजमेर 10-11 सेवाएं प्रतिदिन चलती हैं । अजमेर से अलवर और अलवर से अजमेर एक सेवा प्रतिदिन चलती है । उक्त सेवाओं की समय सारणी संलग्न है । (सूची 'क')

(2) अजमेर से जयपुर के बीच प्रत्येक दिन दो डिलक्स सेवाएं आती व जाती हैं तथा एक रात्रि सेवा भी जो जयपुर-जोधपुर सेवा है, अजमेर होकर गुजरती है । कोटा से जयपुर वर्तमान में कोई डिलक्स सेवा नहीं है ।

(3) कोटा से जयपुर की डिलक्स बस पुरानी और मरम्मत तलब होने के

Page No 12

(श्री समर्थलाल)

कारण बन्द की गई है तथा अलवर-अजमेर कोई डिलक्स सेवा नहीं है।

(4) सूची संलग्न है। (सूची 'ख')

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री केसरीसिंह हाडा : प्रश्न के खण्ड 3 में पूछा गया है कि बन्द क्यों कर दी गई है ?

श्री समर्थलाल : क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह डिलक्स बसें जून, 1967 से चल रही थी। उसके बाद 1 नवम्बर, 1970 से पहले इसलिए बन्द कर दी गईं कि चार-पांच साल सेवा होने के कारण वह मरम्मत तलब हो गई थी। इसलिए बन्द कर दी गई।

श्री केसरीसिंह हाडा : माननीय उपमन्त्री ने उत्तर दिया है, वह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गलत है। जो स्थिति है उसका ठीक उल्टा उत्तर दिया गया है।

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अब नई गाड़ियां एक हफ्ते 10 दिन म चलते लगेंगी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री केसरीसिंह हाडा : यह मरम्मत में कहां दी गई हैं ?

श्री विजयसिंह : असत्य बोलने की इनकी आदत है। चुने गय स्वतन्त्र पार्टी से और बाद में चले गये कांग्रेस में।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 15 दिन में यह सेवा शुरू हो जाएगी।

श्री केसरीसिंह हाडा : खण्ड 4 में यह था कि आपने किराया बढ़ाया है। इन्दौर निगम म कम हो गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने एक स्टटमेण्ट दिया है, वह जुलाई या अगस्त महीने का है। वैसे भी बरसात में आमदनी कम होती है। बरसात के कारण मुसाफिर भी कम चलते हैं। 3 मन्थ्स हैं, जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रेल इन महीनों में आमदनी ठीक रहती है।

एक माननीय सदस्य : जयपुर-अलवर डिलक्स बसें......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री केसरीसिंह हाडा : 17209 जिसका पर किलोमीटर अगस्त में, फिर 95 लगाया है। उसके बाद 93 लगाया है। इससे आपकी आमदनी निरन्तर घटती गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आगे भी पढ़िये।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यहाँ से करीब करीब खाली बसें चलती हैं। रेलवे के किराये से आपका किराया अधिक है। लोग-बाग रेलवे में जाना पसन्द करते हैं। बसों से लोग कम सफर करने लगे हैं। क्या यह सच नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सच नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जयपुर से अलवर डिलक्स बसें क्यों नहीं चल रही हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जयपुर से अलवर डिलक्स बस अब जारी करेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा से जयपुर डिलक्स बस चलती थी, यह व्यवस्था सरकार के द्वारा बन्द करना क्या अनुचित नहीं है ? जो सुविधा दी थी, अगर प्राइवेट सेक्टर होता तो सरकार क्या करती ? नेशनल हाईवे में जो सुविधा दी थी उसको बन्द कर दिया है। तो क्या प्रगतिशील कदम है ? क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि कम से कम जो व्यवस्था दी गई है, उसको जारी रखें ? माननीय प्रश्नकर्त्ता न कहा है कि ये झूठ बोलते हैं। वस्तुस्थिति को देखते हुए जस्टीफाई करना चाहिए। जो व्यवस्था आपने दी है, वह कायम रखें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरी बस नही है क्या आपके पास ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया है। 1 नवम्बर से बन्द कर दी गई है। नई गाड़ियां खरीद ली गई हैं। 10-15 दिन में यह सर्विस चालू कर दी जायेगी।

श्री लक्ष्मणसिंह : जो किराये की दर आपने बढ़ाई हैं, वह प्रतिकूल हैं। आप बिल्कुल एकाधिकार करके, मोनोपोली सिस्टम को निभा रहे हैं और जनता को दुःखी कर रहे हैं—यह क्या प्रगतिशील कदम है ? आप कम से कम रेल के किराये और उसकी दर को मद्दे नजर रखते हुए, रोडवेज ट्रान्सपोर्ट के किराये की दर को मद्दनजर रखते हुए-उसमें समन्वय नहीं रखते तो यह आपका एकाधिकार नहीं तो क्या प्रगतिशील कदम है ? क्या यह अन्हेल्दी मोनोपोली नहीं है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : घाटा पूरा करना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अलग से प्रश्न नहीं है......

श्री रघुनाथ विश्नोई : किराया बढ़ाया गया है।

श्री लक्ष्मणसिंह : जनता की सुविधा का प्रश्न है, रोड ट्रान्सपोर्ट का प्रश्न है। मैंने फण्डामेंटल प्रश्न पूछा है जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित है। आप इसको साइड ट्रेक कर देना चाहें तो मैं नहीं करने दूंगा। जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर देना चाहिए। यह व्यवस्था आपके द्वारा संचालित हो रही है यह संतोषजनक है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, नेता महोदय ने दो प्रश्न उठाये हैं—एक तो यह कि कम्पीटीटिव रेट्स नहीं हैं क्योंकि रोडवेज की मोनोपाली है और दूसरी बसें नहीं चल सकती हैं इन रूट्स पर इसलिए ज्यादा किराया लेना ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूं.....

श्री लक्ष्मणसिंह : बसों का किराया बढ़ाना बिल्कुल अनुचित है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप सुनने का कष्ट करिय। मैं अर्ज करूंगा, किराया बढ़ाने के जो कारण हैं वह हैं....

श्री रामकिशन : आप बड़ी नजाकत से बोलने लग गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज बढ़ गये हैं, मुलाजिमों को डिअरनैस अलाउन्स, बोनस और दूसरी चीजें देनी पड़ती हैं। इसलिए यह आमदनी से ही सम्भव है। इसके अलावा गाड़ियों की कीमत, स्पेअर पार्ट्स की कीमत, ओइल की कीमत, डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, मशीनरी की कीमत..

श्री लक्ष्मणसिंह : भ्रष्टाचार की कीमत और वेड एफीशियेन्सी की कीमत..

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के विधायकों की कीमत बढ़ गई है ?

श्री रोशनलाल शर्मा : आपके क्षेत्र में कम हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनके कारण भी किराया बढ़ाना पड़ा। इसके अलावा किराया बढ़ाने के सम्बन्ध में एतराज सुनने के बाद में, ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट करने के बाद यह निर्णय किया गया जो कि उचित है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्रीजी जो बात कह रहे हैं..

श्री रघुनाथ विश्नोई : विधायकों की कीमत तो आपने घटाई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कीमत बढ़ जाने के कारण किराये की दर बढ़ाई हैं तो हरियाणा की बसें, वहां भी पेट्रोल, डीजल और स्पेअर पार्ट्स आदि की कीमत बढ़ी है, कीमत सब जगह बढ़ी है, यह बात उन पर भी लागू होती है, लेकिन जो आज मध्य प्रदेश से बस आती है, हरियाणा से आती है उन बसों का किराया कम है और हमारे यहां बसों का किराया ज्यादा है। क्या यह बात उन पर लागू नहीं होती है ? फर्क इतना है कि हमारे यहां पर भ्रष्टाचार..

श्री लक्ष्मणसिंह : Your are encouraging inflation. Prices are soaring.

श्री देवीदत्त गाड़िया : यहां भ्रष्टाचार होता है। क्या आपने ध्यान दिया कि मध्य प्रदेश और हरियाणा की जो बसेज चल रही हैं, उनका किराया क्यों नहीं बढ़ा और यहां किराया क्यों बढ़ा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभी जगह बढ़ा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या आपकी मान्यता है रोडवेज कॉर्पोरेशन को रूट्स के अनुसार घाटा होता है तो चाहे वह वैजेज बढ़ने के कारण से हो, चाहे मंहगाई बढ़ने के कारण से हो और चाहे स्पेअर पार्ट्स, पेट्रोल और डीजल आदि की कीमत बढ़ने के कारण से हो उसकी पूर्ति एकमात्र किराया बढ़ा कर ही की जा सकती है ? क्या केवल यह दृष्टिकोण सामने रख कर आपने किराया बढ़ाया है ? इसके अलावा जो रेल का किराया है वह कितना होता है—क्या उसको ध्यान में नहीं रखा गया है ? आखिर किराया बढ़ाने का क्राइटेरिया क्या है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जितना किराया बढ़ाया गया है वैसे ही पैसेंजरों को सुविधा प्रदान की है क्या ?

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आपके यहां हजारों स्पेअर पार्ट्स की चोरी नहीं हो जाती है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आखिर क्राइटेरियां आपने क्या रखा है ? जो कोटा से जोधपुर का किराया है, वह तेरह रुपये है जब कि ट्रेन का छ: रुपये किराया होता है, यानि डबल और डबल से भी ज्यादा किराया है। तो आपने क्राइटेरिया क्या बनाया है ? घाटे की पूर्ति को सामने रख कर किराया बढ़ाने का क्राइटेरिया तय किया है या कौनसा क्राइटेरिया है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रेल का किराया छ: रुपये आप बताते हैं.....

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सही है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तेरह रुपये ऑर्डिनरी बस का है—यह मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यही है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तेरह रुपये नहीं होगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डबल है, जस्ट द डबल ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वैसे रेल के किराये से इसका सम्बन्ध जोड़ा नहीं गया है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रेल के किराये से सम्बन्ध नहीं जोड़ा है और जो हमारा खर्चा होता है उसको ध्यान में रखते हुए और ऑर्डिनरिली इस राज्य के बाहर सब जगह इन किरायों की दर बढ़ी है—इस बात को ध्यान में रखते हुए और विशेष परिस्थितियों को सामने रखते हुए, किराये के सम्बन्ध में एतराज सुन कर, ऑब्जेक्शन इन्वाइट करके किराये की दर बढ़ाई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : देश के अन्य राज्यों में....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! अगला प्रश्न ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं...—

श्री कृष्णकुमार गोयल : देश के अन्य राज्यों में जहां रूट्स का नेशनेलाइजेशन किया है और कॉर्पोरेशन है, किराये की दर पर किलोमीटर क्या है—उसको ध्यान में रख कर राजस्थान में क्या किराया तय किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कई जगह हमसे भी ज्यादा किराये की दरें हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कहां-कहां हैं ? आप बताइये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहकीकी तौर पर सब स्टेट के नाम नहीं बता सकता । लेकिन मुझे याद है, साउथ के अन्दर कई स्टेट हैं जहां राजस्थान से किराये की दर अधिक है । यह भी हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में किराये की दर राजस्थान से कम हों । राजस्थान में अभी नेशनेलाइजेशन केवल सात पर्सेन्ट हुआ है......

श्री कृष्णकुमार गोयल : उदयपुर में क्यों नहीं किया है ?

Page No 16

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां 97 पर्सेन्ट हो गया है या सेन्ट पर्सेन्ट हो गया है वहां ओवर हैड एक्सपैंसेज कम होते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : राजस्थान में एन्टी-नेशनलाइजेशन की मोनोपोली है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान में जहां केवल सात पर्सेन्ट नेशनेलाइजेशन हुआ है। वहां ओवर हैड एक्पैंसेज ज्यादा हैं।

श्री वेणीदत्त गाड़िया : आपने उदयपुर और भीलवाड़ा में क्यों नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। विना इजाजत के प्रश्न नहीं पूछें।

माननीय आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या किराये को बढ़ाते समय जो राजस्थान में भ्रष्टाचार पनप रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ लिया गया है। अलग प्रश्न।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर में टिकट नहीं काटे जाते हैं, कन्डक्टर टिकट के पैसे खा जाता है उनके खिलाफ एक्शन लेने का कोई इन्तजाम नहीं है—....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : फिर भी किराया बढ़ाते जा रहे हैं। आपका प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है, गंगानगर में सुबह से शाम तक का आधे से ज्यादा पैसा कन्डक्टर जमा नहीं कराते हैं और सारा का सारा खा जाते हैं। इसको रोकने का प्रबन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाफणा!

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राइवेट एन्टर-प्राइज की बसें चलतीं तो क्या आप किराया बढ़ाने की इजाजत देते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनका किराया भी बढ़ा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे एक अर्ज करना है, क्या यह सम्भव है कि कभी रोडवेज की बस में विराज कर आप पधारें और देखें कि बसों में कांच की क्या स्थिति है, किस प्रकार रास्ते में मशीनरी खराब हो जाती है........

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न !

श्री मनोहरसिंह मेहता : दूसरे भीलवाड़ा में बस चलती हैं और वहां जो प्राइवेट बसें चलती हैं तो प्राइवेट बस में तो 5 रुपये 10 पैसे लेते हैं और आपने क्या किराया रखा है—आप यह बता दें ? अजमेर से भीलवाड़ा जाती है......

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न ! श्री दिग्विजयसिंह !

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री दिग्विजयसिंह का नाम पुकारा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : तमाम बसों में, जिनमें सफर करते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है।

श्री दिग्विजयसिंह : मेरा प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। जो प्रश्न पूछा था उसके सम्बन्ध में जो जानकारी दी थी, वह गलत है। वह मैं करेक्ट करता हूं, यह 3-4-70 का प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 154

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रामप्रसाद बोहरा।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूराम !

बजाजसागर बांध

155. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा में "बजाजसागर" माही योजना पर जो पुनर्विचार चल रहा था वह क्या प्लानिंग कमीशन से एप्रूव होकर आ गई है? यदि हां, तो योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो अब तक इस योजना पर किस-किस मद पर कितना-कितना धन व्यय किया गया और उसका प्रतिलाभ क्या रहा ?

(2) क्या यह सत्य है कि गुजरात में बन रहा कडाना बांध और बांसवाड़ा में बन रहा "बजाजसागर" बांध एक दूसरे से सम्बद्ध हैं? यदि हां, तो प्लानिंग कमीशन द्वारा स्वीकृति के अभाव में गुजरात सरकार ने जब निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तो राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाए ? यदि नहीं, तो 1966 के एग्रीमेंट से सरकार का क्या अभिप्राय है ?

(3) बजाजसागर बांध से कौन-कौन से ग्राम डूब में आयेंगे ? उससे कितनी जन धन की हानि होगी ? क्या सरकार ने सर्वेक्षण करा लिया है ? यदि हां, तो तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कब तक हो जायेगा ?

(4) प्रस्तावित योजना के अनुसार इस बांध से राजस्थान को कितना परिलाभ मिलेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) जी नहीं। खर्च की सूची संलग्न है। परिलाभ कार्य पूर्ण होने पर मिलेंगे।

(2) जी हां। जब से गुजरात ने कडाना बांध पर कार्य प्रारम्भ किया है राज्य स्तर पर वार्ता चल रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सुनाई नहीं दे रहा है। साफ बोलिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुनाई नहीं दे रहा है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या इन मंत्री महोदय की ट्रेनिंग पूरी हो गई है ?

श्री रोशनलाल शर्मा : जी हां।

श्री जसराज : आपने ट्रेनिंग नहीं ली हो तो मैं ट्रेनिंग दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें।

Page No 18

श्री रोशनलाल शर्मा: समझ में नहीं बैठ रहा है।

श्री नाथूराम: आप एक से दुबारा पढ़ दीजिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: क्या भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास: वह आप ले चुके हैं।

श्री जसराज: (1) जी नहीं। खर्च की सूची संलग्न है। परिलाभ कार्य पूर्ण होनें पर मिलेंगे।

(2) जी हां। जब से गुजरात ने कडाना बांध पर कार्य प्रारम्भ किया है राज्य स्तर पर वार्ता चल रही है।

(3) सूची संलग्न है। परन्तु पुनः जांच एवं डिमारकेशन की कार्यवाही प्रगति पर है।

(4) इस योजना द्वारा राज्य के 67,370 एकड़ भूमि में सिंचाई सम्भव हो सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह 1966 का एग्रीमेंट क्या है ? बोलो ना (विराम) प्रश्न दो के उत्तर में कहा, "जी नहीं"। तो 1966 का एग्रीमेंट क्या है ? "जीनहीं" तो कह दिया।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: उन्हें पता नहीं है

श्री विजयसिंह: उन्होंने एग्रीमेंट 1967 में किया था।

श्री देवीदत्त गाड़िया: बोलो न।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): बजाजसागर और कनाडा का एग्रीमेन्ट 1966 में हुआ और वह उससे सम्बद्ध हैं। जब प्लानिंग कमीशन से कनाडा की मंजूरी हो गई तो बजाज सागर की मन्जूरी प्लानिंग कमीशन से क्यों नहीं हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कडाना की मंजूरी हो गई और बजाजसागर की मंजूरी नहीं हुई, यह बात सही है और बजाजसागर की मंजूरी के लिए अभी राज्य सरकार ने प्लान बना कर सी० पी० डब्ल्यू० सी० को बनाकर भेजा है वह प्लानिंग कमीशन के सामने विचाराधीन है। इसमें कडाना बांध की उंचाई को कम करने का और इस बांध की योजना को इस तरह बदलन का कि राजस्थान को कुछ पानी अधिक मिले और शेयर ऑफ कास्ट गुजरात पर अधिक पड़े और उनको भी पानी में कमी नहीं पड़े और हमको भी पानी कम न पड़े, अधिक मिल जाय, इस हिसाब से इस योजना के संबंध में चर्चा मुख्य मंत्रियों के बीच में हुई और उस चर्चा के फलस्वरूप जैसा मैंने कल निवेदन किया था जल्दी ही इस बात का फाइनल निर्णय अगले महीने की 15 तारीख से पहले जब मंत्रियों की मीटिंग होगी दोनों बातें तय होकर फाइनल हो जायेंगी, क्योंकि इसमें कन्ट्रोल बोर्ड की स्थापना का प्रश्न आता है। कन्ट्रोल बोर्ड की स्थापना और क्लीयरेन्स दोनों साथ चलते हैं और क्योंकि उससे वह जुड़ गया था, सारे मुद्दों पर करीब करीब बात

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हो चुकी है। उसका फाइनलाइजेशन 10-15 दिन में हो जायगा, तब माननीय सदस्यों को जानकारी दे दूंगा।

श्री नाथूराम : बजाजसागर डैम पर लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च हो गया लेकिन डैम के नाम से आपने क्या प्रगति की ?

श्री लक्ष्मणसिंह : बंगले बने हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले ज्यादा काम नहीं हुआ था......

श्री नाथूराम : 1966 से लेकर किस काम पर खर्चा हुआ ? बजाज सागर का शिलान्यास कब हुआ था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काफी समय हो गया, 6-7 वर्ष हो गए।

श्री नाथूराम : 7 मई, 1960 को भारत के वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने शिलान्यास किया था। लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च हुए लेकिन मेन डैम के नाम से खर्च नहीं हुआ है। आपने इतने साल क्या किया ? बजाजसागर डैम की प्लानिंग कमीशन से मंजूरी नहीं हुई तो सरकार ने क्या किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार जल्दी ही कार्य शुरू कर रही है।

श्री नाथूराम : प्लानिंग कमीशन से मंजूरी न लेने के क्या कारण हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले फंड्स न होने की वजह से मंजूरी नहीं दी थी। उसके बाद दो साल से कडाना और बजाजसागर का झगड़े में मामला चल रहा है। अब जाकर इसका निपटारा होने वाला है। इसलिए हमने राइट अर्नेस्ट में मेन डैम पर काम शुरू करने के आदेश भी दे दिए हैं और अब काम तेजी से चलेगा।

श्री हीराभाई : बजाज सागर से बिजली उत्पादन की योजना थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : थी।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम : जब पहले 1966 में एग्रीमेन्ट हुआ तो केबीनेट ने इस योजना में जो बिजली का प्रावधान था, उसको हटा दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसको डेफर कर रहे हैं।

श्री नाथूराम : क्या कारण हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसमें बिजली का ही ज्यादा खर्चा है। करोड़ों रुपए जो ज्यादा इस पर लगते हैं, वह बिजली पर ही लगते हैं। इसलिए बिजली की योजना को अभी हम डेफर कर रहे हैं और सिंचाई में पहले हमारा 9 का हिस्सा था और उनका 45 का था, अब 9/45 को 1/3 कर दिया। मतलब 25 प्रतिशत पानी हम अधिक इस्तेमाल करना चाहते हैं और बिजली के काम्पोनेन्ट को डेफर कर दिया है। इससे जो 30 करोड़ की योजना बनी थी जिसमें हमको काफी रुपया देना पड़ता था, वह 4 करोड़ रुपए में ही सारी योजना राजस्थान के हिस्से में इतनी ही और आएगी, बाकी सारा रुपया गुजरात को वहन करना पड़ेगा। तो एक तो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

साधनों की कमी की वजह से और दूसरा बिजली की अभी हमें तत्काल बजाजसागर से आवश्यकता नहीं है, इसलिए और हम अपने यहां लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और दूसरी नहरों के जरिए 76 हजार एकड़ जो पहले प्रस्तावित थी, उनसे हम ज्यादा जमीन पर पानी दे सकते हैं और सर्वे कार्य चालू कर दिया गया है--इन बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के हित में हमने यह बात तय की।

श्री भाईदानसिंह : मंत्री महोदय ने फर्माया, कि इस समय बिजली की जरूरत नहीं तो क्या हम मानकर चलें कि राजस्थान के सभी गांव इलेक्ट्रिफाइड हो गए और बिजली पहुंच गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जनरेशन की बात है बजाजसागर से । बिजली के जनरेशन को डेफर कर दिया है फॉर दी टाइम बींग ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि योजना मूलतः बिजली उत्पादन के लिए बनाई गई थी और क्या यह भी सही है कि इस योजना के खर्च में गुजरात सरकार को भी प्रारंभिक योजना के अनुसार काफी धनराशि राजस्थान सरकार को देनी थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह योजना मूलतः बिजली के लिए नहीं बनाई गई थी इसका इतिहास यह है कि शुरू में यह स्कीम मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के रूप में बनाई गयी थी जब इसमें पावर नहीं था। केवल मीडियम सिंचाई योजना केवल राजस्थान के हित के लिये बनाई थी। उसके बाद में कडाना की उंचाई, जब अब 410 की बात करते हैं, वह पहले 450 प्रस्तावित थी फिर 435 प्रस्तावित हुई। उस उंचाई को कम करने की दृष्टि से पानी की आवश्यकता थी तो इस प्लान को रिवाइज करके कुछ बजाजसागर पर हम पानी रोकते हुए और उसमें हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो सरप्लस वाटर है, वह रिलीज करके रेग्यूलेटेड वे में ताकि वह कडाना बांध की उंचाई को कम करते हुए पानी लगातार साल भर 1,100 क्यूसेक्स के हिसाब से उसमें जाता रहे, इसलिए इस योजना को संशोधित किया था।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट-सु०) : मैं बोलूंगा। हमारे इलाके का मामला है। जो आपने कडाना बांध की उंचाई कम की और इस बांध को आपने वापस शुरू करने का तय किया है, इससे पाया जाता है कि बांसवाड़ा जिले का कुछ हिस्सा जो डूब में जा रहा था, उसको कम करने से डूब में न जाता या यह सारा हिस्सा डूब में जायगा, दो बांध बनाने से क्या फायदा है ? बजाजसागर से कौनसी तहसील को पानी मिलने वाला है ?

श्री नाथूराम : माननीय सदस्य ने जो बताया वह बिल्कुल गलत है। ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सकती है। बांसवाड़ा, घाटोल में सिंचाई हो सकती है।

(दोनों माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

श्री विट्ठल भाई : हम चाहते हैं कि पैसा खर्च न हो, वहां के इलाके को कोई फायदा नहीं . .

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): इस परियोजना को पूरा करने म जो नर्मदा से पानी मिलने वाला था और जिसके संबंध में खोसला समिति ने सिफारिश की थी और जिन सिफारिशों को मध्य प्रदेश सरकार नहीं मान रही है और सारी चीज झंझट में पड़ी हुई है, उसका विपरीत असर इस परियोजना की क्रियान्वति पर पड़ रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे एग्रीमेंट के अनुसार जो आज भी रिवोक नहीं कर दिया है, जो हमारे पानी से कडाना बांध के जरिए जिस जमीन को गुजरात सिंचित करेगा, वह अल्टीमेटली नर्मदा से जब स्विच ओवर हो जायगा तो यह पानी उस एग्रीमट के अनुसार हमको, हमारे राजस्थान के अन्य हिस्सों को पहुंचाने के लिए उपलब्ध होगा और उस समय हम उस कास्ट को रीएम्बर्स करेंगे; यह एग्रीमेंट के समय भी था; आज भी जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, उसमें उसको रिवोक नहीं कर रहे हैं । उस पर प्रेक्टीकल असर इसका नहीं पड़ेगा, ऐसी हमारी मान्यता है और इसको हमने अच्छी तरह से छानबीन भी कर लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह है कि माही की परियोजना और राजस्थान ने गुजरात से जो समझौता किया था उसके आधार पर नर्मदा से पानी मिलने का आधार था । उस संदर्भ में था और चूंकि सारा झंझट में पड़ गया उसके कारण से चाहे माही परियोजना, चाहे बजाजसागर, चाहे कडाना—सारे डिस्प्यूट्स में पड़ गए हैं । इस संबंध में क्या राज्य सरकार ने कुछ विचार किया है कि सारी स्थिति से निपटने के लिए सदन को विश्वास में ले ? मेरा इस सिलसिले में सुझाव यह है कि राज्य सरकार कन्सल्टेटिव समितियां बनाए या नहीं; सदन की बैठकें बहुत कम चलती हैं लेकिन कम से कम सिंचाई व बिजली, इन दो के सिलसिले में जहां हमारा प्लान का मेजर खर्चा होता है, क्यों नहीं कन्सल्टेटिव कमेटियां आप अपनी मिनिस्ट्री के साथ बनाते जिस कारण से चाहे बजाजसागर, चाहे कडाना के बारे में जब सवाल आते हैं, आप सदन के सदस्यों को संतुष्ट नहीं करते । आज राजस्थान बजट का 70180 प्रतिशत सिंचाई, बिजली व कृषि पर खर्चा होता है, ये तीन चार मिनिस्ट्रीज राजस्थान की हैं जिन पर हमारा बजट का अधिकांश रुपया खर्च होता है, योजना का अधिकांश रुपया खर्च करते हैं, सारी मिनिस्ट्रीज के लिए सदन की कन्सल्टेटिव कमेटीज अगर सरकार बनाए तो मैं समझता हूं माननीय सदस्यों की ओर से राज्य सरकार को बहुत ही अच्छे सुझाव समय समय पर जन हित में मिलते रहेंगे और माननीय सदस्य भी मेरे इस सुझाव का समर्थन करेंगे कि हाउस की कन्सल्टेटिव कमेटीज बनें चाहे माइनर हो, मिडियम हो और मेजर प्रोजेक्ट्स हों; वरना बजाज सागर, कडाना डेम के मामले पर हर साल वक्तव्य आते हैं सरकार की ओर से और उनका कोई नतीजा नहीं निकलता है । कभी आप कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह बहुत ही उत्तम सुझाव है। राज्य सरकार भी इस सम्बन्ध में काफी अर्से से विचार कर रही थी लेकिन अब तक वह कार्यान्वित नहीं हो सका। मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय से चर्चा करके माननीय सदस्यों को अवगत कराने की कोशिश करूंगा जिससे राजस्थान में विकास के महत्वपूर्ण अंग जैसे सिचाई और पावर के लिए कहा, ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेन्ट के कार्य है उनके सम्बन्ध में भी हाउस की कन्सल्टेटिव कमेटीज बन जायं जैसी कि पार्लियामेन्ट में हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही सप्लीमेन्टरी पूछना चाहता हूं। यह कडाना डेम राजस्थान के लिए एटम बम्ब है, जो कि बन रहा है। मंत्री महोदय ने बताया कि इस बजाज सागर को मीडियम प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ किया गया–यह बिलकुल सही है लेकिन क्या सरकार यह जानकारी दे सकती है कि अब तक बजाज सागर बांध पर कितना रुपया खर्च हुआ है और क्या बजाज सागर बांध की नींव भी खुदी है ? इस सम्बन्ध में जो भी जानकारी हो क्या सरकार सदन की टेबल पर जो आंकडे हैं, या जो कुछ भी वाजिब खर्चा, एक्चुअल एक्स्पेन्डीचर हुआ है उसको रखने की स्थिति में है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इस प्रश्न के उत्तर में पहले ही ये आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कितने रुपये खर्च हुए?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक प्रति आपको भी भेंट कर दूंगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या कहा आपने ? मैं सुन नहीं सका।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी एक प्रति आपको भी भेंट कर दूंगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : सदन में कुछ नहीं कह सकते हैं आप ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लम्बा चौड़ा स्टेटमेन्ट है। उसकी एक प्रति आपको नजर कर दूंगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : उसका गोश्वारा कोई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 1 करोड़ 68 लाख रुपया।

श्री लक्ष्मणसिंह : 1 करोड़ 68 लाख रुपया खर्च हुआ बताते हैं इसके लिये कोई एक निष्पक्ष ट्रिब्यूनल अपोइन्ट किया जाय और यह जानकारी प्राप्त की जाय कि यह 1 करोड़ 68 लाख रुपया कहां गया ? मंत्री महोदय मालूम कर कि ऐसा बजाज सागर में क्या है ? बजाज सागर सिवाय बंगलों के और क्या है ? 1 करोड़ 68 लाख रुपया राजस्थान की गरीब जनता का जनता की सरकार के द्वारा खर्च हो उसको दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। सदन को जानकारी प्राप्त कराने के लिए निपष्क्ष रूप से एक आयोग कायम करें इसकी छानबीन करने के लिए–यह मेरी मांग है।

श्री हीराभाई : क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। मंत्री महोदय 1 करोड़ और 68 लाख रुपया खर्च हुआ यह बता रहे हैं। क्या रिलीफ के द्वारा जो काम चलाए गए उसका खर्चा भी उसमें शामिल है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह अलग है।

श्री हीराभाई : वह कितना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी साल तो चला है।

श्री नाथूराम : वह रुपया बताया जाय कि कितना खर्च हुआ ?

श्री लक्ष्मणसिंह : 1 करोड़ 68 लाख रुपया खर्च हुआ। खर्च होने के पश्चात् क्या बांध की कोई स्थिति है ? किसी शक्ल का पता नहीं। क्या यह मीडियम ईरिगेशन प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ सकता है जिस पर 1 करोड़ 68 लाख रुपया खर्च किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब मीडियम ईरिगेशन की कैटेगरी में नहीं है।

श्री नाथूराम : मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। कोई खर्चा नहीं हुआ है।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य ने जो मांग की है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। यह परम आवश्यक है। इसमें बड़ा घोटाला है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने और उधर के सत्ताधारी पक्ष के माननीय सदस्य एवं प्रश्नकर्त्ता महोदय ने जो आरोप लगाये हैं उनके संबंध में माननीय मंत्रीजी को क्या कहना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनके संबंध में उनसे मैं बात कर लूंगा और स्पेसिफिक चार्जेज होंगे तो पूछ लूंगा।

श्री दौलतराम सारण : मैं जो बात कहना चाहता हूं उसको कह लेने दें और उसके बाद ही आप कहें।

सदन इन सारी बातों को सनसनीखेज समझता है कि इस बांध के लिए एक पौने दो करोड़ रुपया खर्च हुआ और अकाल सहायता का अलग है, प्रत्यक्षदर्शी माननीय सदस्य कहते हैं कि इसमें बड़ा भारी घोटाला है और इसलिए हम जांच की परम आवश्यकता को महसूस करते हैं। इसलिए हम आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से चाहते हैं कि इस मामले में राज्य सरकार को निष्पक्ष रूप से जांच करवानी चाहिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि सदन के पांच सदस्यों कि कमेटी हो उसमें चार कांग्रेस के सदस्य हों, एक कोई विपक्षी दल का सदस्य हो, मेरा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कोई सरोकार नहीं है, वह कमेटी वहां जाकर देखे तो सही कि 1 करोड़ और 68 लाख रुपया कहां चला गया ? सिवाय चन्द लाख के बंगलों के यह सब रुपया कहां चला गया ? डेम का कोई नाम निशान ही नहीं है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : बंगले तो बने हैं या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 1 करोड़ 68 लाख का खर्चा बताया इसमें से डेम पर कन्स्ट्रक्शन का कितना खर्चा हुआ यह बता दीजिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें सब अकाउन्ट्स लिखे हुए हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डेम के कन्स्ट्रक्शन पर कितना हुआ ? यह ही बता दीजिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डेम का कन्स्ट्रक्शन चल रहा है ।

श्री नाथूराम : दस वर्षों में बहुत रुपयों का दुरुपयोग हुआ है 3 करोड़ में तो सिंचाई का डेम ही बन जाता ।

श्री विजयसिंह : यह खर्चा हुआ, यह कडाना डेम पर खर्चा करने जा रहे थे । बाकी बाद में हो सकता था ।

श्री उपाध्यक्ष : टैक्निकल प्रश्न है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : 14 कार्यों पर खर्चा हुआ यह बताया तो किस किस पर हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रोपर डेम पर, ब्रिज बना, पावर हाउस एस्टेब्लिश हुआ, कॉलोनीज बनीं । इतना काम हुआ । सड़कें अब बन रही हैं । ऐसा नहीं है कि कोई काम ही नहीं हुआ ।

श्री नाथूराम : जांच करा लें तो पता चलेगा कि लाखों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है ।

श्री नत्थीसिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि क्या कुछ काम नहीं हुआ है, तो उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि कुछ ही काम हुआ है लेकिन ज्यादा काम नहीं हुआ ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मिड टर्म काम हुआ.........

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : सदन के सामने राजकीय पैसों का जिस हैड में खर्चा हुआ है उसमें भयंकर घोटाले का सरकार पर आरोप है और माननीय मंत्रीजी सदन को सन्तुष्ट नहीं कर सके हैं इसलिए हमारी मांग है, दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की मांग है कि इन सारे कार्यों की जांच करायी जाय और जांच के लिये सदन के दोनों पक्षों की समिति का गठन करके उसको उसकी जांच सौंपी जानी चाहिये । मंत्रीजी चाहें जिसको इस समिति का सदस्य बनायें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री लक्ष्मणसिंह : टक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिये । कोई गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया

(श्री लक्ष्मणसिंह)

का इन्जीनियर हो वह ही इसका एस्टीमेट दे दे । यह तो सब मानते हैं कि इट इज नथिग बट पुटिंग दी कोर्ट बिफोर हॉर्स । पुल बन गया, सड़कें बन गयीं और बंगले बन गये और बांध का कोई नामोनिशान नहीं । यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्टा नहीं तो और क्या है ? माननीय प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न उठाया मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं । इसमें भयंकर घोटाले हुए हैं इसकी बहुत आशंका है । सरकार को चाहिए कि सदन की सब-कमेटी के द्वारा सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा जो आपत्तियां उठायी गयी हैं उनके बारे में जांच करायी जाय और जांच नहीं कराते हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस परियोजना के सिलसिले में जो 1.68 लाख रुपये का खर्चा किया गया उसके दुरुपयोग के संबंध में यहां पर आरोप लगाये गये हैं मैं उसका समर्थन करता हूं । साथ ही मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की गरीबी की हालत में जहां टैक्सों का भार बढ़ाते जा रहे हैं और उसका उपयोग किस प्रकार की परियोजनाओं में किया जा रहा है, करोड़ों रुपयों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, उसका यह नमूना है । जिन योजनाओं के लिये राज्य सरकार समझती है जिसके बारे में केबीनेट ने कन्सीडर किया है पावर जनरेशन के लिये सवाल था, पावर इर्रिगेशन के लिये देने की सुविधा होगी। इस प्रोजेक्ट को एग्जामिन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच गये हैं उसमें यह लिखा है.... '

"The second point to be considered in this regard is the economic feasibility of the project.

"Therefore, considering both, irrigation and power, together, one reaches the inescapable conclusion that Mahi is not an economically attractive investment.

"I, therefore, propose that the project may be re-cast for giving irrigation benefits alone, and the power portion may not only be deferred, but deleted altogether from the scheme."

श्री उपाध्यक्ष : यह अंश तो माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है उसका समर्थन करता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो इन्वेस्टमेण्ट कर रहे हैं वह इकोनोमिकली एप्रूव्ड इन्वेस्टमेण्ट नहीं है । 1.60 लाख का इन्वेस्टमेण्ट करने के बाद भी वहां डेम के संबंध में कुछ भी कार्य नहीं हुआ इस सारे फण्ड का मिस-यूज हुआ है । यह रुपया एक तरह से खड्डे में डाल दिया गया है और इस पर भी हाउस चुप रहे यह हो नहीं सकता । इस बारे में हम मांग कर रहे हैं इस डेम के मामले में जिस प्रकार का खर्चा हुआ है उसकी जांच के बारे में इस हाउस की एक कमेटी बनाई जाय और उसके द्वारा इसकी जांच कराई जाय। उसमें कांग्रेस के सदस्य ज्यादा रहें

Page No 26

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चैयरमेन भी उन्हीं का रहे विरोधी दल के केवल दो सदस्य ले लिये जायं इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह आवश्यक नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सारे खर्च का विवरण सदन के सामने आयगा, मैं समझता हूं, उससे माननीय सदस्यों को सन्तोष हो जायगा। मैंने 1.68 लाख की पूरी डिटेल्स नहीं दी है। किस किस मद में कितना कितना खर्च हुआ यह नहीं बताया है। जब आपको इसके पूरे डिटेल मालूम हो जायेंगे और आपको यह विश्वास हो जायगा कि इसमें घोटाला नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी माननीय सदस्य किसी अधिकारी पर या कर्मचारी पर स्पेसिफिक आरोप लगाते हैं तो हम उसकी जांच करवाने के लिये हमेशा तैयार रहेंगे।

श्री दौलतराम सारण : यह तो योजनाबद्ध घोटाला है।

श्री नरथीसिंह : सिंचाई विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों ही घोटालों के विभाग हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह तो योजनाबद्ध घोटाला है।

श्री नरथीसिंह : दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को सन्देह है और दोनों तरफ से आरोप लगाये गये हैं इसके बाद भी आप यह चाहते हैं कि और आरोप दें......

श्री गिरधारीलाल व्यास : वे सब वेग आरोप हैं।

श्री नरथीसिंह : मेरा निवेदन है कि दोनों तरफ के जब सदस्य मांग कर रहे हैं तो सदन की कमेटी बनायी जाय जो इसकी जांच करे। आपको तो इसके लिये तैयार रहना चाहिये आपका पक्ष सही हो जायगा।

श्री नाथूलाल : इस प्रकार की कमेटी बनायी जानी चाहिये। मेन डेम के नाम से कुछ भी काम नहीं हुआ इसलिये जांच समिति बनायी जानी चाहिये ताकि इस खर्च में हुए घोटाले के बारे में जांच कर सके।

श्री फतेहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं 172वां सवाल है उसका संबन्ध विधायकों से है, स्कूटर के अलोटमेण्ट के संबन्ध में है। इस मामले में घोटाले हुए हैं। रिश्वतें लेकर स्कूटर दिये जाते हैं इस प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): इस प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री फतेहसिंह : यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है लोगों ने दरख्वास्त दे रखी है लेकिन उनको स्कूटर मिलते नहीं हैं। जो रिश्वत देते हैं उनको अलोटमेण्ट हो जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत है।

श्री फतेहसिंह : एक एक स्कूटर पर 500 रुपया लेते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिलकुल गलत है असत्य है।

श्री फतेहसिंह : आप तो गलत कहोगे ही क्यों कि आपको तो गाडी मिल गई है.....

श्री रामप्रसाद लड्ढा: Come with specific allegations........

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है, प्रश्न समाप्त हुये।

श्री बालसिंह सोढ़ा : कल का मेरा स्थगित प्रश्न था उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री बालसिंह सोढ़ा : तो क्या मेरा प्रश्न स्थगित का स्थगित ही रहेगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

वृक्षों की क्षति को रोकने की व्यवस्था

147. **श्री मुन्नालाल चौधरी (दूदू)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या ग्राम बिचून, तहसील दूदू में कोई गै० मु० पहाड़ है ? अगर हां, तो उसका नम्बर क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पहाड़ पर काफी इमारती पेड़ थे ? क्या इन पहाड़ों की देख-रेख भूतपूर्व ठिकाना बिचून के द्वारा जंगलात के उपयोग हेतु की जाती थी ?

(3) क्या वन विभाग ने उक्त पहाड़ों का निरीक्षण किया है ? अगर हां, तो किस कर्मचारी ने और कब ?

(4) क्या उक्त पहाड़ों की देख-रेख वन विभाग की ओर से की जाती है ? अगर हां, तो कब से ?

(5) क्या उक्त पहाड़ों पर खड़े पेड़ों को बरबाद होने से बचाने के संबंध में वन विभाग की ओर से कोई व्यवस्था की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों और अब क्या सरकार उक्त पहाड़ों के जंगल को बरबाद होने से रोकने की कोई योजना रखती है ? अगर हां, तो इसका पालन कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम बिचून, तहसील दूदू में खसरा नं० 42, 986, 1310, 1348, 1368, 59, 183, 15, 6, 2475, 1305 व 975 गैर मुमकिन पहाड़ हैं।

(2) जागीर पुनर्ग्रहण के पूर्व उक्त पहाड़ों की देख-रेख भूतपूर्व ठिकाना बिचून द्वारा की जाती थी। यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि तत्समय इन पर काफी इमारती पेड़ थे या नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। यह क्षेत्र वन विभाग के सुपुर्द नहीं हुआ है।

पेन्शन में बढ़ोतरी

149. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों की पेंन्शन बढ़ा चुकी है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 1-9-69 से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति पेन्शनर के 10) रु० बढ़ाये गये हैं ? यदि हां, तो उसका लाभ भूतपूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जाता है?

उत्तर

(1) जी हां, कर्मचारियों की न्यूनतम पेन्शन की राशि 30/रु० से 40/रु० माहवार दिनांक 1-3-70 से वित्त विभाग आदेश संख्या प/(11) वित्त (नियम) /70-II दिनांक 29-4-70 द्वारा बढ़ाई जा चुकी है।

(2) जी हां, 1-11-56 को राज्यों के रिओरगेनाइजेशन के समय भूतपूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया था कि या तो वे अजमेर राज्य के पेन्शन नियम जो 1-11-56 से पूर्व थे उनके लिये विकल्प दें अथवा राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत पेनशन नियमों का विकल्प दें। जिन कर्मचारियों ने 1-11-56 से पूर्व पेनशन नियमों के अंतर्गत पेनशन प्राप्त करने का विकल्प दिया है उनको पेन्शन 1-11-56 के पूर्व के पेन्शन नियमों के तहत ही दी जा रही है। 1-11-56 के बाद में पेन्शन नियमों में जो संशोधन भारत सरकार द्वारा किये गये है वे उन पर लागू नहीं होते और इसलिये भारत सरकार के आदेश जिनके अंतर्गत पेन्शन में जो 10/-रु० वढोतरी की है वे उन पर लागू नहीं होते।

जिला झालावाड़ में अध्यापकों के तबादले

154. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में शिक्षा निरीक्षक द्वारा जून सन् 1970 में कितने अध्यापकों के तबादले किये गये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन तबादलों में से कितने ऐसे तबादले हैं जिनको निरीक्षक ने केन्सिल कर दिया है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इन सभी अध्यापकों की विभागीय शिकायतें आई थीं या अन्य कारणों से तबादले किए गए थे।

(4) तबादले नियमानुसार किए जाते हैं अथवा जब चाहें तब ही कर दिये जाते हैं?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) इन तबादलों में कोई तबादला केन्सिल नहीं किया गया है।

(3) सूची में अंकित सभी अध्यापकों के तबादले अध्यापकों की स्वेच्छा से किये

(शिक्षा मंत्री)

गये हैं। कोई तबादला इन सूचियों में शिकायतन नहीं हुए हैं।

(4) तबादले नियमानुसार किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जालोर व सिरोही में अधिशासी अभियन्ता खण्ड

161. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर व सिरोही के लिये एक अधिशासी अभियन्ता के खण्ड सरकार शीघ्र खोलनें का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक निर्णय हो सकेगा।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त खण्ड जिला जालोर में खोलना सरकार उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो जालोर में उपरोक्त खण्ड कब तक खोल दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जालोर जिला बिजली की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है ? क्या यह भी सत्य है कि यह जिला सिरोही के मुकाबले बड़ा है और कृषि क्षेत्र में यह एक बड़ा महत्वपूर्ण जिला है ? अगर हां, तो इस दृष्टि से भी सरकार जालोर में ही उपरोक्त खण्ड खोलना उपयुक्त समझेगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय फालना से स्थानान्तरित कर सिरोही में खोलने के प्रश्न पर मण्डल विचार कर रहा है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(2) अभी इस पर विचार नहीं किया गया है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(3) जी नहीं।

जी नहीं।

अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

ग्राम गोठियाणा में तालाब का निर्माण

162. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गोठियाणा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में सन् 1969 में अकाल राहत कार्य में नये तालाब को गहरा कराने की 15,000) रुपये की स्वीकृति हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तालाब पर नाम मात्र का ही कार्य किया गया और फर्जी मस्टर रोल भरे गये ?

(3) क्या सरकार जिलाधीश अजमेर व एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा इसकी अलग अलग जांच करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(सिंचाई मंत्री)

(3) विभागीय जांच करवाई जा रही है।

काला भाटा बांध

163. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील हिन्डोली में खेराड क्षेत्र में ग्राम मरडिया के पास काला भाटा बांध का स्थल निरीक्षण सन् 1966-67 में कर लिया गया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि जनता की ओर से एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री जी को मेरे द्वारा दिनांक 22-1-70 क्रमांक 540 प्रेषित किया गया था और इस प्रार्थना-पत्र को मुख्य मंत्री ने सिंचाई मंत्री को प्रेषित कर दिया था ?

(3) सरकार इस योजना को कब तक हाथ में लेगी।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) सर्वेक्षण के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि तकनीकी दृष्टि से यह बांध बनाना उपयुक्त नहीं है।

सांचोर पॉवर हाऊस से बिजली की सप्लाई

164. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर पावर हाऊस से सांचोर के आसपास के पांच मील की परिधि के गांवों में सरकार बिजली सप्लाई करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कहां कहां व कब कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर पावर हाऊस की क्षमता अब 24 घन्टों तक बिजली सप्लाई करने की हो गई है ? अगर हां, तो कब से ? अब 24 घन्टों तक बिजली सप्लाई कब से शुरू की जावेगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर पावर हाऊस से सांचोर के आस पास 5 मील की परिधि में कृषि सिंचाई कुओं पर बिजली देने का भी सरकार विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। योजना बनने व उसके स्वीकृत होने पर ही निश्चित् रूप से सूचना दी जा सकती है।

(2) जी नहीं। एक 200 किलोवाट का डिजल सेट यहां प्रतिष्ठापित किया जा रहा है तथा करीब 2 माह बाद सांचोर में 20 घंटा प्रतिदिन बिजली देने का प्रबन्ध कर दिया जावेगा।

(3) अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

पुराने तालाबों की मरम्मत के लिये धनराशि का प्रावधान

165. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबडा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला की छीपाबड़ोद, छबडा तहसीलों के पुराने तालाबों, बन्धों आदि की मरम्मत हेतु चालू वर्ष में सरकार ने कुछ धन का प्रावधान स्थानीय सम्बन्धित कार्यालय को किया है? यदि हां, तो अब तक कितना धन किन किन स्थानों में किस किस काम में खर्च किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि जो रकम स्वीकार की गई है वह काफी नहीं है तथा इससे काम पूरे नहीं हो सकेंगे ? जैसे पंचकुई तहसील छीपाबड़ोद के तालाब की मरम्मत हेतु 30,0000/रु० स्वीकार किये गये हैं मगर यह रकम कम है इस लिये सरकार उचित रकम और बजट में बढाने का प्रबन्ध करने को तयार है ?

उत्तर

(1) जी हां, छीपाबड़ोद व छबड़ा तहसीलों के निम्नांकित पुराने तालाबों का जिर्णोध्दार करने का निश्चय किया गया है, और इसके जिर्णोध्दार में अनुमानित राशि जो लगेगी वह प्रत्येक के सामने नीचे अंकित है:-

(1) पंचकुई तालाब तहसील छीपाबड़ोद 60,000) रु०

(2) सेड़ी तालाब ,, 30,000) रु०

(3) बलकारिया ,, छबड़ा 50000)रु० एनीकेट

कार्य अभी तक शुरु नहीं किये गये हैं अतः अभी तक कोई धनराशि खर्च नहीं की गई हैं।

(2) जी नहीं, जिन 2 टूटे तालाबों के जिर्णोध्दार का प्रावधान रखा गया है वे प्रस्तावित धनराशि में पूरे किये जा सकेंगे। पंचकुई के तालाब के जिर्णोद्धार हेतु 60,000 रु० का प्रावधान है एवं कार्य पूरा हो जायेगा।

बांध के पानी से डूब में आई कृषि भूमि

166. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में लूनी नदी पर पिछले अकाल वर्ष में करिया लघु सिंचाई बांध नं 2 व ठीकरिया बांध ग्राम डूठवा में बंधाए गए थे ? क्या यह भी सत्य है कि बांध में पानी इकट्ठा होने से सैकड़ों बीघा काश्त की भूमि पानी में डूब गई है और सावणु काश्त नष्ट हो गई है ? अगर हां, तो वह पानी बंधे से निकालने के बारे में अब तक सरकार ने क्या निर्णय लिया है ताकि उस जमीन में रवी काश्त हो सके ?

(2) उपरोक्त बांधों का इकट्ठा हुआ पानी बाहर निकाल कर काश्त की भूमि कब तक खाली करदी जावेगी ? पानी की डूब में कितने बीघे काश्त की भूमि आई है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त बांधों में इकट्ठे पानी को शीघ्र बाहर निकालने की मांग स्थानीय काश्तकारों ने काफी अर्से पहले की थी ? अगर हां, तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
अब तक बंधों से पानी बाहर निकालने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? अब पूर्व कार्यवाही कब तक करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, बांध के पानी को सल्यूस द्वारा निकाला जा चुका है ।

(1) पानी निकाला जा चुका है । डूब में कुल 1300 बीघा जमीन आयेगी ।

(3) जी हां, पानी 15-10-70 को निकाला जा चुका है ।

लूनी इनन्डेशन स्कीम के अन्तर्गत लघु सिंचाई बांध

167. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि लूनी इनन्डेशन स्कीम के तहत मिट्टी के लघु सिंचाई बांध बांधने के बाद ग्राम रतनपुरा में नदी का पानी आना बन्द हो गया और जिस भूमि में ग्राम रतनपुरा में सेवज गेहूं की काश्त पहले सबसे अच्छी होती थी अब वह काश्त जमीन में नहीं रेलीजने के कारण अब काश्त नहीं होती ?

(2) सरकार बंधों के टेक्नीकल डिफेक्ट को दूर करके आईन्दा इस बारे में क्या निर्णय लेगी ताकि पहले की तरह रतनपुरा ग्राम में फिर सेवज गेहूं की फसल हो सके ?

(3) उपरोक्त विषय में सक्रिय कार्यवाही कब तक हो सकेगी ताकि आयन्दा साल काश्तकारों को फिर नुकसान नहीं हो ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इसमें कोई टेक्नीकल डिफेक्ट नहीं है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

सिधमुख नहर

168. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिधमुख नहर का निर्माण कार्य कब तक चालू हो जायेगा तथा उसमें कितना पानी होगा और कितनी भूमि कमाण्ड होगी ?

(2) क्या इसका पूरा प्लान बन कर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो इसके निर्माण कार्य में देरी क्यों हो रही है ?

(3) ओटू घाट से निकलने वाली नोहर ब्रान्च का कार्य कब तक चालू हो जायगा ?

(4) क्या राजस्थान कैनाल के मसीतावाली हैड से 30 फीट लिफ्ट की नहर की योजना बन चुकी है ?

(5) यदि हां, तो कब तक इस कार्य को चालू कर दिया जायेगा ?

(6) इस लिफ्ट से कुल कितनी भूमि कमाण्ड होगी ?

Page No 33

(श्री हंसराज आर्य)

(7) माखड़ा में करणीसिंह ब्रान्च, खारा ब्रान्च, सादुल ब्रान्च, उत्तर घग्घर और दक्षिण घग्घर में सालाना कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है ?

(8) जसाणा और अमरसिंह ब्रांचों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है ?

उत्तर

(1) यह मामला राजस्थान एवं पंजाब सरकार के बीच मतभेद होने के कारण भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अन्तिम रूप से निपटारा होने पर ही योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। इस योजना से 700 क्यूसेक्स पानी आने का अनुमान है तथा 1,50,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होने की सम्भावना है।

(2) जी हां।

(3) अभी तक इस योजना की कोई स्वीकृति नहीं हुई है इसलिये योजना शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(6) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(7) सूची संलग्न है।

(8) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

गोपालपुरा तालाब

169. श्री मन्नलाल (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गोपालपुरा तालाब, तहसील किशनगंज, कोटा के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

(2) कितने काम के लिये टेन्डर लिये जा चुके हैं ?

(3) यह तालाब कब तक पूर्ण हो जावेगा तथा कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

(4) तालाब पूर्ण होने पर इससे कितनी भूमि सिंचित होगी ?

उत्तर

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए 40 लाख एवं चालू वित्त वर्ष में पांच लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

(2) मेटिरियल की सप्लाई के टेन्डर लिये जा चुके हैं जिसकी रकम 1,30,000) रु० है।

(3) इस कार्य को पूर्ण करने में लगभग 4 वर्ष लगेंगे। कार्य को पूर्ण करने हेतु 41.30 लाख रु० व्यय होने का अनुमान है।

(4) इस योजना के पूर्ण होने पर प्रस्तावित सिंचाई 56,000 एकड़ है।

बिजली प्रोजेक्ट

170. श्री मन्नलाल (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिलासी

(श्री नन्दलाल)

प्रोजेक्ट तहसील किशनगंज राज्य सरकार ने स्वीकृति हेतु अपने पास रखा हुआ है ?

(2) कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

(3) यह प्रोजेक्ट कब तक शुरू हो जावेगा तथा पूर्ण होने पर कुल कितनी भूमि सिंचित होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस योजना में मौजूदा तखमीने के माफिक नब्बे लाख रुपये की धनराशि खर्च होने का अनुमान है।

(3) इस योजना के शुरू किए जाने के संबंध में कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती संशोधित होने पर तखमीना राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत होने पर इस तखमीने माफिक ही कार्य चालू हो सकेगा। इस योजना के पूर्ण होने पर कुल 5,960 एकड़ भूमि सिंचित होने का अनुमान है।

पिक्चर पैलेस सिनेमा की लीज

171. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उदयपुर नगर का पिक्चर पैलेस सिनेमा कितने वर्षों के लिये लीज पर दिया गया था और कितने रुपयों पर ? क्या कोई लीज एग्रीमेन्ट लिखाया गया ? यदि हां, तो एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

जालोर जिले में सिंचाई कुओं का निर्माण

172. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पिछले पांच सालों में जिला जालोर में हजारों की संख्या में नये सिंचाई कुओं का किसानों द्वारा निर्माण किया गया है ? अगर हां, तो प्रति वर्ष किस तहसील में कितने कितने नये कुओं का निर्माण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नये सिंचाई कूप निर्माण की पिछले पांच सालों में वृद्धि का औसत सालवार क्या रहा है ? इन सालों की तुलनात्मक दृष्टि से क्या यह सत्य है कि सालों साल काश्तकारों की नये कुओं के बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? इस प्रकार किसानों की औसत आय की कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

(3) नये सिंचाई कूप निर्माण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिये एवं उत्पादन वृद्धि की दृष्टि से सरकार ने किसानों को अब तक क्या क्या सुविधाएं दी हैं ? भविष्य में क्या क्या सुविधायें देने की सरकार की नीति रहेगी ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जालोर जिले में नये कुओं के निर्माण की संख्या तहसीलवार निम्न प्रकार है:—

नाम तहसील	64-65	65-66	66-67	67-68	68-69
जालोर	149	402	58	306	135

(योजना मंत्री)

आहोर	75	55	59	52	86
भीनमाल	280	26	40	261	568
सांचोर	327	68	201	49	447
	831	551	358	668	1236

कुल योग 3644

(2) गत पांच वर्षों में सिचाई कूप निर्माण का औसत 729 रहा है। पिछले वर्षों म अच्छी वर्षा के अभाव के कारण काश्तकारों के जीवन यापन के लिए सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने हेतु कुछ कूप निर्माण की अवधि प्रवृति बढ़ी है जिससे सिंचित क्षेत्र में काश्तकारों की आय 10-15 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

(3) नये कूप निर्माण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने पंचायत समितियों द्वारा भूमि आवंटित की हैं और बैंकों द्वारा उन्नत बीज व इन्जन खरीदने के लिए ऋण दिए जाने की सुविधा दी है तथा रसायनिक खाद व पौध संरक्षण औषधियां इत्यादि भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। यही सुविधायें भविष्य में भी दी जायेंगी।

राज्य-बीमा विभाग

173. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां):** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य बीमा विभाग, राजस्थान, जयपुर में कुल कितने अधिकारीगण एवं अराजपत्रित कर्मचारी हैं? राज्य के कितने कर्मचारियों के जीवन के बीमे का कार्य बीमा विभाग द्वारा किया जा रहा है? क्या समस्त कर्मचारियों के मामलों को यथोचित समय पर निबटाने के लिये वर्तमान स्टाफ पर्याप्त है? यदि हां, तो क्या वर्तमान स्टाफ द्वारा मृत्यु तथा परिपक्वता की अभ्यर्थना (क्लेम्स) बीमा, ऋण की स्वीकृति, बोनस सर्टिफिकेट, जोखिम-पत्र जारी करने आदि के मामले समय पर निबटा दिये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि कर्मचारियों की बीमा प्रीमियम के रूप में प्रति माह काटी जाने वाली राशि अक्सर अवर्गित लेखे में डालदी जाती है और उसका वर्षों तक हिसाब नहीं किया जाता और न सबंन्धित विभाग को लिखा जाता है?

(3) क्या यह भी सही है कि बढ़ी हुई दर पर काटी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में समय पर बीमा जोखिम-पत्र जारी नहीं किये जाते जिसके अभाव में पॉलिसी सर्टिफिकेट में बढ़ी हुई राशि की प्रविष्टि समय पर नहीं हो पाती?

(4) राज्य सरकार 1953 से प्रति वर्ष कर्मचारियों की बीमा राशि पर किस दर से बोनस देती रही है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या जीवन बीमा निगम की तरह बीमा राशि पर प्रति वर्ष बोनस घोषित नहीं किया जाता? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? कृपया बोनस दिये जाने सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि मृत्यु तथा पॉलिसी परिपक्वता के दावों का समय पर निबटारा नहीं किया जाता? यदि हां, तो क्या सरकार आर्थिक कठिनाई के इस समय में इस विषयक कार्यवाही तुरन्त करने का विचार रखती है?

(श्री केशीचन्द गाड़िया)

(6) सामान्यता बीमा पॉलिसी पर ऋण की स्वीकृति सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर प्राप्ति की तिथि से विभाग द्वारा अन्तिम कार्यवाही किये जाने तक कुल कितना समय लगना चाहिये ? क्या यह सही है कि विभाग के पास पिछले 6 माह से अधिक समय से ऋण की स्वीकृति से सम्बन्धित आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं जिनमें या तो कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है अथवा अधूरी कार्यवाही हुई है ? कृपया विगत 6 मास से विचाराधीन ऋण स्वीकृति के मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें जिसमें असाधारण विलम्ब किये जाने के कारणों पर प्रकाश डाला जाय और यह भी बतलाया जाय कि इस अवधि में प्राप्त हुए कितने आवेदन-पत्रों पर अपेक्षित अन्तिम कार्यवाही कितने समय में करदी गयी है और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण रहे हैं ?

(7) क्या सरकार महसूस करती है कि एक एक साल, 6-6 माह तक ऋण के मामलों में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से ऋण लेने के प्रयोजन की मन्शा ही समाप्त हो जाती है और कर्मचारियों का सरकारी तन्त्र से विश्वास उठ जाता है ?

(8) क्या सरकार को विदित है कि बीमा विभाग के कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं होने के कारण ऋण स्वीकृति के मामलों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और वे ही मामले समय पर निकाले जाते हैं जिनमें कर्मचारियों को किसी किस्म की लालच दी जाती है ?

(9) क्या सरकार इस विभाग के सम्भाव्य विस्तार कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा, नियमान्तर्गत उपलब्ध लाभ आदि को दृष्टि में रखकर उपर्युक्त स्थिति से कर्मचारियों का शोषण बन्द करने की दृष्टि से बीमा विभाग के कर्मचारियों के दैनिक कार्य सम्पादन का निर्धारण, उच्चाधिकारियों द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में कर्मचारियों के पास विचाराधीन पत्रों की जांच करने, दोषी एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कर्मचारियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में विचार करेगी ताकि बीमा विभाग की बिगड़ी हुई साख फिर से कायम हो सके और कर्मचारियों का जीवन राज्य बीमे द्वारा पूर्णतया सुरक्षित हुआ समझा जा सके ?

उत्तर

(1) राज्य बीमा विभाग में कुल 10 अधिकारी गण एवं 673 अराजपत्रित कर्मचारी हैं। करीब 2,35,000 कर्मचारियों के जीवन के बीमे का कार्य बीमा विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग के कर्मचारियों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार है एवं पर्याप्त है। वर्तमान स्टाफ द्वारा मृत्यु, परिवक्वता तथा अध्यर्पण के स्वत्व, ऋण, जोखिम पत्र आदि यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र निपटा दिये जाते हैं। बोनस सर्टिफिकेट जारी करना अतिरिक्त कार्य होने के कारण समय पर नहीं किया जा सका। गत मूल्यांकन के फलस्वरूप घोषित बोनस के बोनस सर्टिफिकेट्स शीघ्र जारी करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(2) यह सही नहीं है कि प्रतिमाह काटी जाने वाली राशि अवसर अवर्गित लेखे (सस्पेन्स) में डालदी जाती है। मत

(वित्त मंत्री)

वर्ष सिर्फ 00-04 प्रतिशत राशि सस्पेन्स में डाली गई है। केवल उन मामलों में जोखिम की कटौतियां अवर्गित लेखे (सस्पेन्स) में डाल दी जाती है जिसमें बीमा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित कटौती प्रपत्र (रिकवरी शिड्यूल) में पॉलिसी संख्या अंकित नहीं की जाती है या गलत पॉलिसी संख्या अंकित की जाती है या कटौती पत्र जिनके साथ संलग्न नहीं होते उन मामलों में भी सम्बन्धित विभागों से पत्र-व्यवहार किया जाकर अवर्गित लेखे में डाली गई राशि का समायोजन करने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

(3) साधारणतया बढ़ी हुई दरों पर काटी जाने वाली राशि के समय पर बीमा जोखिम पत्र जारी कर दिये जाते हैं, लेकिन दिनांक 1-2-68 से प्रीमियम की दरों में खण्ड दर पद्धति लागू करने तथा दिनांक 1-4-1970 से संशोधित खण्ड दर पद्धति लागू करने के फलस्वरूप करीब ढाई लाख अधिक बीमानुबन्ध जारी करना आवश्यक हुआ, जो कि वार्षिक क्षमता से 6-7 गुणा है। फिर भी अधिक प्रयत्न कर एवं क्षमता बढ़ा कर बीमानुबन्ध जारी करने की प्रगति गत दो वर्ष से दुगनी की गई और बकाया समस्यासनों को शीघ्र जारी करने के प्रयत्न जारी हैं। जोखिम पत्र जारी होने पर कर्मचारी के जीवन पर बीमा जोखिम प्रारंभ हो जाता है और कर्मचारी पॉलिसी में प्रविष्टि नहीं होने से बीमा के लाभ से वंचित नहीं रहता है।

(4) सन् 1953 से घोषित बोनस की दरों की तालिका एवं बोनस दिये जाने सम्बन्धी नियमों की प्रति तालिका 'क' एवं 'ख' में दी गई है। राज्य बीमा नियम 1953 के अन्तर्गत कम से कम प्रति 5 वर्ष में एक बार बीमा निधि का मूल्यांकन करवाना अनिवार्य है। मूल्यांकन के फलस्वरूप बोनस घोषित होने पर जितने सालों का मूल्यांकन होता है उतने ही सालों का बोनस घोषित बोनस की वार्षिक दर से दिया जाता है। अतः कर्मचारी किसी भी साल के बोनस से वंचित नहीं रहता है। बोनस की रकम स्वत्व की अदायगी पर ही स्वत्व की रकम के साथ स्वत्व की अदायगी की तिथि तक देय है। अतः कर्मचारी बोनस के लाभ से वंचित नहीं रहता। जीवन बीमा निगम हर साल नहीं बल्कि हर दो साल में मूल्यांकन करती है।

(5) सही नहीं है। मृत्यु तथा परिपक्वता के दावों के अधिकतर मामलों में जिनमें स्वत्व प्रपत्र व अन्य आवश्यकताएँ समय पर प्राप्त हो जाती हैं का निपटारा समय में ही कर दिया जाता है। सिर्फ उन्हीं मामलों मे, जिनमें कि आवश्यक प्रपत्र या अन्य नियमानुसार आवश्यक सूचना नहीं प्राप्त होते, अदायगी समय पर नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में भी प्रपत्र एवं सूचना प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाते है और प्राप्त होने पर शीघ्र निपटाने के प्रयास किये जाते हैं।

(6) बीमा पोलिसी पर ऋण की स्वीकृति सम्बन्धी आवेदन पत्रों के निस्तारण में लगने वाला समय मामले की प्रकृति पर निर्भर है, जैसे कि—

ऋण किस कारण से लिया जाता है, ऋण प्रथम बार लिया जाता है या पूर्व

(वित्त मंत्री)

ऋण का नवीनीकरण किया जा रहा है ।

आवेदन-पत्र नियमानुसार है, व अन्य सूचनाएँ समय पर प्राप्त हो गई है,

विभाग में पिछले 6 माह से अधिक समय के ऋण स्वीकृति से संबंधित कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं पड़े हैं ।

(7) पिछले 6 माह से अधिक समय के सम्बन्धित आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है । अतः यह प्रश्न ही नही उठता ।

(8) सही नहीं है । बीमा विभाग में अब तक भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं उठा है ।

(9) भ्रष्टाचार का कोई भी मामला इस विभाग में नहीं है । इसलिए किसी कर्मचारी को दंडित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । यदि ऐसा कोई भी मामला होगा तो राज्य सरकार नियमानुसार कार्यवाही करेगी । प्रत्येक कर्मचारी का कार्य निर्धारित है तथा हर कर्मचारी मासिक बकाया पत्रों की मासिक रिपोर्ट अपने सम्बन्धित अधिकारी को पेश करता है तथा ऐसे बकाया पत्रों का सम्बन्धित अधिकारी के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर निपटाये जाने के आदेश हैं । इन आदेशों की कड़ाई से पालना होती है । इस बात का निरीक्षण उच्च अधिकारी समय-समय पर करते हैं । फिर भी राज्य सरकार इस बात के लिये सजग है कि मामले शीघ्रता से निपटाये जायें ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये ऋण

174. श्री रवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों के राजस्थान के अल्प वेतन भोगी कर्मचारीयों के गृह निर्माण सम्बन्धी ऋण हेतु कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है ?

(2) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि इस प्रकार का ऋण प्राप्त करने में कर्मचारियों को काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो इस व्यवस्था में क्या सरकार परिवर्तन करेगी ?

(2) विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों पर ऋण देने सम्बन्धी निर्णय कब तक हो जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

नागौर जिले के छात्रावास

175. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से कौन कौन से छात्रावास कब कब से चलाये जा रहे हैं और उनमें कितने कितने लड़के हैं तथा उनका वार्षिक व्यय क्या क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त छात्रावासों के लिये यदि किराये के मकान लिये हुए हों तो उक्त मकानों में क्या क्या सुविधायें उपलब्ध हैं और उनको कितना रुपया मासिक किराया

Page No 39

(श्री हरजीराम बुरड़क)

किन किन को दिया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त मकानों में कितने कितने कमरे किस किस साईज के हैं तथा मकान कितने मन्जिल के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से 3 राजकीय तथा 6 अनुदानित छात्रावास चलाये जा रहे हैं जिनकी सूचना संलग्न है।

(2) राजकीय छात्रावासों के भवनों की सूचना संलग्न है अनुदानित छात्रावासों के भवनों का किराया विभाग द्वारा नहीं दिया जाता।

(3) राजकीय छात्रावासों के भवनों के कमरों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पुष्कर मेले से आय

176. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुष्कर मेले से सरकार को दुकानों की भूमि के किराये व जानवरों की बिक्री से, टैक्स व अन्य प्रकार से कितनी आमदनी होती है ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस आय का कितना भाग पंचायत समिति व जिला परिषद् को जाता है व कितना सरकार को मिलता है ?

(3) मेला व्यवस्था, बिजली व पानी पर हर साल कितना खर्च होता है।

उत्तर

(1) पशु मेला पुष्कर से गत तीन वर्षों से जो आय हुई है वह निम्न प्रकार है।

1967-68	1,18,987) रु०
1968-69	1,36,381) रु०
1969-70	1,22,629) रु०

(2) इस आय में से कुल खर्चा कम कर शुद्ध आय का 33 अतिशत केवल नगर पालिका पुष्कर को दिया जाता है। पंचायत समिति व जिला परिषद् को आय का कोई भाग नहीं दिया जाता है। शेष राशि राज्य कोष में जाती है।

(3) मेला व्यवस्था बिजली पानी पर हर वर्ष जो खर्चा हुआ उसका विवरण निम्न है।

1967-68	507,200) रु०
1968-69	59,871) रु०
1969-70	45,0000) रु०

पंचायत ललासरी के रिकार्ड का ऑडिट

177. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि उप-सरपंच ग्राम पंचायत ललासरी पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर ने पंचायत ललासरी के रेकार्ड का स्पेशल ऑडिट करवाने की प्रार्थना राज्य सरकार को की थी ? यदि हां, तो कब और उस पर सरकार ने अब

(श्री हरजीराम बुरड़क)

तक क्या कार्यवाही की ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(3) किसी भी पंचायत के रेकार्ड का स्पेशल ऑडिट करवाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 24-6-70 को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर दिनांक 10-8-70 को जिलाधीश नागौर को पंचायत का स्पेशल ऑडिट व जांच कराने का आदेश दिया गया। जिलाधीश ने दिनांक 29-8-70 को परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा अंकेक्षण विभाग को लिखा, किन्तु परीक्षक ने स्पेशल ऑडिट के पूर्व विभागीय जांच कराने का सुझाव दिनांक 17-9-70 को दिया, जिससे जिलाधीश ने दिनांक 3-10-70 को जांच का आदेश उप जिलाधीश डीडवाना को दिया। जांच की कार्यवाही आरम्भ है।

(2) स्पेशल ऑडिट राजस्थान स्थानीय निधि लेखा अंकेक्षण नियम 14 के अनुसार यदि परीक्षक किसी मामले में आवश्यक समझें, करवा सकता है तथा कन्ट्रोलिंग प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार भी विशिष्ठ परिस्थितियों में स्पेशल ऑडिट के लिये परीक्षक को लिख कर करवा सकता है। ऑडिट के लिये दो सप्ताह पूर्व सूचना दी जाना आवश्यक होता है, परन्तु विशिष्ठ परिस्थितियों में कम अवधि का नोटिस देकर बिना पूर्व नोटिस दिये भी स्पेशल ऑडिट किया जा सकता है।

जिला जल बोर्ड

178. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिला जल बोर्ड कब से शुरू हुआ और इसके सचिव कौन-कौन रहे ? जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सचिव को क्या वेतन व दीगर सुविधायें दी जाती थीं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। सचिवों की नियुक्ति किस आधार पर की गई थी ? सब सचिवों की शिक्षा योग्यता क्या थी ?

(3) क्या जिला जल बोर्डों का ऑडिट कराया गया ? यदि हां, तो कब और उसकी रिपोर्ट क्या सदन में पेश की गई थी ?

(4) क्या यह सत्य है कि जो कांग्रेसी प्रत्याशी सन् 1952 के आम चुनावों में हारे उनको यह स्थान दिया गया था ? राजस्थान में जितने बोर्ड के सचिव नियुक्त किये गये उनमें कितने चुनाव में हारे हुए थे और उनके नाम क्या क्या हैं और किस जिले के किस किस क्षेत्र से हारे थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) जल व हं बूंदी के कार्य की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कितने कार्य अधूरे पड़े हैं और कहां कहां के और क्यों ?

(6) क्या यह सत्य है कि जल बोर्ड के नाम पर सचिव और दीगर कर्मचारी कांग्रेस का प्रचार करते थे ?

(7) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंची,

(श्री केसरीसिंह हाडा)
तहसील पाटन, जिला बूंदी में एक कुआ बनाया दूसरे ने और जल बोर्ड ने अपना पत्थर लगा दिया और अपने कार्य में दर्ज करके पैसे खा गये ?

(स्थगित किया गया)

पाली जिले में किराये पर लिये गये ट्रैक्टर

179. **श्री शंकरलाल (जैतारण)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली जिले में अकाल राहत कार्यों पर ट्रैक्टरों को किराये पर किन किन व्यक्तियों से किन किन कार्यों के लिये किस किस दर पर कब कब लिया गया और उनको कितना कितना पेमेन्ट कब कब हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

हिन्दी में कार्य

180. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)**: क्या मंत्री, भाषा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अब तक हिन्दी को राज-काज के उपयोग में लाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) कौन कौन से विभाग पूरी तरह हिन्दी में ही अपना कार्य करते हैं ? कौन कौन से विभाग अभी तक अंग्रेजी में कार्य करते हैं ? और किस कारण ? कब तक सभी विभागों में पूरी तरह हिन्दी में ही कार्य होने लगेगा ?

(3) न्यायालयों में किस स्तर तक हिन्दी का कितना प्रयोग होने लगा है ? किस स्तर तक के न्यायालय केवल हिन्दी में ही कार्य करते हैं ? न्यायालय में सम्पूर्ण रूप से हिन्दी में कार्य कब तक होने लगेगा ?

(4) शिक्षा का माध्यम हिन्दी किस किस स्तर तक हो चुकी है ? सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम हिन्दी कब तक बना दी जावेगी ?

(5) हिन्दी के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ?

(6) राजस्थानी के विकास के लिये क्या योजना एवं कार्यक्रम है ?

उत्तर

(1) योजनाबद्ध तरीके से कर्मचारियों का हिन्दी टंकण व शीघ्रलिपी में प्रशिक्षण, व अंग्रेजी परिपत्रों आदि का हिन्दी अनुवाद, हिन्दी टंकण यंत्रों का वितरण, हिन्दी ज्ञान हेतु साहित्य वितरण, हिन्दी संस्थाओं को अनुदान आदि विभिन्न साधन सुविधाएं देकर विभागों को हिन्दी की ओर प्रेरित किया गया है ।

(2) अधिकतर विभागों का अधिकांश कार्य हिन्दी में ही होता है । तकनीकी विभाग तकनीकी कार्यों तथा भारत सरकार से योजना संबंधी पत्र-व्यवहार आदि में आवश्यकतावश अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं । इसके लिए अपवाद स्वरूप छूट दी गई है । अन्य आंकड़े विभिन्न विभागों से प्राप्त किये जा रहे हैं ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकतर कार्यवाई हिन्दी में होती है । उच्च न्यायालय

(मंत्री, भाषा विभाग)

तक हिन्दी में प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार किये जाते हैं। अन्य आंकड़े संबंधित विभागों से प्राप्त किये जा रहे हैं।

(4) शिक्षा विभाग से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(5) राज्य सरकार अपने समस्त उपलब्ध साधनों से हिन्दी के उत्थान में योगदान कर रही है।

(6) जहां तक भाषा विभाग का प्रश्न है इसका दायरा प्रशासन में हिन्दीकरण से संबंधित है। शिक्षा विभाग व साहित्य अकादमी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी सूचनाएं मंगवाई जा रही हैं।

मंडावरी माध्यमिक विद्यालय में साइन्स विषय की व्यवस्था

181. **श्री शम्भूराम** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि मन्डावरी माध्यमिक विद्यालय में साइन्स कक्षाओं की मांग की गई थी परन्तु अब तक वहां साइन्स विषय नहीं खोला गया जबकि वहां लेबोरेटरी के लिए कमरा अलग बनाया जा चुका है ?

उत्तर -

यह सही है। मेरिट में न होने के कारण साइन्स विषय नहीं खोला गया।

जे० बी० हायर सैकेन्डरी स्कूल, लाडनूं

182. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जे० बी० हायर सैकेन्डरी स्कूल, लाडनूं, जिला नागौर में कौन-कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं और उनके लिये कौन-कौन से विषयों के लिये किस-किस ग्रेड के कितने कितने पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त स्कूल में कौन-कौन से विषय पढ़ाने के लिये कौन-कौन से अध्यापकों को कब कब से नियुक्त कर रखा है तथा उनकी योग्यतायें क्या-क्या हैं और क्या-क्या होनी चाहियें ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त नियुक्तियों में सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताएं आदि की अनुपालना हुई या नहीं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उपरोक्त नियुक्तियों में क्या क्या अनियमितताएं की गईं ?

उत्तर

(1) विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले ऐच्छिक-विषय:—

कलावर्ग–इतिहास, नागरिकशास्त्र ऐच्छिक हिन्दी।

वाणिज्य वर्ग–बहीखाता, व्यापार पद्धति, मुद्राधिकोषण।

विज्ञान वर्ग–भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीवविज्ञान।

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालय को सैकेण्डरी स्तर तक ही अनुदान मिलता है, उपरोक्त विषय पढ़ाने हेतु केवल द्वितीय ग्रेड में 12 पद स्वीकृत हैं।

(2) उपरोक्त विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की नियुक्ति योग्यताएं आदि निम्न हैं:–

विषय व नाम	नियुक्ति	योग्यता
इतिहास–		
श्री ओमप्रकाश सोनी	14-7-52	एम० ए०
नागरिक शास्त्र–		
श्री ओमप्रकाश सोनी	,,	,,
श्री मदनलाल भोजक	11-12-58	,, बी० एड०
ऐच्छिक हिन्दी–		
श्री देवीप्रकाश शर्मा	21-1-51	एम० ए०, बी० एड०
श्री पुनमचन्द शर्मा	3-7-44	साहित्यरत्न
वाणिज्य–		
श्री राधेश्याम शर्मा	8-7-63	एम०कॉम०, एल० टी०
श्री प्रेमचन्द उपाध्याय	7-11-66	एम०कॉम०
विज्ञान—		
श्री रमनभाई पटेल	30-8-68	एम०एससी०
श्री ओमप्रकाश मित्तल	1-7-69	,,
श्री शिवकुमार बोहरा	1-7-70	बी०एससी०
श्री जवाहरलाल जैन	1-7-70	,,

(3) जी हां। अनुपालना हुई है।

(4) अनियमितताएँ कोई नहीं की गई।

पुराना तोपखाना भवन

183. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर स्थित पुराने तोपखाना भवन में कितने स्कूल चलते हैं? कौन-कौन व्यक्ति इस भवन में रहते हैं एवं शिक्षा निरीक्षक ने स्टोर व रिकॉर्ड आदि के लिये कितने कमरे रोक रखे हैं?

(2) क्या विद्यालयों के छात्रों के निवास के लिये स्थानाभाव होते हुए भी एवं शिक्षा निरीक्षक कार्यालय को अपने कार्यालय में ही अधिक स्थान उपलब्ध होजाने पर भी अकारण कमरों को रोक कर छात्रों के लिए असुविधा कर रखी है?

(3) क्या विभाग के उप-मन्त्री महोदय ने भवन के ऊपरी भाग में रहने वाले विभाग के ही एक हैड क्लर्क को तुरन्त भवन खाली कर छात्रों के उपयोगार्थ देने हेतु अधिकारियों को लिखा था? यदि हां, तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ए आदेशों की अवहेलना क्यों की गई?

(4) क्या विभाग अपने स्टोर, हैड क्लर्क एवं निवास के क्वार्टर्स की चाहर दीवारी के कक्ष छात्रों के उपयोगार्थ देने को तैयार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तोपखाना भवन में दो विद्यालय चलते हैं। इस भवन में रहने वाले व्यक्ति हैं सर्व श्री भंवरलाल कुरावत, संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर

(शिक्षा मन्त्री)

घासीलाल शर्मा, प्रधानाध्यापक, दरबार उ० मा० विद्यालय, जयपुर, एस० एम० दास, विद्यालय उप-निरीक्षक (शारीरिक शिक्षा), कार्यालय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर एवं श्री जानकीवल्लभ व्यास, कार्यालय सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर। शिक्षा निरीक्षक, जयपुर द्वारा दो कमरे स्टोर के लिये तथा एक कमरा रेकॉर्ड के लिये रोका हुआ है।

(2) विद्यालयों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसलिये यह सत्य नहीं है। शिक्षा निरीक्षक कार्यालय में कार्यालय का स्टोर व रेकॉर्ड रखने के लिये स्थानाभाव है।

(3) जी हां। चूंकि विभाग के हैड क्लर्क द्वारा उपयोग में लिया जा रहा भवन कक्षाओं के लिये उपयोगी नहीं है तथा वहां स्टोर असुरक्षित रहेगा, अतः खाली नहीं करवाया गया।

(4) हैड क्लर्क व स्टोर रूम के कमरे कक्षाओं के उपयोग के नहीं हैं। ऑडिट विभाग व निर्माण विभाग इस पर ऐतराज करता है कि निवास गृहों को कक्षा के कमरे नहीं बनाये जावें।

जे० बी० हायर सैकेंडरी स्कूल, लाडनूं का चैकिंग

184. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सत्य है कि श्री जे० बी० हायर सैकेन्डरी स्कूल, लाडनूं के लेखाओं का महा लेखाकार, राजस्थान के कार्यालय की किसी पार्टी ने कोई चैकिंग किया था? यदि हां, तो कब और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

यह सत्य है। दिनांक 13-8-70 से 18-8-70 तक। रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

शिक्षा स्तर

185. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में निरन्तर शिक्षा के गिरते स्तर का क्या कारण है और उसको दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

यह सही नहीं है। शिक्षा प्रचार, प्रसार एवं शैक्षिक स्तर की दृष्टि से राजस्थान देश के अन्य राज्यों के मुकाबले नीचा नहीं उतरता विशष रूप से जबकि स्वतन्त्रता के पूर्व शिक्षा की बहुत कम सुविधाएं रियासतों में उपलब्ध थीं।

शिक्षा आयोग ने शिक्षा को सर्वोन्मुखी बनाने हेतु जो सिफारिशें की हैं उनमें से अनेक सिफारिशों को राजस्थान में लागू किया गया। जैसे कि कार्यानुभव योजना, विद्यालय संगम, विद्यालय स्तर पर योजना निर्माण आदि आदि।

सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज

186. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज भी हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से और उनको कितनी-कितनी सहायता सालाना दी जाती है तथा उनके खर्चे के कितने-कितने प्रतिशत ? गत तीन वर्षों में दी गई सहायता की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां। यह सत्य है कि राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज भी हैं, जिनकी सूची सम्पूर्ण विवरण सहित संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(1-11-70)

बकाया मजदूरी का भुगतान

44. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में कई मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कई महीनों से अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अकाल सहायता कार्य शुरू होने से लेकर अब तक कितने किन किन मजदूरों की मजदूरी की भुगतान करना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इतने मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न करने के क्या-क्या कारण है ? और अब भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में अकाल सहायता कार्यों के हजारों मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करना शेष है ? यदि हां, तो कितने मजदूरों का तथा इस बकाया रकम को मजदूरों का भुगतान कब तक करा दिया जाएगा ?

(4) तहसील सांचोर में फर्जी भुगतान के कितने मामले कहां-कहां पर नोटिस में आये ? इस बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इन मामलों में असली मजदूरों को उनकी मजदूरी भुगतान कर दिया गया है ? अगर हां तो कब ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) फर्जी मजदूरी का भुगतान रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही इस वर्ष की जावेगी ?

(6) अब अनपेड मजदूरों की मजदूरी जिला जालोर एवं तहसील सांचोर की कितनी है ? उसका भुगतान कब तक करा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) तहसील सांचोर में इस वर्ष अब तक 4,200 मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के अभिकरण से चलाये गये सहायता कार्यों पर लगे मजदूरों को मजदूरी

(अकाल सहायता मंत्री)

का भुगतान इसलिये नहीं किया जा सका कि वे वक्त चुकारा मौके पर उपलब्ध नहीं थे। राजस्व अभिकरण से चलाये गये कार्यों पर लगे श्रमिकों के बिल नहीं उठाये जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

(3) जिला जालोर में अकाल सहयता कार्यों पर 5,652 मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करना शेष है। इस बकाया रकम का मजदूरों को दुबारा किये जाने की शीघ्र व्यवस्था की जा रही है।

(4) तहसील सांचोर में फर्जी भुगतान के कोई मामले राज्य सरकार के ध्यान में नहीं लाये गये। अत: इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जब फर्जी भुगतान की शिकायत ही नहीं है, तो कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) अब अनपेड मजदूरों की मजदूरी का जिला जालोर एवं तहसील सांचोर की स्थिति इस प्रकार है:

(1) जालोर रु० 60,906.98 पै०
(2) तह०सांचोर रु०43,801.06 पै०
इनका भुगतान अब कराया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गई है)

स्थगित प्रश्न

(10-11-70)

परिवार नियोजन सप्ताह

78. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1956 से 31 अक्टूबर, 1970 तक परिवार नियोजन सप्ताह कहां कहां मनाने गये? उनमें कितने कितने लूप लगाये गये एवं ऑपरेशन किये गये हैं? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त सप्ताह मनाने पर सरकार का कितना कितना किस किस जिले में कौन कौन सी मद में खर्चा हुआ है? जानकारी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(1) भारत सरकार के निदेशानुसार 1965 से पूर्व राज्य में परिवार नियोजन सप्ताह और सन् 1966 से परिवार नियोजन पखवाड़े मनाये जाने लगे हैं 1965 के परिवार नियोजन सप्ताह को तथा 1966 के पखवाड़े को पृथक से सूचना उपलब्ध नहीं है और अब एक आई सूचना से यह सूचना अलग करके ज्ञात करना सम्भव नहीं है। वर्ष 1966 से अब तक 10 पखवाड़ों का नियोजन किया गया है जिनकी प्रगति का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

पखवाड़ा	नसबन्दी	लूप
सितम्बर, 67	8971	5239
दिसम्बर, 67	8304	4208
मार्च, 68	3569	2344
जून, 68	2992	2014
सितम्बर, 68	5975	2829
दिसम्बर, 68	4595	2430
मार्च, 69	3186	1790
सितम्बर, 69	7833	2791
दिसम्बर, 69	5152	2332
सितम्बर, 70	6134	2845

(परीवार नियोजन मंत्री)

प्रत्येक जिले में किये गये ऑपरेशनों एवं लूप प्रविष्टि का विवरण अनुसूची 'क' पर संलग्न है ।

(2) जैसा प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में अंकित किया गया है । परिवार नियोजन सप्ताह जो केवल 65 तक ही मनाये गये थे बाद के वर्षों से परिवार नियोजन पखवाड़े मनाये जाते हैं । अतः इन पखवाड़ों के समय जिलों में जिन जिन मदों पर व्यय किया गया है उसकी सूची 'ख' संलग्न है । इस सूची में अब तक प्राप्त केवल 13 जिलों की सूचना ही अंकित है । शेष जिलों से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगित प्रश्न

(10-11-70)

पिवाई के लिये अनुदान

83. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1967-68, 1968-69 व 1969-70 में बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर जिले में कितने गांवों में पिवाई के लिये अनुदान दिया जाता था ? वर्षवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पिवाई किस तारीख से किस गांव में प्रारम्भ की गई और किस तारीख तक चलती रही ? अनुदान की दर प्रति गांव प्रति माह क्या थी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें और यह भी बताने का कष्ट करें कि किस-किस तारीख को भुगतान हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि पिवाई चलाने वाले व्यक्ति से एक एग्रीमेन्ट भी लिखाया जाता है ? अगर हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि जिन लोगों को पिवाई का अनुदान मिलता था उनसे अकाल सहायता भत्ता जो उनको दिया गया उसकी वसूली वापिस की गई है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) उक्त सूचना सूची में अंकित है ।

(3) जी हां । जैसलमेर व बाड़मेर जिले में पीवाई दार से एग्रीमेन्ट लिखवाया जाता था जबकि जोधपुर जिले में नहीं लिखवाया जाता था ।

(4) जी नहीं । जिन लोगों को पीवाई का अनुदान मिलता था उनसे अकाल सहायता भत्ता जो उनको दिया गया उसकी वापिस वसूली नहीं की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगित प्रश्न
(10-11-70)

अस्थाई वैलफेयर इन्सपेक्टर की इन्टरलेस्ड सीनियोरिटी

88. **श्री नाथूराम** (बांगीडोरा) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 1-11-1956 को कार्य कर रहे अस्थाई वैलफेयर इन्सपेक्टर, ग्रेड 1 की क्या कोई इन्टरलेस्ड सीनियोरिटी लिस्ट राज-पत्र में प्रकाशित की गई थी ? यदि हां, तो इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त तालिका में अंकित कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता क्या-क्या है तथा वर्तमान में वे किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि कोई रिटायर हो गए हों अन्तिम दिन वे कौन से पद धारण करते थे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि 1960 में विभाग में न्यू सेट-अप के कारण कुछ वैलफेयर इन्सपेक्टर्स के पद कम हुए थे जिसके परिणामस्वरूप कुछ निरीक्षकों को अन्य पदों पर एडजस्ट किया गया था तथा आदेश क्रमांक एस्ट/57005, दिनांक 22-12-1960 द्वारा उनकी सीनियोरिटी और क्लेम वैलफेयर इन्सपेक्टर्स के पद पर यथावत् सुरक्षित रखे गए थे ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त आश्वासन के बावजूद प्रभावित कर्मचारियों को उनके क्लेम देने की बजाय बिना लोक सेवा आयोग से चयनित जूनियर कर्मचारियों को इन्सपेक्टर्स लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो 1960 के प्रभावित कर्मचारियों (इन्सपेक्टर्स) को अब तक किस-किस पद पर कितनी-कितनी अवधि तक रखा गया और वर्तमान में वे किस पद पर कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। तथा 1960 से अब तक नियुक्त कल्याण निरीक्षकों की तालिका उनकी वर्तमान पद स्थापना की सूचना के साथ सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। साथ ही बताने की कृपा करें। कि इनमें लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कौन-कौन हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा गत वर्ष स्क्रीनिंग किया गया था ? यदि हां, तो क्या 1960 के प्रभावित कर्मचारियों (इन्सपेक्टर्स) के प्रकरण भी उसमें लिये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस के ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति संलग्न है (सूची 'अ')।

(2) वांछित सूचना संलग्न सूची 'ब' में अंकित है।

(3) जी हां। ऐसे कर्मचारियों के नाम सूची 'स' तथा सेवा विवरण सूची 'द' में संलग्न है।

(4) आश्वासन से प्रभावित कुल 12 कर्मचारियों में से 9 को दिसम्बर, 1960 में पुनः कल्याण निरीक्षक के पद पर पद स्थापित कर दिया गया था तथा शेष

(समाज-कल्याणमंत्री)

3 कर्मचारियों को यथावत् समकक्ष वेतन श्रृंखला में अन्वेक्षक के पद पर पदस्थापित रहे। ये दोनों पद समान स्तर तथा वेतन श्रृंखला के थे जिन पर आपस में स्थानान्तर किया जा सकता था। इन शेष कर्मचारियों का सेवा विवरण सूची 'द' पर अंकित है। 1960 से अब तक कुल नियुक्त कल्याण निरीक्षकों की सूचना सूची 'प' पर अंकित है। इनमें क्रम संख्या 2, 3, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 27, 36 पर अंकित कर्मचारी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हैं तथा क्रम संख्या 1 पर अंकित कर्मचारी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयनित हैं तथा क्रम संख्या 42 का कर्मचारी अन्वेक्षक के पद के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हैं।

(5) जी हां। संलग्न सूची 'स' के क्रम संख्या 1 तथा 3 से 5 तक के कर्मचारियों के प्रकरण उसमें रखे गये थे। ये सेवा नियम 6 (3) के अन्तर्गत रखे जाते हैं अन्य मामले नियमों के अन्तर्गत नहीं आने के कारण नहीं रखे गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)।

शासकीय वक्तव्य

सीलिंग कानून के लागू न किये जाने के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में व्यवस्था बाद में दी जायगी। मंत्रियों द्वारा वक्तव्य। सीलिंग कानून के लागू न किये जाने के बारे में राजस्व मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य दिया जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने सीलिंग कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यवाही न किये जाने के कारण राज्य की गरीब जनता में घोर असंतोष व्याप्त है इस आशय का स्थगन प्रस्ताव दिनांक 4-11-70 को पेश किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये थे कि मैं इस पर अपना वक्तव्य माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये देऊं। अतः मैं सीलिंग कानून को प्रभावशाली ढंग से राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में निम्न विवरण प्रस्तुत करता हूं।

राज्य सरकार की सदैव से यह नीति रही है कि भूमिहीन किसानों को जल्दी से जल्दी जितनी भूमि हो सके उपलब्ध कराई जाये और इसी दिशा में सीलिंग कानून बनाने का निर्णय भी एक महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार ने राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में तृतीय अध्याय जोड़ कर लिया। यह कानून नियम बनने के पश्चात् 15 दिसम्बर, 1963 से प्रभावशील हुआ। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण संबंधी नियमों के अन्तर्गत 15 मार्च, 1964 तक ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को अपना घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने को सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उचित आदेश दे दिये गये थे। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार राज्य सरकार आरम्भ से ही सीलिंग कानून के प्रावधानों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने की इच्छुक रही है और अब भी यही धारणा रही है कि इन प्रावधानों को शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित किया जाये। परन्तु इनकी

(श्री राम किशोर व्यास)

क्रियान्विति में समय-समय पर विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती रही हैं जिनमें से अधिकांश बाधाएं राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर थीं। उदाहरणार्थ राज्य द्वारा 15 मार्च, 1964 निर्धारित तिथि घोषित होने पर भूमि धारकों ने 542 याचिकाएं सीलिंग कानून के प्रावधान के विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जहां से प्रावधानों की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया। रिट याचिकाओं का फैसला दिसम्बर, 1964 में किया गया। राज्य सरकार ने इसके तुरन्त बाद ही 1 अप्रेल, 65 निर्धारित तिथि घोषित की ताकि अवरुद्ध कार्यवाही फिर से चालू हो। इसके बाद संकट-कालीन स्थिति उत्पन्न हो गई और अकाल भी आ गया इसलिये पुनः दिनांक 1 अप्रेल, 1966 तिथि निर्धारित की गई ताकि सभी प्रभावित व्यक्ति जो अकाल की स्थिति के कारण बाहर चले गये थे वह भी अपने-अपने घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर सकें। साथ ही साथ आदेश प्रसारित किये गये कि सीलिंग कानून को तुरन्त क्रियान्वित किया जाये।

उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 1 अक्टूबर, 1966 तक घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जा सकते थे। उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत याचिकाओं के कारण क्रियान्विति में कुछ समय लगा और इस बीच भूमि हस्तान्तरण होती रही जिससे क्रियान्विति में और जटिलता आई। अतः यह निश्चय किया गया कि इन जटिलताओं को सुलझाने के लिये कानूनी परामर्श किया जाय। परामर्श के साथ साथ प्रावधानों को शीघ्र ही क्रियान्वित करने हेतु सभी जिला अधिकारियों को अनुरोध किया गया और मैंने भी जिलों में राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाकर भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु आदेश दिये। मुख्य सचिव ने भी इस सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाकर शीघ्र क्रियान्विति के आदेश दिये। इसी तरह अध्यक्ष राजस्व मण्डल ने भी क्षेत्रीय बैठकें बुलाकर प्रावधानों की क्रियान्विति की रिव्यू की व कठिनाइयों का समाधान किया। अब तक की सूचना के अनुसार 51185 एकड़ भूमि अधिग्रहीत किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं एवं एस०डी० ओ० द्वारा ऐसे व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किये जा चुके हैं कि जिन्होंने घोषणा-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे।

भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में एवं प्रावधानों के अन्तर्गत दी हुई छूट के सम्बन्ध में निर्णय लिये गये तथा सीलिंग कानून के प्रावधानों में संशोधन हेतु बिल प्रस्तुत किया गया और उक्त संशोधनों पर विचार करने हेतु विधान सभा का विशेष सत्र आमन्त्रित किया गया। प्रावधानों को पारित किया गया एवं उन्हें दिनांक 18 अगस्त, 1970 से प्रभावशील किया गया।

राज्य सरकार चाहती है कि सीलिंग के प्रावधान जल्दी से जल्दी अमल में लाये जायं और एक निश्चित तिथि तक सीलिंग के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण कर ली जावे। राज्य सरकार ने सभी जिलाधीशों को अवगत कराते हुए इन प्रावधानों को एक निर्धारित तिथि तक क्रियान्वित करने हेतु आदेश दिये हैं। निर्धारित कार्यक्रम इस प्रकार है—

(1) दिनांक 15-12-70 तक सभी उप-जिला अधिकारीगण नियम 10

(श्री रामकिशोर व्यास)

के अन्तर्गत यदि नोटिस जारी नहीं किया गया है तो जारी कर देंगे।

(2) दिनांक 30 दिसम्बर, 1970 तक प्राप्त घोषणा-पत्रों कि सम्पूर्ण जांच कर ली जायेगी। 15-2-71 तक सभी प्रभावित व्यक्तियों की अधिकतम भूमि सीमा निर्धारित कर दी जायेगी और अप्रेल, 1971 के अन्त तक अधिग्रहीत भूमि का कब्जा ले लिया जायेगा तथा मई, 1971 तक भूमि आवंटित कर दी जायेगी।

उक्त कार्यक्रम के अनुसार उप-जिलाधिकारी द्वारा प्रसारित नोटिस के उपरान्त घोषणा-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारीगण उक्त निर्धारित कार्यक्रम के नियमानुसार कुछ परिवर्तन कर सकेंगे परन्तु अधिग्रहीत भूमि का कब्जा हाल में माह अप्रेल, 1971 तक लिया जाकर उसका माह मई, 1971 में आवंटन कर दिया जायेगा।

राज्य सरकार ने प्रावधानों को शीघ्र क्रियान्वित करने हेतु समय-समय पर उचित कार्यवाही की है और आइन्दा भी सख्ती के साथ करेगी और इसी उद्देश्य से अब तक निर्धारित कार्यक्रम भी अपनाया है। मैं आशा करता हूं कि इसके अनुसार माह मई, 1971 तक इन प्रावधानों की क्रियान्विति पूर्ण हो जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय ने जो मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है उसमें भूतकाल में राज्य सरकार की असफलताओं को छिपाने के लिये एक असफल प्रयास और भविष्य में क्रियान्वित किये जाने का झूठा आश्वासन इसके अतिरिक्त इसमे कुछ भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्य यह भली-भांति जानते हैं कि सीलिंग कानून को लेकर या मैं कहूं राज्य भूमि सुधारों के सवाल को लेकर राजस्थान के अन्दर और देश भर में जितना ढिंढोरा पीटा गया है उसके मुकाबले राजस्थान मे बहुत ही कम काम हुआ है, और आज भी कोई यह समझ सकता है। आज दस साल इस सीलिंग कानून को पास किये हो गये और कानून को पास कराने पश्चात् राज्य सरकार इसको इसलिये क्रियान्वित नहीं करा सकी कि चूंकि 542 रिट पिटीशन राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश हो गईं और जिसका कि दिसम्बर, 64 में जाकर निपटारा हुआ। माननीय राजस्व मंत्रीजी ने अपने कथन में ये लचर और कमजोर दलीलें दी हैं कि सन् 65 में एक संकट कालीन स्थिति उत्पन्न हो गई थी और केवल आपने इस कारण ही इसको क्रियान्वित नहीं किया। जहां तक मुझे स्मरण है यह संकट कालीन स्थिति सितम्बर 65 में पैदा हुई थी। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई और अगस्त लगातार इन 8 महीनो तक जब तक कि संकटकालीन स्थिति देश में पैदा नहीं हुई थी तब तक राज्य सरकार ने इस कानून को क्यों नहीं क्रियान्वित किया, क्यों नहीं इसको इम्पलीमेंट किया? 65 में क्यों नहीं किया, 66 में नहीं किया, 67 में नहीं किया, 68 में नहीं किया,

Page No 52

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

69 में नहीं किया और अब जाकर 70 की मई में, मई के महीने में आपने विशेष अधिवेशन बुलाया और सरकार ने इसको पारित कराया। इसमें सरकार का पोलिटिकल मोटिवेशन था। 70 में देश के अन्दर इन्दिराजी की नई कांग्रेस बनी, कांग्रेस के टुकड़े हुए और उसके बाद हमारी सरकार को भी यह लगा कि देश में अब और राज्यों के मुकाबले में राजस्थान की तस्वीर को सुधारना है। लेकिन खेद का विषय है, उपाध्यक्ष महोदय, कि दस साल पहिले जो कानून पास कर दिया गया था उसमें इतनी देरी की गई। जब आप इसकी बात करते हैं तो आपको चाहिये था आप इसको तत्काल इम्पलीमेन्ट करते। मैं तो यह जानना चाहूंगा कि दस साल पहले बना हुआ कानून और उसके तहत बने हुए नियम और बारम्बार इसमें किये गये संशोधन, जो सैकड़ों बार किये गये हैं उसके अन्तर्गत आपने अब तक कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है? आप इसके बारे में बताने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या जनसंघ ने आन्दोलन किया था, आपकी भावना के आधार पर?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जनसंघ में इस बात का भरोसा है कि जितना कहा जाये उतना जरूर किया जाये। मैं समझता हूं कि आप भी इससे सहमत हैं और राज्य सरकार की नीतियों के समर्थन की जो आप बात करते हैं यह आपकी इच्छा की बात है।

श्री भैरोंसिंह: डागाजी, शंकरलालजी सीलिंग के पक्ष में जन-आन्दोलन के लिये तैयारी कर रहे थे और डागाजी ने उसका विरोध किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह परसनलिटीज का झगड़ा है इसलिए शंकरलालजी को मुबारिकबाद देना चाहता हूं और आपकी जितनी निन्दा की जाये उतनी कम है। शंकरलालजी ने मुझे एक पत्र लिखा था कि भूमि सुधारों के लिये वे एक जन-आन्दोलन करना चाहते हैं और उन्होंने एक विधायक के नाते मेरे से सहयोग चाहा था। मैंने उस पत्र का उत्तर दिया है कि यह खुशी की बात है कि पाली जिले के अन्दर आपके नेतृत्व में सीलिंग कानून को शीघ्र ही लागू कराने के लिये आप भूमिहीन किसानों का एक आन्दोलन प्रारम्भ करने पर विचार कर रहे हैं। मेरी सहानुभूति और शुभकामना और मेरे से जो सहयोग एक विधायक के नाते है, मैं देने के लिये तैयार हूं। यह पत्राचार मेरा उनसे हुआ है और आपको उनसे कोई पत्राचार भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था और राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दस साल पहले सीलिंग का कानून, नियम बने, और आपने सैकड़ों आदेश इस बारे में जारी कर दिये हैं उसके बाद आज की तारीख तक, यानी 17 नवम्बर, '70 तक क्या आपने एक इंच भूमि भी राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ली है? I am talking about the actual physical possession; the land which the Government has actually taken in its possession.

(सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसका जवाब दे दें पहले बाकी सवाल बाद में होते रहेंगे। एक्चुअल पजेशन एक इंच भूमि का क्या आपने लिया है ? इसका जवाब दे दें। तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ी ही खेदजनक बात है कि सरकार कानून बनावे और उस कानून को क्रियान्वित नहीं करे। मैं माननीय सदस्य शंकरलालजी की भावना का दिल से समर्थन करता हूं। और सीलिंग आपको 34 से हटाकर 14 करना है तो आप करिये, लेकिन यह जो पोलिटिकल एक्स्प्लॉइटेशन, विन्डो ड्रेसिंग मत कीजिये। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि वास्तविक रूप से अगर आप प्रगतिशील सरकार हैं तो "पूत के पांव पालने में" कम से कम आपके नये जागीरदारों के लिये भी यह व्यवस्था होनी चाहिये कानून के अन्तर्गत कि जो दूसरों के लिये है। और दूसरा यह कि सीलिंग को घटाना है 34 से तो करिये। मेरी तरफ से आप चार एकड़ कीजिये लेकिन जो कानून बनावें उसके ऊपर अमल कीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : भूमि अधिकरण में ही है। इसका डिटेल में जवाब दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : क्या स्वतंत्र पार्टी का यह ध्येय है कि सीलिंग कानून लागू होना चाहिये।

श्री रामकिशन (वैर): जो उत्तर दिया है वह स्पष्ट है कि आपने 51 हजार एकड़ जमीन ले ली है या लेने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं। आप कहते हैं कि ले ली है तो यह जमीन किससे ली है और किस किस जिले में ली है और क्या वह आज गवर्नमेंट के कब्जे में है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं दे दूंगा फीगर आज इसी सदन में।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : आज के लिये तो मंत्री महोदय को तैयार होकर आना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं पूरी तरह से तैयार हूं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : जिस कानून को इम्प्लीमेन्ट करने के बारे में वक्तव्य दिया है उसमें कितनी जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तैयार हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, तथ्यों के बारे में माननीय मंत्री महोदय बतायें कि वास्तविक कब्जा कितना लिया गया है ? 51 हजार एकड़ के बारे में बताया था इससे सदस्य भ्रमक स्थिति में पड़ गये हैं। यह कब्जा अधिग्रहण के आदेश से हुआ है या और किसी तरह से कब्जा हुआ है ? यह बता दें ताकि हम गलत दलीलों में न पड़ें।

श्री रामकिशन (वैर) : तोकि पिछली बात को समाप्त कर दें और अब से नई शुरूआत हो जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : आप फरमा दें तो मैं अभी......

श्री भैरोंसिह : नहीं, एक इन्फॉर्मेशन और दे दीजिये। 51 हजार एकड़ के अधि-

Page No 54

(श्री भैरोंसिंह)

ग्रहण के सम्बन्ध में आदेश थे। एक तो जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा-दो बात और है। इस आदेश के पहले राज्य सरकार ने किसी प्रकार की जमीन को अपने अधिकार में लिया है या नहीं और इस प्रकार के अधिग्रहण के आदेश के बाद कितनी जमीन पर कब्जा किया है? दूसरी बात राज्य सरकार ने अब तक इस बात का अन्दाज लगा लिया होगा कि किस किस जिले में कितनी-कितनी भूमि इस सीलिंग को लागू होने के कारण राज्य सरकार को उपलब्ध होगी। वे भी आंकड़े बता दें तो कृपा होगी।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या राज्य सरकार यह बताने की स्थिति में है कि कोई जमीन का सर्वेक्षण किया है और किया है तो यह बतावें कि कितनी कितनी सीलिंग से ज्यादा जमीन किस किस के पास है और अभी तक उपलब्ध नहीं की गई है?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि 51185 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। आपने यह जानना चाहा है कि एक्चुअल पजेशन कितना है तो एक्चुअल पजेशन 4983 एकड़ है।

श्री रामकिशन : किस-किस जिले में कितनी-कितनी है?

श्री रामकिशोर व्यास : वह डिटेल भी बता दूंगा।

कई माननीय सदस्य :--बता दीजिये।

श्री रामकिशन : किस-किस जिले में है, बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : 16 एकड़ बाड़मेर में है......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सोलह सौ एकड़ या केवल 16 एकड़?

श्री रामकिशोर व्यास : 16 एकड़ बाड़मेर में, भरतपुर में 95 एकड़, बीकानेर में 2,118 एकड़, बूंदी में 41, चित्तौड़ में 49 और पाली में 24......

श्री रामकिशन : पाली में कुल 24। यह तो डागा साहब को देदें और बीकानेर वाले को आप ले लें।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये राजस्थान की सरकार को मुबारकबाद है। 10 साल बाद पांच हजार एकड़ भूमि सीलिंग कानून के अन्तर्गत जो कानून 10 साल पहले पास किया था, 10 साल बाद आज राजस्थान की सरकार पांच हजार एकड़ भूमि पर कब्जा कर पाई है। इसमें 16 एकड़ बाड़मेर की शामिल है और इसी में वहां के टीले भी शामिल हैं, रेगिस्तान भी शामिल हैं। बीकानेर में भूमि कैसी है वह आपके सामने है। इसमें सारे के सारे रेगिस्तान हैं। कृपया तुलनात्मक दृष्टि से बतायें जब आपने सदन में सीलिंग का कानून पास करवाया था तो आपने कितनी भूमि का एस्टीमेट लगाया था इस सीलिंग के तहत में कि इतने लाख एकड़ भूमि हमें मिल जायगी और इतनी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अधिग्रहण कर पायेंगे जिससे आपका अन्दाज तो लग जाय।

श्री लक्ष्मणसिंह : हजारों एकड़ जमीन को इन 10 वर्षों में रेगूलराईज कर रहे हैं। यह प्रगतिशील सरकार है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेगूलराईज में आप लोगों ने भी समर्थन किया होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री जसवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो वास्तविक बात है वह कहता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सुन नहीं रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : (साथ-साथ बोलते रहे, अश्रव्य).......माननीय सदस्य बैठे हैं। 10 साल में आज जमीन तो ली है। अब आज यह सवाल आया कि चार हजार एकड़ से ऊपर जमीन नहीं ली है। मैं पूछना चाहता हूं प्रगति का नाम लेने वाले 1960 से लेकर आज तक कभी माननीय सदस्य ने जोर दिया। आज प्रगति को चैलेन्ज करने वाले नाम लेते हैं। Action and reaction are always equal and opposite.

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुये)

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर कागज कानून में रहता है तो बार-बार यह कहना कि यह बेकार है, निरर्थक है। कानून का अर्थ यह है कि कानून बनाकर उसको क्रियान्वित करें वरना कागजी कार्यवाही से कोई फायदा नहीं है। सरकार ने जनता को धोखा दिया है। यह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने बहुत जोर दिया मैं समझता हूं, उनके विचारों में बहुत परिवर्तन आया है।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, बाली जिले में दो हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है। यह भूमि आपने अधिग्रहण की है या किसी ने सरेन्डर की है ? दूसरा प्रश्न आया, अगर यह सरेन्डर की तो अतिक्रमण कर लिया या आपने उनको एलॉट की है। यह दो प्रश्न हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग सवाल है। गवर्नमेंट के पजेशन में इतनी जमीन आई है।

श्री पृथ्वीसिंह : नाजायज कब्जा कर लिया गया है और वह जमीन भी सरेन्डर की गई है। आपने कब्जा छोड़ने के कोई ऑर्डर नहीं दिये और उसके उपर कोई अधिग्रहण नहीं किया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं जो मंत्री महोदय ने यह सूचना दी है 10 साल में पांच हजार एकड़ भूमि...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें डिसप्यूट हो गया है। वेकेन्ट पजेशन नहीं मिला है...

श्री बुर्गालाल बाढ़दार : 10 साल में पांच हजार एकड़ भूमि सीलिंग के कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत ली–कोई बात नहीं उनका स्टेटमेंट तो थोड़ी देर के लिये सही मानकर चलते हैं। 10 साल में पांच हजार एकड़ भूमि ली कुछ किया तो सही। अगर इस रफतार से चले तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात इस सीलिंग कानून को आज 10 साल हो गये जबसे राज्य सरकार इम्पली मेंट करने के लिये प्रयत्न कर रही है और इतने प्रयत्न कर रही कि पांच हजार एकड़ तो ले ली और क्या लेगी ? मेरा एक निवेदन यह भी है कि सीलिंग का जो स्टेन्डर्ड एकड़ निर्धारित किया है उसमें एक ओर तो इस सीलिंग के अन्तर्गत 30 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं देना चाहते है और इस कानून के प्रावधानों के पश्चात भी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन प्रभावशाली व्यक्तियों को और किन्हीं व्यक्ति विशेष को जमीन एलॉट भी की है–यह कैसा राज्य सरकार का दोहरापन है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री बुर्गालाल बाढ़दार: उपाध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ? दोनों बातें नहीं चल सकती हैं। एक ओर राज्य सरकार कहती है हम सीलिंग के कानूनों को इम्प्लीमेन्ट करना चाहते है और 30 एकड़ से ज्यादा भूमि इस कानून के अन्तर्गत नहीं होगी और दूसरी ओर राज्य सरकार व्यक्ति विशेष को एक एक हजार एकड़ जमीन एलॉट करती है। अगर राज्य सरकार समन्वय किस प्रकार करना चाहती है ? इसके लिये भी कुछ कह दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ये जो चार हजार और 900 एकड़ आपने सरकार के कब्जे में आई बताई यह सरकार ने अपने ऑर्डर देकर कब्जे मे ली है यह या जो जमीन सरप्लस थी वह सरेन्डर हुई है ? दूसरा जो कब्जा मिला है यह मौलिक है या एक्चुअल वास्तव में दूसरे लोग काबिज हैं ? या सरप्लस वाला निकाल नहीं सकते हैं इस तरह की स्थिति है या आपको फिर वेकेन्ट पजेशन मिला है।

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब हाईकोर्ट से रिट रिजेक्ट हो गयी तो आपने उसके बाद कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? यह जो एग्जम्पशन्स को रिमूव करने का अमेन्डिंग बिल मई, 70 में आपने पास कराया है लेकिन इससे पहले इनएग्जम्पशन्स के अलावा–रेवेन्यू मिनिस्टर साहब थोड़ा इधर ध्यान रखें तो वह उत्तर दे सकेंगे कि मई, 70 में जो अमेन्डमेन्ट्स हुए हैं उनके अनुसार एग्जम्पशन्स रिमूव हुए हैं और या ट्रान्सफर्स को आपने वेलीडेट किया है तो इससे पहले और हाई कोर्ट से रिट रिजेक्ट होने के बाद यह जो इन्टरवीनिंग पीरियड करीब 6 वर्ष का है इस बीच में आपने कोई भी जमीन अधिग्रहण क्यों नहीं की और उसके क्या कारण हैं? और क्या यह जो जमीन आपने 4900 का कब्जा लिया है यह किन तारीखों से है और कौन से पीरियड में आपने लिया है? यह आप बताने का कष्ट करें।

इसके अलावा में यह जानना चाहूंगा कि जो ट्रान्सफर्स वेलीडेट हुए हैं मई, 70 के अमेन्डिंग बिल से इससे कितनी लैण्ड

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रभावित हुई है और आज की तारीख में या लेटेस्ट जो भी आपके पास जानकारी हो एग्जम्पशन्स के जरिये कितनी जमीन और एग्जम्पशन्स हो जाने के बाद कितनी और जमीन सरप्लस डिक्लेयर हुई और वेलीडेशन के बाद कितनी निकल गयी और अप-टू-डेट स्थिति क्या है? कितनी जमीन को सरप्लस माना है जो कि आपको अवेलेबल होगी?

इसके बाद में अगला प्रश्न और है कि क्या यह सही है कि कोटा जिले में अभी तक आपने कोई नोटिसेज जारी नहीं किये हैं? जिन लोगों के पास कोटा जिले में सीलिंग से अधिक भूमि है उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया है और आपने जनसंघ पार्टी की तरफ से जो आन्दोलन छेड़ा गया जिसमें भूमि की सीलिंग ऊंची करने की मांग थी और वर्तमान सीमा को तीन गुना बढ़ाने की मांग थी कि 30 स्टेन्डर्ड एकड़ के बजाय 90 स्टेन्डर्ड एकड़ कर दी जाये उसके पुष्टिकरण की दृष्टि से आपने यह नोटिसेज जारी नहीं किये और आपने किये हैं तो कब किये हैं उसकी तारीख बताने की कृपा करें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष जी, सदन में एक भ्रांति हो रही है उसका निराकरण हो जाये......

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : एक भ्रांति है जिसका निराकरण मैं कर देता हूं। गवर्नमेंन्ट से आपने पूछा है लेकिन गवर्नमेंन्ट को शायद जानकारी हो या नहीं हो-न तो जनसंघ की तरफ से मांग की गयी कि सीलिंग की सीमा को 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से बढ़ाकर 90 स्टेन्डर्ड एकड़ किया जाये...

श्री रामकिशन : यह तो की थी। बहस जब हुई थी तो उसमें मांग की थी।

श्री भैरोंसिंह : जब बहस हुई तो खाते पीने के ध्यान में होंगे।

श्री रामकिशन : यह तो आपने ही की थी। इसको मजाक में मत उड़ाओ। प्रोसिडिंग्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : कोई भी माननीय सदस्य प्रोसीडिंग्स निकाल कर देख ले या जनसंघ ने ज्ञापन दिया है जिसमें यह कहीं नहीं है कि 30 से बढ़ाकर 90 स्टेन्डर्ड एकड़ कर दिया जाये।

श्री रामकिशन : 90 नहीं 60 कहा है।

श्री भैरोंसिंह : केवल कोटा के बारे में प्रश्न उठाया था और कोटा में जो केटेगराइजशन हुआ है वह गलत हुआ है उसको दुरुस्त किया जाये और उसके लिए गर्वनमेन्ट ने कमेटी बनाई है और मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं कि एक्ट में जैसे बाकी के राजस्थान में नोटिसेज दिये हैं उसके नोटिसेज भी कोटा में लोगों को मिल गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की तो खुशी है कि इस

(श्री शंकरलाल)

सदन में सभी पार्टियों ने इसके इम्पलीमेन्टेशन के लिए जोर दिया है चाहे वह पहले देती थी या नहीं लेकिन इस समय करीब करीब सभी पार्टियां जोर दे रही हैं।

प्रश्न यह है कि इम्पलीमेन्टेशन में राज्य सरकार की तरफ से ढिलाई रही इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। 64 के अन्दर यह हुआ और कहा कि 65 में करेंगे। यह कहा कि 65 में इमरजेन्सी आ गयी, यह भी हमनें स्वीकार कर लिया तो 1-4-66 तो तारीख आपने मुकर्रर की थी और उसके बाद आज दिन तक इसका इम्प्लीमेन्टेशन क्यों नहीं हुआ ? मैं समझता हूं कि इसका कोई जवाब हमारी सरकार के पास नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कानून के तहत 1-4-66 को जिन लोगों को सीलिंग कानून के तहत डिक्लेरेशन दे देना चाहिए था और वह अगर उन्होंने नहीं दिया है तो कानून में प्रावधान था कि दे विल बी कन्सीडर्ड एज ट्रेस्पासर्स। उनको ट्रेसपासर्स गिना जायेगा और सरकार उनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेंगी और न केवल कब्जा ही करेगी बल्कि उनको पेनेलाइज भी करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उस क्लाज के तहत, वह क्लाज अभी तक मौजूद है, उसके तहत आपने क्या एक भी कार्यवाही की ? अब आप कहते हैं कि नये नोटिसेंज निकाले हैं। मैं समझता हूं कि नये नोटिसेज निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब 1-4-66 आपने डेट मुकर्रर कर दी और लोगों ने जमीन को संरेन्डर नहीं किया तो कानून के तहत वह ट्रेसपासर्स हो गए और उनके खिलाफ इजेक्टमेंट की कार्यवाही करनी चाहिए और उनको पेनेलाइज करने की भी कार्यवाही की जानी चाहिए और सरकार की तरफ से यह भी स्वीकार करना चाहिए कि इसके इम्प्लीमेन्टशन में डिले हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह आता है कि इसको जल्दी से जल्दी अब इम्पलीमेंट कैसे किया जाये। जो राजस्व मंत्रीजी ने आंकड़े दिये हैं कि 4 हजार और 5 हजार के करीब जमीन ली है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं और राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से यदि अधिग्रहण करेंगे तो जो डेट आपने फिक्स की है कि अप्रेल, 71 तक इसको हम इम्पलीमेन्टेशन कर देंगे और मई तक सारा कब्जा ले लेंगे तो मुझे तो यह ना मुमकिन सा लगता है। इसलिए मैंने यह निवेदन किया था कि अगर आप इसको इस डेट तक इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और इसी तारीख तक करना चाहते हैं तो इसके लिऐ आपको स्पेशल स्टाफ मुकर्रर करना पड़ेगा। जैसे कि सेटलमेन्ट का स्टाफ है कि वह तारीख तय करता है कि इतनी तारीख तक सेटलमेन्ट हो जाना चाहिए और एस० डी०ओ० सारा काम करता है। आज उसी एस० डी० ओ० को एलॉटमेन्ट के पावर्स भी दे दिये और इसके अलावा एस० डी० ओ० रेवेन्यू कोर्ट्स में केसेज अलग देखते हैं। मेरी कई एस० डी० ओ० से बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेन्टेशन के लिए तो अलग से किसी अधिकारी को लगाया जाये तो हो सकता है वर्ना नहीं। मैं समझता हूं कि 66 के बाद जो इतने साल तक नहीं हुआ है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका और कोई जरिया नहीं है। आज सेटलमेन्ट का विभाग है उसको या दूसरे विभाग को नियुक्त करके, इसका स्पेशल कन्सीडरेशन

Page No 59

(श्री शंकरलाल)

करके इसको तरीके से इम्प्लीमेन्ट करेंगे तो आपने जो डेट डिक्लेयर की है उस डेट तक आप कर सकेंगे अन्यथा नहीं। तो क्या राज्य सरकार के पास इस बार की तैयारी है कि इस तारीख तक कराने के लिए स्पेशल स्टाफ को मुकर्रर करेंगे ?

साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पाली जिले में मैं समझता हूं कि वहां पर 5-6 ही ऐसे खातेदार हैं कि जिनके पास दस दस हजार बीघा जमीन है। आपको उनको नोटिसेज जारी करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो पजेशन में ले लें। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि वहां का मुझे अनुभव है। इसके लिए स्पेशल स्टाफ मुकर्रर करके इसका इम्पलीमेन्टेशन इस तारीख तक कैसे करायेंगे यह बता दें और आपने उनको ट्रेसपासर्स मानकर क्यों नहीं इजेक्ट किया और उसके तहत कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ?

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो शंकरलालजी ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका तुरन्त इम्प्लीमेन्टेशन किया जाय।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : यह जो 4981 एकड़ के करीब जमीन गवर्नमेंट ने प्राप्त की है उसको किस तरह से भूमिहीन किसानों में वितरित की है या उसका किस प्रकार से उपयोग किया है। यह मैं चाहता हूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जो जमीन गवर्नमेंट ने प्राप्त की है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भूमिहीनों में किया है या उसका किस प्रकार से उपयोग किया गया है। इसके बारे में स्पष्टीकरण करिये।

दूसरा मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सीलिंग एक्ट है उसका इम्पलीमेंटेशन हम कर रहे हैं और जो उसमें ढिलाई बरत रहे हैं तो उससे अपनी प्रेस्टिज घटती है, अपनी प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचा है। स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ तो यह चाहते हैं कि सीलिंग का इम्प्लीमेन्टेशन न हो..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गलत है ?

श्री पृथ्वीसिंह : यह गलत बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह नहीं चाहते हैं और अपने को यह नहीं करने देना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : इस अनिश्चितता के वातावरण को समाप्त करने के लिए हम इसका इमीजिएट इम्प्लीमेन्टेशन चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अगर इम्प्लीमेन्टेशन करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अगर इम्प्लीमेन्टेशन करना चाहते हैं तो जिन जिन के

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

पास में जमीन सीलिंग से ज्यादा हैं वे सारे खुद ही सरेन्डर कर दें तो उनकी सत्यता साबित होगी ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह इनका बिल्कुल आडम्बर है और जो कहते हैं वह खाली प्रोपेगेन्डा और स्टण्ट है । मैं चाहता हूं . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यदि गवर्नमेंट बम्बई अधिवेशन के प्रस्ताव को पूरा करना चाहती है और अब वे इन्दिरा गांधीजी की प्रोग्रेसिव पार्टी में आगये हैं तो इसका इम्प्लीमेन्टेशन मई, 1971 में तो कर देना चाहिए । अगर नहीं करें तो आपकी और प्रेस्टिज घटेगी, और निश्चित् रूप से घटेगी । मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसका समर्थन करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक तरह का वातावरण है . .

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह इनका भाषण हो रहा है . .

श्री नत्थीसिंह : मेरा नाम लिया है उपाध्यक्ष महोदय ने । आप चीफ व्हिप होकर भी अनुशासन को तोड़ रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । आपस में बात न करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सीलिंग लॉ का इम्प्लीमन्टेशन हो, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप कर रहे हैं । यह इस बात के सबूत है कांग्रेस कहां पर खड़ी है ?

श्री उपाध्यक्ष : चीफ व्हिप माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वे गलत बात कह रहे हैं । मेरा कोई सीलिंग से विरोध नहीं है और न मैंने किया है ।

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : बैठिये बैठिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्वश्चन पूछने का तरीका होना चाहिए । यह क्या है कि भाषण हो रहे हैं दो दो घण्टों तक ।

श्री नत्थीसिंह: उपाध्क्षय महोदय, अब मैं सीलिंग के मसले पर आता हूं । 3-4 मेम्बर इस तरफ से (कांग्रेस पक्ष) जोर से बोलते हैं कि सीलिंग कानून लागू हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि यह लागू न हो । क्योंकि अगर यह जहां सीलिंग कानून आपने पास किया वहां इन पर (स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए) तो लागू होगा ही, लेकिन आपने जो सीलिंग कानून को को तोड़कर नये तरीके के भूमिधर और जागीरदार या जमींदार बनाये हैं उनकी मुश्किल हो जायगी । इसलिए आप चाहते हैं कि वह लालू न हो । मुंह से तो कहते हैं कि सीलिंग कानून लागू हो, लेकिन आपको भय यह है कि जो नये जागीरदार, जमीदार कांग्रेस पार्टी ने पैदा किये...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विषय से बाहर हो रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ये बारबार गलत बात कह रहे हैं ।

श्री नत्थीसिंह : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने कहा है कि इस बारे में कई निर्देश दिये हैं जिलाधीशों को, चैयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड ने दिये हैं, मुख्य सचिव ने दिये हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं हो पाया है लेकिन मेरी मान्यता यह है कि आप मेन कारण हैं इसके इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होने के और सरकारी अधिकारियों पर उसका दोष डालने की बात गलत है। अब क्या आपका मन है यह कह दें। अगर है तो आप कहें कि सीलिंग कानून से विरुद्ध जितने भी जमीनों के गलत एलाटमेंट हुए हैं उनकी जांच के लिए इस सदन की एक समिति बनायेंगें और वह सदन की समिति इस बात के लिए आप बनायेंगे कि जो आपने स्टाफ कायम किया है वह कायम किया हुआ स्टाफ हर महीने इस सदन की समिति को जब सदन का सेशन नहीं हो तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि इतना काम आगे बढ़ गया है और समयावधि में वह काम पूरा करेंगे। मुझे भय है कि समयावधि में काम नहीं होगा और बिल्कुल गलत साबित होगी और किसी भी हालत में कानून को लागू नहीं करेंगे।

आज स्थिति यह है कि जमीन लोगों ने बांट ली है। उधर से भी मांग इस लिए हो रही है आज जमीनों को पूरा बांट लिया है लेकिन इधर के जो नये जमींदार और जागीरदार आपने बनाये हैं वे बिगड़ जायेंगे इसलिए हम जानते हैं कि आप इसको नहीं करेंगे। अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं तो स्पष्ट कहें और हिम्मत के साथ आगें मंत्री महोदय और बतायें कि कितने लोग जिले में ऐसे हैं लीडर वगैरह जिन्होंने सीलिंग कानून को कतई लागू नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाफना।

श्री फूलचन्द बाफना : उपाध्यक्ष महोदय मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : इस सीलिंग कानून पर 61 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके बाद में जिन्होंने सैकड़ों बीघा जमीनें कब्जे में की हैं तो क्या वह सीलिंग कानून के अनुसार सही था ? मेरा ऐसा मानना है कि पहले भूमि का मालिक कौन होता था कि जिसकी तलवार में जोर होता था। उस समय कहा जाता था कि "वीरभोग्या वसुन्धरा" और और आज स्थिति यह है "धूर्त भोग्या वसुन्धरा"। आज परिवर्तन होगया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : तो मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने सीलिंग कानून लागू किया है। 60 में वह कानून बना है तो क्या आपको यह मालूम था कि उससे कितने लाख एकड़ भूमि सीलिंग के तहत में आने वाली थी और अब जो आंकड़े आपने दिय हैं तो एक जिले में तो 19 एकड़ हैं, दूसरे में 90 एकड़ है। इसमें शक नहीं

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

है कि 10 साल पहले इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए था, और कम से कम यह सौभाग्य हम लोगों का है कि हमारे वक्त में आंकड़े तो बतायें हैं। इसका अभिनन्दन समारोह करना चाहिए और भूमिहीनों को आनन्द लेना चाहिए कि वास्तव में जमीन उनको मिली है। सीलिंग लागू करें या न करें कम से कम जंगलात की जो जमीन है उसको तो एलॉट न करे। आज हजारों लाखों बीघा जमीन जंगल की इस तरह से बांट दी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मैं माननीय मंत्री महोदय से दो सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न एक तो यह है कि यहां सेक्रेटेरियेट से, मुख्य सचिव से और माननीय मंत्री महोदय की तरफ से कई नोटिफिकेशन और आदेश निकाले गये हैं......

श्री रामकिशन : बहुत ज्यादा निकाले हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : और मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके यहां पर एक ऐसा वर्ग है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं लम्बा अर्ज नहीं करूंगा।

उसने पंचायत समिति की जमीन पर कब्जा किया राजाधिराज की 5 हजार बीघा जमीन पड़ी है उस जमीन पर नहीं गये भूमि हथियाने। पंचायत समिति की 100 बीघा जमीन थी उस पर गये।

श्री रामकिशन : आपको क्या पता है कि नहीं गये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे सब मालूम है। मैं भीलवाड़े में ही रहता हूं।

श्री रामकिशन : अभी हमारा आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ है। वहां भी जायेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इन कानूनों और आदेशों का इम्प्लीमेंन्टेशन करना है कौन कर्मचारी वर्ग करेगा ? 1962 के इलेक्शन आये थे और अभी 67 में नगरपालिका के इलेक्शन हुए हैं तो इन नगरपालिकाओं और चुनावों में वहां पर कर्मचारियों की बस्तियां हों वहां से जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के लोग आये हैं। गांधीनगर से श्री महेन्द्रसिंह जी आये हैं और नगरपालिका में भी जनसंघ के आये हैं। इसी तरह से चुनावों में जोधपुर से भी जनसंघ के आये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी पोलिसीज और प्रोग्राम्स का पालन कराना चाहते हैं तो कर्मचारियों को ठीक करिये। ये आपको खींच रहे हैं इधर और ये आपको दूसरी जगह ले जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य जो कि चूं चूं की फर्जी बात करने लगे हैं ये सब आपके अन्दर बैठे हुए हैं। ये एक एक डाल पर बैठे हुए आप देखेंगे। अगर आपको कानून का पालन कराना है तो इनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठायें। जब तक आप यह नहीं करेंगे तो एक कागज 6 महीने तक आलमारी में पड़ा हुआ मिलेगा आपको।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : मेरा एक क्वेश्चन यह है कि 30 जून, 70 को उन लोगों को अधिकार दिया गया है जमीनों को डिसपोज ऑफ करने का ।

एक माननीय सदस्य : माफ करें......

श्री उपाध्यक्ष : बैठे बैठे बात न करें ऑपिस में ।

श्री केदारनाथ : जून, 1970 को मेजर सन और मेजर ब्रदर्स के नाम सरप्लस लैण्ड की डिसपोज ऑफ कर रहे हैं उसके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

लैण्ड रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट के तहत और प्राइम मिनिस्टर की हिदायतों के मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहब ने एक वाच डॉक कमेटी बनाई है । इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कमेटी का निर्माण हुआ है ताकि एस० डी० ओ० पर निगरानी रखी जाय ।

(3) तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि जो रामानन्द जी ने पूछा था कि 31 दिसम्बर, 1969 के बाद में जितनी भी सरप्लस लैण्ड ट्रान्सफर की गई हैं वे सारे इल्लीगल ट्रान्जेक्शन को वेलिडेट कर दिया है तो कुल कितना रकबा दिखाया है। माननीय उपाध्यक्ष, सीलिंग ला पारित किया जाना अलग बात है लेकिन उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह ।

श्री मदनसिंह : एक प्रश्न है कि पिछले दो सालों में जो जमीनें मिली हैं या सरेन्डर हुए हैं तो उन जमीनों पर क्या राज्य सरकार ने कब्जा किया है ? अगर नहीं किया है तो उनका अतिक्रमण कर लिया गया है और अगर अतिक्रमण कर लिया गया है तो राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : कोई भी कानून, कोई भी सरकार बनाती है तो कानून बनाने के पीछे कोई आदर्श होता है, कोई प्रोग्राम होता है । जो सरकार अपने बनाये हुये कानून का अमल नहीं करवाना चाहती है, उस सरकार का इरादा डाउटफुल है यह स्पष्ट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने सीलिंग कानून सन् 1959 में फरवरी में लागू किया उसके बाद करीब करीब मेरी जानकारी में 20 करोड़ रुपये की रजिस्ट्री हुई है और राजस्थान सरकार को करीब करीब 2 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। इसके अलावा जो सीलिंग कानून के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को प्राप्त होने वाला था वह अब राजस्थान सरकार प्राप्त नहीं कर सकती है । इस कानून को अमल में नहीं लाने का नतीजा यह हुआ । हरिजनों और गरीबों को जो वादे किये गये थे, वह महरूम हो जायेंगे । वह जमीन खुर्दबुर्द कर दी गई है । बेच दी गई है । राजस्थान सरकार वह जमीन प्राप्त करने में असमर्थ रहेगी। अब भी जो जमीन रह गई है, वह भी जमीन लेने का तरीका नजर नहीं आता है। कहते हैं कि कलेक्टरों को मुख्य सचिव ने आदेश प्रसारित कर दिये हैं । रेवेन्यू बोर्ड के सेक्रेटरी ने भी आदेश प्रसारित किये है । मैं राज्य सरकार से पूछना चाता हूं क्या राज्य सरकार एक भी उदाहरण दे सकती है।

(श्री दौलतराम सारण)

किसी भी जिलाधीश के खिलाफ किसी भी राजस्व अधिकारी के खिलाफ, जिसने कि डिले की हो, कर्तव्य पालन में कोताही की हो, नियमों के अन्दर उसका एक्शन लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भाषण दे रहे हैं ।

श्री दौलतराम सारण : मैं उपाध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दे रहा हूं । राज्य सरकार की अब भी सीलिंग कानून को अमल कानून में लाने की मंशा नहीं है । मैं पूछता हूं कलेक्टर और रेवेन्यू ऑफिसर जो इसके खिलाफ काम करते है, उनके बारे में आप क्या करते हैं । जो रेवेन्यू कानून बनाये गये हैं, आये दिन कानून बनाने में लाखों रुपया खर्च होता है, उसको रद्दी की टोकरी में पटक देते हैं । क्योंकि जनता के हित में आप अमल में नहीं लाना चाहते हैं । मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, राज्य सरकार सीलिंग कानून को अमल में लाना चाहिये । आप उस पर अमल क्यो नहीं करते हैं । कानून में आप के पास जो शक्ति है उसके आप अमल में लाने से क्यों झिझक रहे हैं । अगर आप गवर्नमेन्ट का कानून अमल में नहीं लाना चाहते हैं तो भूमि पर आपका राइट है, वह भूमि आपको कब्जे में करनी चाहिए । लेकिन कौन करने दे । राज्य की जमीन पर भी, राजस्थान नहर में इनके गुर्गों का कब्जा किया हुआ है । खुद की, राज्य की जमीन पर आप कब्जा करने में आप असमर्थ है । आये दिन कमाण्ड एरिया और नॉन कमाण्ड एरिया में लाखों नाजायज तरीके के कब्जे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव रखा है । इसकी व्यवस्था नहीं आई है । बजट सेशन से पहले समय में मैंने एक प्रश्न रखा । सदन के आक्रोश के कारण 62 से 69 तक की नाजायज अमेन्डमेन्ट की इन्क्वायरी के लिए सरकार ने आदेश दिया था । दो सैशन निकल गये लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक क्या हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं दी है । मैं तो यही बात कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की मंशा गरीबों को भूमि देने की नहीं है । सिविल अधिकारियों के साथ, पूंजीपतियों के साथ इनकी सांठ गांठ रही है । जो भूमि हड़प करना अपनी जमीन की ज्यादा उपज दिखाते हैं । और इस प्रकार से अपने ब्लैक-मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं । इसलिए यह सीलिंग कानून को अमल में नहीं लाना चाहते है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत भाषण दे रहे है ।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार सीलिंग कानून में यह व्यवस्था नहीं कर रही है । हाई कोर्ट का बहाना बनाया जाता है । आप कितने ही तुच्छ मामलों पर ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं । ऑर्डिनेंस निकाल कर आप ने उन मामलों को हाईकोर्ट के जूरिस्डिक्शन से बाहर निकाल दिया है । इस प्रकार आप उनको बाहर निकाल देते हैं । जमीन के मामले में, आप सीलिंग कानून के मामले में आप ऑर्डिनेंस निकालना क्यों भूल गये है ?

श्री मूलचन्द डागा : आप बी० के० डी० वाले हैं, यही कहेंगे ।

Page No 65

श्री दौलतराम सारण : बी० के० डी० वाले धरतीमाता के पुत्र हैं। उसके हाथ में जमीन है। वह मेहनत करते हैं। आप वकील हैं, वकालत करते हैं और यहां पर आकर किसानों की वकालत करते है। (हियर-हियर) यह नकली समाजवादी बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप का भाषण हो रहा है।

श्री दौलतराम सारण : यह जमीन हड़पू लोग है। यह कभी गरीबों को जमीन नहीं देंगे। यह किसी भूमिहीन को जमीन नहीं देंगे। गरीब और आदिवासी सिसकियां भर रहे हैं। छः सात आना भी उनकी रोजाना आमदनी नहीं है। अनेक छोटी छोटी बातों पर आप ऑर्डिनेंस ले आयेंगे।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य) :

श्री दौलतराम सारण : अन्य कामों के लिए आर्डिनेंस आजायगा लेकिन राजस्थान की जनता की भूख मिटाने के लिए, उनके लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं आयेगा। उनके इरादा मैलाफाइड है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या राजस्व मंत्री····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राजस्व मंत्री यह जानकारी देंगे।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य !

श्री रामकिशन : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जो कानून की दुर्दशा हुई है उससे जमीन बची नहीं है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार दुबारा सीलिंग सीमा को घटाने का विचार कर रही है ? कर रही है तो राजस्व मंत्रीजी क्या राय रखते हैं ? यह जानकारी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल !

श्री रामकिशन : इसका जवाब आ जाय !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह जानकारी देंगे कि सन् 1969 के अन्दर जब आपने टिनेन्सी लॉ के अन्दर अमेंड-मेन्ट करके सबसे पहले सीलिंग को लाने का प्रयास किया था उस समय राजस्थान के अन्दर राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस सीलिंग से प्रभावित होने वाली कितनी भूमि उपलब्ध होने वाली थी ? साथ साथ राजस्थान के अन्दर कितने भूमिहीन किसान उस समय थे ? क्या उसके बाद धारा 15 और धारा 19 टिनेन्सी एक्ट के तहत जिन लोगों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए, उन्हें समय-समय पर रिव्यू करते हुए साल दर साल क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किये कि प्रति वर्ष कितने भूमिहीन किसान कम होते चले गये और कितनी भूमि, जो सीलिंग के बाद उपलब्ध होने वाली थी, वह रह गई ? क्या इसके बाद दुबारा राजस्थान सरकार ने टिनेन्सी लॉ में संशोधन करके जो भूमि के ट्रान्स-फर हुए उनको रेगुलेराइज करना स्वीकार किया और इसके साथ-साथ जो एक्जेम्प-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

शन्स दिये हुए थे, चाहे केटल ब्रीडिंग के नाम पर हों, चाहे वेल मैनेज्ड फार्म के नाम पर हों—उन एक्जेम्पशन्स को विथड्रा राजस्थान सरकार ने किया है—इसके द्वारा एक्जेम्प्शन विथड्रा करने से कितनी जमीन राज्य सरकार को प्राप्त होगी और ट्रान्सफर्स को डिक्लेअर करने के बाद में कितनी भूमि राज्य सरकार के पास से जायगी ? इसके बाद भूमिहीनों को एलॉटमेंट करने के लिए कितनी भूमि सीलिंग के बाद उपलब्ध होगी और कितने भूमिहीन किसानों को उपलब्ध की जा सकेगी ? इसके आंकड़े क्या राज्य सरकार के पास उपलब्ध हैं ? इसके अलावा कोटा के अन्दर भूमि का वर्गीकरण के नाम पर जो एक कमेटी का निर्माण किया था, क्या उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ? और अगर रिपोर्ट दे दी है तो क्या राज्य सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ? यह जानकारी दे दीजिये !

श्री उपाध्यक्ष : सुरेन्द्र व्यास ?

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, एक अंग्रेजी में कहावत है "Action speaks louder than the words" राज्य सरकार की मन्शा शुरू से साफ है । सीलिंग को कभी राज्य सरकार लागू करना नहीं चाहती थी, न अब लागू करना चाहती है । केवल सीलिंग का नारा लगा लगा कर....

श्री रामकिशन : बाप से अच्छा बेटा है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सीलिंग के नाम पर हुल्ला किया जाता है, कागजों पर सीलिंग लाई जाती है ताकि हिन्दुस्तान में इस बात की चर्चा की जा सके कि राजस्थान राज्य के अन्दर सीलिंग लागू की जा रही है .....

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छे!

श्री सुरेन्द्र व्यास : विरोधी दल के सदस्यों में से भी, जब सीलिंग के ऊपर इस सदन के अन्दर विचार हुआ था, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के सदस्यों ने इसका विरोध किया था । वह माननीय सदस्य आज सीलिंग के बारे में कह रहे हैं वह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहचान लिया है कि यह राज्य सरकार सीलिंग को लागू करने वाली नहीं है । सीलिंग लॉ में क्या है, इस सम्बन्ध में मैं नहीं निवेदन करना चाहता और इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार सीलिंग को लागू नहीं करना चाहती । सीलिंग लॉ बनाकर जितना कुछ राज्य सरकार कर सकती थी वह कर दिया, अब राजस्थान में जमीन बची नहीं है, इस कानून को लागू करने के लिए जमीन बची नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड ग्रेबिंग मूवमेंट के बारे में बात होती है, उसके द्वारा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कोई काम नहीं करेंगी, अगर राज्य सरकार की यही हालत रही तो जनता खुद खड़ी होगी और जमीन जनता द्वारा हड़प ली जायगी, जमीन पर जनता द्वारा कब्जा कर लिया जायगा । मैं राजस्व मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं कि जिस दिन जनता खड़ी होगी, दो साल, चार साल, पांच साल बाद, आखिर कब तक यह बात चलती रहेगी, जिस दिन जनता खड़ी होगी तो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

राज्य में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति नहीं रहेगी, उस दिन आप यह कानूनी राज्य कसे चलायेंगे ? ज्यादा जमीन कोई दबाये, उससे मुझे ताल्लुक नहीं है....

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्री जी !

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्लेक्टिव रेस्पान्सिबिलिटी है मंत्रियों की, गृहमंत्री जी, राजस्व मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर के विरुद्ध जब जनता खड़ी होगी और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, वह जिनके पास सरप्लस लैंड है उनसे छीन लेंगे उस समय आप लॉ एण्ड ऑर्डर की बात करेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आप इस कानून को लागू नहीं करना चाहते हैं और मात्र इसे कानून के रूप में रखना चाहते हैं तो इस सदन में खड़े होकर आप कहें कि यह सीलिंग लॉ गलत है, हम इसे लागू नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान में सीलिंग लॉ बनता है और उसको आप लागू नहीं करते हैं तो यह केवल विरोधी दल के सदस्यों का मसाला नहीं है, मैं कांग्रेस के सदस्य के नाते कहता हूं कि कांग्रेस के सदस्य भी इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय .....

श्री रामकिशन : काश ! पिता सुन पाते !

श्री दिग्विजय सिंह : म निवेदन करना चाहता हूं, कि पी० डी० आर० एक्ट आ रहा है उसका ध्यान रख लें क्योंकि अभी बोलने वाले माननीय सदस्य ने चेतावनी दे दी है, उन्होंने यह चेतावनी दे दी है कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है....

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा निवेदन करना है, क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलायेंगे, आपने मूल एक्ट में यह रखा था, मई, 1958 के बाद परचेजेज या ट्रान्सफर जो कुछ भी किये जायेंगे, वह सब नल एण्ड वाइड और इनवेलिड समझे जायेंगे । मूल एक्ट में यह था, बाद में 31 जून, 1970 को अह बताया कि अपने ब्रदर्स और माइनर सन्स को दे देगा तो रेगुलेराइज कर देंगे तो इसके पीछे नीयत क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : नीयत, जब एक्ट सामने आया था उस समय डिस्कस हो चुकी है। यह प्रश्न नहीं हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। 1958 के बाद कितने पर्चेजेज गवर्नमेंट की निगाह के अन्दर आये हैं ? 1958 के बाद के अन्दर सीलिंग एक्ट की सीमा के बाहर लोगों ने जमीन पर्चेज की है-क्या यह सच है ?

श्री उपाध्यक्ष : गाड़िया जी । प्रश्न पूछेंगे । भाषण नहीं देंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने इस बात की जांच करवाई है कि 1954 के आस पास ग्रो मोर फूड के नाम पर एक एक व्यक्ति ने पांच पांच बीघा जमीन ली और इसे

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

प्रकार से 4500 बीघा जमीन दी गई, यह जमीन लीज पर दी गई और वह किसी को बीस साल की लीज पर दी, किसी को तीस साल की लीज पर दी। उसके बाद एक तो उन लोगों ने लीज के एग्रीमेन्ट का ब्रीच किया, उसके बाद कुल कितनी जमीन ग्रो मोर फूड के नाम पर .....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ! माननीय सदस्य ! यह सूचना इस वक्त उपलब्ध नहीं कराई जा सकती ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह जानना चाहूंगा .....

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव के दायरे के बाहर की बात है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं जानना चाहता हूं कि ग्रो मोर फूड के नाम पर दी हुई जमीन सीलिंग एक्ट बनने के बाद, 1961 के बाद सन् 1965, 1967, 1968-69 में बेची हैं ? लीज पर ली गई जमीन को उन लोगों ने लाखों रुपये में बेच दी, तो क्या वह लीज पर दी हुई जमीन लोगों ने बची है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका खाता खुल गया है ? और क्या यह सारी कार्यवाही कैंसिल होगी और वह जमीन उनसे लेकर भूमिहीन किसानों को वितरित की जायगी ? इसके बारे में जानकारी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल !

श्री रतनलाल रोत (चौरासी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस गांधी शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत, इस प्रोग्राम के अन्तर्गत जितनी जमीन राज्य सरकार ने भूमिहीन आदिवासी और हरिजनों को बांटने को रखी थी, क्या उतनी बांट दी गई है ? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सीलिंग से जो जमीन निकलने वाली है, वह जमीन इस प्रोग्राम के अन्तर्गत सारी की सारी राजस्थान में भूमिहीनों को बांट दी जायगी ? तीसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि आदिवासियों की जमीन और हरिजनों की जमीन जो सवर्ण लोग रजिस्ट्रेशन करा कर हड़पते हैं, ऐसे कैसेज राजस्थान के अन्दर जारी हैं, ऐसे कैसेज क्या इस गांधी शताब्दी के अन्दर रद्द कर दिये जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के सम्बन्ध में अब बात करना फिजूल है क्योंकि भूमिहीन लोग यह थे, इन्होंने जमीन ले ली हैं, फिर भूमिहीन कौन रह गया ? कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के एम० एल० एज और इनके रिश्तेदारों ने जमीन ले ली, तो अब भूमिहीन रहे नहीं-अब क्या जरूरत है इस प्रकार की बात करने की ? यह फिजूल है । अब क्या सीलिंग लॉ लागू करना है जब इन लोगों ने जमीन सारी हड़प ली है। अब क्या सीलिंग करना है। मेरा यह कहना है कि यह फिजूल बात है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सदन में आंकड़े रखे गये थे, कि मंत्रिमंडल के सदस्यों में प्रत्येक सदस्य के पास कितनी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कितनी जमीन है, उसके आंकड़े रखे गये थे जिनको किसी ने कन्टेस्ट नहीं किया था। इन आंकड़ों के अनुसार कई मंत्रियों के पास सीलिंग से अधिक जमीन है। मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रियों पास जो जमीन सीलिंग से अधिक डिक्लेअर्ड है, उस पर भी सरकार ने कब्जा किया है ? जो आपने यह 4983 बीघा जमीन पर कब्जा करना बताया, उसमें किसी मंत्री ने अधिक जमीन ली है या किसी ने सरेन्डर की है ? यह जानना चाहूंगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : कब दी है, किसने दी है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री राजस्व मंत्री ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, एक फेक्ट है, जिसके बारे में मैं आपकी अनुमति से जानना चाहता हूं। क्या यह सही है कि 1958 के बाद सीलिंग कानून के प्रावधान के अन्तर्गत जितनी भूमि आनी चाहिए उससे अधिक भूमि राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सारे मंत्रियों के पास थी इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों और रिश्तेदारों को ट्रान्सफर की और इस गरज से मूल कानून में जो प्रावधान था उसको परिवर्तित करके 1970 तक मोडिफाई करके रेगुलेराइज करने की कोशिश की ? क्या यह सही है ? इस फेक्ट को राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्य डिनाई नहीं कर सकते, राजस्व मंत्री भी डिनाई नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! राजस्व मंत्री !

श्री राम किशोर व्यास (राजस्व मंत्री): सदन के माननीय सदस्यों ने सीलिंग कानून के प्रावधानों की क्रियान्विति में देर के बारे में फरमाया और काफी चिंता प्रकट की है। उनकी ऐसी चिंता प्रकट करना स्वाभाविक भी है क्योंकि यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहा है और है भी....

श्री भैरोंसिंह : कहो, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं नहीं, मुझ पर असर है। 1963 के बाद जब कानून लागू हुआ, मैंने बताया कि इस तरह से दिक्कतें आईं, उच्च न्यायालय में लिटीगेशन हुआ, स्टे हुआ, उसके बाद तारीखें डिक्लेरेशन्स के लिए थी। फिर दुबारा चेंज करना पड़ा। उसके बाद इमरजेंसी और अकाल आया। रिप्रजन्टेशन्स आये, इस वजह से समय बढ़ाना पड़ा। इसलिए इसमें समय लग गया, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1-4-1966 तक पहुंच गए हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अब तो 1970 तक पहुंच चुका हूं..

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे) (अश्रव्य)

मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि इसमें देर हुई है.....

श्री मनोहरसिंह महता : पाप हुआ है इसम।

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ गफलत भी आप कह सकते हैं, कुछ कारण बाहर के भी थे......

Page No 70

श्री रामानन्द अग्रवाल : गफिलत मानते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए । यह मजाक नहीं इसमें......

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने भूमिहीनों के साथ पाप किया उनकी छाती में छुरा भोंका है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । भाषण में बाधा न पहुंचायें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रामानन्दजी, आप मुगालते में हैं । राजस्थान की सुखाड़िया गवर्नमेंट कभी शाम को सिंडीकेट में, सुबह को इंडीकेट में, आप उनको सपोर्ट करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं ।

श्री रामकिशोर व्यास : जिन कारणों से देर हुई है, वह मैंने अपने वक्तव्य में निवेदन किए । आप कुछ कहें, वह अलग बात है । इस समय हमने सीलिंग के प्रावधानों को ईमानदारी के साथ, सिन्सीयरिटी के साथ अमल में लाने की कोशिश की है और साल भर में हजारों एकड़ भूमि जिनके पास बिल्कुल नहीं थी, उनको हासिल हुई है । आपका कहना है कि वह कम है, मैं मानता हूं कम तो है । 51,000 के जो रिजम्पशन के अर्डारस हुए हैं, उसके कारण मैंने बताया कि क्यों देरी हुई ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1067 से आपके पास यह पोर्टफोलियो है । आप कह रहे हैं कि सिन्सीयरली..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं । सीलिंग कानून को सरकार इम्पलीमेन्ट करना चाहती है, सिंसीयरली चाहती है और चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसका इम्लीमेन्टेशन हो और मैं सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहा जो कार्यक्रम रखा है वह इसलिए रखा है कि इस पर अमल किया जा सके । जिलाधीशों को इस बात की हिदायत दी गई है उनका कार्यक्रम बनाकर भेजा गया है कि इन तारीखों के अनुसार, अंतिम तिथि तक. मई 1971 तक मैंने बात कही है, सरकार इम्लीमेन्टेशन करना चाहती है, अमल करेगी, एसी मेरी मान्यता है । इसके अलावा और बातें पूछी है भूमि ट्रान्सफर्स....

श्री मनोहरसिंह मेहता : मत कहिए फिर लोग बेंच देगें ।

श्री रामकिशोर व्यास : ट्रान्सफर्स कुछ हमने माने और एग्जंम्पशन के बारे में जब तक वे फिगर्स न आयें तब तक करेक्ट फिगर्स देना मुश्किल है ट्रान्सफर्स हमने तसलीम की है, रेकग्नाइज्ड की हैं, एग्जेम्शन्स की बाते तय की हैं । जब तक यह फिगर्स न हों, डिटरमिनेशन न हो जाय तब तक सीलिंग से कितनी जमीन अवेलेबल होगी, यह कहना मुश्किल है ।

आपने कहा एक कमेटी हो जो इस बात को देखे कि सीलिंग कानून का इम्पलीमेन्टेशन समय समय पर होता रहे । मैं निवेदन करना चाहता हुं कि स्टेंडिंग कमेटी बनाई है लैंड रिफार्म्स के सिलसिले में, वह इसकी प्रगति पर नजर रखती रहेगी और हम कमेटी को जानकारी देते रहेंगें । डिस्ट्रिक्ट लेविल कमेटियों के लिए भी हम विचार कर रहे हैं ।

(श्री रामकिशोर व्यास)

यह भी कहा गया कि 30 एकड़से ज्यादा जमीन लोगों को दी गई है और मंत्रियों को ज्यादा जमीन दी गई है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे मंत्री हों, जिनके पास सीलिंग कानून से ज्यादा ज़मीन है, वह अधिग्रहण की जायगी। आपने कहा है कि जो रिज्यूम की हुई है इसके अन्दर मंत्रियों के पास ज्यादा रह गई है। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इन्डवीजयूअल लिस्ट नहीं है किस किस की जमीन कितनी है। मैं यहीं कह सकता हूं कि चाहे मंत्री हो, कोई भी हो। अगर सीलिंग कानून से ज्यादा है, तो जरूर एक्वायर की जायेगी, इसका लिहाज नहीं किया जायगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री रामकिशन : सीलिंग की सीमा कम करने के बारें में ?

श्री हीराभाई : उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही के बारे में क्या करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : सीलिंग सीमा को कम करने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। इस समय 30 स्टेंडर्ड एकड़ है।

रजिस्ट्रेशन स्टाफ की बात आई। इसमें वजन मालूम होता है हमने यह कलेक्टर्स से कही कि सीलिंग कानून के इम्पलीमेन्टेशन के लिए अगर रजिस्ट्रेशन स्टाफ की जरुरत हो तो बतायें। जिन जिन जिलों के कलेक्टर चाहे कि स्टाफ दिया जाय, तो हम दे देंगे। हम वाकई अमल में घिसा पट्टी की बात नहीं करना चाहते। भविष्य के लिए मैं कह सकता हूं कि बहुत सिन्सीयरिटी के साथ जो सीलिंग कानून है, इसकी क्रियान्विति की जायगी। स्टाफ की जरुरत होगी तो देंगे, एक्शन लेना होगा तो लेंगे, किसी न किसी तरह से आपके सामने सर ऊंचा करने की कोशिश करेंगे।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रामकिशोर व्यास : आपका कहना था कि हरेक जिले में कमेटी बनाई जाय.....

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्षजी, सीलिंग कानून के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। यह एक ऐसी बात है कि सन् 1958 से आज 1970 तक किसान को राजस्व विभाग ने ऐसी बीमारी लगा दी है कि उस बीमारी से किसान अभी तक पीड़ित है, क्योंकि उसको भय है कि सीलिंग कानून लगेगा। 1955 में लैंड रेवेन्यू एक्ट बना और बीच में, जो जो रुकावटें पैदा हुई, राजस्व मंत्री ने उसकी फिगर्स दे दी लेकिन तब तक किसानों की बीमारी नहीं मिटेगी जब तक सीलिंग कानून लागू न कर दिया जाय।

1958 से आज 1970 तक जब भी विधान सभा का सत्र चलता है, सीलिंग कानून की बात आती है और किसानों का दिल ऐसा हुच पुच होता है कि जो कहने लायक नहीं है क्योंकि सीलिंग कानून ऐसा बना दिया है किसान के लिए। इसलिए या तो इसको शीघ्र से शीघ्र लागू कर दिया जाय या स्थगित कर दिया जाय। मैं एक बात यहां कहना नहीं चाहता, यहां बीच में महिला सदस्या भी बिराजमान हैं क्योंकि

(श्री जगन्नाथ)

जमीन, कुर्सी और वह बीज मुश्किल से मिलती ह । इसलिए सीलिंग कानून आप जल्दी से जल्दी लागू कर दें और 1972 आन वाला है तब जो कुछ होगा देखा जायगा लेकिन यह बीमारी मिटायें और शीघ्र से शीघ्र सीलिंग कानून लागू करायें ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामानंद अग्रवाल के खड़े होने पर) चर्चा समाप्त हुई ।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : उपाध्यक्षजी, बार बार यह सवाल हर असेम्बली सेशन में आता है कि सीलिंग कानून के तहत ली हुई जमीन काश्तकारों को देंगे लेकिन होता कुछ नहीं है । आप राजा महाराजाओं का नाम लेते हैं लेकिन खुद कई राजा बनकर बैठे हैं । हर साल सीलिंग कानून की दुहाई देते हैं । अब महरबानी करके सीलिंग कानून लागू करें । जल्दी जमीन दिलाओ । कबजे आवे जमीन है । सीलिंग कानून जल्दी से जल्दी लागू करो । वरना थारीं दशा भी वा होगी जो थांरी म्युनिसिपेलिटी में हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त है । विराजो ।

श्री आलम अलीखां : जनता में अन्तर्रात्मा आ गयी है । सीलिंग लागू नहीं करोगे तो मामला दूसरा ही नजर आवेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

श्री भैरोंसिंह : चित्तौड़गढ़ सीमेन्ट फैक्टरी के सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट होने वाला था ।

श्री उपाध्यक्ष : वह होने वाला है ।

श्री भैरोंसिह : साथ ही करवा दीजिये ।

बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ की हड़ताल के सबन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : श्रम मंत्रीजी । बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी, चित्तौड़गढ़ पर स्टेटमेन्ट देंगे ।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स चित्तौड़गढ़ के श्रमिकों में फेक्टरी के प्रबन्धकों को 3-10-70 को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें 15 मांगे थीं । इससे पूर्व मांगों की सूची एक और मांग पत्र दिनांक 14-9-70 तक 30 प्रतिशत बोनस देने के लिये प्रस्तुत किया था, जब कि पेमेन्ट ऑफ बोनस एक्ट, 1965 के अन्तर्गत अधिकतम बोनस की सीमा 20 प्रतिशत है । यूनियन द्वारा यह भी नोटिस दिया गया था कि यदि इन मांगों पर समझौता नहीं हुआ तो वे दिनांक 5-10-70 को हड़ताल कर देंगे । बाद में यूनियन में हड़ताल करने की तिथि 19-10-1970 कर दी ।

उपरोक्त बातों में प्रारम्भिक वार्ता दिनांक 8-10-70 को चित्तौड़गढ़ में संयुक्त श्रम आयुक्त के समक्ष तथा दिनांक 12-10-70 को जयपुर में उनके तथा श्रम आयुक्त के समक्ष हुई, इसके अतिरिक्त प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा ने भी दिनांक 13-10-70 को समझौता वार्ता हेतु दोनों पक्षों को बुलाया था, लेकिन उनके समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ । यह भी ज्ञात हुआ कि 12 से 14 अक्टूबर तक दोनों पक्षों में आपसी बातचीत भी हुई ।

(श्री भाला भाई)

आपसी बातचीत के बाद दोनों पक्षों में बातचीत भी हुई। आपसी बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने श्रम विभाग को सूचित किया कि बातचीत असफल हो गयी है। दोनों पक्षों के रुख से यह स्पष्ट हो गया था कि समझाने का कोई आधार नहीं बन पाया है और समझौता किसी भी हालत में सम्भव नहीं है। यूनियन ने दिनांक 16-10-70 से हड़ताल करने की घोषणा कर दी थी। अतः राज्य सरकार ने श्रमिकों की मांगों को दिनांक 16-10-70 को एक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को रेफर कर दिया और इसकी सूचना दोनों पक्षों को दे दी। इसके उपरान्त भी श्रमिकों ने दिनांक 19-10-70 को एक दिन की हड़ताल की और यह घोषित किया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे 1-11-70 से पूर्ण व अनिश्चित काल के लिये हड़ताल कर देंगे। दिनांक 20-10-70 से कुछ विभागों के श्रमिकों ने, जिनमें मुख्य रूप से वर्कशाप तथा मेन्टीनेन्स विभाग के श्रमिक शामिल थे, टूल डाउन हड़ताल कर दी। प्रबन्धकों ने इस सम्बन्ध में समय समय पर नोटिस जारी कर श्रमिकों को चेतावनी दी कि वे ऐसा न करें, फिर भी श्रमिकों की टूल डाउन हड़ताल कुछ विभागों में जारी रही। तथा दिनांक 1-11-70 को श्रमिकों ने पूरी हड़ताल कर दी।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 23 व 24 के अन्तर्गत यह हड़ताल अवैधानिक थी, क्यों कि श्रमिकों ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद का रेफरेन्स पेन्डिग होते हुए भी, हड़ताल कर दी थी। राज्य सरकार ने 2-11-70 को एक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 (3) के अन्तर्गत इस हड़ताल को प्रतिबन्धित भी कर दिया था लेकिन इसके बावजूद भी हड़ताल चल रही है।

शान्ति व सुरक्षा की दृष्टि से दिनांक 8-11-70 को फैक्टरी एरिया में धारा 144 लगा दी गई है। कुछ व्यक्तियों ने लोको इन्जन व माल गाड़ी के डिब्बों को रोकने का भी प्रयत्न किया तथा फैक्ट्री के अधिकारियों का समय समय पर घेराव भी किया। कानून को भंग करने वाले लगभग 27 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। प्रबन्धकों में फैक्टरी के उत्पादन की व्यवस्था कर रखी है, जो श्रमिक काम पर जाना चाहते हैं वे स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। उनसे जबरदस्ती काम नहीं लिया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार तीनों शिफ्ट में कुल 500 श्रमिकों के स्थान पर लगभग 104 श्रमिक काम पर हैं इसके अतिरिक्त 130 श्रमिक ठेकेदारों के काम पर हैं। अब और श्रमिक काम पर आ रहे हैं तथा स्थिति शान्त है।

1.24 म० प०

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : इसी सम्बन्ध में गृह मंत्री की ओर से वक्तव्य दिया जावेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह) : सभापति महोदय, इस स्ट्राइक के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस फैक्ट्री में कुल पांच सौ श्रमिक हैं और उनमें से करीब 60 श्रमिकों ने आकर काम करना शुरू किया। दिनांक 4 व 5 नवम्बर, 1970 को श्री बी०

(श्री हीरालाल देवपुरा)

चौधरी ने बहुत ही उत्तेजना पूर्ण भाषण दिये और श्रमिकों को धरना पीकेटिंग करने के लिये उकसाया व प्रबन्धकों का नये श्रमिक काम पर लगाने से रोकने के लिए कहा। इसके फलस्वरूप हड़ताली श्रमिक व उनकी औरतें व उनके बच्चे रेल की पटरियों पर बैठ कर साइडिंग पर आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। इसी प्रकार जो अन्य मोटर गाड़ियों फेक्ट्री के अन्दर जा रही थीं उनको भी रोकने की कोशिश की। लेकिन कुशलता-पूर्वक स्थिति को नियंत्रण में रखने से मालगाड़ी के डिब्बे आदि को आने जाने से रोकने के प्रयत्नों को विफल कर दिया गया।

श्री बी० चौधरी एवं अन्य यूनियन नेताओं के उकसाने की कार्यवाही व श्रमिकों को गैर कानूनी कार्यवाही करने के लिये दिये गये भाषणों से शान्ति व व्यवस्था भंग होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। ऐसी स्थिति में श्री बी० चौधरी व अन्य सात श्रमिक नेताओं को जाब्ता फौजदारी की धारा 107 व 151 के तहत 6-11-70 को गिरफ्तार किया।

श्रमिक फैक्ट्री के मेन गेट पर खान के निकट वाले गेट पर इक्ट्ठे होते थे और उनकी मन्शा नये श्रमिकों व स्वेच्छा से काम पर जाने वाले श्रमिकों को व कच्चे माल को फैक्ट्री में ले जाने से रोकने की थी। श्रमिकों के साथ उनकी औरतें भी इस कार्यवाही में सम्मिलित थीं। लेकिन समझाने से व कुशल नियंत्रण से कोई घटना नहीं घटी। दिनांक 7 नवम्बर, 1970 को सुबह चार और श्रमिकों को जाब्ता फौजदारी धारा 107 व 151 में गिरफ्तार किया। उसी दिन करीब 11 बजे 25, 30 औरतें श्री हरिराम की धर्मपत्नी के नेतृत्व में फेक्ट्री के मेन गेट के बाहर एकत्रित हुई और प्रबन्धकों के खिलाफ व श्री बी० चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाये। इन औरतों के पास लाठियां, डण्डे व लोहे के छड़ हाथ में थे। वे मेन गेट पर पत्थराव भी कर रही थीं। करीब 25, 30 श्रमिक भी इन औरतों के साथ हो गये और इन सब ने मिल कर सेल्स मैनेजर की जीप को अन्दर आने से रोका और उसको चारों तरफ से घेर लिया। शान्ति भंग होने के अन्देशे के कारण उस वक्त 14 आदमियों को गिरफ्तार किया। इससे औरतें नाराज हुई और उनका मजमा उग्ररूप धारण करने लगा क्योंकि उनके हाथ में लाठियों और लोहे की छड़ें थीं। पुलिस ने तरकीब से औरतों से लाठी और छड़ें छीन लीं। इस प्रकार 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने व लाठी छीनने से स्थिति शान्तिपूर्ण हो गई और औरतें भी वहां से चली गईं।

हड़ताली श्रमिक फैक्ट्री के उन गेटों पर इकट्ठा होते रहे जहां से कच्चा माल फैक्ट्री में जाता है। उन्होंने भरी सामान भरने की शोवल मशीन को कार्य करने से रोका और उनकी मन्शा यह भी थी कि रेल्वे साइडिंग से आने वाले डिब्बों को रोकें। इस पर धरना देने की नियत होने से एस० डी० एम०, चित्तौड़गढ़ ने फाक्ट्री एरिया व कॉलोनी में धारा 144 जाब्ता फौजदारी के अधीन पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठ होने व अपने साथ शस्त्र लेकर घूमने पर प्रतिबन्ध लगाया। यह प्रतिबन्ध 8 नवम्बर, 1970

(श्री हीरालाल देवपुरा)

से 16 नवम्बर 1970 तक के लिये लगाया गया। प्रतिबन्ध लगाने से श्रमिकों का धरना खत्म हो गया और फक्ट्री में कच्चे माल के जाने की कार्यवाही बिना किसी प्रतिरोध के शुरू हो गई। करीब 25 श्रमिक उदयपुर से आये जो कि इन हड़ताली श्रमिकों के समर्थन में शामिल होना चाहते थे। इनमें से करीब 11 व्यक्तियों ने धारा 144 का उल्लंघन करने की कोशिश की। अतः उन्हें 8 तारीख को शाम को 6 बजे गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात् जब जब धारा 144 का उल्लंघन किया तब गिरफ्तारी की गई।

इस प्रकार अभी तक कुल 32 व्यक्तियों को धारा 107, 151 के अधीन गिरफ्तार किया जिसमें से 6 अन्तरिम जमानत देने पर रिहा कर दिये और शेष जुडिशियल हिरासत में हैं तथा 74 व्यक्तियों को धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन गिरफ्तार किया कुल 106 व्यक्ति गिरफ्तार हुए।

फक्ट्री में 50 श्रमिक वापिस हाजिर हो गये और करीब 100 केजुअल लेबर की सहायता से नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्थिति को बड़ी कुशलता से सम्भाला और कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी है। श्रमिकों की गर कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए उचित कार्यवाही की गई परन्तु संयम व कुशलता से। महिलाओं व बच्चों को पीटने व अन्य कार्यों के सम्बन्ध में जो दोषारोपण किये जा रहे हैं वह सर्वथा निराधार हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, बिड़ला सीमेन्ट फक्टरी चित्तौड़गढ़ में गत 1 नवम्बर से हड़ताल चल रही है इस सिलसिले में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उस सम्बन्ध में श्रम मंत्रीमहोदय ने और राज्य गृह मंत्रीमहोदय ने वक्तव्य द्वारा जो तथ्य सामने रखें हैं वे बिल्कुल भ्रामक हैं, असत्य हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं सुखाड़िया सरकार एण्टी लेबर और प्रो-केपेटिलिस्ट पोलिसी को दर्शाने वाला है। मेरा यह निवेदन है कि जो सही स्थिति वहां की थी उसका सही दिग्दर्शन इस सदन के माननीय सदस्यों को कराना चाहिये था। श्रम मंत्रीमहोदय द्वारा एक बात कही गई कि मजदूरों द्वारा जो हड़ताल की गई है वह अवैधानिक है। मामला इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया इसके बाद हड़ताल अवैधानिक है। मैं मंत्रीमहोदय से पूछना चाहता हूं कि इण्डस्ट्रियल टिब्यूनल को मामला सौंपने के बाद मजदूरों को नौकरी से निकाल देना उनको ससपेण्ड कर देना क्या यह अवैधानिक नहीं है वह बात आपने क्यों नहीं कही ? आपको यह कहना चाहिये था कि मैनेजमेंट ने सत्तर मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया 15 मजदूरों को ससपेण्ड कर दिया यह बात आपने नहीं रखी। जो तथ्य है वह तो आपने रखा नहीं है आपका वक्तव्य है वह एक्स पार्टी है एक पक्षीय वर्णन है आपका यह वर्णन मैनेजमेण्ट को मदद पहुंचाता है और मजदूरों के हकों पर कुठाराघात करने वाला है......

श्री भैरोंसिंह : यह सारा वक्तव्य ही मैनेजमेन्ट ने लिखकर दिया है। मैनेजमेन्ट भी इससे ज्यादा अच्छा वक्तव्य नहीं दे सकता था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह स्थिति है तो वास्तव में और भी खेदजनक है। आज इस सदन में राज्य सरकार द्वारा वक्तव्य दिया गया वह उस मैनेजमेण्ट द्वारा समाचार पत्रों में दिये गये वक्तव्य की कापी के अलवा कुछ नहीं है। मैनेजमेण्ट ने जो तथ्य सामाचार पत्रों में बताये हैं वे ही तथ्य माननीय मंत्री महोदय ने सदन में रखे है उसमें कोई अन्तर नहीं है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 8 नवम्बर को उदयपुर जिले की सभी यूनियन के 30 व्यक्तियों ने भगवत भंडारी की अध्यक्षता में माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे क्या मुख्य मंत्री जी ने उनको आश्वासन नहीं दिया कि मजदूरों की मांगों का शीघ्र ही निपटारा कर दिया जायगा ? क्या इस प्रकार के आश्वासन के बावजूद जिस प्रकार का पुलिस का दमन पुलिस के अत्याचार वहां हुये हैं उसके बारे में अधिक कुछ कहना नहीं चाहता। इस सम्बन्ध में चित्तौड़ के नागरिकों की तरफ से और उदयपुर की मजदूर यूनियन के नेताओं ने जिनमें श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत जो कांग्रेस के पिछलग्गू हैं आपकी गोद के बैठे हैं उनको छोड़कर सारे लोगों ने एक मत होकर सारे पुलिस दमन की आलोचना और निन्दा की है। इस संबन्धी जो तथ्य आये हैं जैसा कि राज्य गृह मंत्री महोदय ने कहा कि महिलायें लकड़ियें लेकर आ गई और पटरियों पर बैठ गयीं इसलिये उनको गिरफ्तार किया है। सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं पुलिस द्वारा क्या क्या किया गया 8-11-70 को शाम को जब महिलाऐं धरने पर बैठी हुई थी उनसे धक्का मुक्की की गई उनके कपड़े फाड़ दिये गये हैं क्या इस प्रकार की हरकतें पुलिस द्वारा नहीं की गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं पुलिस द्वारा मजदूरों को पकड़ पकड़ कर जंगल में लेजाकर दूर दूर छोड़ा गया। आज दिन तक कई मजदूर तो घर पर नही पहुंच पाये हैं उनका कोई पता नहीं उनको कहां लेजाकर छोड़ा गया है, उनके साथी जानना चाहते हैं। आज भी बहुत से लोग गिरफ्तारी में हैं वे चितौड़ की जेल में नहीं। पता नहीं कौन से काले पानी में लेजाकर उनको छोडा गया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी वहां हुआ है उस फैक्टरी के लोगों के मेरे पास तार आये हैं उनमें यह लिखा है चितौड़ की सीमेन्ट फैक्टरी में हड़ताल जारी है मजदूरों को नंगा कर के पीट रहे हैं और उनको गिरफ्तार करके जंगलों में दूर लेजाकर छोडा गया है, उनके पास रुपये पैसे और सामान रहता है उसको छीना जाता है। हड़ताल के समय महिलाओं और बच्चों पर लाठियां चलायी गई हैं। मजदूर महिलाओं पर यह सरकार लाठियां चलायें उनको नंगा करके कपडे फाडे तो मैं समझता हूं इस हकूमत को जंगली हकूमत की संज्ञा के अलावा क्या संज्ञा दी जा सकती है ? इस प्रकार के कारनामों के बारे में मंत्री महोदय कोई जवाव दे सकते हैं ? जितने भी सीमेन्ट फैक्टरी के मजदूरों को गिरफ्तार करके महिलाओं को पीटना, बच्चों को पीटना कपड़े फाड़ना नंगा करके लोगों को पीटना क्या यह आपको शोभा देता है ? आपने तथ्य सामने नहीं रखे वहां जो कुछ हुआ है वह राजस्थान के श्रम विभाग को निकम्मापन का द्योतक है। राजस्थान का श्र म

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विभाग मानो एक तरह से मैनेजमेन्ट का ही पक्ष लेता है मजदूरों की जो मांगें होती हैं उसके बारे में कभी भी महानुभूति से विचार करने का कष्ट नहीं करता इस तरह का व्यवहार किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। आज 17 दिन हो गये हैं उनकी हड़ताल चल रही है उसका कोई रास्ता निकाल करके कन्सीलियेशन नहीं हुआ, समझौता वार्ता नहीं, इन सब अभावों के होते हुए आपने इस मामले को इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। मजदूरों की हड़ताल होगी वह गैर कानूनी होगी आज उनको इस आधार पर विक्टीमाइज किया जा रहा है। इस तरह से आज राजस्थान सरकार मजदूरों को ललकार रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप इस तरह की चेष्टा न करें इससे केऔस उत्पन्न होगा और हमारा उत्पादन गिरेगा।

आज अपने आपको मजदूर हितैषी मानने वाली सरकार मजदूरों के हितों पर कुठाराघात कर रही है, आज उन पर पुलिस दमन होता है उनको नंगा करके मारा पीटा जा रहा है इसी प्रकार का सरकार का रवैया रहता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मजदूरों की जो मांगे हैं उनका समर्थन करेंगे। राज्य द्वारा पुलिस कर्मचारियों द्वारा और चितौड़ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिस तरह मैनेजमेन्ट का साथ दिया जा रहा है इससे आप मजदूरों को किस प्रकार से सन्तुष्ट कर पायेंगे यह मैं नहीं कहना चाहता लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा इस प्रकार का अनुचित संरक्षण आपका प्रशासन और पुलिस विभाग मैनेजमेन्ट को दे रहा है और मजदूरों को दबाया जा रहा है। यह मैं मानता हूं यह सेठों के साथ आपकी कोन्सपिरेंसी है इसलिए आप मजदूरों को दबाना चाहते हैं। आपका लेबर डिपार्टमेंट, जहां लेबर का पक्ष उसको लेना चाहिये वह मैनेजमेन्ट के कहे अनुसार कार्य करता है आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं सरकार तो अपने रास्ते से दूर हटने वाली नहीं मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे सरकार की इस प्रकार की मजदूर विरोधी नीति का पर्दा फाश करें और इसका विरोध करें।

आज राजस्थान में जिस प्रकार गरीब मजदूर का शोषण हो रहा है उसका शोषण प्रशासन द्वारा होरहा है आज जिस प्रकार की नीति सरकार की प्रो केपीटलिस्ट और मजदूर विरोधी बनती जा रही है उस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिये आज उसमें परिवर्तन करवाने की आवश्यकता है। आज राजस्थान के मजदूर में डिस-कन्टेंटमेन्ट है वह त्रस्त है इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिये। आज चितौड़ बिला सीमेन्ट फैक्टरी की मांगे उचित है उसके बारे में राजस्थान सरकार सही दृष्टिकोण अपनायें और पुलिस के माध्यम से उनको दबाने की चेष्टा न करे। यही मेरा निवेदन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्रीजी ने और राज्य मंत्री गृह विभाग ने जो वक्तव्य दिये हैं उसको मैं गम्भीरता से सुन रहा था। मैं जानना चाहूंगा श्रम मंत्रीजी से उन्होंने जो कांसीलियेशन प्रोसीडिंग्स उनके डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू की गई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वह कन्सीलियेशन प्रोसीडिंग्स किस मुद्दे पर टूटी ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको श्रम मंत्रीजी छिपा रहे हैं। श्रम विभाग का इस पर क्या असेसमेंट था ? आया श्रमिक लीडरों का रूप या श्रमिकों का रूप अनरीजनेबल मालूम पड़ रहा था जोकि मैनेजमेंन्ट का रूप मालिकों का रूप उसमें उनको अन-रीजनेबल मालूम पड़ रहा था। यह एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ साथ यह भी बात है कि इसको एडज्यूडिकेशन को जब रेफर किया गया तो क्या श्रमिक संगठन या श्रमिक लोग इस बात से सहमत थे और क्या उनके कहने पर या उनकी रजामंदी पर आपने इसको किया या मालिकों की रजामन्दी से इसको किया। सभापति महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं यह पूछता हूं कि श्रम विभाग की यह नीति होनी चाहिये कि वह वास्तव में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये है ? यह कन्सीलियेशन प्रोसिडिंग्स इस बुनियाद पर पर टूटी कि उसमें मेनेजमेंट का रुख अनरिजनेबल है और श्रमिक यह मांग करें कि हम कलेक्टिव बारगेनिंग के जरिये हल न करके इस मामले को एडज्यूडिकेशन के लिये रेफर कर दिया जाये तब ही श्रम बिभाग को यह मामला एडज्युडिकेशन के लिये रेफर किया जाना चाहियें और अगर मालिकों का रुख एडामेंट है और मजदूरों का नहीं हैं और फिर मजदूरों की इच्छा के खिलाफ, जबकि मजदूर तैयार है कलेक्टिवली बारगेन के लिये, कोई मसला हल करने के लियें, उस पर आप इस मामले को एडज्यूडिकेशन रेफर कर दें तो यह एम्पलाईज को डिपार्टमेंट नहीं फिर आप वहां पर एम्लायर की रक्षा करने के लिये वहां पर बैठे है और उसके लिये, उसकी रक्षा के लिये कानून का इस्तेमाल करना चाहते हैं। श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी एडज्युडिकेशन का मामला रेफर न करे जब तक कि मजदूरों की तरफ से कोई मांग न हो, जब तक कि मजदूर इसके लिये रजामन्द न हो कि इसको एडज्यूडिकेशन के लिये रेफर कर दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब स्थिति को देखिये कि मेनेजमेंट है, अनरीजनेबल है और मजदूरों को अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिये उनको जो हड़ताल करने का अधिकार है, उसको न करने दिया जाय और फिर सरकार का गृह विभाग एक दम से हड़ताल को गैरकानूनी करार देता है और गृहविभाग अपनी पुलिस उन मालिकों की रक्षा के लिये जो कि एडामेंट थे रीजनेबल बात पर नहीं झुक रहे थे श्रम विभाग के मीडिएशन को स्वीकार नहीं किया, उनके कहने पर यह विभाग अपनी पुलिस को भेज देता है और उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब यह है कि आप इस एम्लायर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और जो मजदूरों के अपने अधिकार नहीं देना चाहते हैं और जो श्रमिकों के हितों को आपकी ताकत के बुनियाद पर कुचलना चाहते हैं, कुचलने की कोशिश कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो भी कुछ हुआ है कि यह उस तरीके से हुआ है कि यह सिर्फ आइसोलेटेड इन्सीडेंट नहीं है। सभापति महोदय मेरा आरोप है कि श्रम विभाग वास्तव में राजस्थान में मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये नहीं बैठा हुआ है। यह सही मायने में साहू जैन, बिड़ला और केपिटलिस्टों की रक्षा के लिये बैठा हुआ है। हमेशा इस तरीके के मामलात पैदा हुए हैं और जब तक मालिक नहीं चाहते हैं और नहीं कहते हैं एडज्यूडिकेशन के लिये न तो रेफर करते हैं और न ये करेंगे। मजदूर यह मांग करते रहें कि इस मामले को कम से कम रैफर कर दें तो यह गवर्नमेंट नहीं करेंगी। इसी तरह का दृष्टिकोण मजदूरों के सम्बन्ध में श्रम विभाग का रहा है और जो पिछले साल सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्टरी में हड़ताल हुई थी, और जो दृष्ठिकोण सरकार की तरफ से अपनाया गया था आज वही रिपीटिशन वहां पर हुआ है और गृह विभाग की ओर से जो सवाई माधोपुर में अपनाया गया था आज वही रिपीटिशन वहां पर हुआ है और वही रिपीटिशन चित्तौड़गढ़ की बिड़ला सीमेंट फैक्टरी में हो रहा है। सभापति महोदय आखिर बुनियाद इसकी क्या है ? इसके पीछे वहां सवाई माधोपुर में भी इन्टक के नेतृत्व में हड़ताल हुई थी और इन्टक लीडर बी० चौधरी के नेतृत्व में यह हड़ताल हुई है और श्री गुलजारी लाल नन्दा जो इस समय भारत सरकार के मंत्री हैं उस समय इस इन्टक के प्रेसीडेंट थे, उनकी पार्टी से, उनके कहने से यह हड़ताल हुई है और वहां पर भी बी० चौधरी के नेतृत्व में हड़ताल हुई और सरकार ने पुलिस को भेज कर जबरदस्ती इसका दमन किया है और मालिकों की रक्षा की है। और बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी के अन्दर भी यही बी० चौधरी इन्टक के लीडर हैं। ये एक गुट के लीडर हैं, राजस्थान की इंटक दो गुटों में बटी हुई है, एक श्री दुर्गाशंकरजी दुर्गावत जो कि इन्टक के अध्यक्ष हैं, जिनके कि खिलाफ 420 के मुकदमे चल रहे हैं, जिनके कि खिलाफ गबन के मामले चल रहे हैं और इस के लिये उन्हें अदालत के कठघरे में पेश होना पड़ता है। आज राजस्थान में जो दूसरा गुट इन्टक का है उसके नेता ये. बी० चौधरी हैं.....

श्री सभापति : इन्टक इज नाट अन्डर कन्सीडरेशन सर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन इसकी बुनियाद है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से तिरंगा झंडा लेकर मजदूरों में काम करने वाला इस संगठन के नेता हैं, उनकी भी यह मांग है और उसी की यह सरकार और उसी का यह श्रम विभाग.....

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन्टक के नेता रमेशचन्द्र व्यास हैं।

श्री रामानंद अग्रवाल : वो होंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : दुर्गाशंकरजी दुर्गावत प्रेसीडेन्ट नहीं है।

श्री रामानंद अग्रवाल : खैर सेक्रेटरी होंगे। आप कौन से गुट में हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं आपके खिलाफ हूं।

श्री रामानंद अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों के हितों पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कुठाराघात करके राजस्थान सरकार का श्रम विभाग, राजस्थान सरकार का गृह विभाग और पूरे-राजस्थान का मंत्रिमण्डल इन्टक के श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत के गुट को मजदूर संगठन पर छाने के लिये मिल मालिकों के साथ मिला हुआ है यह गुट।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह गलत है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चाहे बिड़ला हो, चाहे साहू जैन हो, ये सारे के सारे दुर्गाशंकर दुर्गावत एण्ड कम्पनी जिसको कि मुख्य मंत्री का संरक्षण प्राप्त है और अब तो ऐसा मालूम होता है कि मुख्य सचेतक का भी उन्हें संरक्षण प्राप्त है......

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत है । यह संगठन मजदूरों के हितों के लिये लड़ता है.... (शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप क्यों वकालत कर रहे हैं । आपने इन लोगों से अपने स्वार्थ सिद्ध किये हैं? (शोरगुल)

(1.48 म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

आप गुलाम हैं (शोरगुल—अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप लोग काम नहीं कर रहे हैं मजदूरों का....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

(श्री गिरधारीलाल व्यास एवं श्री देवीदत्त गाड़िया साथ साथ बोलते रहे—शोरगुल—अश्रव्य ।)

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने इनका चंदा खाया है ।

श्री दौलतराम सारण : व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : यस, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह जो मुख्य सचेतक हैं इनको पब्लिक फंड से 1225/- क्या इसलिये दिया जाता है कि ये इस हाउस के कार्य संचालन में, इसकी व्यवस्था बनाने में आसन को सहयोग करने की अपेक्षा उसमें व्यवधान उपस्थित करें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप यह गलत बात कह रहे हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : चित्तौड़ की सीमेन्ट फैक्टरी से लाखों रुपयों का चंदा लेकर आपने खाया है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जब जब भी इस हाउस में डिसऑर्डर पैदा होता है उसके एक कारण मुख्य सचेतक रहे हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दूसरा कारण?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि अगर ये मुख्य सचेतक नहीं रहें तो हाउस ज्यादा शांति के साथ, व्यवस्था के साथ चल सकता है जब से ये मुख्य सचेतक बने हैं ये डिसआर्डर को पैदा करने के बहुत बड़े कारण रहे हैं और डिसऑर्डर पैदा करते हैं इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा

(श्री दौलतराम सारण)

निवेदन है कि व्यवस्था बनाये रखने के लिए इन्हें........

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री दौलतराम सारण : व्यवस्था बनाये रखने के लिये मुख्य सचेतक को आप निर्देश दें कि अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास नहीं करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि...

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो बात रामानन्द जी ने कही वह असत्य है। उसमें कोई तथ्य नहीं है। माननीय रामानन्द जी ने गलत बात कही है इसलिये मैंने कहा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपकी आदत है बीच में बोलने की।

श्री गिरधारीलाल व्यास :
श्री देवीदत्त गाड़िया : (दोनों माननीय सदस्य साथ साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य सचेतक हमेशा बाधा डालते हैं। ये इसके योग्य नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके सर्टीफिकेट की आवश्यकता नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : सामान्य नियमों को भी मुख्य सचेतक महोदय नहीं समझते हैं—कब बोलना चाहिये, किस तरह बोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं समझा देता हूं।

श्री दौलतराम सारण : कोई बात का विरोध करना है तो किसी पार्टी के सदस्य से कहलवानी चाहिये। यह खेद है कि भोंपू की तरह खड़े होकर बोलने लग जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन्टक से हमदर्दी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वे डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। यह अस्वस्थ परम्परा है। मैं माननीय रामानन्द जी से निवेदन करूंगा, स्टेटमेंट जब दिया जाय तब हमारे यहां की परम्परा के अनुसार उक्त वक्तव्य पर केवल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। प्रश्नों में सहूलियत पूरी दी जाती रही है। भाषण की परम्परा बनाई जाना उपयुक्त नहीं। हम अपनी रूल्स को रिलेक्स कर रहे हैं। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में यह प्रश्न कई बार आया। माननीय सदस्यों की सहमति थी कि प्रश्नों में ज्यादा सहूलियत दी जाय उस सम्बन्ध में आप कृपया अपना भाषण प्रश्नों के रूप में रखें। मैं माननीय सदस्य, मुख्य सचेतक से भी निवेदन करूं और इधर भी निवेदन करूं.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्हीं से निवेदन करें।

श्री अध्यक्ष : दोनों ओर से निवेदन है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उन्हें यह भी निवेदन कर दिया जाय.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रामचन्द्र आर्य।

श्री रामकिशन : इनका नाम बड़ी जल्दी ले लिया।

श्री अध्यक्ष : बिजनैस बहुत देर से चलता रहा है। मैं चाहता हूं माननीय सदस्यों का सहयोग इसमें रहे और कोई उद्विग्नता न रहे। मुख्य सचेतक भी सीमा में रहें। इधर से मैं न कहूं और मौन रहूं तो आप समझ जायं।

श्री दौलतराम सारण : वैसे ही हम तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य रखते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं आपकी आज्ञा से प्रश्नों के रूप में फ्लेक्सेबिल तरीके से चलता हूं।

श्री अध्यक्ष : शनैः शनैः आप वापिस उसी स्टेज पर आ जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था इस हड़ताल के पीछे भी वही सरकार की नीति है जो कि इन्टक के अन्दर दोनों की लड़ाई और एक विशेष गुट को लाभ पहुंचाने के लिये मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करके उनके वर्चस्व को समाप्त करना है। इसलिये मैं जानना चाहूंगा श्रम मंत्रीजी, क्या यह बात सही नहीं है कि श्री......

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी थोड़ी देर पहले व्यवस्था दी इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाये जायं जिनसे अव्यवस्था उठे। आपने मुझे जो निर्देश दिया वह शिरोधार्य है और उस आज्ञा का पालन कर रहा हूं लेकिन माननीय सदस्य ने फिर उसी प्रश्न को लेकर इन्टक की बात कही जो यहां कोई ताल्लुक नहीं रखती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गिरधारी लालजी, नहीं है तो कह दिया जायगा। इस समय तो व्यवधान न डालें।

श्री भैरोंसिंह : इस तरह से ताड़ना देंगे तो गुस्से में आकर त्याग-पत्र दे देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा यही निवेदन है आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कोई बात कहनी हो तो तो बाद में समय देकर......

श्री अध्यक्ष : वह मैंने कह दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करूंगा और श्रम मंत्री से जानकारी चाहूंगा क्योंकि यह सब उनकी जानकारी में रहता है। आया जो हड़ताल का संचालन करने वाले बी० चौधरी हैं वह इन्टक से सम्बन्धित हैं और क्या यह सही है कि इंटक के जनरल सेक्रेटरी श्री दुर्गा शंकर दुर्गावत वह इन्टक में होते हुए भी इन्टक द्वारा संचालित हड़ताल का विरोध कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नं० 1।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा गृह विभाग ने वहां पर पुलिस भेजी और क्यों भेजी ? जो गृह विभाग से स्टेटमेंट दिया गया है उसमें 6 तारीख से पूर्व कोई ऐसी घटना का उल्लेख नहीं किया जिसमें लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन ब्रेक होती हुई नजर आती हो। तो जब हड़ताल में लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रियेट नहीं हुई तब पुलिस भेजकर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, जब तक सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की नीति यह न बन जाय कि श्रमिकों का शोषण कर मालिकों को प्रोत्साहन देना है। इसलिये मैं चाहूंगा कि यह पुलिस कब भेजी, क्यों भेजी और पुलिस भेजने की क्या स्थिति बनी थी? तीसरी बात जो बी० चौधरी को गिरफ्तार किया गया, आपने बताया 6 तारीख को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ आपने कोई आरोप लगाये या उन्होंने कोई भाषण दिया और इस कार का उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया और आपने उसको दफा 107 और 151 में गिरफ्तार किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भाषण उत्तेजनापूर्ण रूप का हो तो आई० पी० सी० की और दफायें लागू हो सकती थीं लेकिन यह 107 और 151 की दफा में किसकी जान का खतरा पैदा हो गया था, कौनसा लॉ एन्ड ऑर्डर खत्म हो गया था जिसके तहत आपने यह दफा 107 की कार्यवाही की? कोई आप प्रिवेन्टिव एक्शन लेते तो ठीक था लेकिन आप एम्प्लॉयर की मदद करना चाहते हैं। श्रमिकों को नेतृत्व विहीन करना चाहते हैं इसलिये आपने इस तरह की कार्यवाही की है जिसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। चौथी बात मैं यह जानना चाहूंगा आपने जो महिलाओं का जिक्र किया कि वे पिकेटिंग कर रही थीं। आपने कहा उनके पास लाठियां थीं, छड़ें थीं। मर्द भी वहां मौजूद थे लेकिन मर्दों के पास लाठियां और छड़ें नहीं थीं। यह बात मैं समझता हूं कोई भी सामान्य नागरिक की समझ में नहीं आ सकती है। यह सफेद झूठ के अलावा कुछ नहीं है। सिवाय इसके कि आपका कहना कि उपद्रवी भीड़ आई और आपने गिरफ्तारी की। आपने कहीं नहीं कहा कि उस गिरफ्तारी से पूर्व किसी भीड़ ने किसी को मारा है, किसी का कुछ भी किया हो, किसी ने लाठी चलाई हो या किसी ने छड़ी चलाई हो और न आपने यह कहा मर्दों के पास लाठियां थीं—इसलिये यह सब बनावटी है और यह बात नहीं हो सकती है कोई उपद्रव करने के लिये आये तो मर्द बहुत शान्तिपूर्ण तरीके से चलें और बिना हथियार के चलें और औरतें हथियार लेकर चलें। यह जो तथ्य है यह समझ में नहीं आते हैं। जब इस प्रकार की घटना नहीं हुई तो आपने सारी गिरफ्तारी क्यों की? आपने कहा बड़ी तरकीब से औरतों से लाठियां और छड़ियां छीन लीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह लाठियां और छड़ियां किसने छीनीं? क्या महिला पुलिस आपकी वहां मौजूद थी? और अगर महिला पुलिस मौजूद नहीं थी तो क्या जेन्ट्स की पुलिस ने यह सब कार्यवाही की और अगर की है तो आपने डिसिप्लिन को तोड़ा है। उन औरतों पर हमला कैसे किया और उनके साथ कैसे छीना झपटी की?

मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं यह सारे जो प्रश्न हैं और आपके जो जवाब हैं उनसे स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। मैं यह समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार को इस मामले को न्यायाधिकरण को भेजने का कोई औचित्य नहीं था, कोई काम नहीं था और अभी भी सरकार ने जो इसको गैरकानूनी हड़ताल घोषित की वह बिल्कुल नावाजिब और मालिकों की मदद करने के लिए की। सरकार को अपना यह दृष्टिकोण बदलना चाहिए। इस हड़ताल को जो गैरकानूनी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

घोषित किया इसको गैरकानूनी से हटाकर इस एडजुडीकेशन को वापिस लेना चाहिए और जो गिरफ्तार किये गये हैं उनको अनकन्डीशनली रिहा करना चाहिए क्योंकि इनके स्टेटमट में जो भी चार्जेज इन्होंने बताये हैं या तो दफा 188 में है, 144 का उल्लेख है, या 107 और 151 में है आप बतायें उनमें किस जगह वायोलेशन हुआ है? ऐसी स्थिति नहीं थी। आखिर मजदूर जब हड़ताल करेंगे तो उसमें पिकेटिंग भी होती है, उसमें लोग इकट्ठे भी होते हैं। आपका यह सारा कदम हड़ताल तोड़क था और मजदूर विरोधी था और मालिकों के पक्ष में था। आपकी यह एन्टी-लेबर प्रेक्टिस थी और यह कार्यवाही चाहे श्रम विभाग की हो या गृह विभाग की हो। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने एकतरफा रुख अपनाया है और सरकार को अपना दृष्टिकोण बदल करके समझौते का दुबारा प्रयत्न करना चाहिए और सब लोगों को अनकन्डीशनल रिहा करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मजदूरों का विवाद मालिकों के साथ कब से था और विवाद में मुद्दे क्या क्या थे? दूसरा प्रश्न यह है कि मजदूरों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए श्रम विभाग ने मालिकों के साथ किस रूप में क्या प्रयास कब किये? तीसरा प्रश्न यह है कि श्रम विभाग ने उनकी मांगों पर क्या किया और मालिकों ने क्या कार्यवाही की? इसके अलावा क्या यह सही है कि श्रम विभाग पर मालिकों की तरफदारी करने का आरोप मजदूरों ने लगाया था? जैसा कि श्रम विभाग ने नाराज होकर आगे जो आपने स्टेटमेन्ट में कार्यवाही ट्रिब्यूनल की स्थापना की बताई वह की? इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हड़ताल एक तारीख के पहले हुई और 8 तारीख तक सारा मामला चलता रहा और 8 तारीख को धारा 144 लगा दी गयी और उसके बाद में 2 तारीख को हमारा यह सदन चला तो 2 तारीख से लेकर जब तक इसको एजीटेट इस प्रश्न को यहां नहीं किया गया तब तक आपने इतनी गम्भीर स्थिति होते हुए भी एक बहुत बड़ा कन्सर्न जिसमें 13–14 वैगन रोज सप्लाई होते हैं, उसका प्रॉडक्शन बन्द हो गया, सारा उत्पादन सिमेन्ट का बन्द हो गया.....

श्री भोलाभाई: प्रॉडक्शन बन्द नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: वह आप बाद में कह देना।

श्री दौलतराम सारण: उसके बाद भी आपने जरूरत नहीं समझी कि सदन के सामने सारी परिस्थिति को रखते? आपने धारा 144 लगा दी और जितने भी मजदूरों को वैधानिक अधिकार हैं उन सब पर आपने प्रतिबंध लगा दिया—वह न तो मीटिंग करने की स्थिति में थे, न मांगों को एजीटेट करने की स्थिति में थे। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति होने के बाद भी वहां लाठी चार्ज हुआ, वहां पर अरेस्ट्स भी हुई उसके बाद में भी न श्रम विभाग और न गृह विभाग ने हाउस को अवगत कराने की आवश्यकता महसूस की और जब माननीय अध्य

(श्री दौलतराम सारण)

महोदय के सामने निवेदन किया उसके बाद भी आप बैठे रहे। आसन की तरफ से ही व्यवस्था देकर सदन में यह वक्तव्य दिलाया गया है। 2 तारीख के बाद इतने दिनों के उपरान्त 15-16 दिन तक आप चुप रहे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा माननीय रामानन्दजी अग्रवाल ने कहा यह स्पष्ट है कि राजस्थान के अन्दर श्रम नीति मजदूरों के हित में नहीं है बल्कि मजदूरों में और विवाद पैदा करवाये जाते हैं। राजनैतिक तौर-तरीकों से बाहर से हस्तक्षेप करके मजदूर नेतृत्व को डिस्टर्ब किया जाता है और मालिकों से पैसा बटोरने के लिए मजदूरों के प्रति अन्याय किया जाता है और इसीलिए यह जगह जगह विवाद होते हैं, अनावश्यक हड़तालें होती हैं और इससे उत्पादन में हानि होती है, राष्ट्र की सम्पत्ति को नुकसान होता है और मजदूर विक्टीमाइज़ होते हैं और जो श्रम विभाग की जिम्मेदारी है वह बीच में आकर न टाइम पर समझौता कराता है और न वाजिब मांगों के लिए मैनेजमेन्ट को प्रेस करता है। शासन मजदूरों को दबाने के लिए आगे आ जाता है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के द्वारा मैं यह जानना चाहता हूं श्रम मंत्री और गृह मंत्रीजी से कि शासन को क्या जरूरत पड़ी कि वह मजदूरों के खिलाफ जैसे विदेशी आक्रमण हो गया हो इतनी सजधज के साथ मजदूरों के सामने खड़ा हो गया और जितनी उसके पास कानूनी शक्ति थी वह श्रम विभाग और गृह विभाग ने अपने हाथ में ले ली और श्रमिकों के मुंह बन्द करने की चेष्टा की गई, लाठी के बल पर, शासन के अधिकारों के बल पर। न तो उनके साथ सहानुभूति के साथ विचार किया गया और न उनकी वाजिब मांगों का निराकरण करने की, उनको पूरा कराने की चेष्टा की गयी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी और गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले वह यह बतायें कि इस हड़ताल के बाद जब कलेक्टिव बारगेनिंग की पोजीशन चल रही थी, किसी प्रकार की कोई शांति भंग नहीं हुई—जैसा कि आपके वक्तव्य से भी झलक निकलती है तो उस स्थिति में उस कलेक्टिव बारगेनिंग के मसले में इन्टरवीन करने की गरज से किस के बुलाने पर आपने पुलिस वहां भेजी? क्या यह पुलिस मालिकों की तरफ से वहां पर भेजने के लिए आपसे आग्रह किया गया? या श्रम विभाग की तरफ से आपको आग्रह किया गया था? या मजदूरों ने आपसे आग्रह किया था कि मालिक हम पर कई प्रकार के अन्याय कर रहे हैं इसलिए उनसे बचाने के लिए पुलिस भेजी जाये? तो मैं पहले यह जानना चाहूंगा कि किस आधार पर आपने पुलिस भेजी?

आपकी पुलिस ने जाने के बाद क्या इस प्रश्न की भी जांच की है कि सारी कलेक्टिव बारगेनिंग के अन्दर मजदूर अपने अधिकारों के अन्दर हड़ताल की कार्यवाही कर रहे हैं? और इस प्रकार की शांतिपूर्ण कार्यवाही में हमें अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और क्या पुलिस की पार्टी जो गई उन्होंने उच्चाधिकारियों को सूचना दी है कि इस

(श्री भैरोंसिंह)

कलेक्टिव बारगेनिंग के अन्दर शांति और व्यवस्था भंग हुई है और इसलिए हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूस हुई और इन कारणों से हस्तक्षेप कर रहे हैं?

दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आपने कहा है और बहुत ही साइस्ता ढंग से कहा है कि महिलाओं के हाथ से लाठियां और लोहे की छड़ें छीन लीं। लेकिन आपके वक्तव्य से प्रकट होता है कि उस समय धारा 144 लगी हुई नहीं थी। आपने यह अवश्य कहा कि महिलायें हिंसक होने की स्थिति में पहुंच गई थीं। तो मैं जानना चाहूंगा कि पुलिस को कौन से कानून के अन्दर अधिकार मिले हैं कि धारा 144 के लगाये विना आप किसी व्यक्ति के हाथ से लाठी या लोहे की छड़ें छीन सकते हैं? यदि आपने छीनीं तो किस अधिकारी ने इस प्रकार का आदेश दिया?

तीसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहूंगा कि सारे मसले में जब इतने दिनों तक पुलिस रही, आप भी कहते हैं कि मजदूर हिंसक होने की स्थिति में आ चुके थे तो क्या उस काण्ड में किसी पुलिस अधिकारी के कोई चोट आई? क्या किसी मैनेजमेन्ट के आदमी के कोई चोट आई? और क्या पुलिस की मार से कई मजदूरों के चोटें आईं? मजदूरों के चोटें आई हैं पुलिस की मार से और उन मजदूरों ने प्राइवेटली अपना इलाज कराया और इस प्रकार के उन्होंने प्रमाण-पत्र भी लिये। और क्या इस प्रकार की सूचना उन्होंने जिला अधिकारी को दी है और इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने पर क्या गृह विभाग ने इस सम्बन्ध में जांच की है कि अमुक प्रकार की चोटें मजदूरों के किस प्रकार से आईं? और जो उनका आरोप है कि पुलिस ने उनको मारा यह आरोप किस सीमा तक सही है इसकी जांच कराई है?

इसी प्रकार से श्रम मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने दो बातें कही हैं—एक तो बोनस की डिमांड थी और बाकी कुछ मांगें और थीं, 15 मांगें और थी। क्या मैं यह मानकर चलूं कि राजस्थान के श्रम विभाग के आधार पर या माननीय श्रम मंत्री महोदय के आधार पर जितनी भी 15 मांगें थीं उनका कोई आधार नहीं था? एक भी मांग उनकी उचित नहीं थी? या तो स्पष्ट कहें कि एक भी मांग उचित नहीं थी, या यह कहें कि कुछ मांगें उचित थीं और कुछ अनुचित थीं, कुछ मांगों के रिकन्सीलियेशन में जाने की आवश्यकता थी, कुछ मांगों के किसी ट्रिब्यूनल में रेफर करने की आवश्यकता थी? क्या यह मानकर चलें कि सारी की सारी मांगें जो 15 थीं उनको ट्रिब्यूनल को रेफर किया है जिसके निर्णय के बाद मजदूरों की यूनियनों को चाहे मालिकों को आपने लिखा हो तो मैं समझता हूं कि ठीक था। मैं जानकारी करना चाहता हूं कि जिन मांगों को ट्रिब्यूनल को रेफर किया है उनके अतिरिक्त जो मांगें हैं उनके सम्बन्ध में श्रम विभाग ने क्या किया, श्रम मंत्रालय ने क्या किया, और उचित मांगें मनवाने के लिए मनजमेंट पर सरकार की तरफ से किस प्रकार का दबाव डाला गया? इन सब बातों पर माननीय श्रम,

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्रीजी से में थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण चाहूंगा।

एक दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान का दुर्भाग्य है मालिकों और मजदूरों में किसी प्रकार के झगड़े होते हों तो यह प्रवृत्ति बन गई हैं आज सरकार की पुलिस तुरन्त वहां पहुंचती है। मजदूरों के शिकायत करने पर कि अमुक आदमी इस प्रकार के प्रिविलेजेज और फैसिलिटीज को नहीं दे रहा है, वेतन का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, कानूनन जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिएं वे नहीं मिल रहीं हैं, जब वे इन सब बातों के लिए शिकायतें करते हैं तो सीधा श्रम विभाग को रेफर किया जाता है। श्रम विभाग द्वारा जांच की आड़ में और मैं समझता हूं कि कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, लेकिन जहां मजदूर थोड़ी सी आंख दिखा देगा और मजदूर और मालिक के बीच झगड़े का प्रश्न बना कि पुलिस तुरन्त मालिक की सहायता के लिए पहुंच जायगी। यह जो ट्रैन्ड है खराब वह लेबर मूवमेंट के लिए रोड़ा बन रहा है और जिस प्रकार से लेबर मूवमेन्ट का डवलपमेन्ट होना चाहिए यह राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप करके उसको दबाना चाहती है।

इन्टक का झगड़ा हो जो कि आज दो विभागों में विभक्त हो गई है मैं उसके अन्दर नहीं जाना चाहता हूं। मैं माननीय श्रम मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि लेबर यूनियन और लेबर लीडर दुर्गाशंकरजी दुर्गावत ही हैं और उनके मार्फत ही राज्य सरकार लेवर के बारे में सुनना चाहती है। दुर्गाशंकरजी के अलावा कोई लेबर लीडर है ही नहीं, कोई लेबर यूनियन है ही नहीं? क्या कोई दूसरे लेबर लीडर्स मजदूरों की समस्या को नहीं समझते हैं और समझ कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का हक नहीं रखते हैं? वैसी स्थिति में यह दुर्भाग्य की बात है कि इन्टक के एक भाग का पक्ष लेकर दूसरे भाग को समाप्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति आप धीरे धीरे जिस प्रकार से पैदा करना चाहते हैं वह खतरनाक है क्योंकि दुर्गावतजी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है और उसका जब फैसला होगा और वे उसके बाद में जेलखाने में जिस प्रकार से जायेंगे और बाद में जो व्यक्ति उनके स्थान पर आयेगा, मैं समझता हूं...

श्री सुरेन्द्रसिंह व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिंहजी ने यह कहा है कि कुछ दिनों में अदालत में फैसला होगा और वे जेल जायेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई भी मुकदमा जो अदालत में पैंडिंग है उसके बारे में इस प्रकार से यह कहना कि वे जेल जायेंगे या बरी होंगे न्यायपालिका का अपमान है और किसी भी अदालत के बारे में वे टीका नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह प्रेजुडिस नहीं कर रहा है। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : मैं यहां पर वही कहता हूं जो मैं चाहता हूं कि वे जल जायं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके कहने से थोड़े ही वे जेल जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह कहें कि जेल जाना चाहिए। जेल जायेंगे यह मत कहिये।

श्री भैरोंसिंह : केस फैक्ट्स ऐसी ही हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह आपका कयास है।

श्री भैरोंसिंह : आप उनके पड़ोस में रहते हैं तो आपको भी ले जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं जाऊंगा तो आपको भी ले जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : इतने नजदीक में न आयें। बड़ी परेशानी में आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप परेशानी में आ जायेंगे अगर दुर्गाशंकरजी के चरणों में चले जायेंगे तो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप किस के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या आप अटल विहारीजी के पैरों पर चल कर आये हैं। इस तरह की बात आप करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात....

श्री गिरधारीलाल व्यास : पूछने का प्रश्न नहीं है। जब अलग अलग जरिये हैं तो मेरे चलने का प्रश्न कोई पैदा होगा क्या ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, ये चीफ व्हिप होकर भी आसन को सम्बोधन करके नहीं बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, वे गलत बात कहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तुलना भी कैसी की कि कहां राजा भोज और कहां गांगिया तेली ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : कौन राजा और कौन गांगिया तेली।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अटल-बिहारीजी और दुर्गाशंकर।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वे राजा भोज कहां से हो गये ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : गांगिया तेली तो.........

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि मुख्य सचेतक महोदय आपके सामने इस प्रकार से सदन में हस्तक्षेप करते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपको तो शर्म आती है हम को भी शर्म, आती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमें भी शर्म आती है कि आप इस प्रकार की बातें करते हैं इनके चरणों में जाने की।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय का उत्तरदायित्व है कुछ महत्वपूर्ण.....

विपक्ष के माननीय सदस्य : हियर, हियर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों पर बोलें। बार बार इस तरह से परेशान करना मुख्य सचेतक के उत्तरदायित्व के विपरीत जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हों जिन पर अच्छे सुझाव लाये जायं तो ठीक है। ऐसे छोटे छोटे मसलों पर हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : फिर बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं जब माननीय व्यासजी ने यह कहा कि भैरोंसिहजी को इस प्रकार....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

निवेदन करने का प्रश्न नहीं है । किसी नियम के अन्तर्गत कुछ सुझाव देने हों तो उन नियमों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित करना होगा तो आपका चलेगा । अभी आपका (श्री भैरोंसिह) प्रश्न चल रहा है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं .....

श्री अध्यक्ष : श्रम मंत्रीजी कह दें उसके बाद में आप पर्सनल एक्स्प्लेनेशन के रूप में कह दें तो उचित होगा । बीच बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इनका कसूर नहीं है । सुरेन्द्रजी ने इनकी बैंच के नीचे पिन लगा रखी है.....

श्री अध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा, परीक्षण कर लूंगा ।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह मानकर चलूं कि चीफ व्हिप किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : हस्तक्षेप नहीं होगा । आप आरम्भ करें ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक दो प्रश्न मुझे करने हैं ।

श्री अध्यक्ष : अभी आपका प्रश्न आ जाय तो प्रश्न करें ।

(विराम)

माननीय सदस्य, श्री नाहर प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप खत्म कर दें ।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय मन्त्री महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । तीसरा भी हो सकता है । एक प्रश्न तो यह है कि वहां पर चित्तौड़ में सीमेन्ट फैक्ट्री बिड़लाजी की जो है उसमें जनसंघ का क्या कोई मजदूर संघ है ? पहला प्रश्न । उसके बारे में कोई एक्टीविटी हुई है क्या ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या वहां पर कम्युनिस्टों का भी कोई संघ है ? मजदूरों का भारतीय क्रान्ति दल का संघ है ? मुझे एक कहानी याद आ गई । एक लाइन की है. ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसी संदर्भ में निवेदन करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : कहानी को प्रश्न के रूप में ।

श्री मदनसिंह : कहानी कहते हों तो मत कहें । हम सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । एक ठाकुर साहब पलंग से गिर पड़े ...

श्री अध्यक्ष : कहां के ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक आवाज हुई, धमाका हुआ....

एक माननीय सदस्य : दांता के।

श्री मदनसिंह : मदनसिंह का कहते हैं कि ठाकुर साहब पलंग से गिर पड़े। आप झूठ बोलते हैं। मैं नहीं पड़ा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तो उन्होंने नीचे आकर आवाज लगाई कि कंवर साहब धमाके की आवाज कहां से आई है शायद वे गिरे हों। यह, अध्यक्ष महोदय, जानीमानी बात है कि इस राजस्थान में बिरला का पक्ष कौन करता है? जैसे कि ठाकुर साहब गिर पड़े और पूछते हैं कि कंवर साहब धमाके की आवाज आपके गिरने की आवाज है। हम पूछना चाहते हैं कि बिरला का पक्ष कौन कर रहा है? खुद बात कहते हैं। दुनिया जानती है कि रवड़ी.....

एक माननीय सदस्य : यह गलतफहमी कैसे हुई ?

श्री मदनसिंह : श्रम मंत्रीजी से पूछ रहे हैं या भैरोंसिहजी से ?

श्री अध्यक्ष : धमाके की आवाज हुई या नहीं यह प्रश्न पूछें।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा इन्टेलीजेन्ट क्वेश्चन श्रम मंत्रीजी से आज तक विधान सभा के रेकॉर्ड में नहीं पूछा गया है इससे पता लगता है कि आपको मजदूरों के बारे म नॉलेज ए बी सी डी की भी नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): पहले तो इधर का सवाल पूछा गया अब उधर का सवाल पूछूंगा। क्या श्रम विभाग की नीति यह है कि कोई ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस के किसी गुट के प्रभाव में हो उसी की सुनेंगे या किन्हीं भी जायज मांगों को लेकर कोई कदम या आवाज उठाये कोई भी आदमी तो श्रम विभाग क्या उस बात पर ध्यान देने की नीति नहीं रखता है ?

दूसरा सवाल मेरा यह है कि श्रम मंत्री महोदय ने यह कहा कि कारोबार चल रहा था, काम बन्द नहीं हुआ था, मजदूरों का काम चल रहा था तो यह बताने की कृपा करें कि कितने मजदूर काम पर गये थे ?

तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब मि० चौधरी ने उत्तेजक भाषण दिया तो गिरफ्तार करना पड़ा और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि काम चल रहा है तो कौनसी नौबत आगई थी कि महिलाओं को हथियारों में देखा तो उनसे छीने गये ?

एक बात और पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से श्रम मंत्रीजी से कि मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग और राज्य सरकार की नीति हमेशा से मालिक परस्त रही है। इसमें कोई मजदूर परस्ती का सवाल नहीं है। जहां तक मालिक और मजदूर का फैसला करने वाली बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप तो यही चाहते हैं कि झगड़ा होता रहे। क्योंकि आप बिरला सेठ का पक्ष लेते हैं। आप इसकी जांच करा लें। आप कहते हैं कि झगड़े

(श्री नत्थीसिंह)

के कारण इण्टरफीयर करना पड़ा । पुलिस ने महिलाओं को नंगा तक कर दिया है । केवल यह कह कर कि इण्टक के झगड़े का सवाल है, यही नहीं है । संगठन के झगड़े तो होते हैं । उसके हित के लिए वह कम्पनी मांग कर रहे हैं । इन्दिराजी मजदूरों के हित की बात कहती हैं । लेकिन क्या यह मजदूरों का हित है ! आप यहां मालिक के गले में हाथ डालें । यहां उलटा हो रहा है । इसीलिए मैं जानना चाहता हूं, इससे पहले भी मजदूरों के अन्दर आपस में मालिक और मजदूरों के बीच में कशमकश चलती रही है । आपने हस्तक्षेप किया है । अगर नहीं किया तो यह साबित होता है कि बदली हुई परिस्थिति में बिरला को आप वाकई बनाये हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रम मन्त्री ।

श्री भीखा भाई (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, डूंगरपुर, अलवर और अन्य स्थानों से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं, और इन विचारों में जो बात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, यह कही है कि ये सब भ्रामक हैं । यह जो अनुचित कार्य है, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा यह सब भ्रम है । इसके लिए उन्होंने इस सारे मामले को देखा नहीं है । समझा नहीं है या पढ़ा नहीं है । जो कुछ समाचार उनको प्राप्त होते रहे हैं, उन्हीं के आधार पर यह स्थगन प्रस्ताव और भाषण पेश किया है ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा था कि उन मांगों में...

श्री अध्यक्ष : आ रहे हैं, अभी प्रश्नों की चर्चा नहीं आई है ।

श्री भीखा भाई : मैं आ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में, सदन में जो स्टेटमेन्ट दिया है । जो मांग 3-10-70 को रखी थी उसमें 15 मांगें और थीं जो मांग 14-9-70 को रखी थी वह बोनस के सम्बन्ध में थी । अब बोनस की मांग ही मुख्य मांग है । मुख्य मांग यह है कि बोनस 30% के हिसाब से दिया जाये । मैं निवेदन करता हूं कि किसी भी कानून में ऐसा नहीं है । आप देख सकते हैं । ट्रिब्यूनल एक्ट और लेबर डिस्प्यूट एक्ट मौजूद है । अभी नाहर साहब (श्री यशवन्तसिंह नाहर) के पास गया हुआ है । दोनों को पढ़ने के बाद आप यह कहेंगे । जो विवाद उठा है, उनकी बोनस की 30% की मांग थी । उन्होंने 30% बोनस मांगा था । मैं मजदूरों की निन्दा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर यह क्या हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : उनको उत्तर देने दीजिये ।

श्री भीखा भाई : मेरे को उत्तर देने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया ।

श्री भीखा भाई : अब यह कहा गया कि रेफर क्यों नहीं किया गया । मैंने

(श्री भीखा भाई)

निवेदन कर दिया है, वार्ता सफल नहीं हुई है। यह भी कहा गया है, यह काम हमारा है। यह भी जो माननीय सदस्य अग्रवाल साहब है, उन्होंने रेफरेंस दिया था। जब वार्ता सफल नहीं हुई तो समझौता अधिकारी को कायम किया है। जैसे अध्यक्ष महोदय, यहां लोग चिल्लाने लगते हैं, विधान सभा में तो आप बीच में पड़ते हैं। उसी प्रकार से समझौता अधिकारी का काम है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या किसी समझौता अधिकारी के सामने मामला आया है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मन्त्री महोदय ने विधान सभा की चेयर के लिए कहा है, वह शब्द वापिस लें।

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन लिया।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय......

श्री दौलतराम सारण और कृष्ण कुमार गोयल : (एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री दौलतराम सारण : हम चिल्लाने के लिए आये हैं? जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो यह अनुचित है।

श्री अध्यक्ष : चिल्लाना शब्द अनुचित है।

माननीय सदस्य (श्री रामानन्द अग्रवाल के खड़े होने पर) आपको उत्तर देने दीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इल्लीगल और गलत पोजीशन रखी गई है।

श्री अध्यक्ष : अगर 30% इल्लीगल और गलत होगी तो मैं आप को अवसर दूंगा।

श्री भीखा भाई : 30% बोनस की वह मांग करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 40% बोनस भी मिलता है।

श्री भीखा भाई : इसलिए अध्यक्ष महोदय, कानून के अन्तर्गत मालिक और मजदूर दोनों के बारे में क्लीयर नहीं है। इस अवधि में दोनों ही बातों के अनुसार बिरला फैक्ट्री......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 7 लाख का फायदा बिरला फैक्ट्री को हुआ है।

श्री भीखा भाई : यहां पर यह कहा गया है, किस प्रकार दुर्गाशंकर दुर्गावत की बात यहां पर कही गई है। यहां पर इस बात का सवाल नहीं है। यह सवाल नहीं है कि कौन नेतृत्व कर रहा है। हड़ताल का संचालन अनुकूल है। लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वह गृह विभाग से सम्बन्धित है हमारा श्रम विभाग है। श्रम विभाग की यह स्थिति रही है। ऐसा नहीं है कि प्रयत्न नहीं किया गया। तीन बार प्रयत्न किया गया है। और लास्ट में जाकर दोनों तरफ की पार्टी नहीं आई। तो यह श्रम विभाग का काम नहीं है कि वह हड़ताल या मांग के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले। श्रम विभाग का काम तो यह है कि दोनों पार्टियों के बीच में कोई

(श्री भीखा भाई)

समझौता हो सकता है तो उसके लिए प्रयत्न करे और उसके लिए श्रम विभाग ने पूरा प्रयत्न किया है। मैं आपको निवेदन करूं कि इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि सागवाड़ा का एरिया है, उस गांव में रहने वाले हैं वहां मजदूरी के प्रश्न को लेकर कोई विवा उत्पन्न होता है तो समझौता वार्ता होती और उसमें यह समझौता करने का प्रयत्न किया जाता है कि मजदूरी चौदह आने, पन्द्रह आने या सत्रह आने बैठती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार से दोनों पार्टियों में समझौता हो सके। केवल इतना काम समझौता अधिकारी का होता है, उससे आगे वह नहीं बढ़ता है......

श्री रामकिशन : यह सागवाड़िया कौनसा कानून है।

श्री भीखा भाई : और समझौता कराने का अधिक से अधिक प्रयत्न श्रम विभाग ने किया। मैं निवेदन कर दूं कि इसमें दुर्गावत का या और किसी का सवाल नहीं है, कानून की रिलेटिविटी के अनुसार डिमाण्ड्स के ऊपर समझौता कराने का जिस प्रकार का एक्शन श्रम विभाग को लेना चाहिये था वह श्रम विभाग ने लिया है और श्रम विभाग ने कोई भ्रमक स्थिति पैदा नहीं की है। अब यह प्रश्न जिन माननीय सदस्य ने उठाया है, उनके दिमाग में कोई भ्रम रह गया हो तो उसका स्पष्टीकरण सेक्रेटेरियट लेवल पर हो सकता है या नहीं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न पूछे थे उनका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया। उन्होंने केवल मेल गाड़ी चलाई है और अपने जवाब में फेक्चुअल पोजीशन नहीं रखी है। मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पेश किया था कि कब डिमाण्ड्स पेश कीं, कितनी डिमाण्ड्स पेश की और मैनेजमेंट ने उन पर क्या निर्णय लिया और श्रम विभाग ने श्रमिकों की मांगें मंजूर करवाने में क्या मदद की ?

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है न ?

श्री भीखा भाई : उत्तर दे दिया है, बता दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो मैं प्रश्न रेज कर रहा था वह यह है कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि बोनस एक्ट के तहत मनिमम चार पर्सेन्ट और मेक्जिमम बीस पर्सेन्ट बोनस लिया जा सकता है। जहां तक बोनस एक्ट का सवाल है, यह सही है लेकिन बोनस एक्ट में एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रावधान है जिसके अनुसार इस एक्ट में दिये गये पर्सेन्ट के अलावा इससे ज्यादा बोनस लेने की मनाही नहीं है। यह सही है कि मजदूर यह नहीं कह सकते कि जो स्टेटुअरी नहीं है, उतना बोनस हमें दिलवाया जाय, लेकिन जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रावधान है उसके अन्दर वह 30 पर्सेन्ट से क्लेम कर सकते हैं, 30 पर्सेंट मांग सकते हैं, उसके लिए लड़ सकते हैं। उसके लिए आप यह नहीं कह सकते कि इस मांग पर बोनस एक्ट लागू नहीं होता। मजदूर कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिये यह मांग रख सकते हैं और ले सकते हैं इसके अलावा आपने कहा कि फैक्ट्री के अन्दर इतना मुनाफा नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है । मैं समझता हूं कि यह आपकी बात प्रिजुडिस्ड है क्योंकि आपने उसकी बेलेन्स शीट देखी नहीं है ? और अगर बेलेन्स शीट देखी है तो आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं । बोनस एक्ट में यह लिखा है कि छः साल पुराना होना चाहिए यह सही है लेकिन बोनस एक्ट में यह कहीं नहीं लिखा है कि 20 %से ज्यादा नहीं होना चाहिए । कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिये तीस परसेन्ट हो सकता है । आज यह बात नहीं है कि मजदूर कानून नहीं समझता है । मजदूर अपनी मांग रखता है और मालिक उस मांग को नहीं मानता है या नहीं झुकता है और मजदूरों को हड़ताल पर जाने देता है, उस मालिक को आप संरक्षण देने की बात करते हैं । इस सम्बन्ध में हमारा ऐतराज है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों से सम्बन्धित जो मांग थी, उसको लेकर आपने जवाब दिया है । मैं समझता हूं कि बोनस और पन्द्रह मांगें, जो मजदूरों की थीं, उनको टाल कर और अपने को बचा कर मंत्री महोदय ने जो बात कही है उससे श्रमिकों का संरक्षण नहीं करके मालिक के हित का संरक्षण किया है । यह साफ होना आवश्यक है ..

श्री अध्यक्ष : साफ होना कहां आवश्यक है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तब प्रश्न यह खड़ा होता है..

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो प्रश्न उठाये हैं उनके उत्तर नहीं दिये हैं..

श्री अध्यक्ष : नहीं दिये हैं, यह मान लीजिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो उत्तर दिया है उसका कोई मतलब नहीं है...

श्री अध्यक्ष : अपर्याप्त मान लीजिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं कहूंगा कि बोनस की मांग मुख्य थी । मैं पूछना चाहता हूं कि बोनस की मांग 14-9-70 को रखी थी, उसके बाद 3-10-70 को पन्द्रह मांगें रखीं, पन्द्रह मांगों को लेकर मांग पत्र रखा गया । अध्यक्ष महोदय, सितम्बर-अक्टूबर के बाद उन्होंने 9-10, 20-10 को केवल टोकन स्ट्राइक की, उसके बाद असली संघर्ष जो किया है शुरु, वह 1-11 को किया है। तो सितम्बर से लेकर नवम्बर तक किसी प्रकार श्रमिक वर्ग कोई उत्तेजित नहीं हुआ न उसने संघर्ष किया । प्रथम बार जाकर 1 नवम्बर को संघर्ष प्रारम्भ किया । हम जानना चाहते हैं कि आपके श्रम विभाग ने बोनस की मांग को लेकर और अन्य जो पन्द्रह मांगें थीं, उनको लेकर सबसे पहले कागनीजेंस कब लिया ? कागनीजेंस लेने के बाद इस बोनस के सवाल को लेकर, अन्य मांगों को लेकर मजदूर और मालिक आपके समझौता अधिकारी के सामने कब पेश हुए ? इसके साथ ही हमारी मांग है कि श्रम विभाग ने जो अपनी फेल्योर रिपोर्ट दी है, वह रिपोर्ट 1 तारीख तक, जब कि संघर्ष आरम्भ करके हड़ताल आरम्भ मजदूरों ने नहीं कर दी, तब तक आपके समझौता अधिकारी ने फेल्योर रिपोर्ट तैयार नहीं की है और न श्रमिकों को यह कन्वे किया कि समझौता वार्ता भंग हो गई है और उसकी फेल्यार रिपोर्ट मैंने सबमिट कर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दी है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)। 1 तारीख को कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए मजदूर संघर्ष पर उतर जाते हैं और हड़ताल प्रारम्भ कर देते हैं तब तक श्रम विभाग सोता रहा और उसने फेल्योर रिपोर्ट नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : श्री मंत्रीजी

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसलिए यह जो फेल्यार रिपोर्ट है यह आफ्टर थोट है और मजदूरों के संघर्ष में आने के बाद मैनेजमेंट के साथ सांठ गांठ करने के लिए दी है।

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी देना चाह रहे हैं और ?

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, जैसा मैंने पहले कहा तथ्य जो थे वे मैंने निवेदन किये कि उपरोक्त मांगों, जो 3-10-70 को पहला मांग पत्र पेश हुआ था, के सम्बन्ध में हमारे जोइन्ट लेबर कमिश्नर ने क्या कार्यवाही की। उपरोक्त मांगों में प्रारम्भिक वार्ता 4-10-70 को, एक दिन के बाद, चित्तौड़गढ़ में बैठ कर, कोई जयपुर में बैठे हुए नहीं चित्तौड़गढ़ म बैठे हुए संयुक्त श्रम आयुक्त के समक्ष तथा दिनांक 12-10-70 को, जब कि दूसरा मांगपत्र प्रस्तुत होने वाला है, 14-10-70 को, जयपुर में उनके तथा श्रम आयुक्त के समक्ष हुई, इसके अतिरिक्त प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त भीलवाड़ा ने भी दिनांक 13-10-70 को समझौता वार्ता हेतु दोनों पक्षों को बुलाया था। क्या यह समझौता वार्ता नहीं हुई ? क्या इसे समझौता वार्ता नहीं कह सकते.....

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर हो गया।

श्री भीखा भाई : मैं कहना चाहता हूं कि कन्सीलियेशन के लिए प्रयत्न किया और उसके बाद आपस में बात हुई, 12-10 और 14-10 को हुई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फेल्योर रिपोर्ट कब दी ?

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या गवर्नमेण्ट ने आज तक कोई ऐसी नीति निर्धारित की जिससे मजदूर और मालिकों के आपस में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो ?

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह समाजवाद के द्वारा सम्भव नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पुलिस द्वारा किये गये दमन और अत्याचार के सम्बन्ध में तार का संदर्भ देकर एक बात कही, जो तार आया उसका हवाला दिया और यह कहा कि वहां पर महिलाओं के साथ मारपीट की गई, बच्चों के साथ में मारपीट की गई, बच्चों को नंगा कर करके उनके साथ मारपीट की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

गई । मैंने जो स्टेटमेन्ट दिया उसमें मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि पुलिस द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गई है और जो तार आपके पास आया है वह गलत है, आप इसको वेरीफाई कर लीजिये । पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाह नहीं की गई है, महिलाओं के साथ मारपीट नहीं की गई है, बच्चों के साथ मारपीट नहीं की गई है, किसी व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं की गई है और न किसी को नंगा करके उसके साथ मारपीट की गई है..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिल्कुल है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : जब वहां पर शांति व्यवस्था के भंग होने की बात आई तब जाकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और महिलाओं के हाथ से लाठियां और छड़ भी तब छीनीं जब इन्होंने पथराव करना शुरु कर दिया था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पथराव की बात स्टेटमेंट में नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष : फिर महिलाएं भी चित्तौड़ की थीं ।

श्री विजयसिंह : इनकी गलती नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इन्दिराजी ने भी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल दिया ।

श्री हीरालाल देवपुरा : छड़ और लाठी छीनने में भी इनके साथ कोई ज्यादती नहीं की गई, केवल लाठी और छड़ छीनी गई । महिलाओं के साथ कोई मारपीट नहीं की गई........

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसने नहीं की ।

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस ने ।

वी० चौधरी की गिरफ्तारी के बारे में पूछा उसके बारे में मैंने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट बताया है कि श्री चौधरी ने 4 व 5 तारीख को उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये, जिसके फलस्वरूप वहां के लोगों ने अनलाफुल कार्यवाही की, जो रेलगाड़ियां आ रही थीं उनको रोकने की चेष्टा की । इस कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वी० चौधरी को शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए गिरफ्तार करना आवश्यक था, इसलिए वी० चौधरी को गिरफ्तार किया गया । ऐसे मामले में भी केवल उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया जो शांति व्यवस्था को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे या उन्हें गिरफ्तार किया जिन्होंने धारा 144 को तोड़ा उनके अलावा और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती तो स्थिति दूसरी प्रकार की हो सकती थी, दूसरे प्रकार के परिणाम हो सकते थे । पुलिस ने संयम व कुशलता से गैर कानूनी कार्यवाही को रोकने की कार्यवाही की है, उसके लिए पुलिस की तारीफ करनी चाहिये थी, लेकिन माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर बंगाल जैसी स्थिति पैदा होती, राजस्थान के अन्दर बंगाल जैसी स्थिति पैदा हो..

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस को संरक्षण देकर आप स्वयं इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देंगे ।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि राजस्थान में बंगाल जैसी स्थिति पैदा हो जाय तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार उस स्थिति को पैदा होने से रोकने के लिए सक्षम है ।

श्री विजयसिंह : बंगाल जैसी स्थिति जब पैदा होगी तब राजस्थान की यह सरकार टिकेगी नहीं ।

श्री नत्थीसिंह : बंगाल में भी जिन कांग्रेस के मुखिया का राज्य था वह सुखाड़िया जी के गुरु का था, और किसी का नहीं था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रकार का........

श्री मदनसिंह : क्या गृह मंत्री यह उचित नहीं समझते कि औरतों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, वहां महिला पुलिस भेजें ? बाकी छड़ियां......

श्री हीरालाल देवपुरा : महिला पुलिस अवेलेबुल होती है तो भेजते हैं, नहीं होती है तो शांति व व्यवस्था कायम रखने के लिए जो पुलिस होगी, वह जायगी ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : चितौड़गढ़ में महिला पुलिस भेज दी थी?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद इस बात का है कि माननीय गृह राज्य मंत्री ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो तथ्य हमने सदन के सामने रखे उनको गलत बताया है। मैंने केवल तार का ही हवाला नहीं दिया । आपकी जानकारी के लिए, अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में यह राजस्थान पत्रिका में 11-11-70 में इसमें वक्तव्य छपा है; आपकी तरफ से उसका कोई कान्ट्रेडिक्शन आज तक नहीं हुआ । 7 दिन उन बातों को हो गए । मजदूरों को जंगलों में ले जाकर छोड़ा गया, महिलाओं को पीटा गया है। बच्चों को मारा गया है और इसमें जो प्रस स्टेटमेंट है उसमें है : प्रवक्ता ने चित्तौड़गढ़ से लौट कर आज उदयपुर में बताया कि गतरात पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 मजदूरों के साथ अमानुषिक अत्याचार किए और नंगा करके उनको बुरी तरह से पीटा। आपका कोई कान्ट्रेडिक्शन आज तक इस सिलसिले में नहीं है । समाचार पत्रों में समाचार आ रहे हैं और राज्य सरकार इस संबंध में मौन है। इसलिए आज चाहे श्रम विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो--मेरी निश्चित मान्यता है कि बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री में इन मजदूरों के हड़ताल के सिलसिले में आपने जो घेराव की बात कही, आपने बंगाल की बात कहीं, वह मुख्य मुद्दे से आपने सदन को दूर ले जाने की बात कही है ।

आज वहां पर आन्दोलन हो रहा है, वहां पर आन्दोलन मजदूरों ने किया। भारतीय जनसंघ या कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से या बी० के० डी० या एस० एस० पी० की तरफ से नहीं है, यह मजदूरों का आन्दोलन है और मजदूर मजदूर है। आपको मालूम है कि इसका नेतृत्व बी० चौधरी कर रहे हैं जो इन्टक के हैं। वहां अगर कोई नक्सलवादी स्थिति पैदा हुई है तो उसकी जिम्मेदारी इन्टक और उसके नेताओं और अंततोगत्वा कांग्रेस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पार्टी की है, विरोधी दलों की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो जवाब यहां पर दिया गया, जैसा मैंने पहले कहा, यह बात ऐसी लगती है कि यह जवाब राज्य सरकार का नहीं है लेकिन यह जवाब मैनेजमेंट का तैयार किया हुआ जवाब है और यह बात साफ हो गई है कि आज चाहे शाह सीमेंट फैक्ट्री हो, सवाई माधोपुर हो, चाहे जयपुर मेटल्स हो, सब में मजदूर पीटे गए, पोद्दार मिल्स में पीटे गए चाहे बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों का दमन किया जाय, राज्य की जनता को और सदन के जन प्रतिनिधियों को समझ लेना चाहिए कि राज्य सरकार की नीति एन्टी लेबर नीति है, प्रो कैपीटल पालिसी है, आपकी नीतियां कोई स्टैंडर्ड की नीतियां नहीं हैं, केवल कारखानेदारों को, पूंजीपतियों को संरक्षण देने की हैं, उसी आधार पर आपने जवाब दिया है। आपका जवाब लचर है, असंतोषजनक है, भ्रामक है, असत्य है, तथ्यों से परे है और केवल मजदूरों को दबाने के के लिए और पूंजीपतियों को संरक्षण देने के लिए है। ऐसी हालत में मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं और अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण इस सदन से बहिर्गमन करना चाहता हूं और बाकी साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की इस मजदूर विरोधी नीतियों के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए टोकिन दृष्टि से इस सदन से बहिर्गमन करें और ऐसी आशा करता हूं कि बाकी साथी भी मजदूरों को बल देंगे। जो राज्य सरकार की नीति पूंजीपतियों को, कारखानेदारों को संरक्षण देने की है, मजदूरों का शोषण करने देने की है, उस पर विरोध प्रकट करें, मजदूरों के हितों में, इस आंदोलन को जो बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री में चालू हुआ है, ऐसे आन्दोलन राज्य भर में जो चलते हैं, जिनको सरकार दबाती है, उस मजदूर आंदोलन को ताकत देने के लिए और इस प्रकार से जो मजदूर सरकार की ऐसी नीतियों के बावजूद शानदार आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से, अनुशासित ढंग से अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं, उनको बल प्रदान करने के लिए सदन से बहिर्गमन करता हूं अपने दल के साथ और बाकी साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों के सवाल को लेकर सरकार की नीतियों के विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन करें।

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा अपने दल के साथ बहिर्गमन)

श्री रामकिशन (वैर) : क्योंकि जनसंघ की नीतियों में परिवर्तन आ रहा है इसलिए बगैर बहस के ही हम आपका साथ देते हैं।

(श्री रामकिशन द्वारा अपने दल के साथ बहिर्गमन)

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : आप भी बाहर जाना चाहते हैं। आपके दल का तो इसमें नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्षजी, जैसे कि अपने उत्तर के समय मंत्रीजी ने जवाब देने में लीपापोती की। बिल्कुल असंतोषजनक तरीके से मैनेजमेंट क

(श्री दौलतराम सारण)

बात का पोषण किया है और मजदूर विरोधी रवैया अपनाया है और गृह मंत्री ने जिस प्रकार पुलिस द्वारा मजदूरों पर किए जाने वाले अत्याचारों को छिपाने की चेष्टा की है, इस सब के विरोध में और मजदूरों के आन्दोलन को ताकत देने के लिए मैं और मेरा दल इस सरकार के रवैये की भर्त्सना करते हुए, इसके विरोध स्वरूप, बहिर्गमन करते हैं।

(श्री दौलतराम सारण द्वारा अपने दल के साथ बहिर्गमन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि श्री दौलतराम सारण व श्री हरजी राम बुरड़क सदस्य विधान सभा ने ओराई कमांड एरिया, जिला चितौडगढ़ में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा भूमिहीनों के नाम सरकारी भूमि अलाट करवा लेने के कारण वास्तविक भूमिहीनों के भूमि प्राप्ति से वंचित रह जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए चाहूंगा कि इस संबंध में मंत्री महोदय उप-निवेशन विभाग इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैः–

(1) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने ओल्ड एज पेन्शन के लिए नियमानुकूल फार्म आदि भरने के बाद पुरुषार्थियों के केसेज में जिलाधीश अजमेर द्वारा माईग्रेशन सर्टिफिकेट की मांग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री बालसिंह सोढा, श्री पृथ्वीसिंह, श्री गोवर्धन सोनी व श्री आईदानसिंह, सदस्य, विधान सभा ने जैसलमेर बाड़मेर जिलों में मलेरिया की बीमारी फैल जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री हरजीराम बुरड़क व श्री रामचन्द्र आर्य ने अकाल राहत कार्यों के सिलसिले में जिला नागौर में काप रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत आने वाले गांवों के लोगों से कुछ तत्वों द्वारा रुपया इकट्ठा कर लेने एवं उक्त राशि को हजम कर जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री विजयसिंह मकराणा, सदस्य विधान सभा, ने स्वर्गीय श्री विजयसिंह रावत, सदस्य विधान सभा, की समाज-कल्याण विभाग की बैठक में भाग लेने के किराए भत्ते आदि के भुगतान न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा, ने करवा नोहर में पेयजल की अव्यवस्था के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों को विचारार्थ न रखा गया है। इन पर यथाशीघ्र निर्णय लिए जाकर माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा।

Page No 100

(श्री अध्यक्ष)

इनके अलावा कुछ अन्य स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनायें प्राप्त हुई है जो इस प्रकार हैं :—

(1) राज्य सरकार के एक अधिकारी श्री सुखदेव आर्य के पोस्टिंग के संबंध में श्री विजयसिंह मकराना सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(1) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना श्री विजयसिंह मकराना द्वारा दी गई है जिसमें 12 वर्ष से कम सेवा वाले राज्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

(3) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ सदस्य विधान ने जिला गंगानगर के किसान आंदोलन की मांगों के संबंध में गत बजट सत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने व अनकमांड भूमि में नहरें निकालने के संबंध में की गई घोषणा पर अमल न किए जान के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाय। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत किए जाने को अनुमति नहीं दी गई है।

कुछ स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार की जानकारी के हेतु विचाराधीन रखे गये थे। इनमें से कुछ स्थगन प्रस्तावों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो गई है और वे इस प्रकार हैं :

(1) गंगानगर में गुंडों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में श्री रामचन्द्र आर्य एवं श्री हरजी राम वुरडक द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) अजमेर की घूघर घाटी में किशोर मूलानी नामक व्यक्ति की हत्या के संबंध में श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) कृषि उपकरण फैक्ट्री, झोटवाड़ा के मजदूरों एवं कर्मचारियों को गत अक्तूबर से वेतन भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सदस्य, विधान, सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

इन स्थगन प्रस्तावों में ऐसे तथ्य नहीं हैं जिनसे इनको अविलम्बनीय लोक महत्व का माना जाय। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

मैं माननीय सदस्यों से उनके सहयोग की अपेक्षा करने की दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने मंत्री महोदय द्वारा स्टेटमेंट दिए जाने के बाद भाषण न देकर प्रश्न पूछकर सदन के समय को बचाया है और मुझे सहयोग दिया है, उसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये गए हैं, उनके संबंध भाषण देना या प्रश्न पूछने की व्यवस्था नियमों के अंतर्गत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि आप सहयोग दें और समय बच सके तो आगे लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसको शीघ्र लिया जा सके, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है⋅⋅

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बेकार का है।

श्री अध्यक्ष : विचार व्यक्त करने का समय मैं उनको पूरा दूंगा । इसलिए चाहूंगा जो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं उनके संबंध में प्रश्न या भाषण की व्यवस्था नियमों के अन्तर्गत नहीं है, न पूछे जायं और जिनके संबंध में स्टेटमेंट देने के लिए स्वीकार किए गए हैं, वह समय पर आयेंगे, मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने जो, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दी व मान्य है..

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने गंगानगर में गुंडागर्दी पुलिस द्वारा नहीं रोकने के सम्बन्ध स्थगन प्रस्ताव रखा था। वहां पर गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गयी है और आपने उसको अविलम्बनीय लोक महत्व का न मान कर रिजेक्ट कर दिया है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गंगानगर में आये दिन गोलियां चलती रहती हैं..

श्री अध्यक्ष : यह सहयोग प्रदान किया जा रहा है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । आये दिन इस प्रकार गुन्डागर्दी की घटनायें होती हैं । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप ऐसे प्रस्तावों को भी अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं मानते हो ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको स्टेटमेंट दिलाना चाहिये। पिछले सात महिनों में 70 कत्ल हुए हैं गंगानगर में ।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको अस्वीकार किया है माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपस में गोलियां चलें, लोगों के मकान छीन लिए गये और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार की गुन्डागर्दी गंगानगर में हो रही है और आप उसको अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं मानते हो ।

श्री अध्यक्ष : मैंने नहीं माना है, माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इससे अधिक और क्या बड़ा दुख हो सकता है । जनता के साथ जो स्थिति बन रही है इस प्रकार के प्रश्नों पर आपको विचार करना चाहिये । मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप भी सरकार की तरफ उन प्रश्नों को उदासीनता से देख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारे दर्द को आपको समझना चाहिये । हम इलाके की ओर से प्रतिनिधित्व करने आये हैं और इलाके के अन्दर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनके बारे में सदन को जानकारी देना चाहते हैं लेकिन दूसरी ओर से सहयोग नहीं दिया जाता है । आप इस पर पुनर्विचार करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । ऑर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण करें ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । माननीय श्री आर्य कहते रहते हैं और मैं भी उनके प्रति उदार हूं ।

Page No 102

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रहना भी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के सिलसिले में सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री रामकिशन : दो तीन दिन के लिये अब आप क्या सुझाव दें ।

श्री अध्यक्ष : यह आगे के लिये भी हो सकते हैं । सदन के समय को बचाने के लिये तथा नियमों के अनुसार कार्यवाही चले, यदि माननीय सदस्य चाहें तो माननीय सदस्यों की एक एडवाइजरी तौर पर समिति बना दी जाय । उसके सामने स्थगन प्रस्ताव रख दिये जायं और समिति विचार करके मेरे सामने रख दे, ताकि उन पर मैं विचार करके व्यवस्था दे दूं । सहयोग चिन्तन और मनन के रूप में होना चाहिये, केवल भाषण और प्रश्नों के रूप में न हो । इसलिये सदन के अन्दर विरोधी दल के नताओं और गुटीय नेताओं से बात करके चाहूंगा कि व्यवस्था दूं जिससे वह आगे सत्र में काम आ सके।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने गंगानगर में फैली गुन्डागर्दी और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा और आपने रिजेक्ट कर दिया । मेरा इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी है । आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामचन्द्रजी मैं कर दूंगा । मैंने आप से निवेदन कर दिया ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इन घोषणाओं में कुछ नहीं........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैंने निवेदन किया कि ध्यान आकर्षण या और कुछ है, आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वह मैं देख लूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह सुझाव रखा है कि स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में विरोधी दलों की एक समिति बना दी जाय और वह जांच करके राय दें मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं । यह संभव नहीं है और नियमों के विरुद्ध भी है। हम आपके अधिकारों को, जो आपको दिये गये हैं नियमों के अनुसार उनको, लेना नहीं चाहते हैं । लेकिन माननीय सदस्यों को जो परेशानी होती है और हमें बड़ा अफसोस होता है और इस में सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि आसन से व्यवस्था हो जाने के बाद भी माननीय सदस्यों को सूचना प्राप्त नहीं होती है और जो घोषणायें राज्य सरकार के द्वारा की जाती हैं वे पूरी नहीं होती ह । यहां कहा जाता है कि लिखित में उत्तर भेज दिये जावेंगे लेकिन माननीय सदस्यों को वे नहीं मिलते हैं। राज्य विधान सभा का अधिवेशन नियमों के अनुसार 6 महीने में एक दफा बुलाना आवश्यक है। सरकार क्या करती है कि जब सेशन बुलाने में 5-6 दिन का समय रह जाता है तब वह सेशन बुलाती है और यहां तक देखा गया है कि 5 महीने और 28 दिन हो गये और केवल नियमों के अनुसार अधिवेशन बुलाने के लिये दो दिन का ही समय रह गया तो जल्दी में सेशन बुला लिया जाता है। इसके बावजूद भी थोड़े दिन के लिये बुलाया जाता है । अभी का अधिवेशन ही देख लीजिये । 9 दिन के अन्दर ही

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अधिवेशन समाप्त होने वाला हैं। दो चार दिन चला है। स्थगित हो गया बीच में। आज सातवां दिन है। 6 महीने में इस राजस्थान की सरकार की अयोग्यता, निकम्मेपन और भ्रष्टाचारी कारणों के कारण जनता की तकलीफें कितनी इकट्ठी हो जाती हैं कि उनको प्रकाश में लाने के लिये समय तो चाहिये और उस कारण माननीय सदस्यों को जनता के अभाव अभियोगों को सामने रखना पड़ता है। और आप ही बतायें कि उनके पास और क्या रास्ता है ? सीमित अधिवेशन सरकार क्यों चलाती है, क्यों नहीं अधिक समय देती है ? आखिर हमारी भी मजबूरियां हैं। आप चाहें तो हम सब स्तीफे देकर चले जायं ?

श्री अध्यक्ष : आप चले जावेंगे तो मैं कहां रहूंगा ?

श्री नत्थीसिंह : आप सरकार को मजबूर करिये कि विधान सभा का अधिवेशन ज्यादा दिनों के लिये चलाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो विधान सभा का अधिवेशन होता है तो उसके अन्तिम दिन स्थगित होने से पूर्व अगले सत्र की तारीखें घोषित हो जानी चाहिये और यह राज्य सरकार न तो विधान सभा को ही पूछती है और न ही अध्यक्ष महोदय को पूछती है। लोक सभा में अध्यक्ष महोदय स्वयं यह अनाउन्स कर देते हैं कि कब अगला अधिवेशन होगा और कितने दिन का होगा तथा क्या बिजनेस होगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यहां भी इस प्रकार की सारी व्यवस्था आप करायें यह जरूरी है। सवाल रिपीट होते रहते हैं, क्वश्चन्स, मोशन्स आदि रिपीट होते रहते हैं। उसका क्या कारण है ? उसका कारण यही है कि मार्च में पिछला अधिवेशन हुआ आठ महीने हो गये लेकिन आज तक उसकी छपी हुई, प्रिन्टेड सामग्री, कार्यवाही माननीय सदस्यों को नहीं मिली है। सरकार प्रेस के लिये पैसा देती नहीं। यहां की कार्यवाही छपती नहीं। पिछली कार्यवाही और इसमें क्या तालमेल बिठाया जाय, कौन से सवाल रह गये, कौन से प्रश्नों को हमने लिया और कौनसी कड़ी को हम जोड़ें ये सारी चीजें हमारे सामने नहीं हैं। सरकार इनका जवाब नहीं देती। रोजाना सरकार 25 पर्सेन्ट क्वश्चन्स का एडजोर्नमेन्ट सीक करती है। नियमों में एक भी नियम ऐसा नहीं है कि सरकार को अधिकार हो कि वह रिप्लाई न दे। सरकार इसके लिये पाबन्द है। लेकिन रोजाना सरकार 25 पर्सेन्ट क्वश्चन्स का एडजर्नमेन्ट सीक करती है। ऐसी स्थिति में सवालों का उत्तर नहीं मिलता। कटौती प्रस्तावों का जवाब नहीं दिया जाता। कह दिया जाता है कि लिखित में उत्तर सदस्यों के पास पहुंच जावेगा। वह पहुंचता नहीं है। चिट्ठी लिखते हैं जवाब देते नहीं। जोधपुर के श्री ओम दत्त भाटी ने विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया। जवाब तक नहीं। प्रश्न, रिजोल्युशनस कट मोशन्स रखते हैं लेकिन सरकार जवाब नहीं देती। सदस्यों का कोई दुराग्रह नहीं है लेकिन जन भावना सही ढंग से प्रतिबिम्बित करने के लिये जागरुक रहने की दृष्टि से डेमोक्रेटिव इन्स्टीचुशन्स के प्रति सरकार का इस प्रकार का कन्टम्प्युअस एटीट्यूड है, सरकार उनकी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ओर ध्यान तक नहीं देती। इसलिये इसके लिये, अलग से एक डिपार्टमेन्ट कायम हो जाय डिपार्टमेन्ट ओफ पार्लियामेन्टरी अफेयर्स कायम हो जाय, मशीनरी सेट अप हो जाय जहां पर इन सारे सवालों का निराकरण हो सके और वह असेम्बली के प्रति उत्तरदायी हो। कई सवाल ऐसे होते हैं जो पिछले सेशन में आ जाते हैं लेकिन किसी का जवाब मिलता नहीं तो हमें यह पता नहीं चल पाता कि किस किन सवालों के जवाब आ गये हैं। इस तरह से सैकड़ों सवाल आपके यहां इकट्ठे हो रहे हैं नोटिस दिये जाते हैं उनका भी कोई जवाब मिलता नहीं। हमारे इलाके की जन साधारण की जो समस्यायें हैं वे सदन के समक्ष लाना हमारा फर्ज है। आखिर हमारे इलाके की जनता हमें पूछती है तो हम उनको क्या जवाब दें ? यह संकट हमारे सामने ही हो ऐसी बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों के सामने भी इसी प्रकार का संकट है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप किसी प्रकार की व्यवस्था करिये ताकि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। जब इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है तो इस प्रकार की परिस्थिति में आप कितना ही गुड आफिसेज यूज करना चाहें आपको यह सहयोग नहीं मिलेगा। हमारा यह कहने में आपका किसी प्रकार निरादर करने का नहीं है। हम हमारे मसले हैं उनके बारे में हाउस की फ्लोर पर असर्ट करते रहेंगे। जहां तक हमारे दम में दम है इस सदन के प्रांगण पर लाते रहेंगे।

श्री विजयसिंह : आपने केवल विरोधी दल के सदस्यों का ही नाम लिया है। क्या कांग्रेस के मेम्बर इस प्रकार की जिद् करते नहीं हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैंने सदस्यों को कहा है।

श्री विजयसिंह : असेम्बली की कितनी भी पार्टीज हैं उनके नेताओं के जरिये यह समस्या सुलझायी जा सकती है। उनको समय दिया जाय ताकि वे इस पर अपनी भावना व्यक्त कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने जो सुझाव दिया है वह कोई विवाद के लिये नहीं दिया है इस बारे में मैं और सुझाव नहीं चाहूंगा। मैंने तो सिर्फ इस आशय से निवेदन किया था ताकि सदन का समय बच सके और दूसरे विषयों पर ज्यादा समय दिया जा सके। श्री अग्रवाल जी ने जो भावना व्यक्त की है मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि इस पर कुछ कह सकूं। मैं आपकी भावनायें सदन की भावनायें मानकर चलता हूं। इनको मैं राज्यपाल महोदय एवं मुख्य मंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत कर दूंगा।

जहां तक सदन की तिथि निर्धारित करने का प्रश्न है मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा जब सत्र बुलाये जाने का होता है तब मुझसे सुविधानुसार तारीख पूछी जाती है वह भी जब सत्र बुलाने के लिये छः महिने की अवधि समाप्त करने की होती है तब। जो सवाल आपने उठाये हैं वे सब सदन के प्रश्न मानते हुए मैं उन सब मुद्दों पर आगे कार्यवाही करूंगा। जहां तक सवालों के जवाब का प्रश्न है उनके उत्तर सरकार की तरफ से समय पर आते नहीं है। उनके बारे में मैं बराबर आग्रह करता रहता हूं। कई बार ऐसा भी होता है जो सूचना सरकार से चाही जाती है वह समय पर नहीं मिलने

(श्री अध्यक्ष)

के कारण, सूचना के अभाव में ही मुझे अपना निर्णय देना पड़ता है। यह परिस्थिति जरूर रही है। सदस्यों की जिस प्रकार की भावना है उस पर मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि जो मद्दे आपने उठाये हैं उनका विश्लेषण करके राज्य सरकार के समक्ष इस प्रश्न को रखूंगा।

इसके अतिरिक्त आप इस बात पर सहमति प्रकट करेंगे कि सहयोग यह टू टायर सिस्टम है। आप जब सहयोग देंगे तभी सदन की कार्यवाही चल सकती है मुझे समय को बचाने के लिए आपके साथ निरर्थक टकराव में आना पड़ता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप खिसक कर पीछे बैठ जायें हम अपने आप सरकार से निपट लेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं खिसका हुआ हूं खिसकता रहता हूं। शान्ति स्थापना के प्रश्न पर उद्विग्न हुआ करता हूं। अब आगे चलें।

राजस्थान निवारक निरोधक विधेयक।

श्री विजयसिंह (मकराना): अध्यक्ष महोदय, हम वहां पर सवाल देते हैं उनका झूठा जवाब दिया जाता है फिर उसको वापिस रखते हैं तो फिर गलत जवाब देते हैं। मैं छोटा सा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप इसको मत रखिये।

श्री विजयसिंह: सरकार के सामने इस हाउस में मैंने एक पटवारी की शिकायत की उस सम्बन्धी चिट्ठी रखी। उसका नतीजा क्या हुआ? रसीद वह मैंने रिश्वत की रखी। आज तक उसका पता नहीं वह यहां से किस प्रकार से गायब हो गई। विधान सभा से पत्र गायब हो जाते हैं यह दुख की बात है।

मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया वह तीन साल तक नहीं आया आखिर करें तो क्या करें। स्थगन प्रस्ताव रखते हैं नियमों के अनुसार उसे बोलने नहीं दिया जाता....

श्री अध्यक्ष: मैं मान गया आपका कहना....

श्री विजयसिंह: हमारी सुनवाई होती नहीं। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं अगर स्वर्गीय विजयसिंह रावत यहां मौजूद होते तो वे इसको मेज पर रखवा कर छोड़ते। दुख के साथ कहना पड़ता है......

श्री अध्यक्ष: आज ही मैंने इस बारे में कह दिया है।

श्री विजयसिंह: इस के बारे में हम कई दफा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: इस संबंध में आप आगे न बढ़ें। मैंने इस स्थगन के प्रस्ताव के संबन्ध में माननीय मंत्री जी को बुलाकर प्रस्ताव का निपटारा करने के लिये निवेदन कर दिया है। वह हो जायगा।

श्री विजयसिंह: कब तक हो जायगा!

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले तो आपस में बात होकर ही तय हो जाने चाहियें। यहां लायें यह बहुत खेदजनक है। किसी सदस्य को इस प्रकार के मामलों को यहां लाना पड़े इससे अधिक खेदजनक स्थिति और क्या हो सकती है!

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं दे दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सेशन में जितने भी जन जीवन से संबन्धित और पिछड़ी जातियों के संबंध में मामले स्थगन प्रस्तावों द्वारा रखने का प्रयत्न किया है उसमें से एक भी स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। सहकारी फार्मिंग सोसाइटी के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव था......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य कल निर्णय दे दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वक्तव्य नहीं होगा क्या ? बीस हजार बीघा जमीन का सवाल है......

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था शेष है आप अभी से इस पर भाषण देने लग गये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कल आपने कहा था......

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस बारे में एक वक्तव्य जरूर हो जायगा क्या मैं यह मान लूं?

श्री अध्यक्ष : मेरे से कमिट मत करवाइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव श्री ज्वाला प्रसाद द्वारा जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के बारे में था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर निर्णय दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल आजाना चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जैसलमेर में फील्ड फायरिंग के बारे में स्थगन प्रस्ताव था आपने 9 तारीख को कहा था कि राज्य सरकार से जानकारी की जायगी उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मुझे आप यहां पर ऑफिस मान लेते हैं। यह कैसे हो सकता है। आप यहीं पर मुझे सब बातें पूछने लगे हैं मैं कैसे जवाब दे सकता हूं। आप सचिव महोदय से या मेरे चेम्बर में आकर जानकारी ले सकते हैं। अब तो मैं स्वस्थ हो गया हूं आप लोगों से मिलता रहता हूं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : राज्य सरकार को जानकारी के लिए दिया था वह आया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप इसके बाद मिललें आपको मैं सन्तुष्ट कर दूंगा।

राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, 1970

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज की लिस्ट ऑफ बीजीनेस में 17 नम्बर की कार्य सूची में जो कार्यक्रम है उसके अनुसार अभी तो आइटम नम्बर 1 प्रश्न ही समाप्त हुये हैं। आइटम नम्बर 2 लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखें जाने वाले पत्र।

श्री दौलतराम सारण : इस प्रकार की बातें तो मुख्य सचेतक को ध्यान में लानी चाहियें उन्होंने यह बात नहीं रखी।

श्री अध्यक्ष : आपके सामने नहीं, उनको समझाऊंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री बी०एन० जोशी (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर अनुभाग) की निम्न अधिसुचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ 5 (30) एफ० डी०। (सी० टी०)। 69, दिनांक 6 जून, 1970 (जी० एस० आर० 25)

(2) अधिसुचना संख्या एफ 5 (46 एफ० डी०। (सी० टी०)। 70 दिनांक 1 जुलाई, 1970 (डी० एस० आर० 32)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह क्या अधिसूचनाएं हैं ?

श्री बी० एन० जोशी : आप देख लीजिये।

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन श्री ओमदत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में सिटी बस नहीं चलाने के कारण जनता को भारी कठिनाई होने के सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री रामकिशन।

बाण गंगा, गम्भीरी तथा रूपारेल नदियों से सिचाई व्यवस्था सबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का प्रश्न इस सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से लाया गया है उस पर पहले ही चर्चा हुई है और उस समय माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि भरतपुर जिले की नदियों का पानी जो सदियों से सिचाई का साधन है नहीं रोका जायगा। लेकिन जैसी कि जानकारी मिली है भरतपुर जिले में चार नदियां बहती हैं और राजस्थान सरकार की मेहरबानी न सही पुरानी रियासत के समय से ही 4 लाख बीघा जमीन की सिचाई होती रही है और आज स्थिति यह है कि भरतपुर जिले को चार नदियों को तीन अलग अलग इलाकों में रोका जा रहा है। गम्भीरी नदी, बाण गंगा नदी, रूपाहेली नदी भरतपुर जिले की जिन्दगी रही है और वहां के उत्पादन में योगदान दिया है और जिससे वह जिला आज खड़ा रह सका है। जैसी कि अब जानकारी मिली है राजस्थान सरकार कई जगहों पर अलग अलग पानी को रोकने की चेष्टा में है। इस सम्बन्ध म हमारे सिचाई मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार यह कार्यवाही नहीं करेगी लेकिन सब जगह पर काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि सिचाई मंत्री जी कोई जवाब दें और वह यह हो सकता है कि भरतपुर जिले में बाढ़ आती है इसलिए पानी को रोक रहे हैं। या यह कह सकते हैं कि जितनी हमें थोड़ी जरूरत है उतना पानी उस क्षेत्र में रोक रहे हैं बाकी का नहीं रोकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मै इस सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन कर देना चाहता हू कि भरतपुर जिले में जब अत्यधिक वर्षा होती है तो एक बाढ़ आई थी सन् 42 में, दूसरी 634 में और

(श्री रामकिशन)

फिर 66-67 में। हर साल कोई वहां पर बाढ़ें नहीं आती हैं। यह स्थिति नहीं है कि वहां पर वर्षा की वजह से या उसके कारण बाढ़ें आती हैं। राजस्थान बनने से पहले, मैं चाहूंगा कि सिंचाई मंत्रीजी ध्यान दें, तो उनको एक यह जानकारी मिलेगी- केवल सन् 42 में सारे देश में अंधाधुन्ध बरसात होने के कारण कभी बाढ़ आई लेकिन राजस्थान बनने के बाद एक-दो चाहे बाढ़ आई हो इसका कारण यह नहीं है कि वहां की नदियों में पानी ज्यादा है। इसका कारण यह है कि राजस्थान बनने के बाद भरतपुर जिले की सिंचाई व्यवस्था के प्रति उपेक्षा की गई है और दूसरा कारण यह है कि सन् 42 में जो बाढ़ आई थी उसके कारण भरतपुर जिले के कई बंध टूट गये थे और उनकी आज तक मरम्मत नहीं हुई है। यह ठीक है कि राजस्थान के अन्य जिलों में चाहे राजनैतिक कारण हों, जो बंध बने हैं वे उत्पादन बढ़ाने के लिये बने हों उस दृष्टि से मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, अन्य जिलों में नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं लेकिन भरतपुर जिले में कोई परियोजना चालू नहीं की गई है।

श्री बी० एन० जोशी : ऑन ए पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन सर। भरतपुर जिले में बार बार बाढ़ आई है।

श्री रामकिशन : आप 53 वर्ष के हो, कम सुनाई देता है। आपने सुना नहीं है। मैंने भी यही कहा है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन नदियों पर अन्य जगहों पर बंध बनवाने समाज कल्याण मंत्रीजी इन्टरटेस्टड हो सकते हैं ताकि वे विधान सभा में चुनकर आ जायें। परन्तु यह विधान सभा का सवाल नहीं है। यह राजकीय आमदनी और खर्चे से जुड़ा हुआ एक अहम् सवाल है। राजस्थान बनने के बाद आपकी भरतपुर जिले पर मेहरबानी नहीं रही। भरतपुर जिले में यह जो बांध और नहरें बनी हुई हैं ये पुराने रियासती समझौते के आधार पर बनी हुई थीं जब कि आप लोग नदियों का पानी उपयोग नहीं करते थे तब के बने हुए हैं।

(3.14 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

जो कहते हैं कि बाढ़ें बरसात के कारण आती हैं, वह नहीं हैं। और साल आती हों यह बात भी नहीं है। और हर इन नदियों में गहरा पानी हो सो बात भी नहीं है। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज की तारीख में पंचायत समितियों को जो बंध सिंचाई विभाग ने हस्तांरित किये हैं उनमें से 53 में से 23 बंध टूटे पड़े हैं और जब एक बंध टूट जाता है तो उसका पानी दूसरे बंधे पर जाता है और उसको भी तोड़ता है और फिर यही क्रम चलता रहता है। सिंचाई विभाग ने जो बंध अपने पास रख रखे हैं उसमें से भी अधिकांश टूट पड़े हैं और माननीय सभापति जी, सिंचाई मंत्रीजी खुद जानते हैं कि, बाण गंगा नदी के पास, गंभीर नदी के आस पास जो बांध बाढ़ के कारण टूट गये थे 66-67 और 58 में उनकी आज तक मरम्मत नहीं हुई है। इसलिये बाढ़ आती है। सिंचाई विभाग राजनैतिक कारणों से या अन्य कोई कारण

(श्री रामकिशन)

हो, मैं चूंकि क्षेत्रीय भावनाओं से अलग रहना चाहता हूं, अन्यथा यह सर्व विदित है कि राजस्थान सरकार जान बूझकर इस प्रकार आचरण भरतपुर जिले के साथ में कर रही है जिससे कि भरतपुर में निरंतर बाढ़ आती रहे और क्या बाढ़ नियन्त्रण के लिये आप यह पानी रोक रहे हैं ? टैकिनकली पानी को रोका जा रहा है, यह सवाल नहीं है । असली सवाल तो यह है कि जिन कारणों मे बाढ़ आती है उनको दूर किया जाये वरना क्या भरतपुर जिले को धीरे धीरे जो उसकी पुरानी सिंचाई की व्यवस्था है और जैसे तैसे उससे वह जिन्दा है उस व्यवस्था को आ तहस नहश करना चाहते हैं ? करौली के लोगों को पानी न मिले, बांदीकुई के लोगों को पानी न मिले यह मैं नहीं कहता। जिनकी बगल में होकर पानी जाता है उनको पानी मिलना चाहिये । लेकिन जो नियम है, जो कानून है कि एक बंध के ऊपर दूसरा बंध नही बनना चाहिये। गंभीरी नदी का पानी भरतपुर जिले के अन्दर इस्तेमाल होने के बाद उत्तर प्रदेश में जाता है और माननीय सिंचाई मंत्रीजी ध्यान से देखेंगे कि गंभीरी नदी से केवल एक वर्ष पानी उत्तर प्रदेश को गया है। भरतपुर जिलें को जितने पानी की जरूरत होती है उतना पानी भी उस नदी में नहीं होता है । बाण गगा की हालत भी सिंचाई मंत्रीजो जानते हैं उनका डिपार्टमेंट जानता है । बाण गंगा का पानी अब हलल गंग नहर तक भी नहीं पहुचता है। स नदी को 45 बंध भरने होते हैं जिनमें से दो छोटी छोटी नहर 7–8 मील लम्बी हैं। ये सारे बंध सूख जाते हैं। चाहे वह सेवरा का बंध हो । चाहे इसका पानी मोती झील के आस पास जाता है। परन्तु आज तो इसका पानी वहां पर भी नहीं पहुंचता है। ऐसी सूरत में बांदीकुई के पास, दोसा के पास में कोई बंध बनाया जाता है इसका विरोध नहीं करता और मुझे इस पर ऐतराज भी नहीं है लेकिन भरतपुर जिले के लिये क्या आपने आल्टरनेटिव सोचा है पानी के लिये? पानी की उसके लिये क्या व्यवस्था आप करने जा रहे हैं ? यह पुछना चाहता हूं । इसी प्रकार से पांचना बांध का काम शुरू किया जा रहा है इससे भरतपुर जिले में जो सिंचाई का सिस्टम है और जिन गांवों में सिंचाई होती है वे समाप्त हो जायेंगे क्योंकि और हमारे पास में पानी नहीं है। सभापति महोदय, ऐसा मालूम पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने जान बूझ कर योजनावद्ध भरतपुर जिले पर हमला किया है और इस तरह से हमला किया है जिससे यह जिला भूखे मरने लग जायेगा । मैं निवेदन करना चाहुंगा राजस्थान सरकार को सभापति महोदय, की आपके भीलवाड़ा, भरतपुर में जो बांध बन रहे हैं यह सव भरतपुर और गंगानगर की आमदानी है, वहां का राजस्व है । आपके जिलों का इनके मुकाबले का क्या राजस्व है। आप तो अकाल पीड़ित है। और अपनी आजीविका इसीके सहारे चलाते हैं । आप इस पुरानी सिचाई व्यवस्था को नष्ट कर दें तो चाहे आप को इसका क्षणिक लाभ मिले किन्तु लम्बे समय के बाद आपको इससे नुकसान ही होने वाला है। गंम्भारी नदी पर बांध का काम शुरू कर दिया है, चांदना का काम शुरू कर दिया गया है। सिचाई मंत्री जी यह कह सकते हैं कि यह मने नहीं कराया है लेकिन यह अकाल राहत कार्यों में हुआ हो और चाहे इसे समाज कल्याण मंत्रीजी ने शुरू करवाया हो।

(श्री रामकिशन)

इस प्रकार से आप रूपाहेली नदी पर हमला करने जा रहे हैं जो डीग सब डिवीजन में सिंचाई के काम आती है और इस पर दो बांध बनाये जा रहे हैं और इस प्रकार धीरे, धीरे इसके पानी को कम किया जा रहा है। यह प्रश्न नहीं है कि आप दूसरों को पानी नहीं दें लेकिन जितनी क्षमता थी और जो क्षमता वहां पर उपलब्ध थी उसको पूरा करने के लिये आपकी क्या व्यवस्था है ? सीलीपुड़ी नामक स्थान पर एक दूसरी परियोजना शुरू हो गई है। आप कह सकते है कि यह एक छोटी सी योजना है। परन्तु कालान्तर में अलवर के लोग इस बात का प्रयास करेंगे और नतीजा यह होगा कि रूपाहेली नदी जो भरतपुर जिले के डीग सब डिवीजन में जाती है वह वहां पर जाना बंद हो जायेगा। जिन क्षेत्रों की जो मांग है उनसे में कोई इन्कार नहीं करता हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह तीनो बांध बंध जाते है और आपने पानी को रोक दिया तो इसके बजाय भरतपुर में क्या पानी की व्यवस्था करेंगे। उसकी आबादी घनी है। वह कोई जैसलमेर व बाड़मेर नहीं है कि उसको कहीं इधर उधर बसा दें। उसकी 18 लाख के आस पास आबादी है। इतनी घनी आबादी है और वहां के कुओं में जो पानी उपलब्ध है वह खारा है। इसलिये नदी का पानी ही वहां पर सब तरह से एक साधन है। नदी नही रहेगी तो कुओं का पानी खारा है और वह खारा पानी फसलों को दिया जाता है तो उनसे फसलें सूख जाती है। जिन जिन क्षेत्रो में नदियों का पानी नहीं पहुंचे जैसे डीग, नदवई, कुम्हेर उनमें केवल एक आध बरसात की फसल होती है। बाकि की फसलें नदी के पानी से होती है। यदि इस नदियों को रोका गया तो वहां की फसलें के नष्ट होने के साथ साथ सिचाई की व्यवस्था भी नष्ट हो जायेगी। वहां के कुओं का पानी खारा है। भरतपुर पहले नमक की झील रह चुकी है और उससे यह स्थिति आ जायेगी कि वहां पर पीने का पानी भी उपलब्ध नही हो सकेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो परियोजनाएं आप चला रहे हैं वहां की क्षेत्रीय भावनाओं की मांग की दृष्टि से, या राजनैतिक कारणों से या अन्य कोई कारण इसके लिये हो लेकिन आप हमें इसके अल्टरनेटिव व्यवस्था की जानकारी दें और आप यह मानकर चलें, आज जो छोटे मोटे काम शुरू करने जा रहे हैं यह कालान्तर में बढा दिया जायेगा। यह सिलिसेड में जो बताया कि पानी ले रहे है और पांचनाय में फाटक लगा रहे है। शायद इसके लिये आपका यह जवाब होगा लेकिन यह जवाब आपका इतना क्षणिक है और छोटा है। आगे जाकर वहां के लोग मांग करेंगे कि इस पानी की उपलब्धि हमें हो। हमारे भरतपुर जिले के लिये कोई वैकल्पिक हल नहीं निकलाते है तो वहां के लोग चुप रहने वाले नहीं है। अगर आप करौली को पानी देते हैं तो करौली को पानी मिलना चाहिय उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है वान्दी कुई में पानी मिलना चाहिये, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, अलवर को पानी मिलना चाहिये, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है उन सबको पानी मिले इसका मुझे कोई एतराज नहीं है – उन सबको पानी मिले, इसकी मुझे खुशी है लेकिन हमारे लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं। यह सरकार

(श्री रामकिशन)

के उत्तर से स्पष्ट होगा। लेकिन सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह आपका चलने वाला नहीं है। कहों पर बन्ध बने चाहे वह हरियाणा में बने या और कहीं बने भरतपुर के तीन हिस्सों मे बैर, रूपवास और बयाना में पानी नहीं चढ़ पायेगा, इसके लिये आप क्या करेंगे ? वहां जबतक लिफ्ट की योजना नहीं बनाई जायेगी यह समस्या हल होने वाली नहीं है। दूसरा विकल्प यह है कि वहां आप जमुना का पानी ला सकते हैं और अगर यह विकल्प भी नहीं ले सकते है तो मैं समझता हूं इसको बन्द कर लिया जाय जब तक इन दोनों का पानी न आये तब तक कितनी क्षमता है पानी की उससे आधी रह जाती है। बाणगंगा में आगे से पानी कम जाता हैं वह बरसात से नही वह तो जब से यह बन्ध बना हैं तब से पानी नहीं जाता है। जयपुर का सारा इलाका बंजड है, अलवर का सारा इलाका बंजड है-आज तो कई बन्ध बन गये है। कई जगह छोटे छोटे नाले रोक दिये गये है लेकिन सारी जमीन जोत के नीचे आने से जमीन के पानी की सोखने की शक्ति बढ़ गई है। आज से जो जमीन 25 साल पहले पानी सोखती थी उससे ड्योढी जमीन के पानी सोखन की शक्ति बढ़ गई है। मेरा मतलब है पानी मी कब्जा करने की शक्ति बढ़ी है।

सिचाई मंत्रीजी यह कहते है कि भरतपुर के लोग बहुत सेन्टीमेन्टल है। हम लोग तो यहां पर बैठे है - ऐसी कोई बात नहीं दिखाती है। भरतपुर के लोग तो बहुत गंभीर है। भरतपुर के लोग राजस्थान में उत्पादन में रेकार्ड रखते है, भरतपुर के लोग घनी आबादी का रेकार्ड रखने हैं, भरतपुर के लोग तिलहन में रेकार्ड रखते है। आप केवल यह नहीं सोचें कि बांदीकुई में शिव चरण जी ने पांचना के पास बान्ध बना लिया। यह हमारा आग्रह है कि बिना विकल्प के कोई व्यवस्था किये यह व्यवस्था होगी तो भरतपुर के लोगों में संकट की स्थिति बढेगी और भरतपुर का संकट बढे तो यह कोई मीरवाड़ा का असन्तोष नहीं है। यह भरतपुर का असन्तोष है। भरतपुर का जिला राजनैतिक जिला हैं यहां के लोग राजनैतिक दृष्टि से पूर्ण जागरुक है। अगर आपने दूसरा तरीका अपना लिया है तो यह न तो उत्पादन की दृष्टि से ठीक है और न नैतिकता की दृष्टि से ही ठीक है। जो पुराना तरीका अपना रखा है उसको बकरार रखें पानी की एक बूंद की स्थिति को नहीं बदलें।

दूसरी जगह आप टयूब वेल्स बनावें, हम कब कहते हैं कि हमारे यहां टयूब वैल बनावें। हमारे यहां का पानी खारा है तो हम कभी टयूब वैल के लिये नहीं कहते है। जहां मीठा पानी है वहां पर आप टयूब वेल्स लगायें। लेकिन यह क्या सिस्टम बना रहे है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। पुराने सिस्टम को खतम करते जा रहे है या कुछ लोगों की भावना को जीतने के लिये आप यह सब कुछ कर रहे है। मैं सिचाई मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहूंगा। विधान सभा में पहले आश्वासन दिया था तो यह निर्माण कार्य कैसे शुरू कर

(श्री रामकिशन)

दिया। आप यह चाहते है गंगानगर की स्थिति भरतपुर में भी हो जाय तो भरतपुर के लोग उससे पीछे हटाने वाले नहीं है...

(घंटी)

राजस्थान की जो मौजूदा तस्वीर है उसमें इन जिलों का बड़ा योग दान है। आपने बिजली के मामले में भरतपुर को सबसे कम बिजली दी। भरतपुर के उद्योगों को बिजली 113kv भीलवाड़ा और चित्तौड़ को 133kv। बिजली के मामले में भी हमें पीछे रख रहे है, पानी के मामले में हमें पीछे रखते जा रहे है आखिर आपकी नीति क्या है?

भरतपुर जिले में कोई नया काम हुआ है। बाढ़ नियंत्रण पर अवश्य डेढ़ करोड़ रूपया खर्च किया है और इसमें से 75 लाख तो कमीशन में चले गय। अब बचा क्या भरतपुर के पास। यह आप स्वयं देख लीजिये। भरतपुर तो बराबर लुटा है। भरतपुर के लिये कोई नई व्यवस्था नहीं हुई है। कई बान्ध आपके पास पड़े हुए है। मैं मानता हूं मंत्री जी कहेंगे कि प्रावधान कर रहे है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हू गंभीर नदी को रखना चाहते है तो पांचना में क्यों रखते है। भरतपुर में उसकी फाउन्डेशन बनी हुई है लेकिन मेटेरियल वहां पड़ा हुआ है 40 मील दूर। उससे कभी बाढ़ भी नहीं आती और वैर के साथ साथ जो दूसरे इलाके है सीता, खलेरी, घरेरी इनकी सिंचाई भी हो जाती। इससे आपकी बाढ़ भी रुक जायेगी और सिंचित क्षेत्र भी बढ़ जायेगा। और कोई मे ज्यादा लागत के भी नहीं है। छोटे छोटे बान्ध है। कोई दो लाख की लागत का खर्च है तो कोई चार लाख की लागत का खर्च है और कोई पांच-सात लाख की लागत के खर्च के बान्ध है। रूपवास, बयाना और बैर इन तीन इलाकों में 10-15 लाख के लागत के जो बान्ध है वह अगर बन जाते है तो बाढ़ की समस्या हल हो जाती है और उन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था भी बढ़ जावेगी।

पुराने तरीके को भी अगर आप बदल रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में जो आपका आश्वासन है निश्चित रूप से सरकार का आश्वासन रहे, कोई चलता, फिरता आश्वासन न हो जो कांग्रेस पक्ष से आये है वे भी इस मामले को गंभीरता से लें और जो माननीय सिंचाई मंत्री जी उत्तर दें वह बहुत सोच समझ कर देंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री): माननीय चेयरमेन, माननीय सदस्य ने भरतपुर जिले में बाण गंगा, रूपारेल और गंभीरी की जो इरींगेशन की व्यवस्था है उन नदियों पर दूसरे जिले में कुछ बान्ध बनाने की योजना होने से उनको चिन्ता हो रही है कि भरतपुर का सिस्टम जो अब तक चला आ रहा है वह कहीं अस्तव्यस्त न हो जाय और भरतपुर के किसान को तकलीफ हो—इस बारे में ध्यान आकर्षित किया है।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं जिससे यह प्रकट होगा कि भरतपुर जिले पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हम कौन कौन सी योजनायें सोच रहे हैं कि जिससे यदि किसी प्रकार पानी की कमी भी होती तो उसकी पूर्ति दूसरी योजनाओं के जरिये हम भरतपुर जिले में और कर दें जिससे पानी की कमी न रहे और पानी कम बरसात में भी आये । दोनों ओर की वस्तु स्थिति को सदन के सामने रखूंगा । भरतपुर में बाण गंगा, रूपारेल और गंभीरी नदियों से जो सिंचाई की व्यवस्था है इन तीन नदियों का उद्गम स्थान भरतपुर, एक जयपुर से दूसरी सवाई माधोपुर से और तीसरी रूपारेल अलवर जिले से बह कर भरतपुर में आती है । अब तक इन नदियों का पानी का लाभ भरतपुर जिले को ही होता रहा है । इन नदियों के पानी की क्या केपेसिटि है, कितना पानी इन नदियों में आता है, कितना भरतपुर में इस्तेमाल होता है, कितना यू० पी० में बहकर चला जाता हैं इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा बाण गंगा नदी में जो पानी की सामान्य क्षमता है–एवरेज है वह नौ हजार 880 मिलियन क्यूबिक फीट है, गंभीरी नदी का चौदह हजार एक सौ मिलियन क्यूबिक फीट है, और रूपारेल का छः हजार दो सौ इक्कीस क्यूबिक फीट है यह एवरेज फ्लो है। और कमी जो पानी भरतपुर जिले के काम आता है वह 9880 मिलियन क्यूबिक फीट में से 7127 मिलियन क्यूबिक फीट है । इसके अलावा 14100 मिलियन क्यूबिक फीट में से 4571 मिलियन क्यूबिक फीट है, तीसरे 6221 मिलियन क्यूबिक फीट में से 4501 मिलियन क्यूबिक फीट रूपारेल का पानी काम में वहां आता है। जो तीनों योजनाएं हैं और तीनों नदियों पर जो प्रस्तावित हैं एक करौली डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में, दूसरी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और तीसरी भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में उनके अन्दर जो चांदराना पांचना और अलवर वाली सिलीवेरी प्रोजेक्ट्स को जो क्षमता रखी है वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं । जो बाणगंगा वाली स्कीम है जिसके अन्दर 145 मिलियन क्यूबिक फीट पानी उससे रुकेगा इस तरह से जो भी अभी इस्तेमाल होता है और यह जो बांध बनाया जा रहा है 145 मिलियन क्यूबिक फीट का इसको बनाने के बाद केवल 2608 मिलियन क्यूबिक फीट पानी उनका सरप्लस रहता है जो कि बहकर दूसरे प्रान्तों में जायेगा । इसी तरह से गम्भीरी नदी पर जो हम बांध पांचणा को बना रहे हैं उसके बाद भी 8229 मिलियन क्यूबिक फीट पानी सरप्लस होकर राजस्थान के बाहर जायेगा । इसी तरह से रूपारेल में जो हम 170 मिलियन क्यूबिक फीट पानी को रोकने के लिए सिलीवेरी बांध बना रहे हैं उसके पूरा होने के बाद 1450 मिलियन सरप्लस पानी बाहर जायेगा । यह तो मैंने औसत बात कही है। हो सकता है किसी साल में बरसात कम हो तो उसके अन्दर कमी हो सकती है लेकिन एवरेज फ्लो रिवर्स में अगर हम इस स्थिति को देखें तो तीनों बांध बनने के बाद भी जो उसमें पानी रहेगा वह सरप्लस बाहर हो जायेगा । तो इस तरह से आम दिनों में जो पानी की रेन-फॉल होती है तब तक पानी की कोई कमी नहीं है बल्कि औसत के होने की सम्भावना है । लेकिन कभी बरसात की कमी आ सकती है तो इन तीनों बांधों को बनाने की योजना जहां राज्य सरकार ने बनाई है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

और साथ ही साथ उसकी दूसरी योजनायें भी बनाई हैं कि जिससे हम इस सारे सिस्टम को री-इनफोर्स कर सकें। उसमें से एक प्रपोजल है गंभीरी बाणगंगा लिंक का। इस योजना के द्वारा गंभीरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में से 200 मिलियन सी० एफ० टी० का पानी बाणगंगा नदी में छोड़ने का विचार है। यह पानी कम वर्षा वाले वर्षों में बाणगंगा के सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई होगी। इस योजना के पूरा होने पर औसतन 1000 क्यूबिक फीट पानी हम इस गंभीरी बांणगंगा लिंक के जरिये हम डाइवर्ट करके बाणगंगा में डालेंगे। तो इस तरह से हम उधर थोड़ा सा पानी 145 मिलियन क्यू० फीट ले रहे हैं लेकिन स्कीम ऐसी बना रहे हैं कि जिसके जरिये 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी गंभीरी बाणगंगा के जरिये उसमें री-इनफोर्स हो। 11 मील की लम्बाई की एक लिंक नहर बनेगी और लगभग इसमें एक करोड़ रुपया लगेगा और इसको आइन्दा साल के प्लान में रखा है। इसी तरह से जो रूपारेल नदी के ऊपर नाला है उसको भी हम बांधकर 200 वर्ग मील का पानी जो कि 2॥ मील लम्बी नहर से 3000 मिलियन क्यूबिक फीट दोनों इसकी भी रूपारेल नदी में बांधकर सीकरी बांध में उपलब्ध कराना चाहते हैं जिससे कि वहां का सिस्टम भी अच्छा हो जाये और हमेशा पानी आये और कमी के सालों में भी दिक्कत नहीं हो। यह छोटी सी स्कीम 3 या 3॥ लाख की है और इसको भी हम अगले साल में रखने जा रहे हैं।

तीसरे जो कामां पहाड़ी क्षेत्र में पानी आता है गोवर्धन ड्रेन के जरिये यू० पी० में जाता है और उसको बनाने में हमको कहा जाता है कि हम रुपया दें तो हमारे पानी को यू० पी० में छोड़ते हैं तो हमने योजना बनाई है कि इस पानी को जो हमारे खुद का भी कामां पहाड़ी में पानी आता है ड्रेन में और पानी जो हरियाणा की तरफ से आता है उसको हम गोवरधन ड्रेन के जरिये यू० पी० में भेजने के बजाय हम लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम के जरिये गुड़गांव कैनाल में डाल दें और उसके लिये हमारी सिंचाई को बढ़ाकर उस क्षेत्र को सिंचाई की सुविधायें दे सकें। यह 25 लाख रुपये की योजना भी हमने बनाई है। तो यह तीन मोटी मोटी योजनाएं बताई हैं मैंने, बाकी माननीय सदस्य जानते होंगे और कुछ तो उनके ही सुझाव थे जो बैर, केर और गोगरा ऐसे कई और इसी तरह से दूसरी तहसीलों के और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की 7-8 स्कीमें इस साल और आइन्दा साल हम और ले रहे हैं और यह धौलपुर के अलावा स्कीमें हैं। तो इस तरह से कोई कहे कि भरतपुर जिले से, इसलिए कोई पक्षपात की बात करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पहले भी चाहे वह बाढ़ किसी वजह से आई हो और चाहे बाढ़ तीन चार-चार साल में दो-तीन दफा आई हो लेकिन उसको प्राथमिकता देकर उन कामों को करवाने की कोशिश की है। उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं उनको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे लेकिन राज्य सरकार का यह कोई इरादा नहीं है कि किसी एक जिले को तकलीफ दी जावे 'एट

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दी कास्ट आफ अनेदर डिस्ट्रिक्ट, यह इरादा नहीं है बल्कि इरादा यह कि भरतपुर को भी सिंचाई की सुविधायें मिलें जो कि मिलती आ रही है उसमें कमी न हो लेकिन साथ ही साथ पानी फालतू बहकर यू० पी० या अन्य इलाकों में भी न जाये और जहां से नदियों का उद्गम है, जहां से वह बहकर आता है वहां छोटे छोटे मोखे हैं चाहे अलवर में सिलीगुड़ी का हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे जयपुर में चांदरराना या पंचागा का हो, वहां भी जब नदी बहकर आती है और उधर का पानी लेकर आती है और उधर भी प्यासा है तो उनकी प्यास बुझाना भी सरकार का कर्त्तव्य है और साथ ही भरतपुर को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो और उनके ऊपर कुप्रभाव न पड़े यह देखना भी सरकार का कर्त्तव्य है। तो भरतपुर के सिस्टम की री-इन्फोर्समेन्ट करने की दृष्टि से भी योजना बनाई है बल्कि जो नयी योजनायें हम दूसरे जिले की हाथ में ले रहे हैं उससे अधिक आमद पानी की भरतपुर जिले में पहुंचे, इस प्रकार की योजनायें बनाई हैं। इसलिए कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ थोड़ी सी मात्रा में अगर दूसरे जिलों को भी सिंचाई के साधन मिल जाते हैं तो उसमें माननीय सदस्य को जैसा कि उन्होंने भाषण में कहा है कि ऐतराज नहीं है और होना भी नहीं चाहिये तो मैं सदन की जानकारी के लिए और माननीय सदस्यों के सन्तोष के लिए यही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस मामले में जागरूक है, कॉन्शश है, समझती है इस प्रॉब्लम को और समस्या को कि भरतपुर जिले के लोग क्या चाहते हैं यह भी सरकार समझती है कि अन्य लोग क्या चाहते हैं और साथ ही चाहती है कि दोनों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उनकी सुविधाओं में कमी न हो, उनको ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं को हाथ में लिया है और जिन योजनाओं के बारे में मैंने निवेदन किया है उन योजनाओं को भी हम इसी दृष्टि से हाथ में ले रहे हैं कि आपका सिस्टम भी री-इन्फोर्स हो।

श्री सभापति: श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर): सभापतिजी, मंत्रीजी ने जो यह बात कही है कि हम भरतपुर जिले का आज का जो सिस्टम है उस पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़े उसका काफी ध्यान रखे हुए हैं और उद्गम स्थान के आस पास के इलाकों को पानी देने में। यह भावना बहुत अच्छी है, लेकिन भरतपुर जिले में कई कटु अनुभव हुए हैं। इस बारे में पहले का कटु अनुभव यह है कि पिछली बार भी सदन में यह सवाल उठा था तो माननीय सिंचाई मंत्री ने और आजके समाज-कल्याण मंत्रीजी ने इस सदन में कहा था कि इस प्रकार से इन नदियों को रोकने की कोई योजना है। समाज-कल्याण मंत्री ने यह कहा था कि ऐसी हमारी इच्छा और आकांक्षा नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं दुबारा इसी सदन में बैठे हुए कि जो हमने आशंका व्यक्त की थी वह सच होने जा रही है। इस तरह से पानी को रोकने की योजना बनाई गई है जिस पर आप काम शुरू करने जा रहे हैं।

आपने दूसरी एक बात कही है कि इन दो नदियों की एक योजना है जो करीब एक करोड़ की लागत की है। उससे आप गम्भीरी

(श्री नत्थीसिंह)

नदी का पानी बाणगंगा में डालना चाहते हैं। और इसके साथ ही लिफ्ट इर्रिगेशन की बात कहना चाहते हैं। इसके साथ भी एक तीसरी योजना की बात कही है। मैं पहला सवाल तो यह पूछना चाहता हूं कि अगर यह बात सही है जो कि आप कहते हैं तो आपको पता है कि भरतपुर फीडर आ रही है तो दो साल में उसमें कितना पानी आया है यह मंत्रीजी को मालूम होगा। उसमें बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। जो आपने अभी जिस गाटान नहर की बात की है तो कितने दिनों से इसकी चर्चा हो रही है और कितनी बनकर आगई है और भरतपुर जिले में कहां पर प्रवेश कर रही है? इसकी प्रगति से आप भी परिचित हैं और हम भी परिचित हैं। हमें इस बात की आशंका है कि इस तरह की योजना बनाने से भरतपुर के बान्धों के सिस्टम पर असर पड़ेगा तो क्या जब तक भरतपुर के सिस्टम को रिएन-फोर्स करने के लिए जिन जिन योजनाओं का नाम आपने लिया है उन तीन योजनाओं को फाइनल करके उनको पूरा करने के बाद आप इस योजना को हाथ में लेंगे? क्या आप ऐसा आश्वासन देंगे? अगर उन योजनाओं को पूरा नहीं कर लेते हैं और इन नदियों को रोक लेते हैं तो निश्चित रूप से भरतपुर जिले में सिंचाई होती है वह उसके लाभ से वंचित रह जायेगी। इस लिए पूरी तरह से यह आश्वासन दें कि इन योजनाओं को आप क्रियान्वित करेंगे तब आप आज के सिस्टम पर व्याघात करेंगे।

जिन योजनाओं का आपने नाम लिया है तो भरतपुर जिले के सभी वर्ग के लोगों को बुलाकर आश्वस्त करेंगे कि इन योजनाओं की पूर्ति करने से हमारे जिले को पानी बदस्तूर मिलता रहेगा। मेरा कटु अनुभव है कि इसी सदन में सिंचाई मंत्रीजी से आप नहीं आपसे पहले वालों ने— से हमने कहा था कि आप और आपके एक्सपर्ट जो ये बना रहे हैं इससे भरतपुर जिला बरबाद होगा, बाढ़ आयेगी और यह टूटेगा। तब यह कहा गया था इसी सदन में कि हमारे एक्सपर्टस ने यह योजना तैयार की है। इससे बाढ़ का पानी निकलेगा, और आज आपका अनुभव है सिंचाई मंत्रीजी कि गोवरधन ड्रेनेज किस तरह की बनाई गई है कि वह भरतपुर इलाके के डीग और कुम्हेर के इलाके में बाढ़ का कारण बन गई है।

इसके साथ साथ दूसरे लोग ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य भाषण नहीं होगा।

श्री नत्थीसिंह : भाषण नहीं दे रहा हूं सवाल पूछ रहा हूं, सभापति महोदय,। यह हमारे जीवन-मरण का सवाल है और हम आसानी से जाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से हम यह चाहते हैं कि सब को पानी मिले। आम उद्गम स्थान की बात कहना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ सन्धि के बारे में समझौता नहीं कर पाये हैं। उदगम स्थान की बात पर तो हम घुटने टेक देते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि हमारी मांग को मनवाने के लिए और हमारे अधिकारों को मनवाने के लिए हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ जायं? अगर राजस्थान में रहकर हम न्याय को नहीं पा सकेंगे तो न्याय को पाने के लिए हर कुरबानी देने को तैयार हैं।

हमने निवेदन किया था कई बार कि

(श्री नत्थीसिंह)

हमारे यहां की सिचाई योजनाएं बढें । वे बढी तो नहीं लेकिन जो हमारे आज के साधन हैं उन पर कुठाराघात तो न करें । गुड़गांवा की बात थी पानी के लिए और भरतपुर फीडर को आगे बढाने की बात है लेकिन आज तक आप पानी नहीं भेज सके हैं । उसके स्थान पर हमने, सभापतिजी, बारबार शिकायत की है कि आपके अधिकारी पैसा लेकर पानी को निकाल देते हैं और आज भरतपुर का वह इलाका जो इन बान्धों के नीचे है पानी से वंचित रह जाता है । आज यह स्थिति है । इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि आप राजनैतिक दृष्टि से बात करते हैं उसको आपने नहीं छोड़ा है । मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके पिछले आश्वासन और आज के आपके जवाब में जो फर्क है वह राजनैतिक कारणों से है । अगर राजनैतिक कारण नहीं हों तो आप कहिये कि किसी भी योजना का कोई काम शुरू नहीं किया जायगा जब तक कि भरतपुर जिले के लोगों को आप आश्वस्त नही कर देंगे कि आपकी प्रस्तावित योजनाएं वास्तव में सही हैं और इनको क्रियान्वित कर देंगे । आप बात यह करते हैं कि इस योजना पर एक करोड़ रुपया खर्च होगा लेकिन कल आप उसको बनायेंगे ही नहीं और कह देंगे कि पैसा नहीं है । मेरा तो यहां तक कहना है, सभापतिजी, कि गम्भीरी और बानगंगा वाली बात है उसके लिए आम चर्चा है जिले में कि जिस तरह की योजना आप तैयार कर रहे हैं वह योजना एक तरह से कारगर नहीं होगी, क्योंकि जो योजना सोची है उससे पानी आप ऊंचाई पर डालना चाहते हैं । तो ये सारी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को मिटाएं और लोगों को यह इत्मिनान दिला दें कि यह योजना सही है और उनको बनायें तब इसको सोचें । अगर यह आश्वासन नहीं देना चाहते हैं और 72 के वोटों को देखकर ही काम शुरू करना चाहते हैं और भरतपुर जिले के साथ में अन्याय होगा तो हम बगावत करने के लिए उठ खड़े होंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : सभापति महोदय, तीन नदियां और चार नाले भरतपुर के जन-जीवन में अपना स्थान रखते हैं । इस बात को कोई भी गम्भीर व्यक्ति मन्जूर करके नहीं चल सकता है कि भरतपुर के इलाके को बरबाद कर दिया जाय, वहां धूल उड़ने लगे और उसको रेगिस्तान बना दिया जाय और इन नदियों का पानी दूसरे इलाकों में रोक लिया जाय । यही नहीं, इस पानी के झगड़े को लेकर सभापतिजी, पुराने राजाओं के बीच में भी काफी झगड़े हुए हैं । रूपारेल के पानी का झगड़ा अलवर और भरतपुर रियासत के बीच में बड़ा विकट झगड़ा हुआ है और वह झगड़ा काफी दिनों तक चला और सेन्ट्रल गवर्नमेंट और वायसराय के लेवल पर उसका समझौता हुआ है । उस समझौते के आधार पर यह तय पाया कि भरतपुर को दस आना मिलता रहेगा और 6 आना पानी पर अलवर का अधिकार रहेगा । रूपारेल के पानी को अगर रोक लेते हैं तो जैसा कि सत्य है कि सीकरी का बान्ध खाली रह जाता है और दूसरे इलाके सूखे यह जाते हैं । यहां पर बारा वेस्ट वेयर को ऊंचा करके जिस तरह से पानी को रोकने की साजिश है तो यह खुली साजिश है । अगर यह बात सही है कि राजस्थान की सरकार में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वह भरतपुर का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं तो उन्हें राज्य करने का अधिकार नहीं है ।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

हम कोई आसानी से इस बात को देखते रहें और तमाशबीन होकर अपनी बरबादी पर मशालें जलाते रहें यह काम हो नहीं सकता।

सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं–सुन रहे हैं सिंचाई मंत्रीजी–एक बात यह कहना चाहता हूं कि बाणगंगा के पानी को रोक दें और उसमें पानी थोड़ा है तो उसको दूर करने के लिए गम्भीरी नदी का पानी बाणगंगा के पानी में डालना चाहते हैं। उसकी लिंक बनाना चाहते हैं तो उससे क्या होगा कि जिस समय 100 एम० सी० एफ० टी० पानी इस नदी में डालेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके आंकड़ों के आधार पर।

श्री पृथ्वीसिंह : माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आर्कषित करना चाहते हैं और सिंचाई मंत्रीजी है नहीं।

एक माननीय सदस्य : सुन रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्रम मंत्रीजी सुन रहे हैं। वे ज्यादा बोलेंगे नजरबन्दी निवारक कानून पर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये आंकड़े गलत बताये हैं। आखिर ये किस कारखाने में गढ़े हुए हैं। इनकी असत्यता तो इस बात से ही साबित होजाती है कि अगर गम्भीरी नदी में पानी की कमी है तो उसका तो बाणगंगा में 12000 एम० सी० एफ० टी० छोड़ रहे हैं। तो फिर गम्भीरी नदी के पानी को बाणगंगा में डालकर एक करोड़ की योजना बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि टोडना से आगे चलकर जो उच्चैन का पूरा इलाका है वह हमेशा के लिए खाली रह जाता है। लालसोट बान्ध का पानी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वह दूसरे इलाके में डाइवर्ट नहीं हो पाता है और वह इलाका पूरा सूखा रह जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि जब सुखाड़िया साहब और सिंचाई मंत्रीजी भरतपुर आये थे तो उनका ध्यान इस तरफ आर्कषित किया गया था कि बाणगंगा का पानी पर्याप्त नहीं होगा। जब यह योजना सोची गई तो गम्भीरी नदी को बारां वेस्ट वेयर के केंपस में काटकर बाणगंगा नदी में डाला जाता है, या आपके कथनानुसार अगर आपके आंकड़े सही हैं तो क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि गम्भीरी नदी के पानी को एक करोड़ की योजना बनाकर दूसरी नदी में डाला जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, इसी तरह से हमारी गम्भीरी नदी का सवाल है। गम्भीरी नदी के पानी को अगर रोक देंगे तो बयाना का जो इलाका है, रूपबास का जो इलाका है तो आज रूपबास के अन्दर 77 के करीब बान्ध हैं और 77 में से 50 के करीब बन्धे आज टूटे हुए पड़े हैं।

इनण्डेशन सिस्टम है जैसा है, भरतपुर की पुरानी रियासत के समय का है। उसको समझने के लिए अच्छे अच्छे नये नये डिग्री होल्डर आते हैं। वह उस सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि भरतपुर में हर साल बाढ़ पैदा की जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : क्वेश्चन कर रहे हैं या भाषण कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो सिस्टम है वह टाइमली नहीं है। क्या उसको आप पसन्द करते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह मखौल करने का सवाल नहीं है, रामानन्द जी।

एक माननीय सदस्य : क्षेत्रीय भावना जरूर है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप को शर्म नहीं आती है। यह जनता के जीवन मरण का सवाल है। यह कोई दूसरे नहीं हैं। वहां जो सिस्टम है, आप उस इलाके में आये हैं। किसी भी इलाके में आखिर बनाया गया था। आप बाढ़ को बन्द कर दीजिए। पानी की रेग्यूलर सप्लाई शुरू कीजिये। मैं आप का स्वागत करता हूं। केवल यह कह कर यह प्रिमिटिव सिस्टम है, पुराना सिस्टम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तरह तरह की दूसरे तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं। कभी नहर टूट जाती है। कभी मोखा नहीं लगाया है। भरतपुर का सिस्टम उत्तम सिस्टम है। जब तक उसे रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरी योजना नहीं लाते हैं, तब तक आप को अधिकार नहीं है कि जो हम पानी का उपयोग कर रहे हैं, उस से हम को वंचित कर दें। आप यह 145 एम० सी० एफ० टी० पानी लेना चाहते हैं वह बिल्कुल गलत है। हमने आप का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। यह जो एम० सी० एम० टी० पानी डालते रह जाते हैं। यह तथ्यों से परे है। इन को कोई ताल्लुक नहीं है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आप वरिष्ठ इन्जीनियर्स का बोर्ड बैठायें। फिर से उस सिस्टम को एग्जामिन कीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर वास्तव में आप इसको उचित मानते हैं तो आप कुछ भी कीजिये परन्तु दूसरों पर छुरी चलाकर, राजनीति से प्रेरित होकर हमारे भरतपुर के ऊपर लात मत मारिये। मैं क्षेत्रीय भावना की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं

श्री सभापति : काफी हो गया है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अभी मैं और बोलूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : करोड़ रुपया और दिला दीजिए।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : इस सदन के सदस्यों को आप के माध्यम से, सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार को भी यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का षडयन्त्र भरतपुर की जनता के प्रति रचा गया तो यह क्षेत्रीय भावना बढ़ेगी। इससे भरतपुर का किसान संघर्ष के रूप में सामने आयेगा। यह हो सकता है कि भरतपुर के हजारों किसान जत्थे के रूप में चल पड़ें। हो सकता है कि फिर रामानन्द जी रास्ते में आयें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप ऐसा करेंगे तो हम आपस में नहीं लड़ेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : हो सकता है कि वह सरकारी दफ्तरों को घेर लें। इरिगेशन का दफ्तर है। कलेक्टर का दफ्तर है। हम अपने जनजीवन के साथ नंगा खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भरतपुर की जनता को भूखा नहीं मरने देंगे। भरतपुर के लिए कोई बात सरकार अब तक नहीं कर सकी है।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत आरोप है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गायल : यह गलत नहीं है। कठोर सत्य है। भरतपुर के 12 लाख किसान आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। तो आप क्या कोई भी उनको असन्तुष्ट नहीं रख सकेगा। या आप चाहते है कि हम तलवार की ताकत के बल पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। अगर आप उस इलाके को बरबाद करना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं देंगे।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं पुन: निवेदन करता हूं कि आप वरिष्ठ इंजीनियर्स का बोर्ड बनाइये। भरतपुर के उस इलाके में रिटायर्ड इंजीनियर्स जिनको भरतपुर की चप्पा चप्पा जमीन की जानकारी है, उनका सहयोग लेकर कोई भी योजना लाकर इम्पलीमेण्ट कीजिये। लेकिन हम जन-जीवन के साथ यह खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यह मेरा सभापति महोदय, आप के माध्यम से निवेदन है, चेतावनी भी है। जिस रूप म आप लें, उसको ले सकते हैं। हम तैयार हैं। यही बात मुझे आप से कहनी है।

श्री नत्थीसिंह : भरतपुर के बारे में कुछ कहना है ? (श्री यशवन्तसिंह नाहर के खड़े होने पर)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा एक पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर है। सभापति महोदय, इस बारे में मिनिस्टर का स्टेटमेण्ट हुआ था। काल अटेंशन मोशन पर अगर आप का फिर भी आदेश है....

श्री नत्थीसिंह : कई बार निर्णय हो गया है। आप बेकार दुहाई देते हैं।

Shri YashwantSingh Nahar: It is given in the Rules of Procedure.

श्री मदनसिंह : Thy have a right to speak.

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : सभापति महोदय, नाहर साहब कुर्सी पर आजायें। अपने आप को योग्य घोषित करने की कोशिश क्यों करते हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मैं योग्य नहीं हूं। मुझे जैसे नादान आदमी की कोई कीमत नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जन-भावनाओं की कद्र करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो आपकी पीड़ा है, सदन उस पीड़ा को रिमूव करे। मैं इससे इन्कार नहीं करता, लेकिन सदन की कुछ मर्यादायें हैं, सदन का कुछ कार्यक्रम है उसके अनुसार सदन की कार्यवाही चले इसलिए ही मैंने अपना एतराज प्रस्तुत किया, नहीं तो मुझे क्या मतलब। आप खूब बोलिये, मुझे भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां रूल 131 के अन्तर्गत मोशन होता है, वहां कहा गया है कि हरएक आदमी उस पर नहीं बोलेगा, कॉल अटेंशन मोशन में कोई डिबेट फौलो नहीं होती है। यह इन रूल्स में लिखा है, फिर भी, सभापति महोदय, अगर आसन चाहे...

श्री नत्थीसिंह : पूरी पॉवर है हमें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अगर आसन की इजाजत हो तो मुझे उसमें एतराज नहीं है। आपका अच्छा भाषण चल रहा था....

श्री नत्थीसिंह : अच्छा भाषण नहीं था, हमारी पीड़ा थी ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपका अच्छा भाषण चल रहा था उसका मैं आनन्द ले रहा था और जो आपकी पीड़ा थी, उससे मैं रो रहा था, आंसू आ रहे थे ।

श्री मदनसिंह : जो किसान हैं उनके अन्दर किसानों की पीड़ा के लिये दर्द है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : फिर भी सदन की कुछ मर्यादयें हैं, इसलिये मैंने निवेदन कर दिया।

श्री सभापति : आप ठीक कहते हैं, सदन की मर्यादाओं का पालन होना चाहिये ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप रूल्स का मुलाहिजा फर्मा लीजिये । 131 है, उसमें साफ यह कहा गया है : "There shall be no debate."

श्री नत्थीसिंह : यह सब पढ़ा हुआ है ।

श्री मदनसिंह : Why for any particular member ? They have spoken several times. Why on a particular member ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : "There shall be no debate...."

यह आपका स्टेटमेंट होने के बाद...

श्री दिग्विजयसिंह : कुछ भी बोल जायं, दूसरे को कहने का बोलने का अधिकार नहीं है?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह मैंने रूल की, सदन की मर्यादाओं की बात बताई, अदरवाइज मुझे कोई ऐतराज नहीं है ....

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। राजस्थान..

श्री नत्थीसिंह । सभापति महोदय, यह बहुत महत्व पूर्ण प्रश्न है ...

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। इसके संबंध में हमने सवाल पूछे हैं लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया है ।

माननीय मंत्री महोदय से नत्थीसिंह जी ने, मैंने और मुकुट जी ने सवाल पूछे हैं लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया है तो पूरा ध्यानाकर्षण कहां हुआ ? किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया है ।

श्री सभापति : माननीय रामकिशन जी न ध्यान आकर्षित कर दिया और मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया......

श्री नत्थीसिंह : हमने जो सवाल पूछा है उनका जवाब आना चाहिये । यह व्यवस्था रही है ।

श्री किशनलाल वर्मा : सभापति महोदय, जवाब आने के पहले मुझे भी निवेदन करना है.....

श्री मदनसिंह : भरतपुर जिले के एक सदस्य और हैं, सभापति महोदय, उनकी ओर से अच्छे पॉइन्ट रखे जा सकते हैं जो कि मंत्री महोदय की समझ में नहीं आये हों । आप फर्मायें तो....

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जयपुर से संबंधित प्रश्न पर माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इन्हें बोलने की इजाजत दी जाये ।

श्री नरपतसिंह : आप तो पीड़ा को रोकने वाले हैं हम पीड़ा व्यक्त करने वाले हैं। हमें बोलने दें।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : सभापति महोदय, चांदराना बांध में रूपारेल नदी का पानी और गम्भीरी नदी का पानी जाता है, उसके बारे में बताया गया है। मुझे निवेदन करना है कि चांदराना से जो भरतपुर में नुकसान होता है, वह जो गम्भीर बाढ़ आती है उससे इतना नुकसान नहीं होता है जितना फायदा होता है। यह जो नदी निकलती है, वह बाण गंगा तो जयपुर से निकलती है और रूपारेल अलवर से निकल जाती है तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि उस क्षेत्र को उसका फायदा नहीं मिले और आगे जाकर फायदा हो। अब तक देखा जाय तो सिंचाई विभाग द्वारा जयपुर जिले की ओर इस क्षेत्र की उपेक्षा रही है। यहां पर बांध बनाने की बात हुई है तो यहां के काश्तकार यह समझते हैं कि बांध बनने से सिंचाई के लिए उनको साधन मिल जायेगा। मैं निवेदन करूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बांध नहीं बन रहा है, लेकिन यहां के काश्तकारों की तमाम स्थिति देख कर और उनकी आशा को देख कर मेरा निवेदन है कि यहां पर बांध बनाना बहुत आवश्यक है और यहां पर किसानों को सिंचाई के साधन मिलना बहुत आवश्यक है। काश्तकारों के लिए सिंचाई की सुविधा देने के लिए बांध का निर्माण होता है और खेती का विकास उससे होता है तो उसको रोका नहीं जाना चाहिए, यह भावना नहीं होनी चाहिए कि किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो। वैसे हमारी भी भावना नहीं है कि भरतपुर का नुकसान हो। वहां अगर बाढ़ आती है जो उससे नुकसान होता है, करोड़ों का नुकसान होता है। यह बांध अगर बनाया जाता है तो इससे काश्तकारों को फायदा होगा। इसलिए यह अच्छा है कि बांध बनाया जाय और काश्तकारों को फायदा हो। हम यह भी चाहते हैं कि भरतपुर के किसानों का भी फायदा हो। वह इससे होगा। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, वह कोई राजनैतिक बात नहीं है, यह काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा देने की बात है, वह जरूर मिलनी चाहिये। साथ ही हमारी जो भावना है वह भी देखी जाय। यह बात नहीं है कि हम यह चाहते हों, कि वहां बांध नहीं बनाया जाय। अलवर में बांध नहीं बनाया जाय, भरतपुर में बांध नहीं बनाया जाय, यह बात नहीं है।

श्री सभापति : श्री आदित्येन्द्र।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह (श्री किशन लाल वर्मा) दाल भात में मूसल चन्द कहां से आ गये ?

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न पूछने के पहले एक दो बातें भी कह देना चाहता हूं। जब से इस बात की चर्चा चली कि इन तीनों नदियों पर बांध बांधा जा रहा है, उस समय से भरतपुर की जनता में बड़ी घबराहट है। भरतपुर ऐसी जगह है जहां पर सिंचाई कि सुविधायें पहले से कुछ चली आ रही हैं लेकिन तब भी सिंचाई की सुविधाओं के लिये बराबर मांग की जाती रही है। गुड़गांव से गुड़गांव कैनाल, जो जमुना से नहर आने वाली है उसकी चर्चा भी पिछले 20 वर्षों से चलती चली आ रही है लेकिन बीस

(श्री आदित्येन्द्र)

वर्षों के अन्दर उसके लिये अभी तक कोई कहीं प्रबन्ध नहीं हुआ है। यह जो सवाल बार बार लाया जाता है कि भरतपुर में बराबर बाढ़ आती है उस बाढ़ के आने से यह जरूर है कि थोड़े बहुत क्षेत्र में कुछ नुकसान जरूर होता है लेकिन बाढ़ के आने के बाद भी भरतपुर के लोग यह कहते सुने गये हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत है। इसलिये इस संबंध में ज्यादा न कह कर मैं सीधे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आजादी मिलने के बाद यह जो तेईस वर्ष गुजरे हैं, इन तेइस वर्षों में क्या भरतपुर में सिंचाई की कोई योजना कभी भी अमल में आई है? यह बात जरूर है कि धौलपुर का इलाका भरतपुर से लगा हुआ है और वहां पार्वती डेम बांधा गया है लेकिन वह इलाका 1947 से पहले तो इससे अलग था, लेकिन जिसको भरतपुर स्टेट कहा जाता था, उस भरतपुर स्टेट में क्या कोई सिंचाई की सुविधा इन पिछले तेइस वर्षों में दी गई है? एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बड़े संतोष देने की बात कही है, एक तरफ तो इन तीन नदियों पर बांध बांधा जा रहा है, दूसरी तरफ हमें यह संतोष दिया गया कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, भरतपुर की जनता के लिये वहां हम कुछ योजनायें नई नई ला रहे हैं और वह योजना आज से एक साल के बाद चालू हो जायगी। यह नहीं कहा गया है कि प्रारम्भ में तो योजना एक साल के बाद होगी लेकिन वह योजना कब पूरी होगी? ऐसा देखा गया है अक्सर, आज मान ल, उसकी अवधि मान ली जाती है, एक साल में योजना पूरी हो जायगी, लेकिन पन्द्रह पन्द्रह साल तक वह योजनायें पूरी नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी यह मान लें कि योजना अगर चालू होगी तो बाणगंगा में, कहा है, गम्भीरी से पानी डालेंगे, और गम्भीरी और बाणगंगा को मिलायेंगे, गम्भीरी से पानी बाणगंगा में आयेगा। इसका मतलब यह है कि वह महसूस करते हैं, सरकार महसूस करती है कि बाणगंगा में पानी कम है, उस क्षेत्र के लिये ना काफी है क्योंकि तभी तो वह गम्भीरी से बाणगंगा में पानी डालना चाहते हैं। तो एक तरफ वह महसूस करते हैं, बाणगंगा में पानी कम है, दूसरी तरफ जो बाणगंगा में पानी आता है, चांदराना, चांदराना पर बांध बनाना चाहते हैं जिसमें 145 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जायगा और इस तरह बाणगंगा में पानी और कम हो जायगा। मेरा कहना यह है, आप जाकर देखें, बाणगंगा का एरिया है उस एरिया से बहुत कम सिंचाई होती है और बहुत सा इलाका ऐसा है जो कि पिछले शायद सैकड़ों वर्षों से, खास तौर से जब से हिन्दुस्तान को आजादी मिली है उस समय से बराबर मांग कर रहा है, वहां पर पानी भी शायद आज भी अस्सी नव्वे फीट नीचे निकलता है। इस तरह से बात जो कही है वह यह है कि रूपारेल नदी में कुछ पानी और डाला जायगा जिससे सीकरी के लिये लाभ होगा। इसका मतलब यह है कि रूपारेल नदी में पानी कम है। यह सभी जानते हैं कि पानी कम है और अगर नगर तहसील आ जाती है तो सीकरी वाले रह जाते हैं और सीकरी आ जाता है तो नगर वाले रह जाते हैं। आज भी सीकरी पहाड़ी में इन किसानों में झगड़े चलते रहते हैं और दोनों को ही पानी मिलता नहीं है। तो इस तरह से वहां पानी की भारी कमी है। जैसे कि मुझसे पहले माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा, हमारे रामकिशन जी जो लीडर हैं संसोपा के और रूपा व बयाना के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने पूछा है कि अगर

(श्री आदित्येन्द्र)

इस पानी को रोका गया तो भरतपुर की जनता के लिये घोर दुःख होगा और भरतपुर की जनता शांति से इसको सहन नहीं करेगी । भरतपुर की जनता को इसके लिये कोई न कोई काम इस संबंध में करना पड़ेगा ।

मैं यह भी कह दूं कि चाहे किसी दल के व्यक्ति हों चाहे नई कांग्रेस, चाहे पुरानी कांग्रेस, संसोपा के हों, जनसंघ के हो, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध हो, सब लोग यह अनुभव करते हैं कि यह जो कुछ भी किया जा रहा है, वह ठीक नहीं किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसम जो भरतपुर के प्रतिनिधि हैं, उनको कभी भी विश्वास में नहीं लिया गया । इसलिये मेरा प्रश्न यही है कि क्या इन बांधों के बारे में योजना बनाते समय क्या भरतपुर के प्रतिनिधियों को कभी भी विश्वास में लिया गया ? क्योंकि यह मामला ऐसा मामला है जो दो पक्षों के बीच की बात है । इससे कोई मतलब नहीं है कि भरतपुर में जो नदियां बहती हैं, वह उत्तम स्थान है । यह सब जगह दुनिया में देखा है, हिन्दुस्तान में गंगा और दूसरी नदिया हैं और दूसरे देश से कहें कि हम यहां रोकेंगे तो इस तरह से काम नहीं चलेगा ।

इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री व राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस संबंध में न्याय के साथ देखें, निष्पक्षता के साथ इस समस्या को लें । हम नहीं चाहते कि अलवर के लोगों का नुकसान हो लेकिन कहीं पर और कोई सोर्स देखा जाय जिससे अलवर के लोगों के लिये पानी मिलेगा, तो हमें खुशी है । यह ठीक नहीं है कि एक जगह किसान भूखा मर जाय और दूसरे किसानों को संतोष दिया जाय । इस तरह से लोगों को खुश नहीं कर सकते ।

श्री मजलिस खां (कामां) : सभापति महोदय, मुझसे पूर्व जिन माननीय सदस्यों ने इस विषय पर कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं । साथ साथ मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने बताया कि रंडवा का नाला ढाई मील की नहर निकाल कर रूपारेल में चला जायगा, क्या यह सही है कि वहां इतना पानी आता है कि हर साल हजारों बीघा जमीन को रेतीली बनाता चला जायगा ? हमें ऐसी योजना नहीं चाहिय । भरतपुर जिले में कहीं सैन्डी एरिया नहीं मिलेगा । यह ढाई मील की नहर भरतपुर की फर्टाइल लैंड को सैंडी बना दें, ऐसी योजना का समर्थन मैं नहीं करता हूं । वह नाला नदी में जायगा, यह 12 मासी नदी है । अलवर वाले थोड़ा नाराज जरूर होंगे क्योंकि स्टेट के समय का समझौता था अलवर और भरतपुर का । उस पर न अलवर के लोग रहे न मत्स्य सरकार रही, न राजस्थान सरकार रही क्योंकि उसमें था कि यह पानी भरतपुर और अलवर को बराबर मिलता रहेगा और उसके कारण डीग सबडिविजन में आपको गेहूं और और चीजें मिलती हैं । क्योंकि उस इलाके में रेतीली जमीन नहीं है । यह रूपारेल नदी ऐसी एरिया से बहती है जहां रेतीली जमीन नहीं है , पक्की जमीन से बहती हुई जाती है लेकिन यदि पानी रंडवा नाले से रूपारेल नदी में जाता है तो पूरा डिवीजन रेतीला हो जायगा । इसलिये रंडवा नाला हमारी तरफ से नहीं डालें ।

दूसरा निवेदन यह है कि जितनी सिंचाई पहले रंडवा नाले से होती थी, अब राजस्थान सरकार ने एक रेग्यूलेटर बनाकर ऐसा काम

(श्री मजलिस खां)

कर दिया कि आज डीग में सिंचाई रूपारेल नदी से नहीं होती है। इसलिये मुझे आशंका है कि जिस तरह से अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हम केवल सरप्लस वाटर लेंगे, इसमें मुझे विश्वास नहीं। आज लड्ढा साहब विश्वास दिला रहे हैं, सरकार बदलती रहती है, मंत्री बदलते हैं। कल कहेंगे कि मैंने थोड़े ही कहा था, कलेक्टर ने ऐसा कहा था। सरकार इसके लिए भरतपुर की जनता की आम मीटिंग बुलाकर, मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री अलवर की जनता को भी बुलालें और बैठकर समझौता कर लें। केवल कागज पर चलने वाली स्कीम का मैं समर्थन नहीं करता हूं। इसलिए भरतपुर के 4-5 माननीय सदस्यों ने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, क्योंकि प्रश्न ऐसा उपस्थित हुआ है, मेरे क्षेत्र से यह ताल्लुक रखता है। मैं उसी संबंध में कहना चाहूंगा। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अलवर और भरतपुर का जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट का पालन होना चाहिये और सरकार अलवर और भरतपुर के प्रतिनिधियों को बुलाकर रूपारेल के सवाल पर बातचीत करे तो रीजनल तरीके से हम बातचीत के लिये तैयार हैं। हमारी खुद की शिकायत है कि दरअसल जहां पर पानी का डिवीजन होता है अलवर साइड में सिल्ट पड़ जाने से एक्चुअली पानी बन्द हो रहा है। मौके पर जाकर रामकिशन जी और मास्टर साहब उस जगह को देखेंगे कि पानी का बहाव उस हिस्से में है जो भरतपुर की तरफ जाता है और अलवर में सिल्ट होने की वजह से पानी कम आता है। अगर एग्रीमेंट के अनुसार पानी बराबर बराबर मिल जाय तो मुझे संतोष होगा।

जहां से डिविजन होता है अलवर और भरतपुर का सिलीगुड़ी का बंध वह इलाका है उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। माननीय सदस्यों को उससे गलतफहमी होती है। जो वहां पर अवधि का माननीय सदस्यों ने जिक्र किया वह भी उस एग्रीमेन्ट के तहत ही है। जो भूतपूर्व स्टेट्स के बीच में था कि अमुक तारीख तक शायद 15 अक्टूबर तक एक स्टेट पानी लेगी और उसके बाद दूसरा स्टेट पानी लेगी। इस तरह की एग्रीमेन्ट्स हैं। उन्हीं के अनुसार होता है। हम नहीं चाहते हैं कि दो जिलों के किसानों को आपस में गलतफहमी हो या लड़ें। मैं समझता हूं कि हम इतनी क्षमता रखते हैं। क्षेत्रीय भावनाओं को दूर रखते हुए वहां और यहां के किसान अलग नहीं हैं और मिलकर उन सवालों का हल निकाल सकते हैं। हम यह भी चाहेंगे कि सरकार उनको आपस में लड़ाने की कोशिश न करे बल्कि इस सवाल को सही ढंग से हल करने का प्रयत्न करे।

श्री रामकिशन : मुझे भी दो तीन प्रश्न पूछने हैं। एक तो आपने कहा था......

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हम रेंडवा और रूपारेल की उम्र के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री रामकिशन : आप रंडवा थोड़े ही हैं, आप तो सदाबहार हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या आप शादी करना चाहते हैं? फोटो भेजें?

श्री रामकिशन (वैर) : मजलिस खां जो मेवात से आए हैं, इसलिए उनकी बोली एसी है। आपने कहा कि सरप्लस वाटर है वह बाहर चला जाता है। अगर आज तक पानी सरप्लस है तो वलेना, नयागांव, अड़ोदा, हतेरा, दहरा, लुलदारा, लुधाना बांध खाली क्यों रहते हैं? आज से दो तीन साल पहले बांध कभी भरे? पानी ज्यादा है तो कहां जाता है? इसी तरह लालकुंभ के मारफत बंध अंदर दे सकता है सिंचाई विभाग को इस इलाके की सूचना हो तो। इसी प्रकार से नगर के पास दहरी बंध है, उसकी क्षमता क्या है? कितन सालों से भरा है? उसके साथ साथ छोटा लिंक बनाया है, पानी क्या है? इसके अलावा कैनाल जिसमें रूपारेल का पानी आता है, वह एक वर्ष को छोड़कर कभी ऐसा रहा है? इसी प्रकार से गंभीरी का पानी उत्तर प्रदेश में जाता है। 1942 से अब तक तीन वर्षों को छोड़कर पानी चोरी से जरूर जाता है और विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, सुपरिण्टेण्डिग इंजीनीयर को जानकारी है। वहां किसी और प्रकार का घोटाला है।

जो आपने बताया कि जिन तीन स्कीमों का जिक्र किया है, उनका इस बजट में प्रावधान किया गया है, पूरी कब तक हो जायेंगी? उससे पहले बंधों का काम शुरू नहीं होगा? तीन आश्वासन आप दें।

श्री रामप्रसाद लड़ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय चेयरमेन, मैंने जैसा निवेदन किया कि एवरेज रेन फाल होने की अवस्था में कितना सरप्लस होता है, उसके आंकड़े मैंने आप लोगों को निवेदन किये। किसी साल बरसात की कमी रहने की वजह से जो मैंने आंकड़े दिये थ उसमें फर्क हो सकता है, लेकिन औसत आंकड़े जो मैंने बताये थे वे इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर, इतने वर्षों के आये रीडिंग के आधार पर इतने वर्षों के फलों के अन्दाज के आधार पर, सिंचाई विभाग ने जो एकत्रित किये मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किये।

दूसरा सवाल, जो एक अहम सवाल आप लोगों की दृष्टि से हो सकता है कि इन योजनाओं को कब तक पूरा कर देंगे और जो दूसरी योजनाओं को लेने के लिए मैंने निवेदन किया उनको कब शुरू कर देंगे और पूरा कर देंगे? यह सवाल हो सकता है जिससे माननीय सदस्यों के दिल में यह विश्वास हो जाय कि जिस तरह से बांध बनाये जा रहे हैं वैसी की वैसी प्राथमिकता इन बांधों को भी दी जा रही है या नहीं? इसके उत्तर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बांधों के बारे में बाणगंगा वाले और लिंक नाले वाले की बात कही, इन दोनों का सर्वे जारी है, स्कीम बन रही है और प्रावधान आने वाले वर्ष में कर रहे हैं। कार्य आने वाले वर्ष में शुरू होगा।

जिन तीन योजनाओं के लिए कहा कि इस साल के बजट में प्रावधान किया था। एक योजना की प्रोजक्ट रिपोर्ट भी नहीं बनी है जो शुरू हो सकेगी। एक चान्दराना है, दूसरा सिलीगुड़ी, तीसरा पांचना। पांचना का काम इस साल शुरू हो सकेगा। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं हुई। चान्दराना और सिलीगुड़ी का काम इस साल शुरू होगा। इनकी अवधि तीन-तीन चार-चार साल की है। इसी अवधि में ये काम अगले साल लेने जा रहे हैं, वह पूरे हो इस बात का प्रयत्न किया जायगा ताकि भरतपुर के लोगों के अन्दर भी अविश्वास और असंतोष की भावना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

न रहे । यह आश्वासन देते हुए आपने जिन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है उसके जवाब में मैंने अपनी बात आपके सम्मुख रखी है ।

श्री सभापति : विधायी कार्य ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे जितना कहना चाहिए था वह कह दिया ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आप अपने विभाग के इन्जीनियरों से मिल कर इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं या नहीं जिससे रिवेल्यूएशन हो जाय और तस्वीर सामने आ जाय ।

सभापतिजी, यह बहुमत के बल पर गरूर है, हम सवाल पूछते हैं और मंत्री प्रवर जवाब तक न दें ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । मैं आपके बोलने में कोई बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कुछ मुद्दोंपर, पॉइन्ट्स पर दिया जाता है और माननीय मंत्री जी उस पर जानकारी करके ही वक्तव्य देते हैं । उसके बाद नये मुद्दे उठते जावेंगे तो उनका अन्त नहीं होगा और बहस लम्बी बढ़ती जावेगी । इसलिये निवेदन करूंगा कि इसको यहीं पर समाप्त करें ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : केवल एक सवाल का जवाब दिला दीजिये कि वाटर केपेसिटी क्या है, नदियों का केचमेंट क्या है, एवरेज रैन फाल क्या है व कितने क्युसेक की क्षमता है, कितने एम०सी०एफ० टी० की क्षमता है, जितने पानी का उपयोग होता रहा है, उसका असर पड़ेगा कि नहीं, अपने संतोष के लिये आप क्या आप यह आश्वाशन नहीं दे सकते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये स्कीमें बनायी हैं, बनकर आयेंगी और जब गवर्नमेंट मंजूरी देगी तो इन सारी चीजों पर विचार कर लेंगे।

राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, 1970 पर वैधानिक आपत्ति

श्री सभापति : विधायी कार्य ।

श्री रामकिशन, दुर्गालाल बाढदार, सतीशचन्द्र अग्रवाल वगैरा वगैरा ;

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह वगैरा वगैरा क्या है, आप नाम बोल दीजिये ।

श्री सभापति : श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ।

श्री रामकिशन : मैं बोल रहा हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, आई राइज ओन एपांइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर ।

सभापति जी, राजस्थान प्रिवेन्टिव डिटेन्शन बिल, 1970 जो अभी इस सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा और जिसके संबंध में एक अध्यादेश है जिसको निरस्त किये जाने के संबंध में एक संकल्प पर सदन में विचार किया जावेगा, उस पर विचार किये जाने से पूर्व इसमें विधेयक के संबंध में एक वैधानिक आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस विधेयक की कुछ धाराओं की ओर दिलाना चाहता हूं, विशेष रूप से धारा 5 है जिसमें लिखा है

"5. Power to regulate place and conditions of detention. Every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable,—

(a) to be detained in such place and under such conditions including conditions as to maintenance discipline and punishment for breaches of discipline, as the State Government may, by general or special order, specify; and

(b) to be removed from one place of detention to another place of detention within the State, by order of the State Government."

(4.27 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

विधेयक की धारा 5 है।

इसके अतिरिक्त मैं राज्य सरकार के मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह प्रिवेन्टिव डिटेन्शन बिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके विषय में सारे देश में विवाद चल रहा है मैं इस संबंध में आपत्ति उठा रहा हूं वह नियमों के अन्तर्गत है। जो राज्य विधान सभा के नियम बने हुए हैं, उसके नियम, जिसका संकेत मैं बाद में दूंगा, उसके अन्तर्गत है इसलिए जरा गम्भीरता से विचार करें। मैंने कोई यह आपत्ति इस विधेयक को पारित किये जाने में बाधा उपस्थित करने के लिए नहीं प्रस्तुत की है, किन्तु प्रमाणिकता के साथ आपत्ति जिसको मैं अनुभव करता हूं वह प्रस्तुत की है।

धारा 8:—

"8. Maximum period of detention.—The maximum period for which any person may be detained in pursuance of any detention order, shall be three months from the date of detention."

इस सारे विधेयक की धाराओं को पढ़ने के बाद और विशेषकर धारा 5 और 8 को पढ़ने के बाद, अध्यक्ष महोदय, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस विधेयक के पारित होने पर और कानून बनाने के पश्चात् राज्य में कोई भी व्यक्ति पकड़ा जा सकता है, और उसको तीन महीने तक डिटेन्शन में रखा जा सकता है। जहां रखा जावेगा उसके बारे म, पुलिस के बारे में कन्डीशन्स हैं, मेन्टीनेन्स के बारे में है "including conditions as to maintenance, "उसके परिवार की मेन्टीनेन्स की कन्डीशन का सवाल है, कोई व्यक्ति उसके परिवार में कमाने वाला नहीं है, सी० आर० में एप्लीकेबल नहीं है, डिटेन्शन में रख दिया, राज्य सरकार यह कर सकती कि उस व्यक्ति के परिवार के भरण-पोषण के लिये, उसकी मेन्टीनेन्स के तो लिए व्यवस्था होनी चाहिए तो सौ रुपया दो सौ रुपया या उसकी हैसियत के अनुसार वह हो सकती है। धारा 5 में यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिखा है :

"Every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable,—

(a) to be detained in such place and under such conditions, including conditions as to maintenance discipline, and punishment for breaches of discipline, as the State Government may, by general of spec ial order, specify.."

इसका अर्थ क्या हुआ ? किसी को नजरबन्द रखा जाता है उस पर खर्चा होगा उसके लिये मेन्टीनेन्स दिया जायगा उसके खुद के मेन्टीनेन्स पर खर्चा होगा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजाने के लिए खर्चा होगा, । तीन महीने तक डिटेन किया जायगा तो उस पर भी खर्च होगा । इस कानून को राजस्थान में अमल में लाना है पी० डी० एक्ट में जिन व्यक्तियों को डिटेन किया जायगा उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के सिलसिले में उनको कहीं रखने के सिलसिले में, उनके मेन्टीनेन्स के सिलसिले में जो खर्चा होगा वह राज्य कन्सोलिडेटड फण्ड में से किया जायगा । जिसकी व्यवस्था बजट में नहीं की गई है । जो बजट हमने बजट अधिवेशन में पारित किया है उसमें पी० डी० एक्ट में जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जायगा उन पर होने वाले खर्च की व्यवस्था उसमें नहीं की गई है ।

इसके साथ-साथ मैं, अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 61 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वह इस प्रकार है :

"(1) A bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum.......

Shri Speaker : This is rule 69.

Shri Satish Chandra Agarwal : 61. With your permission, Sir, I will read out rule 61.

"61. Financial memorandum and money clauses.—

(1) A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memonardum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the bill is passed into law.

(2) Clauses or provisions in bills involving expenditure from public funds shall be printed in thick type or in italics;

तो, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपका ध्यान विधेयक की धारा 5 और 8 की ओर आकर्षित करते हुए हमारे यहां के नियम 61 की ओर आकर्षित करते हुए आपत्ति यह उठाई है कि इस विधेयक के साथ कोई फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम सदन के माननीय सदस्यों के वितरित नहीं किया गया । यह ओवर साइट से हो सकता है, जल्दी के कारण हो सकता है, अध्यादेश जारी कर दिया उसको रिप्लेस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करने का कारण हो सकता है लेकिन यह बहुत अहम मसला है। इसी तरह का एक मुद्दा लोक सभा में और राज्य सभा में आया विधेयक के साथ फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम नहीं था। तत्कालीन सभापति ने निर्देश दिया कि इसके साथ फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम तैयार करवाकर सदस्यों में वितरित किया जाय तभी इसको विचारार्थ लिया जा सकता है। इसी तरह से आप जब किसी को इस कानून के अन्तर्गत रखेंगे उसको मेन्टीनेन्स के लिए खर्चा देंगे कितना खर्चा इस साल में राज्य सरकार को करना पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष : आप पार्लियामेण्ट की प्रोसीडिंग का रेफरेन्स दे रहे हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पार्लियामेण्ट में ऐसा हुआ था फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम बिल के साथ नहीं था। इसमें रिलेक्सेशन का सवाल नहीं है। फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम के लिए कहा था कि

it is mandatory.

The Financial Memorandum must accompany the Bill.

श्री मूलचन्द डागा : क्या उस बिल को पास नहीं किया क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी वैधानिक आपत्ति नियमों के अन्तर्गत है वह नियम 61 तक सीमित है। इस नियम के अन्तर्गत फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम होना आवश्यक है। नियम 61 में

"A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum....,"

The word "shall" has been used.

श्री अध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूं माननीय लोक सभा के अध्यक्ष का उस पोंइण्ट आफ आर्डर पर क्या आवजर्वेशन हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय विधेयक को डेफर किया गया। जब फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम तैयार करके हाउस में रखा उसके बाद डिसकशन हुआ।

As the Financial Memorandum, as required under the Rules of Procedure of this House has not been made available to the honorary members of this House, the Bill cannot proceed. This is my submission.

श्री अध्यक्ष : What was that Bill.

वह बिल पास हुआ था वह कौनसा बिल था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई दूसरा बिल था। यह तो देखने की बात है इसमें पब्लिक फण्ड से खर्चा होगा या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : वह मनी बिल था पी० डी० एक्ट बिल नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने कभी नहीं कहा पी० डी० बिल था। एक विधेयक था उस विधेयक के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम साथ में नहीं था। वह सदस्यों को वितरित नहीं किया गया था इसलिये उसको उस दिन रखने नहीं दिया गया। उस विधेयक के साथ भी वह मेमोरेण्डम नहीं है ? इसमें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कितना एक्सपेण्डीचर इन्वोल्व्ड होगा। इस बारे में न गवर्नर की रकमण्डेशन है और नये सारी चीजें नहीं हैं। राज्यपाल की सिफारिश इन्वेस्टमेण्ट के बारे में नहीं है। जो मनी बिल होता है उसके लिये प्रेसीडेण्ट या राज्यपाल की सिफारिश होना जरूरी होता है। इसमें जिस प्रकार के प्रोवीजन्स हैं उसके अनुसार यह मनी बिल है। इसका जो भी प्रोवीजन है

"No Money Bill or any Bill involving expenditure from the Consolidated Fund shall be introduced, considered or passed by the House without recommendation of the Governor."

In this case the recommendation of the Governor is not there.

श्री अध्यक्ष : आप क्लॉज 5 के संदर्भ में इसको मनी बिल मानते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : both, and the Bill as a whole a such.

इस अधिनियम के अन्तर्गत लोगों को डिटन किया जायगा उस पर खर्चा होगा इस तरह से यह मनी बिल है।

श्री मूलचन्द डागा : जेल का खर्चा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जेल में भी खर्च होगा तो वह राज्य के कोष से खर्च होगा। You can give your own arguments.

श्री विजयसिंह : He has no arguments except Chaplusi.

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री विधि मंत्री।

श्री रामकिशन : पहले महाधिवक्ता श्री मूलचन्द डागा को सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : After him (Shri Ram Prasad Laddha)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (विधि मंत्री) : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐतराज उठाया है कि यह मनी बिल है इसके अन्दर गवर्नर की एसेण्ट नहीं है इसलिये यह हाउस में पेश नहीं हो सकता, इस पर डिसकशन नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बिल वैसा का वैसा यहां लाया गया है जैसा कि गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया में था। हुबहू वैसा का वैसा बिल यह है इसमें भी ये ही लफ्ज हैं : "A person, in respect of whom detention order has been made, shall be liable to be detained in such place and under such conditions, including conditions as to the maintenance, discipline, punishment for breach of discipline, as the appropriate Government may by general or special order specify." यह जो मेन्टीनेन्स के लफ्ज को माननीय सदस्य कहां तक ले गये ? बच्चों का मेन्टीनेन्स, फेमीली का मेन्टीनेन्स के बारे में गवर्नमेन्ट ऑर्डर दे यहां तक वे कहते गये, इसी बिना पर इन्होंने फाइनेन्स बिल माना है और कहा है कि यह पेश, नहीं हो सकता। असल में माननीय सदस्य का यह इन्टरप्रीटेशन गलत है बल्कि इसके तहत जो ऑर्डर्स बने हुए हैं वे इस प्रकार हैं—

The Rajasthan Conditions of Detention Order, 1962. बी और सी क्लास की रायट मिलती है वैसी उनको मिलेगी। सप्लाई फूड के लिये रिलेटिव्ज से वे इतना पैसा प्राप्त कर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सकते हैं। प्रथम श्रेणी वाले 20 रुपया दूसरी डाले 10 रुपया। इसमें उनके परिवार को मेन्टेन करने के लिये सरकार के रुपयों की कहां आवश्यकता है ? इसलिये यह फाइनेन्स बिल, मनी बिल नहीं माना जा सकता। इसकी इसमें जरूरत नहीं है। इसकी जो इन्टेन्शन है उसमें यह मनी बिल नहीं है। यह बिल गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से जारी किया गया है। वहां पर भी इसको मनी बिल नहीं माना गया है। जिस तरह से वहां पर पेश किया गया है उसी तरह से यहां पर पेश किया गया है। वहां के बिल में भी इस तरह की कोई बात नहीं है। वैसे भी यह कोई मनी बिल नहीं है थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाये कि है भी और बिल पास हो जायेगा तो कोई उसमें कॉन्टीट्युशनली डिफेक्ट नहीं रह जाने वाला है जिसके तहत की इसमें कोई डिफेक्ट हो और वह कोई कानूनी डिफेक्ट नहीं होगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय ! मेरा भी निवेदन है, I call attention of this House to Article 110 of the Constitution where a money bill has been defined:—"(1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains....

श्री अध्यक्ष : यह आप क्या पढ़ रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कांस्टीट्युशन ऑफ इण्डिया। (भैरोंसिंह के टोकने पर) मेरा मतलब भी आपने भांप लिया ? अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं है....

"(1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters, namely:—

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(c) the custody of the Consolidated Fund of the Contingency Fund of India, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;"

मेरे दिमाग में आता है और जो आता है वह मैं खुद ही कह दूंगा।

"(d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India;

(e) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure."

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं

श्री आलम अलीखां : थोड़ा हिन्दी में भी बोलिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह किताब ही इंग्लिश में है। 20 वर्ष के बाद भी यह इंग्लिश में है।

श्री नत्थी सिंह : हिन्दी में भी आ गई है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आथोराइज्ड है ।

श्री आलम अलीखां : हिन्दुस्तान से अंग्रेज चले गये फिर यह अंग्रेजी क्यों ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कांस्टीट्युशन का सवाल है । वहां पर भी अंग्रेजी में रेफर की गई है ।

श्री मदनसिंह : हिन्दी में इसकी परिभाषा सुना दें ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य को चिन्ता नहीं करनी चाहिये, यह कोई गंभीर बात नहीं है ।

श्री यशवंतसिंह नाहर : नहीं, यह कोई गंभीर नहीं है । मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर कहीं इसका प्रावधान है तो केवल 110 (इ) म है... If at all it is covered, it is covered by this clause. Then I will direct the attention of this House to sub-clause (3) of Article 110.

"If any question arises whether a Bill is Money Bill or not, the decision of the Speaker of the House of the people thereon shall be final."

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इसके नीचे जो जिक्र है..

"the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure,'

इस प्रकार का डिसीजन फाइनल होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वैसे भी मानते हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैंने तो उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाया है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं बता दें कि धारा 110 के तहत यह सारा खर्चा क्या कन्सालिडेट फंड के ऊपर चार्ज नहीं होगा । इस बात का स्पष्टीकरण कर दें कि इस पर माननीय सदस्य की क्या राय है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह जी 110 पार्लियामेंट के लिए है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सेमथिंग ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कान्स्टीट्युशन में कहीं स्टेटस् के बारे में जिक्र है और कहीं नहीं है तो भी वह उसी तरह से एप्लीकेबल होगा ।

श्री अध्यक्ष : हां हां मैं समझ गया ।

श्री भैरोंसिंह : नाहर साहब की ओपीनियन सुनना चाहेंगे । यह जो 10-15 मिनट का समय इसके अन्दर इसको पढ़ने म लिया है तो वह स्वयं इसका क्या इन्टरप्रिटिशन लेकर चल रहे है उससे सदन को अपनी राय से परिचित करायेंगे तो अच्छा रहेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय जी पांईट ऑफ आडर उठाया है मैं उससे सहमत नहीं हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय का पाईंट आॅफ आॅर्डर नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने अध्यक्ष महोदय को संबोधन करके कहा है।

श्री अध्यक्ष : आप इनके भाव को देखिये भाषा को नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जो पाईंट आॅफ आॅर्डर सतीशचन्द्र अग्रवाल ने उठाया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं और इस बात को समझने की कोशिश करें। सवाल यह था और मंशा यह थी कि जो अराजक तत्व देश में अशांति फैलाते हैं, पैदा करना चाहते हैं उनको मजिस्ट्रेट या एडीशनल मजिस्ट्रेट विना किसी सूचना देकर कानून वन्द कर सकता है। सवाल यह नहीं है कि आपने कानून इस प्रकार का बनाया है। जो कानून की अवहेलना करते हैं, देश में जो अराजक तत्व अशांति पैदा करना चाहते हैं उनको रोकने के लिये यह बिल लाया गया है

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है। क्या यह मनी विल है यह कह दीजिये। बाकी किस को अन्दर डालना है और किसको नहीं डालना है यह बाद की बात है।

श्री मूलचन्द डागा : उसके अन्दर यह भी आता है। वैसे यह मनी बिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। यह कन्सोलिडेट फंड का स्पष्टीकरण कर दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह केजुअल एक्सपेंडीचर है और जैसा कि पहले भी निवेदन किया था कि उसमें जो डिटेन्यू है और जो रूल्स हैं उसके तहत पहले भी वह बना था वैसा ही अब बनेगा और उसी तरह से अब बनेगा। इस तरह से उनके खाने का मामला है। उनके दूसरे रिश्तेदारों को इसमें नहीं ले सकते हैं। यह तो एक केजुअल एक्सपेंडीचर है और इसको कन्सोलिडेट फंड से कोई ताल्लुक नहीं है और इसलिए इसकी कन्सेन्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रूल्स बनने का प्राविजन है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रूल्स तो बनेंगे ही।

श्री अध्यक्ष : Under which clause Provision ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बनेंगे जैसे पहले बने थे। कन्डीशन्स बनेंगी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय मेरी बात सुन लीजिये। माननीय अध्यक्ष मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई मनी विल नहीं है। वैसे तो प्रत्येक जो कानून बनता है उसमें खर्चा होता है

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें लिखा है "..may be general or special order specify...."

इसके तहत यह आॅर्डर करेंगे।

श्री मुकुटविहारी लाल गोयल : परटीकूलर डिटेन्यू है उसके बारे में कन्डीशन का प्रोविजन है। रूल में इतनी पावर नहीं है। जनरल का मतलब यह है

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : यह मनी बिल नहीं है। किसी भी कानून को इम्पलीमेन्ट करने के लिये खर्च की आवश्यकता होती है। इसमें खर्च की जरूरत पड़ेगी जैसे पुलिस की जरुरत होगी, मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐडीशनल खर्चा कन्सोलिडेटेड फन्ड से क्यों होगा। इसमें कोई धारा नहीं है जिसकी वजह से कन्सोलिडेटेड फन्ड से ऐडीशनल खर्च उठाया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा यह मनी बिल नहीं है। जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया है, उसको रिजेक्ट किया जाय।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री महोदय ने कहा केजुअल तौर से खर्च होगा इसलिये कन्सोलिडेटेड फन्ड से नहीं माना जा सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिस कारण से अध्यादेश आये है और उसको विधेयक के द्वारा पारित कराना चाहते हैं। आपने जो कारण लिखे हैं सीमा-वर्ती राज्य है। इस कानून का उपयोग बड़े पैमाने पर करना है -- न जाने कितने लोगों को रखना होगा, यह कहना केजुअल एक्सपेन्डिचर है, यह गलत है। दूसरे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा निवारक निरोध विधयक में मेन्टीनेन्स का जो शब्द है उस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। केवल उसको रोटी रख दें यह नहीं हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिये निवारक नजर बन्दी कानून में शेख अब्दुल्ला को भी रखा गया था और उन पर कितना बड़ा भारी खर्चा हुआ था, वह भी आप सबको मालूम है। अगर आप यह लाना चाहते हैं जिसमें मेन्टीनेन्स का खर्च देना चाहते हैं उसके लिये आपने अत्यावश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखा है? इसलिये निश्चित रूप से आपका यह बताना आवश्यक है कि कितना एक्सपेन्डिचर होगा, कितना खर्चा होगा लेकिन जो राज्य ने जिस तरह से देखा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं अधिक से अधिक खर्चा कन्सोलिडेटेड फण्ड से चार्ज होगा। आप इसको लायें, यह विधिवत् नहीं है, यह केजुअल ऐक्सपेन्डिचर नहीं है। आपने वहा भारत सरकार ले आई है और ऐसा ही यहां ला रहे है। तो कोई गलती भारत सरकार से हो गई है तो उसको आप यहां रीपीट करने जा रहे हैं। भारत सरकार में तो इतनी सूझबूझ हो गई है कि उन्होंने कानून को इन्ट्रोड्यूज किया और उसको वापिस ले लिया और आप इसको यहां ला रहे हैं ? यह मनी बिल में नहीं आता है। यह केजुअल कह कर टरकाना चाहते हैं। जब तक आप इसके साथ फाइनेंस मेमोरेन्डम नहीं......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सतीश चन्द्र जी अग्रवाल ने क्लाज 5 और 8 दोनों का उल्लेख करते हुये आर्टिकल 199 क्लाज (3) के संदर्भ में जो आपत्ति उठाई है जिसका आशय यह है कि यह मनी बिल है और इसका खर्चा कन्सोलिडेटेड फन्ड से होगा इसका खर्च ऐसी स्थिति में यह मनी बिल होने के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिये चूंकि इसके साथ फाइनेंस मेमोरेन्डम नहीं है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आर्टिकल 255 आफ दी कान्स्टीट्यूशन की ओर दिलाना चाहता हूं उसमें लिखा है।

"No Act of Parliament or of the Legislature of a State and no

(श्री अध्यक्ष)

provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given—

(a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the President;"

इसका भी उल्लेख माननीय सदस्यों के समक्ष करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि एक्सपेन्डिचर कन्सोलिडेटेड फन्ड से चार्ज होगा या नहीं। इस सम्बन्ध में जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा केजुअल ऐक्सपेन्डिचर से इसका खर्चा होगा इसका अर्थ यह माना कि पुलिस एवं जैल का ऐक्सपेन्डिचर ह। उसमें प्रावधान है इस तरह के खर्च करने के। ऐसी स्थिति में केजुअल ऐक्सपेन्डिचर में काफी प्रोविजन्स है, इसको खर्च करने के उसके साथ में जो 199 है:-

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matter,..

और दूसरा मैंने जो आर्टिकल 255 का उल्लेख किया उस संदर्भ में मैं माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको स्वीकार नहीं कर सकता। प्रश्न बहुत बारीक है और वैल थाट है स्टडीड है। चूंकि इसका केजुअल ऐक्सपेन्डिचर पुलिस और जैल में पर्याप्ति है इसलिये मैं इस आपत्ति को स्वीकार करने में असमर्थ हूं अतः यह मनी बिल नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके साथ फाइनेन्स मेमोरेन्डम होने की आवश्यकता नहीं है आज दूसरा प्रश्न इसके साथ लिया जाय।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय समय बढ़ा दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो समय ही समाप्त हो गया है, क्या बढ़ा दें ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हो गये)

(अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : इस बिल को जैल खाना बनाना चाहते हो क्या ? और फिर आप कहते हैं दोनों हो जाय।

श्री अध्यक्ष : बड़ा साधारण प्रश्न है। समय बढ़ाया जाय या नहीं।

श्री नत्थीसिंह : नहीं साहब यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। सारे राजस्थान को जेलखाने में बदलना चाहते है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बिल पास कराने का ही सवाल नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण मसले हैं......

(कई माननीय सदस्यों की एक साथ अवाज)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं तो आपके कहने से तो मैं समय नहीं बढ़ा सकता हूं। सारे सदन की सम्मति लेकर ही समय बढ़ा सकता हूं इसलिए मैं....अपने आप समय समाप्त होता जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो समय बढ़ाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है । यह सुझाव तो मुख्य सचेतक महोदय को पांच मिनिट पहले दे देना चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अभी एक मिनिट बाकी है ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट का प्रश्न है—इस प्रागंण पर उठाया गया है । सदन की सम्मति नहीं है कि समय बढ़ाया जाय ?

(एक साथ कई माननीय सदस्यों की नो नो की अवाज)

(शोरगुल-व्यवधान)

मैं सदन की......... कार्यवाही (विराम) ....प्रातः 11 बजे तक के लिये...... (विराम) स्थगित......... करता हूं ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० 5.00 बजे से कल दिनांक 18 नवम्बर, 1970 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई) ।

Page No 138

परिशिष्ट 1

सूची (क)

(ता० प्र० सं० 153 की सूची)

Jaipur-Kishangarh-Ajmer Route

Table No. 7

Operating Depot.	Kms. S. No.	Jaipur CBS	65 Dudu	105 Kishangarh	132 Ajmer
1	2	3	4	5	6
Ajmer	1	—	—	7.15	8.15
Jodhpur	2	5.15	6.30	7.30	8.15 to Jodhpur Express
Ajmer	3	—	—	8.15	9.15
Jodhpur	4	6.00	7.30	8.30	9.15 to Jodhpur
Jaipur	5	6.45	—	8.45	9.30 Deluxe
Ajmer	6	—	—	9.30	10.30 from Harmara
Jaipur	7	7.30	9.00	10.00	11.00
Ajmer	8	—	—	10.30	11.30
Jaipur	9	8.15	9.45	10.45	11.45
Alwar	10	8.30	(Non-stop)		11.30 from Alwar
Jodhpur	11	9.00	10.30	11.30	12.15 to Jodhpur
Ajmer	12	—	—	12.00	13.00
Jaipur	13	9.45	11.15	12.15	13.15
Ajmer	14	10.30	12.00	13.00	14.00
Jodhpur	15	11.15	12.45	13.45	14.30 to Jodhpur
Ajmer	16	—	—	14.15	15.15
Jaipur	17	12.00	13.30	14.30	15.15 to Pali
Ajmer	18	—	—	15.00	16.00
Ajmer	19	12.45	14.15	15.15	15.15
Ajmer	20	—	—	16.00	17.00
Ajmer	21	13.30	15.00	16.15	17.15
Ajmer	22	14.15	15.45	16.45	17.45
Jodhpur	23	14.45	16.15	17.15	18.00 to Jophpur
Ajmer	24	—	—	17.45	18.45
Ajmer	25	15.30	17.00	18.00	19.00 to Beawar
Ajmer	26	16.00	17.30	18.30	19.15

1	2	3	4	5	6
Ajmer	27	16.30	—	—	19.30 from Agra
Ajmer	28	—	—	19.00	20.00
Ajmer	29	17.00	18.30	19.30	20.30 to Beawar
Jaipur	30	17.30	—	19.30	20.16 Deluxe
Ajmer	31	—	—	20.30	21.30
Ajmer	32	18.45	20.15	21.15	22.15
Jodhpur	33	22.00	23.45	00.15	1.00 to Jodhpur

Sd/-
Manager(Com.)

सूची (ख)

जयपुर-इन्दौर मार्ग

किराया बढ़ाने से पूर्व की राशि

क्रम सं०	माह	आय	प्रति आय किलोमीटर (पैसा)
1	जनवरी, 70	14755	85
2	फरवरी, 70	16178	100
3	मार्च, 70	18422	107
4	अप्रेल, 70	19239	111
5	मई, 70	26472	144
6	जून, 70	23099	134
	किराया बढ़ाये जाने के बाद की राशि		
7	जुलाई, 70	17602	102
8	अगस्त, 70	17525	95
9	सितम्बर, 70	16047	93
10	अक्टूबर, 70	17967	104

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

जंगल की कृषि योग्य भूमि

156. **श्री बृजबल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डोल्या, चांदवाड़ी, किशनपुरा तथा रांवठा और मदरगढ़ में कितनी जंगल की कृषि योग्य भूमि किसानों के अधिकार में चली आ रही है ?

(2) क्या यह भूमि पहले किसानों को तहसीलदार द्वारा दी जा चुकी थी ?

(3) क्या यह सही है कि अब उसी जमीन के नम्बर बदल जाने से उनके खिलाफ मुकदमे चलाये जा रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि 6 फरवरी, 70 को मुख्य मंत्रीजी ने इन्हें वापस वन से किसानों को जमीन देने की आज्ञा दे दी थी ?

(5) यदि हां, तो कब तक भूमि दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) कुछ नहीं ।

(2) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) जी नहीं ।

(4) इस विभाग को अभी तक कोई जानकारी नहीं है । पूर्ण जानकारी प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(5) प्रश्न नहीं उठता ।

पाली जिले में पानी व चारे की व्यवस्था

157. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में अकाल राहत कार्यों में गत वर्ष पीने का पानी सप्लाई करने व चारा सप्लाई करने हेतु किन किन स्थानों के लिये किन किन व्यक्तियों को किन किन शर्तों पर ठके दिये गये और उन व्यक्तियों को कितनी धनराशि अकाल राहत फण्ड से अदा की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या इस प्रकार के ठेके अधिक रेट पर दिये जाने व अधिक पेमेण्ट करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उनका क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(1) पाली जिले में गत वर्ष पीने का पानी सप्लाई करने व चारा सप्लाई करन हेतु जिन जिन स्थानों के लिए जिन जिन व्यक्तियों को ठेके दिये गये, और उन व्यक्तियों को जितनी धनराशि अकाल राहत फण्ड से अदा की गई, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है । ठेके के लिये जिन शर्तों पर बन्द पत्र लिखाये जाते थे उस बन्द पत्र की प्रतिलिपि भी सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । घास के ठेके अधिक रेट पर दिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर जिले में सिंचाई

158. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के पूर्व जयपुर जिले में किन किन बांधों से कितने-कितने क्षेत्र में सिंचाई होती थी ?

(2) पिछली तीन योजनाओं के अन्तर्गत कब कब, कितनी कितनी लागत के कौन कौन से बांध बनवाये और उनसे कितने कितने क्षेत्र की सिंचाई हुई ?

(3) वर्तमान में बांधों के द्वारा कितने क्षेत्र की सिंचाई हो रही है ?

(4) जयपुर जिले में सिंचाई के तथा अन्य कौन कौन से बांध कब कब से टूटे हुए पड़े हैं और क्यों ?

(5) जयपुर जिले में कहां-कहां पर बांध बनाये जाने के संबंध में कब कब सर्वे हुआ और उसके क्या परिणाम निकले ? कृपया एसी सर्वे रिपोर्ट या उनकी एक टिप्पणी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। सूची "अ"

(2) सूची संलग्न है। सूची "ब"

(3) सूची संलग्न है। सूची "स"

(4) एक बांध सन् 1956-57 से टूटा पड़ा है।

(5) सूची "द" संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुए पर लगाई गई मशीन

159. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम खजवाणा, तहसील नागौर के सार्वजनिक कुए पर पानी निकालने हेतु मशीन ग्राम पंचायत खजवाणा ने कब लगाई एवं उस पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ एवं यह रकम सरपंच ने कहां कहां से लेकर मशीन लगाई थी ?

(2) मौजा खजवाणा के सार्वजनिक कुंओं पर मशीन लगाने के बाद किस किस रेट से कितना कितना रुपया प्रति साल किस किस से वसूल बतौर पिलाई चार्जेज के किया एवं कितना कितना रुपया मशीन चलाने में उन सालों में सालवार व्यय हुआ ? सरपंच श्री जेताराम ने इस संबंध में जो जो रकम लगाई, पिलाई की वसूली की एवं व्यय किया, उससे संबंधित लेखा-पुस्तिका की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ? तथा इस हिसाब को किस किस ने कब कब चैक किया एवं क्या क्या एतराज निकाले ?

(3) अब मौजा खजवाणा तहसील नागौर, जिला नागौर का यह कुंआं मय मशीन किस एजेन्सी से संचालित है एवं कब से संचालित है ? इस मौजूदा एजेन्सी को यह संचालन कार्य किसने व कब से दिया गया है ?

(स्थगित किया गया)

Page No 142

टाप सीट का बेचान

160. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एक अमेरिकन महिला श्री ओ०पी० माथुर, अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, जयपुर (जो कुछ समय पूर्व अलवर में थे) के जयपुर स्थित मकान में ठहरी थी ? यदि हां, तो कब से कब तक ? उसका पूरा पता ठिकाना क्या था ?

(2) क्या इस अमेरिकन महिला का अमरीकी जासूसी विभाग (डी० सी० ए०) से कोई संबंध था ?

(3) क्या सिचाई विभाग, जयपुर के अधीक्षक अभियन्ता श्री कैलाशरूपराय का इस अमेरिकन महिला से संपर्क हुआ था ?

(4) क्या सिचाई विभाग (डिवीजन) अलवर व जयपुर के कार्यालयों का टापशीट्स जो सुरक्षा विभाग, सर्वे ऑफ इण्डिया, देहरादून द्वारा दी जाती है गोपनीय रिकार्ड होता है ? क्या कुछ टापशीट उक्त अमेरिकन महिला को ऊंची कीमत पर बेची गई हैं ?

(5) राजस्थान सिचाई विभाग में स्टेटों के समय की कितनी टापशीट्स तथा 1960 के बाद कितनी टापशीट्स देहरादून से इस विभाग को प्राप्त हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं ।

(4) (अ) जी हां ।

(ब) जी नहीं ।

(5) सूची संलग्न है ।

सिचाई विभाग में उपलब्ध टोपसीटों की सूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	टोप सीटो की संख्या जो 1950 से पहले उपलब्ध थी	टाप साटो की सं० जो 1950 के बाद खरीदी गई	कुल संख्या
1	2	3	4	5
1	जयपुर खंड	297	169	463
2	भरतपुर खंड	—	36	36
3	अलवर खंड	—	3317	3317
4	निर्देशालय	—	674	674
5	उप-निर्देशालय मास्टर प्लॉन	—	424	424
6	उप-निर्देशालय कृषि अनुसंधान, जयपुर	—	548	548
7	उप-निर्देशालय कृषि अनुसंधान, उदयपुर	—	368	368
8	नर्मदा कोषिका	—	6	6

1	2	3	4	5
9	बीकानेर सिंचाई वृत्त	80	167	247
10	नहर वृत्त चम्बल व कोटा	—	5664	5664
11	दाहिनी मुख्य नहर I	—	362	362
12	दाहिनी मुख्य नहर II	—	346	346
13	बांई मुख्य नहर	—	27	27
14	ड्रेनेज खंड	—	169	169
15	अजमेर वृत्त	—	149	149
16	अजमेर खंड	—	176	176
17	बून्दी खंड	51	87	138
18	जवाई खंड, सुमेरपुर	137	115	252
19	सर्वे खंड, सुमेरपुर	—	14	14
20	उदयपुर वृत्त	192	18	210
21	उदयपुर खंड	292	365	557
22	बांसवाड़ा खंड	—	84	84
23	कांकरोली खंड	—	174	174
24	चित्तौड़गढ़ खंड	—	454	454
25	भीलवाड़ा खंड	85	—	85
26	माही वृत्त	—	4032	4032
27	मुख्य अभियन्ता, कासगंज	56	987	1087
29	क्षेत्र अनुसंधान खंड, उदयपुर	—	1040	1040
	योग ...	1175	19928	21733

जीपों का दुरुपयोग

161. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत चुनावों में पंचायत समितियों की जीपें का विशेषकर दुरुपयोग होता है ? यदि हां, तो इनको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या सरकार ने इस विषय पर विचार किया है कि पंचायत चुनावों से दो माह पूर्व पंचायत समितियों की जीपें की सरकार अपने अधिकार में करले ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

(3) आने वाले पंचायत चुनावों में उक्त गाड़ियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठायें हैं ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) पंचायत चुनाव कार्य के लिए जीप गाड़ियां जिलाधीशों द्वारा मंगाली जाती हैं अतः उनके दुरुपयोग होने की कोई संभावना नहीं रहती है।

जवाई कमाण्ड क्षेत्र में जल वितरण की व्यवस्था

162. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जवाई कमान्ड क्षेत्र में जल वितरण संबंधी सरकार ने कोई नियम बनाये हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जल वितरण के संबंध में बने इन नियमों का पालन किया जाता है? यदि नहीं, तो वितरण किस आधार पर होता है और क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

(3) जल वितरण के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले इस संबंध में सरकार अपनी मौजूदा प्रक्रिया में क्या कोई परिवर्तन करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जवाई बांध से जल वितरण के संबंध में अलग से कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। जल वितरण के लिए बांध में पानी की क्षमता और जल वितरण कमेटी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।

(3) आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है।

नसीराबाद में अकाल राहत कार्य

163. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नसीराबाद में सन् 70 में कब, कब कहां कहां अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये गये व वापिस कब कब, कहां कहां बन्द कर दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नसीराबाद नोटीफाइड एरिया है जिसमें अभाव स्थिति की घोषणा नहीं की गई। अत: सन् 70 में राहत कार्य प्रारम्भ किये या बन्द किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

खानूवा बांध

164. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खानूवा बांध, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर का निर्माण किस वर्ष में हुआ है तथा उसका कुल निर्माण व्यय क्या था?

(2) अब तक यह बांध कितनी बार टूट चुका है तथा इसकी मरम्मत पर अब तक कुल कितना रुपया व्यय हुआ है?

उत्तर

(1) इस बांध का निर्माण सन् 1952

(सिंचाई मंत्री)

में हुआ था तथा इस पर 3,19,000) रु० व्यय हुआ था ।

(2) अब तक यह बांध तीन बार टूट चुका है । तथा उस पर 7,22,879) रुपया खर्च हो चुका है ।

ओलावृष्टि से क्षति

165. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के विभिन्न क्षेत्रों में माह जनवरी व फरवरी, 70 में हुई भीषण ओलावृष्टि से हजारों एकड़ भूमि में किसानों की खड़ी गेहूं, चना, धनिया व अलसी आदि की फसल नष्ट हो जाने के कारण गत सत्र में अकाल राहत मंत्री ने यह घोषणा की थी कि किसानों से लगान की वसूली स्थगित करदी गई है, तथा ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को राहत देन के लिये कर्जा व अनुदान आदि के रूप में सहायता दी जावेगी, और गांवों में टेस्ट वर्क खोले जावेंगे तथा लगान, पानी पिलाई तथा सरचार्ज आदि माफ कराए जाने के मामले को मंत्रीमण्डल की होने वाली बैठक में रखा जावेगा ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह सही है कि बारां, किशनगंज, शाहबाद एवं मांगरोल तहसील क्षेत्र के ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों से खरीफ की फसल का लगान वसूल किया गया है और लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और अब तक कितना वसूल किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) जी हां । जिला कोटा के विभिन्न क्षेत्रों में माह जनवरी व फरवरी, 70 में हुई ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल नष्ट होजाने के कारण गत् सत्र में यह घोषणा की गई थी कि ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों की वसूली स्थगित करदी गई है । तथा ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए कर्जा व अनुदान आदि के रूप में सहायता दी जावेगी और गांवों में टेस्ट वर्क खोले जावेंगे । उसके अनुसरण में अब तक 1,28,025 रुपये तकाबी के रूप में बांटे गये । 8,400) रुपये अनुदान के रूप में दिये गये तथा टेस्ट रिलीफ वर्क्स खोले गये ।

(2) जी नहीं । बारां, किशनगंज, शाहबाद एवं मांगरोल तहसील क्षेत्र में ओलावृष्टि से पीड़ित गांवों में जहां 8 आने या इससे अधिक फसल की क्षति हुई है वहां भू राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गई है ।

पत्रकारों को यात्रा सुविधा

166. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम ने पत्रकारों को निगम की बसों में यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार की सुविधा की घोषणा की थी ?

(2) क्या घोषित सुविधा पत्रकारों को प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां । निगम ने अपने प्रस्ताव संख्या 49170 दिनांक 30-7-70 द्वारा

(प तायात मंत्री)

पत्रकारों को निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कराने के नियम घोषित किये हैं। जिन नियमों के तहत यह सुविधा दी गई है उसकी प्रति सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) जी , हां ।

Rules for complimentary duty free travel of Journalists in the buses of the Rajasthan State Road Transport Corporation.

1. These rules shall be called "Rules for complimentary duty free travel of Journalists in the buses of the Rajasthan State Road Transport Corporation."

2. In these rules unless there is anything repugnant in the subject of context.

   (a) "Corporation" shall mean Rajasthan State Road Transport Corporation established under Section 3 of the Road Transport Corporation Act, 1950.

   (b) "Buses" shall mean stage carriage owned and plied by the Corporation on various routes in Rajasthan State only.

   (c) "Journalist" shall mean authorised representative of all recognised daily news papers in all languages stationed in Rajasthan and such other accredited Correspondents recommended by the Director of Public Relations and approved by the Government of Rajasthan in Transport Department.

   (d) "Free travel" shall mean facility of travel by Corporation bus any where in Rajasthan without payment of bus fare but shall not include exemption from payment of passenger tax leviable from time to time.

3. PURPOSE.

   Free travel to Journalists in Corporation buses will be given for coverage of important events and for purposes of feature writing and suggesting improvement in RSRTC operations.

4. MANNER OF GIVING CONCESSION.

   (i) Concession of free travel will be given to such Journalists who are in possession of an identity card issued by the Corporation and who have been recommended by their respective publication.

(ii) Each Journalist shall keep an identity card with his photo and signatures on it duly attested by the General Manager.

(iii) On the basis of this identity card Booking Clerk/ Conductor of the Corporation bus shall issue a ticket to the journalist without charging any fare but after charging leviable passenger tax for travel any where in Rajasthan as requested by the Journalists, on any of Corporation routes but within the State of Rajasthan.

(iv) Name of the Journalist and his identity card number shall be entered in the ticket against the column of fare which will be issued after charging the amount of passenger tax leviable and entering the same against the column of passenger tax of the ticket for remittance to the Government.

(v) Concession of free travel shall be issued subject to availability of seats in the bus at the time a request is made for such a travel.

(vi) The journalist ticket so issued shall not be transferable, any misuse thereof is liable to debar the concession holder from being given this facility subsequently.

(vii) Whenever checking staff need checking, the Identity card issued to Journalists shall be shown to them on demand. Every 30 miles be at ATI is supposed to check the Bus.

(viii) The identity card shall be issued for a period of one year subject to renewal thereafter.

(ix) In the event of the loss of the identity card, it shall be the duty of the Journalist to intimate the incident to the Government and the Corporation immediately.

जालौर एवं सांचोर में छात्रावास व्यवस्था

167. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जालौर अनुसूचित जाति छात्रावास एवं सांचोर अनुसूचित जाति छात्रावास में छात्र संख्या बढ़ाने की जनता की मांग है ? अगर हां, तो कब से व कितने छात्रों की ? इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(2) उक्त छात्रावासों की संख्या जालौर में पचास एवं सांचोर में तीस कब तक करने का विचार है ?

(3) क्या भीनमाल अनुसूचित जनजाति छात्रावास में भी छात्र संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है ? अगर हां, तो कितनी व कब तक ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) क्या जालौर में होस्टल भवन के लिए सरकार से 20,000/- रुपये की मांग की गई है ? अगर हां, तो कब और वह रकम कब तक दी जा सकेगी ?

(5) जालौर में पश्चिमी राजस्थान बोर्डर विकास की योजना के तहत क्या सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा एक होस्टल खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(6) जिला जालौर में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में पाईप लाइन एवं बिजली लाईनों के लिए किस किस जगहों की योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ? ये योजनाएं कब तक पूरी कर दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जालौर छात्रावास में 20 छात्रों की संख्या बढाने का प्रस्ताव माह अगस्त 1969 में तथा सांचोर 5 छात्र बढाने का। मांग जून 70 में प्राप्त हुई थी सरकार ने दोनों छात्रावासों में प्रत्येक में 5-5 छात्र बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है।

(2) जालौर छात्रावास की संख्या 35 तथा सांचोर की 30 इस वर्ष में करदी गई है इससे अधिक बढाये जाने के लिए प्रावधान नहीं है।

(3) भीनमाल छात्रावास की स्वीकृति छात्र संख्या 25 है और वहां स्वीकृत संख्या भी पूरी नहीं हो पाती तो बढाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) जालौर छात्रावास भवन हेतु 20,000/- के प्रस्ताव वर्ष 68-69 में आये थे जिसमें से 10,000 वर्ष 68-69 में स्वीकृत कर दिये गये थे और 10,000 इस वर्ष दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(5) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(6) जालौर जिले के नल बिजली के प्रस्ताव जैसा मैं माननीय सदस्य को पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, कहीं से भी पूर्ण होकर प्राप्त नहीं हुए हैं। पूर्ण होकर प्राप्त होन पर ही विचार किया जा सकेगा।

राजस्थान नहर

168. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में राजस्थान कैनाल कितने वर्ष म पूरी बन जायगी और अब तक कितनी बन चकी है।

(2) अकाल के समय में इस नहर पर कितनी विशष धनराशि प्लान के अलावा खर्च की गई उससे कितनी नहर का निर्माण हुआ।

उत्तर

(1) राजस्थान नहर का सम्पूर्ण निर्माण वर्ष 1978–79 तक पूर्ण होने का लक्षय रखा गया था। परन्तु यह तभी संभव हो सकेगा जब कि इस योजना के लिये पर्याप्त धनराशि अगले वर्षो में उपलब्ध करा दी जायेगी।

अब तक 70 मील तक मुख्य नहर बन चुकी है। नौरंगदेसर, रावतसर, जोजा बरपुरा, खेरावाली, खोदान, टटार

(सिंचाई मंत्री)

क़नीर डिस्ट्रीब्यूटरीज पूरी हो चुकी ह । सूरतगढ़ ब्रांच सिस्टम अनूपगढ ब्रांच सिस्टम का कार्य भी करीब करीब पूरा हो गया है।

(2) अकाल के समय इस नहर पर प्लान के अलावा कुल व्यय रु० 1.12 करोड़ हुआ है । इस राशि से मुख्य नहर की 2 मील की खुदाई के बराबर और लिफ्ट केनाल की 9 मील के बराबर मिट्टी की खुदाई का कार्य सम्पन्न हुआ है।

मजदूरों से समझौता

169. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत मण्डल ने इन्टक से सम्बन्धित राष्ट्रीय नल बिजली मजदूर फैडरेशन से 26-1-70 को कोई समझौता किया है? यदि हां, तो समझौते की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बन्धित नल बिजली वर्क्स फेडरेशन ने इस समझौते का विरोध किया है और अपनी कार्यकारिणी द्वारा 22-23 जनवरी, 1970 की मीटिंग में तत्सम्बन्धी प्रस्ताव, स्वीकार करके राजस्थान विद्युत मण्डल को भेजा है?

(3) क्या यह सही है कि इण्टक के सम्बन्धित नल बिजलीघर मजदूरों ने भी इस प्रकार के समझौते का विरोध किया है और जयपुर के ऐसे मजदूरों ने लिखकर भी राजस्थान विद्युत मण्डल को विरोध-पत्र भेजा है?

(4) क्या सरकार को मालूम है कि इण्टक से सम्बन्धित नल बिजली मजदूर फैडरेशन को मजदूरों का बहुमत प्राप्त नहीं है और एटक से सम्बन्धित फेडरेशन को ही बहुमत प्राप्त है फिर ऐसे फेडरेशन से जिसका अल्प मत है उससे बोर्ड ने समझौता क्यों किया है और उसकी मजदूरों में कीमत क्या होगी?

(5) क्या यह सही है कि उक्त समझौते में विद्युत मण्डल ने समस्त श्रमिक विवादों को इण्टक से सम्बन्धित राष्ट्रीय नल बिजली मजदूर फैडरेशन के माध्यम से ही तय करना स्वीकार किया है? यदि हां, तो क्या ऐसा करना इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के विरुद्ध नहीं है?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के श्रम विभाग ने यह राय ज़ाहिर की है कि एक श्रमिक संगठन से समझौता करके दूसरे श्रमिक संगठनों के अधिकारों की समाप्त नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो ऐसा गैर कानूनी समझौता क्यों किया गया।

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत मण्डल ने इन्टक से संबंधित विद्युत मण्डल मजदूर फेडरेशन (न कि नल बिजली मजदूर फेडरेशन) से 26-1-70 को एक समझौता किया था जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। एटक से संबंधित नल बिजली फेडरेशन द्वारा दिनांक 22/23-2-70 को हुई कार्यकारिणी की बैठक में पारित एक प्रस्ताव की प्रति जिसमें इस समझौते का विरोध किया गया था विद्युत मण्डल को 10-3-70 को भेजी गई।

(विद्युत मंत्री)

(3) जयपुर में विद्युत कर्मचारी यूनियन के नाम से इस समय 2 संस्थायें कार्य कर रही हैं जिसमें से एक ने इस प्रकार के समझौते का विरोध-पत्र मण्डल को भेजा है ।

(4) जी नहीं । दिनांक 7-11-62 को राजस्थान विद्युत के नल बिजली मजदूर फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद केवल प्रान्तीय जल विद्युत फेडरेशन इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अधीन एक मात्र रजिस्टर्ड यूनियन थी जिसे विद्युत मण्डल ने आचार संहिता (कोड ऑफ डिसीप्लिन) के अधीन मान्यता प्रदान की । अतः इस फेडरेशन से मण्डल द्वारा किय गये समझौते को अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

(5) उक्त समझौते के अन्तर्गत श्रमिकों के व्यक्तिगत विवाद ग्रीवेंस प्रोसीजर और ग्रीवेंस कमेटी द्वारा सुलझाये जाने का प्रावधान है जिसमें श्रमिक और उसके प्रतिनिधि को विवाद उठाने व तय कराने का अधिकार है । जहां तक कलेक्टिव नेचर के विवाद का प्रश्न है इस समझौते के अन्तर्गत विद्युत मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रान्तीय विद्युत मण्डल मजदूर फडरेशन द्वारा नेगोसियेटिंग कमेटी के माध्यम से तय कराने का प्रावधान है । एसा करना औद्योगिक विवाद अधिनियम के विरुद्ध नहीं है ।

(6) जी नहीं । विद्युत मण्डल को श्रमिक विभाग से इस प्रकार की कोई राय प्राप्त नहीं हुई है । प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुआ बनाने के लिये अनुदान

170. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बिचपुरी के सरपंच ने बहैसियत चैयरमैन, स्टेंडिंग कमेटी पंचायत समिति के दिनांक 9-1-60 को खसरा नं० 82-83 व 84 पर सिंचाई हेतु कुआ बनाने के लिये 1000) रु० का अनुदान दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि खसरा नं० 82,83 व 84 की भूमि स्वयं सरपंच के पिता श्री राम कल्याण के खाते की है ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जांच एस० डी० ओ० व डी० डी० ओ०, सवाई माधोपुर ने करके अपनी रिपोर्ट दिनांक 6-6-63 को की थी ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश सवाई माधोपुर ने अपने आदेश दिनांक 30-7-68 को मामला पुलिस में दर्ज कराने व पेनल्टी सहित रकम वसूल करने का आदेश दिए थे ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) क्या यह सही है कि पंचायत एवं विकास ने अपने आदेश क्रमांक 23(4) सी० पी० एस० 68 मि० । दिनांक 12-6-68 द्वारा जिलाधीश के आदेश पर सहमति प्रगट की थी ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(6) क्या यह सही है कि पुनः पंचायत एवं विकास विभाग क्रमांक एफ 23

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(4) सी० पी० एस०, 68 मि० 236 दिनांक 7-1-69 द्वारा अपने पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया ? कृपया आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां । सार्वजनिक कूप निर्माण हेतु ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) दिनाक 23-8-68 को उप-जिला विकास अधिकारी द्वारा पुलिस को कानूनी कार्यवाही करने के लिये आदेश दिया गया था ।

(5) 12-9-68 को जिलाधीश को कोई आदेश नहीं भेजे गये ।

(6) जी हां, आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । इस आदेश के विरुद्ध रिट याचिका उच्च न्यायालय में दायर हो चुकी है । जो विचाराधीन है ।

राजस्थान सरकार
पंचायत एवं विकास विभाग

क्रमांक :– एफ–23 (4) सी० पी० एस० । 68। मि० । 236–38, दिनांक 7-1-69
जिलाधीश,
सवाई माधोपुर ।

विषय :– श्री केशवदेव, सरपंच, पंचायत बिचपुरी (खंडार) से 1000) रु० की वसूली बाबत ।

उपरोक्त विषय में पूर्व प्रसारित आज्ञा संख्या एफ-23 (4) सी० पी० एस।68। 129/68-70, दिनांक 9-12-68 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा मुझे यह निवेदन करने का निर्देश है कि चूंकि सरपंच ने अंकित किया है कि जिस जगह इस कुवे का निर्माण हुवा है वह जगह अपने पिता की खातेदारी की जमीन के कौने पर स्थित है जिसका उस समेय उसको इल्म नहीं था यद्यपि यह कुआ सार्वजनिक है फिर भी इस जमीन का रकबा 2 बिस्वा जहां कुआ बना है अपने पिता की खातेदारी से हटाकर सरकार को सौंपने को तैयार है और सरकार उस स्थान को सार्वजनिक सेवाएं चक में घोषित कर दें आदि । अत: उस जमीन के हिस्से को जिस पर कुआ बना हुआ है नियमानुसार अपने कब्जे में लेकर सार्वजनिक कुआ घोषित करदें एवं सरपंच (प्रार्थी) से यह शर्तः ामा भी लिखवा लिया जावे कि वह इस कुए पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा पुलिस को भी इस निर्णय से अवगत करादें । साथ ही सरपंच से वसूल की जाने वाली राशि 1000) रु० की वसूली की कार्यवाही समाप्त की जाती है सरपंच से अब राशि वसूल नहीं की जावे ।

ह०
सहायक सचिव (जांच),
राजस्थान, जयपुर ।

कृषकों को ऋण

171. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व किसानों को किन किन एजेंसियों से ऋण मिलता था और उसकी ब्याज दर क्या थी ? अब किन किन एजेन्सियों से ऋण मिलता है और उसकी ब्याज दर क्या है ? कितनी अवधि के लिए ऋण मिलता है और ऋण सीमा कितनी है ?

(2) औद्योगिक कर्जों की ब्याज दर क्या है ?

(3) राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को किस ब्याज दर पर कितनी सीमा तक ऋण कितने समय के लिए किस किस कार्य हेतु देते हैं ?

(4) ये बैंक औद्योगिक ऋणों के लिये किस ब्याज दर पर कितनी अवधि के लिए ऋण देते हैं ?

(स्थगित किया गया)

विधायकों को स्कूटर

172. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 70 में किन किन विधान सभा सदस्यों को स्कूटर कोटे से दिये गये ? कौन कौन सी तारीख में कृपया सूचि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) यह भी बताने का कष्ट करें कि इनकी एप्लीकेशन (प्रार्थना-पत्र) कौन कौन सी तारीखों में पेश हुए थे ?

(3) अब किन किन सदस्यों की एप्लीकेशन विचाराधीन हैं और इन्होंने प्रार्थना-पत्र कौन कौन तारीखों में दिये थे ? कृपया सूचि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

निःशुल्क शिक्षा

173. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार हायर सेकन्डरी तक निशुल्क शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है चाहे उनके अभिभावक आय कर देते हों अथवा नहीं ?

(2) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या लड़कियों से उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस वसूल की जाती है ? यदि हां, तो किन से और किन लड़कियों से फीस वसूल नहीं की जाती है और क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर तक सभी छात्र/छात्राओं को शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। हायर सैकन्ड्री स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने का अभी कोई विचार नहीं है।

(2) आर्थिक कठिनाई के कारण।

(3) उच्च स्तर तक केवल उन छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। जिनके पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रु० 10,000) से कम है।

ग्राम बाप में तालाब पर शिकार

174. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बाप जिला जोधपुर के तालाब पर दिनांक 10-11 व 12-11-70 को विकास अधिकारी पंचायत समिति बाप द्वारा स्थानीय जनता के विरोध के उपरांत शिकार की गई ?

(2) क्या यह सही है कि जनता ने पानी पीने के एक मात्र तालाब पर शिकार करने के विरोध में प्रदर्शन किया ? यदि हां, तो अब तक उस बी०डी०ओ० के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

ग्राम नाचना में भवन निर्माण कार्य

175. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम नाचना जिला जैसलमेर में राजस्थान नहर के सिंचाई विभाग द्वारा आवास के लिए भवन निर्माण कार्य गत वर्ष प्रारम्भ कर दिया गया था और बीच में ही निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में राज्य सरकार इस निर्माण कार्य के लिए क्या विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां । गत वर्ष नाचना में कुछ अस्थायी आवास गृहों का कार्य शुरू किया गया था जो पूरा कर दिया गया था । कुछ और अस्थायी आवास गृह बनने थे जिनको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, जो अब जल्दी ही शुरू कर दिये जायेंगे ।

पंचायतों द्वारा दिया गया ऋण

176. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समितियों द्वारा दिया गया कुल ऋण कितना है ?

(2) पंचायत समिति देवली, जिला टोंक द्वारा वर्ष 1966 से 1969 तक कुल कितना ऋण दिया गया है ?

(3) क्या यह सत्य है कि श्री रतनलाल सरपंच नगर पंचायत समिति देवली, व उनकी माता उमरावदेवी को भी ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(4) क्या यह सत्य है कि यह ऋण अभी तक समिति द्वारा वसूल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि इस ऋण की एक भी किस्त जमा नहीं कराई गई है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों को वर्ष 1959-60 से 1969-70 तक 4149•02 लाख रुपये की ऋण धनराशि ऋण वितरण के लिए दी गई है जिसका अधिकांश पंचायत समितियों द्वारा वितरण किया गया है ।

(2) 3,35,903 रु० ।

(पंचायत मंत्री)

(3) जी हां। क्रमशः कुल 2,250.00 रु० व 300.00 रु०।

(4) तहसील द्वारा राशि वसूल होकर जमा नहीं हुई है।

(5) जी हां।

स्थगित प्रश्न

(10-11-70)

केन्द्रीय सरकार की अध्ययन-दल की रिपोर्ट

171. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अब तक कितनी बार केन्द्रीय सरकार की अकाल सहायता स्टेडी टीम आई है और किन किन सालों में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है ?

(2) क्या यह सत्य है कि स्टेडी टीम ने अपनी राय कुछ मामलों में गलत भी दी है ? यदि हां, तो किन किन मामलों में और उनकी रायों के खिलाफ राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वापिस कुछ लिखा है या नहीं ? यदि हां, तो क्या लिखा और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में अब तक 8 बार केन्द्रीय सरकार की अकाल सहायता स्टेडी टीम आई है, और उन्होंने इस प्रकार क्रमशः फरवरी, 66, जुलाई, 66, मार्च, 66, दिसम्बर, 68, मई, 69, सितम्बर, 69, दिसम्बर, 69 व जून 70 को अपनी रिपोर्ट दी।

(2) जी नहीं। अध्ययन दलों ने अपने दृष्टिकोण से स्थिति पर विचार करके राय दी है। अतः गलत राय कहा जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह अवश्य है कि राज्य सरकार केन्द्रीय अध्ययन दलों की कुछ सम्मत्तियों से सहमत नहीं है, और उनके संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

स्थगित प्रश्न

(10-11-70)

सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति

80. श्री बालसिंह सोढ़ा (जसलमेर): क्या सिचाई मंत्री यह बतायें की कृपा करेंगे:—

(1) सिचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के नाम वरिष्ठतानुसार क्या है और सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ता के पद पदोन्नत करने के लिये क्या नियम व आधार रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता उनकी लोक सेवा आयोग से प्राप्त सिफारिश पर नियुक्ति की तिथि से मानी जाती है ? अगर हां, तो 1970 में अधिशासी अभियंताओं के पदों पर किन किन सहायक अभियन्ताओं को पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. (क) सिचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची सरकार के आदेश संख्या एफ० (12) अ (4) सि०

(सिंचाई मंत्री)

/56 दिनांक 16-6-70 द्वारा जारी हुई थी जिसकी सूची "अ" संलग्न है । इसके बाद में सहायक अभियन्ताओं की किसी भी तरह की वरिष्ठता सूची अभी तक जारी नहीं हुई ।

(ख) सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पद पदोन्नत करने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं । जो सहायक अभियन्ता डिग्री होल्डर हैं वे पांच वर्ष की सेवा काल उपरान्त और जो सहायक अभियन्ता डिप्लोमा होल्डर हैं वे 15 साल की सेवा काल उपरान्त अधिशाशी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत हो सकते हैं । डिप्लोमा होल्डर के लिए यह सेवा काल नियम राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 30-6-70 द्वारा 12 वर्ष का कर दिया गया है । इस रूल के अनुसार यह पदोन्नति उन्हीं सहायक अभियन्ताओं की होगी जो सितम्बर 1962 से पूर्व सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

2. (क) जी नहीं ।

(ख) सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट 3

(ता० प्र० सं० 154 की सूची)

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक शिक्षा विभाग, झालावाड़ (राजस्थान)

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के स्थानान्तर उनके सामने अंकित स्थानों पर तुरन्त किये जाते हैं।

सम्बन्धित प्रधानाध्यापक इन अध्यापकों को परिवर्तित संस्थाओं में उपस्थिति देने हेतु शीघ्र मुक्त करेंगे।

इनको किसी प्रकार का यात्रा व्यय एवम् उपस्थिति समय देय नहीं होगा।

क्रम सं०	नाम अध्यापक	कहां से	कहां को
1.	श्री नन्दकिशोर स० अ०	उ०प्रा०वि० पनवाड़	उ०प्रा०वि०, गोलाना
2.	श्री ओमप्रकाश श्रृंगी स० अ०	मा० वि०, खानपुर	उ०प्रा० वि०, पनवाड़
3.	श्री जानकीवल्लभ स० अ०	उ०प्रा०वि०, टिटोडिया	उ०प्रा०वि०,लालमन्दिरपाटन
4.	श्री हेमराज स० अ०	उ०प्रा०वि०, दुधालिया	उ०प्रा० वि०, गरनावद
5.	श्री हीरालाल स० अ०	उ०प्रा०वि०, गरनावद	प्रा० वि०, मंगलपुरा
6.	श्री नारायणसिंह झाला स० अ०	प्रा० वि०, मंगलपुरा	उ०प्रा० वि०, मोतीकुआ
7.	श्री अब्दुल हक स० अ०	प्रा०वि०, नूतन भवानी मंडी	प्रा० वि०, मंगलपुरा
8.	श्री मोहनलाल वर्मा स० अ०	उ०प्रा०वि०, गाडरवाड़ा नूरजी	उ०प्रा० वि०, सारोला
9.	श्री राजेशकुमार सक्सेना स० अ०	उ०प्रा०वि०, गाडरवाड़ा नूरजी	उ०प्रा० वि०, गोलाना प्रति नियुक्ति मा.वि., खानपुर
10.	श्री अब्दुलगनी स० अ०	उ०प्रा०वि०, रटलाई	अतिरिक्त प्रा०वि०, झालरापाटन
11.	श्री प्रभुलाल शर्मा स० अ०	उ०प्रा० वि०, तारज	उ०प्रा० वि०, सारोला
12.	श्री भैरूंलाल यादुवेन्द्र स० अ०	उ०प्रा० वि०, तारज	उ०प्रा०वि०,गाडरवाड़ानूरजी
13.	श्री घासीराम राठौड़ स० अ०	उ०प्रा० वि०, दुधालिया	उ०प्रा० वि०, भिलवाड़ी
14.	श्री अब्दुल खालिक स० अ०	उ०प्रा० वि०, पनवाड़	उ०प्रा० वि०, सारोला
15.	श्री मोहनलाल नागर स० अ०	उ०प्रा० वि०, पनवाड़	उ०प्रा० वि०, जोलपा
16.	श्री मोहनलाल यादव स० अ०	उ०प्रा० वि०, तारज	उ०प्रा० वि०, असनावर
17.	श्री मोहनलाल मोदी स० अ०	उ०प्रा० वि०, पनवाड़	उ०प्रा० वि०, पीपल्या
18.	श्री रामदयाल मालव स० अ०	उ०प्रा० वि०, दहीखेड़ा	उ०प्रा० वि०, मन्डावर
19.	श्री प्रभुलाल गौड़ स० अ०	उ०प्रा० वि०, दहीखेड़ा	उ०प्रा० वि०, मन्डावर

1	2	3	4
20.	श्री बल्लभदास, स० अ०	उ०प्रा०वि०, सांगरिया	उ०प्रा०वि०, रटलाई
21.	श्री नन्दलाल, स० अ०	उ०प्रा०वि०, सांगरिया	उ०प्रा०वि०, सलोतिया
22.	श्री कन्हैयालाल मालवीय, स०अ०	मा० वि०, झालरापाटन	उ०प्रा०वि०, दहीखेड़ा
23.	श्री मदनलाल सालोदिया, स०अ०	उ०प्रा०वि० पनवाड़	अति०प्रा० वि०, झालावाड़
24.	श्री ओमप्रकाश राठौड़, स०अ०	उ०प्रा०वि०, दीवलखेड़ा	प्रा०वि०, आर्यसमाज, पाटन
25.	श्री रामकृष्ण दांगी, स० अ०	उ०प्रा०वि०, धनावद	उ०प्रा०वि०, दीवलखेड़ा
26.	श्री बाबूलाल आर्य, स० अ०	उ०प्रा०वि०, आवर	उ०प्रा०वि०, कोटड़ी प्रतिनियुक्ति उ०प्रा०वि०, पिडावा
27.	श्री लालचन्द जैन स० अ०	उ०प्रा०वि०, गाडरवाड़ा	उ०प्रा०वि०, सारोला
28.	श्री रामचन्द्र जोशी स०अ०	उ०प्रा०वि०, नूरजी ओसाव	उ०प्रा०वि०, दीवलखेड़ा

सही—
विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, झालावाड़।

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, झालावाड़ (राजस्थान)

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के स्थानान्तर उनके सामने अंकित स्थानों पर तुरन्त किये जाते हैं।

क्रम सं० 1 से 7 तक व क्रम सं० 16 व 17 को कोई यात्रा व्यय व उपस्थिति समय देय नहीं है। क्रम सं० 8 से 15 वालों को यात्रा व्यय व उपस्थिति समय देय है।

क्र० सं०	नाम अध्यापक	कहां से	कहां को
1	श्री राजेन्द्रमोहन गौतम, प्र० अ०	उ०प्रा० वि०, पनवाड़	उ०प्रा० वि०, रायपुर
2	श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता, प्र० अ०	उ०प्रा० वि०, रायपुर	स०अ०, उ०प्रा० वि०, पचपहाड़ प्रतिनियुक्ति, उ०मा० वि०, भवानीमंडी
3	श्री बंशीलाल शर्मा, प्र० अ०	उ०प्रा० वि०, धनावद	उ०प्रा० वि०, कनवाड़ा
4	श्री भंवरलाल हर्षवाल, प्र०अ०	उ०प्रा० वि०, रटलाई	स०अ०, मा० वि०, झालरापाटन
5	श्री नन्दकिशोर यादुवेन्द्र, स०अ०	मा० वि०, खानपुर	प्र०अ०, उ०प्रा०वि०, गोलाना
6	श्री मुकुटबिहारी बंसल, प्र०अ०	उ०प्रा० वि०, आवर	स०अ० उ०प्रा०वि०, कलेक्टरी झालावाड़

1	2	3	4
7	श्री हरिनारायण सोनी, स०अ०	उ०प्रा० वि०, कलेक्टरी, झालावाड़	स०अ० उ० प्रा० वि०, मनोहरथाना
8	श्री गिरिराज अनन्त, प्र० अ०	उ०प्रा० वि०, भिलवाड़ी	प्र०अ०,उ०प्रा०वि०, पनवाड़
9	श्री कल्यानमल मिस्त्र, प्र० अ०	उ०प्रा० वि०, गोलाना	प्र०अ०, उ०प्रा०वि०, मन्डावर
10	श्री मदनमोहन दाधीच, प्र० अ०	उ०प्रा० वि०, गाडरवाड़ा नूरजी	उ०प्रा० वि,० भिलवाड़ी
11	श्री नाथुलाल गुप्ता, स० अ०	उ०प्रा० वि०, पचपहाड़	प्र०अ० उ०प्रा०वि० सलोतिया
12	श्री शम्भूसिंह, प्र० अ०	उ०प्रा० वि०, मन्डावर	उ०प्रा०वि०, गाडरवाडा नूरजी
13	श्री बद्रीलाल राठोड़, प्र० अ०	उ०प्रा० वि०, कनवाड़ा	उ०प्रा० वि०, रटलाई
14	श्री रामरतन शर्मा, प्र० अ०	उ०प्रा० वि० सलोतिया	उ०प्रा० वि०, घनावद
15	श्री अम्बालाल नागर, स० अ०	उ०मा०वि, मनोहर थाना	प्र०अ०, उ०प्रा०वि०, जावर
16	श्री किशोरीसिंह हाडा, प्र० अ०	उ०प्रा० वि०, झालावाड़	उ०प्रा० वि०, मोती कुआ
17	श्री गिरिराजदत्त शर्मा, प्र०अ०	उ०प्रा० वि०, मोती कुआ	उ०प्रा० वि०, कलेक्टरी

ह० हजारीलाल जैन,
विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग, झालावाड़ ।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 168 की सूची)

भाखड़ा प्रणाली की विभिन्न ब्रांचों की सालाना सिंचाई

1.	करणीसिंह ब्रांच	66 प्रतिशत
2.	खारा ब्रांच	79 ,,
3.	सादून ब्रांच	68 ,,
4.	घग्घर ब्रांच	79 ,,
5.	बजसा ब्रांच	28 ,,
6.	अमरसिंह ब्रांच	35 ,,

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 173 की सूची)

तालिका "ख"

राज्य बीमा विभाग द्वारा वर्ष 1953 के पश्चात् घोषित की गई बोनस की दरें

क्रमांक	अवधि	सावधि बीमा	आजीवन बीमा
1	31-3-1953	10–00 2.50 विशेष बोनस	10–00 रिवर्संनरी बोनस प्रतिवर्ष एक हजार की बीमा राशि पर ।
2	31-3-1959	10–00	11–00 „
3	31-3-63	12–50	15–00 „
4	31-3-1966	15–00	10–00 „

APPENDIX 'A'

(Extract from the Rajasthan Government Servants' Insurance Rules, 1953)

Rule 9. *Actuarial investigation*:—Once at least in every five years the Director shall cause an actuarial investigation to be made by an Actuary and the report of the Actuary submitted to the Government. Any surplus declared by the Actuary to be available for distribution shall either be distributed to policy holders in the form of a bonus as recommended by the Actuary or if the Government so decide, carried forward undistributed.

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 175 की सूची)

जिला नागौर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का विवरण

क्रम संख्या	नाम छात्रवास	नाम योजना	छात्रवास प्रारम्भ हुवा	छात्र संख्या	वार्षिक व्यय वर्ष 1969–70
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय छात्रावास, नागौर	अनुसूचित जाति	16-10-62	40	54,620
2	राजकीय छात्रावास, डेगाना	,,	1-7-69	24	
3	अनुदानित छात्रावास, लाडनू	विमुक्त जाति	23-7-64	40	38,260
4	अनुदानित छात्रावास, लाडनू	अनुसूचित जाति	1959	35	16,840
5	अनुदानित छात्रावास, जायल	,,	1961	25	8,714
6	अनुदानित छात्रावास, परबतसर	,,	1962	40	17,100
7	अनुदानित छात्रावास, डीडवाना	,	1956	40	15,331
8	अनुदानित छात्रावास, लाडनु	,,	1965	40	16,470
9	अनुदानित छात्रावास, लाडनु	,,	1967	25	10,700

जिला नागौर में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचलित छात्रावासों के किराये तथा सुविधा सम्बन्धित विवरण पत्र

क्रम संख्या	नाम छात्रावास	किरायेदार का नाम	भवन सम्बन्धित विवरण	
			भवनों का विवरण	मासिक किराया
1	2	3	4	5
1	राजकीय छात्रावास, नागौर	राजकीय	5 कमरे 1 रसोईघर 1 कार्यालय 1 स्टोर 1 शौचालय 1 स्नानघर	..
2	राजकीय छात्रावास, डेगाना	श्री डालुराम	2 कमरे 1 राशन स्टोर 1 रसोईघर 1 कार्यालय	106
3	राजकीय छात्रावास, लाडनु	श्री समेर विजय	6 कमरे 1 रसोईघर 1 स्टोर 1 स्नान घर 1 कार्यालय 2 शौचालय 1 चौकीदार का कमरा	275

इन के भाग 3 के सम्बन्ध में मकानों की संख्या तथा नाम

नागौर	5	कमरे	20'×20'
	1	रसोई घर	15'×10'
	1	कार्यालय	12'×16'
	1	स्टोर	8'×8'
	1	शोचालय	'4×4×4'
	1	स्नान घर	4×4×4'
डेगाना	2	कमरे	81/2'×7 1/2'
भवन एक मंज़िल			
	1	राशन स्टोर	8 1/2'×8 1/2'
	1	कार्यालय	8 1/2×8 1/2'
..	1	रसोई घर	7×7 1/2
लाडनू	5	कमरे	17–9×10 1/2
भवन एक मंजिला			
	1	कमरा	25–5×8×4
	1	कमरा	17–9×16×8
	1	सामान घर	4–9'×4×6
	1	रसोई घर	6–10×5×9
	1	स्टोर	14–2×13–2
	1	कार्यालय	14–6×14–3
	1	कमरा	14–6×6×9
	1	चौकीदार	11–1×7×5
	2	प–लेरा शोचालय	5–5×3×3

Page No 165

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 186 की सूची)

Statement showing the details of recurring grants during 1967-68, 68-69, & 69-70

Name of Institution	%of grant	1967-68 Total Exp.	1967-68 Approved Exp.	1967-68 Amount of GIs.	1968-69 Total Exp.	1968-69 Approved Exp.	1968-69 Amount of GIs.	1969-70 Total Exp.	1969-70 Approved Exp.	1969-70 Amount of GIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. DAV College, Ajmer	90%	4,22,000	4,09,748	2,68,772	5,21,931	5,03,094	4,50,932	5,65,630	5,46,568	4,9,5163
		10,636	8,105	4,817						
2. Savitri Girls College, Ajmer	90%	1,84,410	1,81,493	1,03,344	3,44,431	8,42,840	2,18,556	2,63,164	2,67,204	2,36,984
3. Jain College, Bikaner	70%	1,14,368	1,09,485	80,639	1,19,636	1,13,749	79,613	1,87,246	1,41,212	79,421
4. Jain College, Bikaner	70%	32,572	80,133	56,093	1,25,460	1,15,253	80,667	1,21,900	1,17,316	82,051
5. Bansthali Vidyapeeth	90% & 60%	5,52,528	3,86,576	3,20,913	4,30,232	4,53,958	8,93,412	5,29,518	4,80,710	4,28,647
6. Chirawa College, Chirawa	60%	1,79,024	1,79,264	1,07,558	2,19,284	2,17,343	1 30,400	2,09,043	2,02,901	1,24,981
7. Chamria College, Fatehpur	60%	1,14,006	1,13,539	68,123	1 34,237	1,35,470	81,282	1,57,743	1,39,129	53,477
8. SPU Degree College, Falna	70 & 80%	1,19,634	1,17,672	82,370	1,48,271	,45,433	1,01,803	1,46,878	1,44,383	2,01,426
		13,202	13,397	8,338	19,027	18,219	11,351	26,302	15,815	11,169
9. Agrawal College, Jaipur	70%	2,40,604	2,22,333	1,80,867	2,90,957	2,79,461	1,05,623	3,86,358	3,64,619	3,55,233
10. Subhodh College, Jaipur	60% & 70%	98,162	68,703	33,539	1,33,485	1,30,609	91,003	1,49,984	1,36,407	56,385
11. Pareek College, Jaipur	60%	1,16,353	1,13,773	66,263	1,52,210	1,46,421	57,853	1,51.261	1,50,705	90,423
12. M. I. College, Jhunjhunu	70%	1,40,724	1,35,395	75,691	1,75,269	1,73,364	1,11,356	1.82,493	1,76,435	1,23,504
13. S. S. College, Mukandgarh	60%	14,757	1,29,683	77,209	1.63,108	1,52,470	91,482	1,68,552	1,60,539	96,315
14. Khalsa College, Ganganagar	60% & 70%	2,94,668	2,07,747	1,14,648	3.16,290	2,61,790	1,83,346	3,27,986	2,71,573	1,90,101
15. Poddar College, Nawalgarh	70%	2,29,153	2 47,172	1,72,020	2,88,535	2,85,999	2,00,190	3.02,674	3,00,984	2,10,689
		20,662		1,72,620	2,84 535	2,85,999	2,00,190	3,02,674	3,00,984	2,10,680
16. Behani S. M. College, Sri Ganganagar	60%	1,12,681	1,07,500	64,500	1,63,543	1,15,946	71,967	1,99,056	1,40,400	34,142
17. B. M. College, Udaipur	70%	2,31,637	2,26,383	1,58,468	3,09,128	3,04,100	2,12 863	4,23,356	3,02,113	2,74,479
18. Shramjivi College, Udaipur	90%	1,04,250	1,00,092	69,201	1,35,733	1,33,201	97.726	1,43,621	1,33,742	1,05,140
		—	—	63,576	—	—	14,127	—	—	—
19. Rajasthan Mahila Vid. Udaipur		2,90,661	2,90,438	1,59,663	3,45,232	3,25,639	1,69,425	3,47,872	3,44,526	1,54,406
20. Vidya Bhawan Rural Inst., Udaipur	80%									
21. Vidyapeeth School of Social Work, Udaipur	90%	1,11,035	1,08,257	95,500	1,24,133	1,21,078	1,05,132	2,36,069	1,34,030	1,20,627
22. L. B. S. College, Jaipur	50%	53,068	52,316	9,430	95,669	20,667	32,514	1,25,567	1,18,221	29,132
23. Rajasthan Historical Research Institute, Jaipur	80%	10,800	9,144	8,572	14,795	11,107	5,563	13,800	11,321	5,860
		2,19,000	2,19,009	1,69,099	2,54,381	2,47,414	23,672	2,81,806	2,59,754	2,33,778
24. Kanoria Girls College, Jaipur	90%	95,480	30,427	72,359	1,10,196	1,40,350	70,176	1,27.507	1,40,966	70,483
25. Lachoo Memorial College, Jodhpur	30%	1,56,055	1,17,678	88,8.9	1,50,196	1,40,350	70,175	1,27,597	1,40,966	70,488
26. Todi College, Laxmangarh	50%									

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर, 1970)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	2	बल	बैल
5	अन्तिम से 8	एसी	ऐसी
7	,, 11	कर	करें
9	,, 5	दालतराम सारण	दौलतराम सारण
11	,, 1	स	इस
11	,, 4	सवे	सर्वे
11	,, 5	जसा	जैसा
16	,, 8	करगे	करेंगे
16	,, 7	आपन	आपने
17	शीर्षक	प्रश्नोतर	प्रश्नोत्तर
21	अन्तिम से 6	हो	हुई
21	,, 1	करगे	करेंगे
23	,, 9	म	में
24	6	म	में
30	अन्तिम से 14	श्रो	श्री
37	,, 1	म	में
38	11	न	ने
51	1	वि ोघी	विरोधी
63	3	पूर्व	पूर्ण
73	अन्तिम से 12	परिवक्वता	परिपक्वता
73	13	प्रयस	प्रयास
73	अन्तिम से 9	सम स	समास-
74	,, 12	नियामनुसार	नियमानुसार
76	,, 6	मज	मेज

Page No 167

1	2		3	4
79	अन्तिम से	7	वोर्ड	बोर्ड
82	,,	1	कार्यवाई	कार्यवाही
90		5	जिल	जिला
91		7	सहयता	सहायता
98		10	मं	में
100	अन्तिम से	11	सीरिंग	सीलिंग
102		11	मे	में
109		10	श्री जशवन्तसिंह नाहर	श्री यशवन्तसिंह नाहर
165		4	भजी	भेजी
165		10	कार	प्रकार
165		19	आपन	आपने
165		24	इसलिय	इसलिये
171		7	साइस्ता	आइस्ता
172	अन्तिम से	3	मनजमेंट	मैनेजमेंट
178		6	खत्स	खत्म
179	अन्तिम से	14	जनती	जानती
179	,,	2	म	में
184	,,	10	गह	गृह
185	,,	8	अमक	आमक
186	,,	20	मनिमम	मिनिमम
186	,,	16	मे	में
186	,,	9	अन्‍ र	अन्दर
186	,,	4	ब र्गेनिग	बार्गेनिंग
189	,,	9	म	में
192	,,	5	जसी	जैसी
193	,,	12	भेज	भेजते
193	,,	10	जायगी	जायेंगी
194		9	प्रस	प्रेस
195	अन्तिम से	14	के	—
195	,,	5	टोकिन	टोकन
196	,,	1	क	की
198		12	न	ने
198		22	म	में

1	2	3	4
199	अन्तिम से 13	बान	जाने
201	11	व	वह
201	13	मुंडामर्दी	गुंडागर्दी
203	अन्तिम से 2	श्री रामचन्द्र आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
204	,, 20	में	—
206	अन्तिम से 3	डेमोकेटिव	डेमोक्रेटिव
206	,, 1	एटीब्यूड	एटीट्यूड
207	11	किप किन	किन किन
208	अन्तिम से 12	बुलये	बुलाये
211	4	दवोदत्त	देवीदत्त
214	अन्तिम से 1	634	63
214	,, 12	समझाता	समझता
214	,, 16	म	में
214	,, 21	जि दगी	जिन्दगी
216	,, 8	टूट	टूटे
216	,, 7	जो	जो
217	4	प्रकार	प्रकार का
218	अन्तिम से 7	गम्मारी	गम्भीरो
218	,, 3	मने	मैंने
220	3	फसलें	फसलों
220	5	कओं	कुओं
220	11	दृष्टि	दृष्टि
220	16	ह	है
220	18	बतापा	बताया
220	अन्तिम से 9	चाहिय	चाहिये
221	,, 7	सोखन	सोखने
221	,, 6	भी कब्जा	के जजर
221	,, 1	दिखाती	दिखती
222	4	रखनें	रखते
223	2	स्तिथि	स्थिति
223	3	हटाने	हटने
223	17	गप्र	गये
240	5	Thy	They

1	2	3	4
253	8	लढ़ा	लड्ढा
257 अन्तिम से	9	खर्च ी	खर्चा
261	5	लिय	लिये
261	19	:—	: 5 and 6
261	23	डिटन	डिटेन
262	14	इसम	इसमें
265	14	बान	बात
267 अन्तिम से	11	दीजिय	दीजिये
278	24	ठके	ठेके
278	5	जाब	जाने
316	3	विरण	विवरण
318–319	5	GIS	GIA